एकादश माला, खंड 16, अंक 11

बुधवार, 6 अगस्त, 1997
15 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 58
Date 15.12.98

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 16 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 6 अगस्त, 1997/ 15 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
68	नीचे से 15	श्री अय्यन्ना पटरूथ	श्री अय्यन्ना पटरूथु
91	नीचे से 4	श्री अशीक प्रधान	श्री अशोक प्रधान
142	3	श्री सोहनबीर	श्री सोहन वीर सिंह
163	नीचे से 4	(ग)	(ङ)
195	2	गोड़ा, श्री वाई. एन. रूद्रेश	गौड़ा, श्री वाई. एन. रूद्रेश
195	नीचे से 16	तिर्थरामन, श्री पी.	तीर्थरामन, श्री पी.

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 6 अगस्त, 1997/15 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
हिरोशिमा और नागासाकी में गिराये गए परमाणु बम से मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 204	2-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 205 से 220	21-41
अतारांकित प्रश्न संख्या 2236 से 2419	41-171
सभा पटल पर रखे गए पत्र	171-173
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों संबंधी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन — *प्रस्तुत*	174
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) रूस से आयुर्विज्ञान की स्नातक उपाधि-प्राप्त छात्रों की शिकायतों की जांच किये जाने की आवश्यकता	
डा० रमेश चन्द तोमर	177
(दो) दिल्ली में रेलवे कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	177
(तीन) उड़ीसा राज्य सरकार के सोनपुर जिले के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री के०पी० सिंह देव	177-178
(चार) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार आश्वासन और साक्षरता योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	178
(पांच) मध्य प्रदेश में सतना शहर को विमान सेवा से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री सुख लाल कुशवाहा	178-179
(छः) मण्डला, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	179
बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक-वापस लिया गया विचार करने का प्रस्ताव	
श्री पी० चिदम्बरम	179-213
खण्ड 2 से 13	187-189
प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की भारी क्षति के बारे में चर्चा	
श्री उद्धव बर्मन	214-216

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

श्री सुन्दर लाल पटवा 216-219
श्री बी०के० गढ़वी 220-226
श्री नवल किशोर राय 226-228
श्री सुरेन्द्र सिंह 228-230
श्री भक्त चरण दास 230-231
श्री मधुकर सरपोतदार 231-235
श्री हरिन पाठक 235-238
श्री के०पी० सिंह देव 238-242
श्री हरिवंश सहाय 242-243
श्री जोआचिम बक्सला 243-244
श्री अमर राय प्रधान 244-246
श्री सी० नारायण स्वामी 246-247
श्री रमेन्द्र कुमार 248-249
श्री ई० अहमद 249-250
श्री चतुरानन मिश्र 252-258

आधे-घंटे की चर्चा

दिल्ली में उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना

श्री जग मोहन 259-262
प्रो० रासा सिंह रावत 262-265
श्री मोहम्मद मकबूल डार 265-268

लोक सभा

बुधवार, 6 अगस्त, 1997/15 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बावन वर्ष पूर्व आज ही के दिन जापान का एक नगर हिरोशिमा एक परमाणु बम से तबाह हो गया था। इसके तीन दिन पश्चात् जापान के एक अन्य नगर नागासाकी का भी वही दु:खद हश्र हुआ। इसमें हजारों लोग मारे गए तथा लाखों लोग अपंग हो गए। इससे विश्व को मालूम हो गया है कि युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है तथा मनुष्यों और राष्ट्रों की अनियंत्रित आकांक्षा कितनी कहर ढा सकती है। उन दो परमाणु बमों द्वारा उत्पन्न रेडियो धर्मिता के बाद में पड़ने वाले प्रभावों को यादकर हिरोशिमा तथा नागासाकी की दुर्घटना से बचे लोगों का दिल आज भी दहल जाता है।

हिरोशिमा तथा नागासाकी विश्व को यह याद दिलाते हैं कि आणविक हथियारों जैसे सम्पूर्ण विनाश के हथियारों का कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। परमाणु हथियारों तथा युद्ध के आधुनिक उपकरणों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। यदि आज विश्व में विद्यमान परमाणु हथियारों के जखीरे को कम और समाप्त नहीं किया गया तो मानव जाति इस विध्वंसक विनाश के भय से मुक्त नहीं हो सकती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से ही निरस्त्रीकरण भारत की विदेशनीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि परमाणु हथियारों को इस धरती से बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए। परमाणु हथियारों के जखीरे तथा संपूर्ण तबाही के अन्य परम्परागत हथियारों को कम करने तथा उन्हें बिल्कुल समाप्त करने के लिए उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए जो भेद-भाव रहित हो तथा जिससे विश्व के सभी लोगों की समृद्धि तथा शांति सुनिश्चित हो सके। परमाणु बमों द्वारा हुई त्रासदी को दखते हुए हम सबको सहनशील, निष्पक्ष तथा परोपकारी बनना चाहिए ताकि ये गुण हमें मानवीय मामलों को हल करने में मार्गदर्शन कर सकें।

अब यह सभा हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु विध्वंस से मृत लोगों की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : हमारे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में बाढ़ आने से पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। सरकार की ओर से बचाव और राहत का कोई प्रयास नहीं किया गया है। पूरा इलाका डूबा हुआ है तथा 16 घंटे से भी ज्यादा समय से लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय प्राकृतिक आपदाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार से, माननीय मंत्री जी जवाब देते समय कृपया उस विशेष समस्या का उल्लेख करें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

हुडको

+*201. लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत) प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) दिल्ली में बिल्डर्स के लिए वाणिज्यिक स्थान आवंटित करता है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के दौरान किए गए ऐसे आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिल्डर्स हुडको द्वारा निर्धारित समझौते के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली में समाज, सदन परिसर में, जिसका विकास हुडको द्वारा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हुडको द्वारा निर्मित कार-पार्किंग बेसमेंट के ऊपर शॉपिंग आर्केड'' बनाने के लिए स्थान की नीलामी हुडको ने दिनांक 10.3.95 को मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एपिल) को की है।

(ग) और (ङ) हुडको के अनुसार, उप-पट्टा करार में निर्धारित मानदंडो का उल्लंघन नहीं किया गया है।

आवंटन की शर्तों के अनुसार, शॉपिंग आर्केड के निर्माण के लिए स्थान का कब्जा, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और करार निष्पादन पर पहली किश्त की अदायगी के बाद हुडको द्वारा मैसर्स एपिल को सौंपा जाना था।

मैसर्स एपिल द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के बाद, उन्हें कब्जा सौंप दिया गया। तथापि, दूसरी एवं तीसरी किश्त का भुगतान; हुडको द्वारा निर्मित कार पार्किंग बेसमेंट के नक्शों की स्वीकृति/विनियमन में विलंब के कारण रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम ने, मैसर्स एपिल द्वारा बनाए जाने वाले शॉपिंग आर्केड के नक्शे कार्रवाई एवं अनुमोदन के लिए स्वीकार नहीं किए।

बाद में, मैसर्स एपिल ने, 9.3.96 और 9.9.98 को देय क्रमश: दूसरी और तीसरी किश्तों के भुगतान के लिए प्रत्येक हेतु 13 महीने की अवधि विस्तार (ब्याज मुक्त) की मंजूरी का हुडको से अनुरोध किया।

हुडको ने संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, दूसरी किश्त के बिना ब्याज भुगतान हेतु 17.1.97 को अर्थात् 10 महीने आठ दिन बाद करने की और ब्याज सहित 17.4.97 तक करने की अनुमति दे दी। मैसर्स एपिल ने दूसरी किश्त का ब्याज सहित भुगतान 17.4.97 को कर दिया है।

तीसरी किश्त के संबंध में हुडको ने ब्याज-मुक्त भुगतान के लिये 8 महीने 4 दिन अर्थात् 13.5.97 तक की ओर ब्याज सहित भुगतान के लिए 13.8.97 तक की मंजूरी दी। एपिल ने तीसरी किश्त के भुगतान के लिए 17.7.97 तक (ब्याज रहित) और 16.10.97 तक (ब्याज सहित) भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि दूसरी एवं तीसरी किश्तों के भुगतान की तारीखों के बीच 6 महीने के मूल अंतराल को कायम रखा जा सके।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यह काम हुडको ने 10.3.95 को दिया। उसकी दूसरी किश्त एक साल बाद 10.3.96 को देनी थी। वह किश्त नहीं दी गयी। उसमें प्रावधान था कि अगर तीन महीने तक किश्त न दी जाए, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए। इसके अलावा यदि कैंसिल नहीं किया जाए तो ब्याज देकर किश्त लेनी चाहिए। एक साल और कुछ महीने बाद 50 करोड़ 64 लाख रुपए की किश्त 1997 में दी गई। उसमें आठ महीने और कुछ दिन की किश्त बिना ब्याज के और तीन महीने ब्याज के दी गई। तीसरी किश्त का भी यही नमूना था जो कि आठ महीने बिना ब्याज के और तीन महीने ब्याज की थी। अगर किश्त दी नहीं जाती है तो उसको कैंसिल करना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका जब तक पूरा भुगतान न हो जाए तब तक वह दुकानों और आफिसेज का स्पेस किसी को दे नहीं सकते। वे धड़ल्ले के साथ दी गई। आपने यह बात अखबारों में भी पढ़ी होगी कि ये चीजें बिक रही है। इसके बाद हुडको के अनुसार यह कहा जाता है कि उपपट्टा करार में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट क्या कहती है और क्या गवर्नमैंट इससे संतुष्ट है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो क्या वह इसकी इनक्वयारी कराने का इरादा रखती है।

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी० खलप : महोदय, यह समस्या इतनी सरल नहीं है जितना सरल माननीय सदस्य उसे इस सभा में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यह सच है कि किश्तों का भुगतान निर्धारित तिथियों पर नही किया गया, एक अन्य तथ्य जिससे यह मामला जुड़ा है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। 'हुडको' ने यह भूमि 'अंसल' को प्रदान की थी तथा इस संबंध में कुछ अवधियाँ धन के भुगतान के लिए निर्धारित की गई थीं।

श्री राम नाईक : महादेय, संबंधित मंत्री को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यदि कोई समस्या है तो सभा को सूचित किया जाना चाहिए कि वह यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वस्थ नहीं हैं। वह अस्पताल में हैं वह बहुत ही गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं।

श्री रमाकान्त डी० खलप : जब इन लोगों को भूमि नियत की गई थी, तो इस स्थान का कब्जा देने में देर हो गई थी। यथार्थ में, यह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है परंतु यह 'हुडको' द्वारा बनाए गए 'पार्किंग लॉट' के ऊपर का रिक्त स्थान है। जहां तक तहखाने से संबंधित योजना का *संबंध है इस विषय में कुछ विवाद है। अत: अंसल ग्रुप का निवेदन है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा जितना भी समय अंतिम स्वीकृति देने में लगा उसे भी किश्तों के भुगतान के लिए निर्धारित तिथियों में शामिल किया जाना चाहिए। यह मान लिया गया है।*

अब मैं माननीय सदस्यों को ताजा स्थिति से अवगत कराता हूं। कल, 5 अगस्त, 1997 को 'हुडको' ने 'अंसल ग्रुप' को सूचित किया था कि उन्हें तीसरी किश्त 30, अगस्त को या उससे पहले, ब्याज सहित अदा करने की राय दी जाती है, जिसके अभाव में स्वीकृति स्वत: ही रद्द हो जाएगी जैसा कि 11 अप्रैल, 1997 को पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्हें 11 अप्रैल, 1997 के पत्र के अनुसार प्रकाशित अस्वीकरण फार्म अथवा 4 जून, 1997 के साथ भेजे गए संशोधित प्रारूप पत्र प्रस्तुत करने की राय दी जाती है। अब, उन्हें इन दोनों में से एक का चयन करने का विकल्प दिया गया है। उन्हें तीसरी किश्त के साथ 7.85 करोड़ रुपए के मूल किराए का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। यही ताजा स्थिति है।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, आज सवाल आना था और कल एकाएक हुडको को सब काम करने की याद आ गई। हमें इससे बहुत ज्याद अचम्भा नहीं हुआ। यह मामला 10 मार्च 1995 से चल रहा है। मुझे याद है कि यह वही सज्जन हैं जिन का सम्बन्ध उपहार सिनेमा ट्रेजडी से है। एक ऐसा पैटर्न और सभ्यता बन गई है जिसके माध्यम से पहले डी०डी०ए० और अब हुडको दिल्ली में इस तरह के काम कर रही है जिससे जमीनों के दाम बढ़ गए। आज जन साधारण लोग यहां पर कोई भी जमीन या मकान बना नहीं पा रहे हैं। हुडको को इसलिए बनाया गया था कि वह इसमें आम जनता की मदद करें। वह केवल इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहां पर अट्टालिकाएं बने या झुग्गी-झोंपड़ियों रहें।

आज हालत यह हो गई है कि जिसके पास पैसा है, वह बड़ा मकान बना सकता है लेकिन जो गरीब हैं, वह झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली शहर या दिल्ली प्रदेश में हुडको का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी मकान या जमीन लेकर रह सके ? क्या सरकार इसके बारे में विचार करेगी और धन का प्रावधान करेगी ?

[अनुवाद]

श्री रमाकान्त डी० खलप : महोदय, सरकार देश की और विशेषत: दिल्ली नगर की आवासीय समस्या से अवगत है। आवास की घोर कमी के परिणामस्वरूप, सरकार ने दिल्ली नगर से यह अग्रगामी योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत हुडको को सरकार ने 60.6 एकड़ भूमि आवंटित की है ताकि इसका विकास वाणिज्यिक आधार पर किया जा सके। 60.6 एकड़ की यह पूरी भूमि तीन भागों में विभाजित की गई है। पहला भाग 17.6 एकड़ का है जिसपर यह समुदाय केन्द्र बनाया जाना है; अन्य 18 एकड़ भूमि हरित पट्टी के रूप में विकसित करने के लिए आरक्षित की जानी है तथा पूरी योजना का एक संघटित विकास होना चाहिए और बाकी के 25 एकड़ भाग पर इस 17.6 एकड़ भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि से एक आवासीय योजना विकसित होगी और इस सबसे पूरी योजना का विकास होगा।

इसके परिणामस्वरूप, आज यह स्थिति है कि, सरकार को इस बिक्री से आय के रूप में लगभग 412 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। अत: राष्ट्रीय स्तर पर आवासीय योजनाओं के लिए मुहैया पूरी राशि की तुलना में, इस योजना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि उचित योजना हो तथा उचित दूरदर्शिता का सहारा लिया जाए तो सरकार इन विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि को विभाजित करके और विशेषत: इन्हें गैर सरकारी संगठनों

जैसे ए०पी०आई०एल० अर्थात् 'अंसल' या अन्य, को देकर पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित कर सकती है जिसका प्रयोग सरकार लोगों के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने के लिए कर सकती है। इसीलिए, 25 एकड़ के प्लाट पर एक विशाल आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। 412 करोड़ रुपए की राशि पहले ही उपलब्ध है; और अधिक धन इस योजना के अन्य पहलुओं की नीलामी तथा बिक्री के बाद प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने सदन को हुडको के बारे में सदन को बताया कि 31.12.96 तक हुडको की 385 करोड़ की कैपिटल में से 324 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। उस कारनामें के मुताबिक आवास और शहरी विकास का काम दिल्ली में नहीं हो पाया लेकिन सरकार ने 1995 में अंसल प्रापर्टी एंड इंडस्ट्रीज लि० को दिल्ली में एन्ड्रयूजगंज ऐरिया में जगह दी। इस सारे काम के लिये सरकार ने नियम एवं शर्तें रखीं, उस कम्पनी ने नहीं रखी थी। सरकार ने उस चीज को अभी तक देखा नहीं। 1995 में 50 प्रतिशत पैसा 168.80 लाख रुपये था

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : अध्यक्ष महोदय, बाद में जो दो किश्त का भुगतान करना था, वे अब तक नहीं भरी गईं। बात इतनी ही नहीं, इस कम्पनी ने उस जगह का विज्ञापन अखबार में दिया जिससे सब की बुकिंग कर दी गई लेकिन उस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है। मेरा सवाल यह है कि इस कम्पनी के बारे में सरकार ने क्या सोचा है और जब इस कम्पनी ने नियम एवं शर्तें पूरी नहीं की तो सरकार इसको क्यों मदद कर रही है ?

श्री रमाकान्त डी० खलप : यह तो इल्जाम बराबर नहीं है मेरे हिसाब से।

[अनुवाद]

सरकार 'अंसल ग्रुप आफ कम्पनीज' को यह निर्देश दे रही है कि वे उन शर्तों का पालन करते रहें जिनसे व बंधे हुए हैं। यह आरोप कि उन्होंने इस परिसर के कुछ हिस्से को बिक्री के लिए रखा है, इसका निरीक्षण क्या प्रणाली अपनाई गई है कि दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए, जिसे यह निमांता इस योजना को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाना चाहता है। यदि वह इस योजना के भीतर के स्थान का विज्ञापन देकर बाजार से धन एकत्र करता है तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी भी ऐसी शर्त का कोई उल्लंघन होगा जिसके तहत उन्हें यह भूमि प्रदान की गई थी। यदि वह धन ग्रहण कर लेते हैं तो बिक्री पर एक समझौता है, कि ` सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकते क्योंकि जब तक 'हुडको' सम्पत्ति को अंसल ग्रुप को हंस्तातरित नहीं करती तब तक वे सम्पत्ति उसको हंस्तातरित नहीं कर सकते जो उसे उनसे खरीदने का इच्छुक हो। जब बाजार से धन जुटाने का पहलू केवल भावी खरीददार तथा इस निर्माता, अर्थात् 'असंल ग्रुप ऑफ कम्पनीज' के बीच का मामला है।

जहां तक हुडको का संबंध है, सरकार का संबंध है, हम यह देखेंगे कि जिन शर्तों पर उसकी सहमति है उनका पालन किया जाये। नि:सन्देह कभी-कभी अन्तराल आ जाता है अथवा कभी-कभी अधिक समय लगता है। ऐसी बातें हुई हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भूमिगत पार्किंग का कार्य पूरा किया जाता है। इस पार्किंग के लिए लाइसेंस और-स्वीकृति दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी जानी थी। अब ये सब समय पर नहीं किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अकेला ऐसा संगठन नहीं है। जो इस कार्य को देखता है। दिल्ली नगर निगम से भी ये स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। यह समय प्रारम्भ में भुगतान के लिए निर्धारित समय सीमा के अलावा है। इस मामले में, पहली किस्त पहले ही दे दी गयी है। इसलिए, जो अधिक समय लगा उस पर अनुरोध के अनुसार विचार किया जाना था। यदि हम इस प्रकार इस स्तर पर इसे समाप्त कर देते हैं तो हम मुकदमेबाजी में फंस जायेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं एक बार कोई मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और *कल्पना* करें कि न्यायालय इस मामले में स्थगन दे देता है, तो न तो परियोजना तैयार हो पायेगी न ही धनराधि प्राप्त हो सकेगी। इसीलिए कानूनी विशेषज्ञ से उचित परामर्श लिया गया था और उन्हें कानूनी अधिकारियों के साथ-साथ इस देश के कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर ही इस समय की अनुमति दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, प्रश्न संक्षेप में पूछे तथा संक्षेप में ही इसका उत्तर दें। श्री जगमोहन अब अगला प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जगमोहन : बात यह है कि सरकार ने इस भूमि को विकास और संसाधनों में वृद्धि करने के लिए 'हुडको' को दिया था। इस भूमि को गैर सरकारी पार्टी को पट्टे पर भी दे दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार हुडको ने *परिसरीय सेवाओं*, जिनपर इस निर्माण के कारण भार बढ़ जायेगा, के लिए भुगतान किया है। यह एन्ड्रूजगंज गंज शहर के मध्य में है। आपने यह भूमि अत्यधिक मूल्य पर दी है। जो कुछ भी हुआ है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अब प्रश्न यह है कि इस परिसर में आने-जाने वाला यातायात इसी सड़क अर्थात निती बाग रोड से होकर जायेगा जो कि बहुत संकरी सड़क है। इसके बाद जल आपूर्ति विद्युत आदि का मामला आता है इस परियोजना को स्वीकृति देते समय अथवा इस परियोजना को अनुमोदित करते समय क्या आपने सावधानी बरती है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो इस चूक के लिए कौन उत्तरदायी है? इस क्षेत्र में बने हुए गन्दे गडढे के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या आप अब निर्देश जारी करके इस चूक में सुधार करेंगे अथवा परिसरीय सेवाओं अर्थात अतिरिकत भार जो पानी, विद्युत, मल-जल निकास और सड़कों द्वारा पडेगा, के लिए धनराशि जमा करने हेतु हुडको से कहेंगे? इस टुकडों में किए गए विकास के लिए कौन उत्तरदायी है।

अन्य मुद्दा यह है। क्या यह सच है कि आप अब इस क्षेत्र को सरकारी कालोनियों से पानी दे रहे हैं ? इस सादिक नगर क्षेत्र में पहले से ही पानी की कमी है। अब इससे कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली में विकास की इस पृष्ठभूमि की माननीय प्रधान मंत्री महोदय को जानकारी हैं मैं चाहता हूं कि वे हमें यह आश्वासन दें कि सामुदायिक सेवाओं अथवा उन सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार के लिए भुगतान करने में जो भी चूक हुई है उसे किसी भी तरीके से 'हुडको' से वसूल कर लिया जायेगा। माननीय मंत्री ने कहा कि इससे लाभ हुआ है। तो उसे इसके लिए भुगतान करना चाहिए। इसके लिए कौन भुगतान करेगा।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जो कुछ मेरे मित्र श्री जगमोहन कह रहे हैं उसे मैं काफी हद तक तर्कसंगत मानता हूं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली में शहरीकण की समस्या बहुत गम्भीर बनती जा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इसके लिए अनेक आयाम हैं चूंकि माननीय सदस्य, श्री जगमोहन स्वयं इसके विशेषज्ञ हैं, मैं इस संबंध में उनका आदर करता हूं।

अत: मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए उनके, दिल्ली प्रशासन और अन्य व्यक्तियों के साथ बैठक करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग

+

*202. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण के लिये औद्योगिक क्षेत्र से सहयोग करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्य योजना की भी पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र से किस तरह का सहयोग मांगा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में 10 जुलाई को फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित गोष्ठी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में निगमित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम को समर्थन देने और अपनी क्षमता के अनुरूप पैमाने पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। सरकार पहले भी उद्योगों से इस प्रकार का आग्रह करती रही है।

सरकार के इस विचार को ध्यान में रखते हुए उद्योगों से आग्रह किया है कि आज देश के समक्ष जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और समस्या से प्रभावकारी तरीके से जूझने के लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। साथ ही इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक इसे ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम न बनाया जाए जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी संगठन के साथ-साथ समुदाय सक्रिय रूप से सहयोग करें। बहुत बड़ी आवश्कयता के मद्देनजर केवल सरकार के संसाधन और प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे और इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र सहित गैर-सरकारी क्षेत्र को अपने उपलब्ध साधनों के भीतर इस प्रयास में सहभागी होने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए सहमत होना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र को किसी विशिष्ट कार्यक्रम अथवा वित्तीय परिव्यय का सुझाव नहीं दिया है।

फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी एक समिति है, और यह आगरा, कानपुर और मेरठ जिलों में एकीकृत परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु एक परियोजना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पापुलेशन फाउन्डेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक अन्य परियोजना चला रही है। पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री परिवार कल्याण कार्यक्रम की सात परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए जनसंख्या नियंत्रण सहित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार का प्रयास औद्योगिक क्षेत्र को, इसके बड़े संसाधनों के मद्देनजर, जनसंख्या नियंत्रण सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभिप्रेरित करना है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मुझे शून्यकाल में कभी-कभी मौका मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में कभी-कभी ही।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। श्रीमती रेणुका चौधरी हैल्थ की मिनिस्टर हैं, एक डायनामिक लेडी है। ...*(व्यवधान)* मैं रेणुका चौधरी के लिए बधाई दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने फिक्की के सेमिनार में एक भाषण दिया था और उसमें जो बातें इन्होंने कही थीं, उन्हीं पर हमारा सवाल आधारित है। मैं इनको पुनः इस विचार के लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि मंत्री जी के जो यह विचार हैं, क्या इनको अमल में लाने के लिए इनके पास कोई कार्य योजना है। आपने इंडस्ट्रीज से कारपोरेट सैक्टर से आग्रह किया है। कि परिवार नियोजन के जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम है उसमें आप योगदान दें। तो क्या इस प्रकार के योगदान के लिए आपने कोई कार्य योजना बनाई हैं जिस पर कि इंडस्ट्रीज अमल कर सकें। क्योंकि एक अखबार में मैंने बयान पढ़ा है, उसके आधार पर ही मैंने यह प्रश्न पूछा है और अध्यक्ष महोदय आज ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर देखी है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी०एल० कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जरा प्रधान मंत्री को सुनने दें क्योंकि यह हैल्थ से संबंधित सवाल है।

श्री नीतीश कुमार : हां हैल्थ भी प्रधान मंत्री का है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि मंत्री जी ने जो एक बयान दिया है उसके आधार पर मैंने यह सवाल पूछा था, यह विचार उचित है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारपोरेट सैक्टर के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वह कैसे और क्या मदद करें और किस प्रकार से उसमें पैसा लगाये। अगर ओर भी कोई योजना व लें तो क्या उनको कोई एरिया दिया जायेगा या उनके लिए कोई टारगेट फिक्स किया जायेगा। क्योंकि एक तरफ आपने कहा है और अपील के तौर पर यह बात आई है दूसरी तरफ आज ही समाचार पत्र में मैंने देखा है कि रेणुका चौधरी अच्छा काम कर रही हैं, देखकर मुझे चिंता हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ही खबर छपी है—

> "ब्यूरोकेट्स रश टू पी०एम०ओ० टू स्टाल श्रीमती रेणुका चौधरी आर्डर।"

फिर क्या स्थिति है। एक तरफ यह अच्छा काम कर रही हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार के पास कोई योजना है और दूसरी तरफ इनकी स्थिति क्या है, कोई आदेश यह निकाले तो क्या उस पर अमल होता है या नहीं। इसलिए इस आधार पर मेरी चिता बढ़ गई है। आप यहां पर मोजूद हैं इसलिए हम सरकार यह जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच कारपोरेट सैक्टर को इन्वोल्व करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कोई विशेष कार्यक्रम बनाना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जब मेरे मित्र श्री नीतिश कुमार चिन्तित हो जाते है तो मेरी चिन्ता बढ़ जाती है। जहाँ तक मुख्य मुद्दे की बात है मैं तो कहूंगा कि सरकार और मंत्रालय में मंत्री के प्राधिकार का प्रश्न निर्द्वन्द है। किसी व्यक्ति अथवा किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्री के आदेश का पालन न करें ...*(व्यवधान)*। इसलिए जहां तक निगमित क्षेत्र को शामिल करने का संबंध है, यदि हम

सहयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाते हैं तो अंतिम रूप से भारत में चल रहे परिवार नियोजन आन्दोलन प्रभाव पड़ेगा। समाज के विभिन्न वर्ग सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप निगमित क्षेत्र पर विचार करते हैं तो अधिकांश निगमित क्षेत्र श्रमिक अधिनियम, यूनियन और इसी प्रकार की दूसरी बातों पर कार्य करते हैं। यदि वह कारखाना, जिसमें वे कार्य कर रहे हों में इस मुद्दे पर कार्मिकों को शिक्षित किया जाता है तो यह मददगार हो सकता है। यह राशि बढ़ाने का ही प्रश्न नहीं है। यह सहयोग और नीतियों में कार्यान्वयन का प्रश्न है। आखिरकार जनसंख्या मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यह पार्टी मुद्दा नहीं है। इसलिए, जब मेरे भारतीय सहयोगी ने अपील की तो यह उसी सन्दर्भ में है जिसमें वह बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था और एक तरह से थोड़ी धमकी भी इन्होंने दी थी और कहा था कि

[अनुवाद]

"उन्होंने एक चार्टर लाने की योजना बनायी जिसमें कोई उद्योग लगने से पूर्व स्वास्थ्य स्वीकृति प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना है"

[हिन्दी]

ऐसा उन्होंने कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले में गम्भीर है? दूसरा सवाल मैं आपके माध्यम से, यह जानना चाहता हूं कि आज ही एक सवाल के उत्तर में सरकार ने कहा कि केन्द्र से जो पैसा राज्य सरकारों को जाता है। उनकी जितनी जरूरत होती है, उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता, क्या सरकार का इरादा इस मामले में भी इंडस्ट्रीज को इन्वौल्व करने का है ताकि वे अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकारों की मदद कर सके। इससे हटकर, एक सवाल यह भी है कि दसवीं लोक सभा के दौरान एक बात सामने आई थी, चर्चा हुई थी कि जो पोलिटीशियन्स देश को चलाते हैं, उन्हें भी जनसंख्या के मामले में नियंत्रण करना चाहिए तथा यह भी प्रोपोजल था कि इस संबंध में एक बिल लाया जाएगा ताकि इलैक्टिड रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी फैमिली प्लानिंग के नॉर्म्स का पालन करें। *(व्यवधान)* वे भी अपने परिवार को सीमित रखें, ज्यादा बच्चे पैदा न करे, क्या उस संबंध में अभी भी सरकार गम्भीर हैं और वैसा कोई बिल सदन में लाया जाएगा। *(व्यवधान)* जिनके पहले से बच्चे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं आगे की बात करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न को अदरवाइज न लिया जाए। जिनके पहले से बच्चे हैं, उनके बारे में, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आगे की सोच रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को घबराना नहीं चाहिए, मैं दूसरी जगह नहीं जा रहा हूं। क्या इस तरह का कोई प्रोपोजल सरकार के सामने है?

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, उनका विचार यह है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*।

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहती हूं कि प्रथमतः हम इस जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निगमित क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लोगों का एक नियन्त्रित समूह है जिनके लिए किसी प्रकार की सूचना, शिक्षा और पत्राचार और अधिक कारगार होगा।

[हिन्दी]

स्टटेस में पैसा कम पड़ता है, यह हकीकत है।

[अनुवाद]

दूसरी बात, मैं सभा का यह समर्थन चाहती हूं कि आप सब लोग सरकार पर यह दबाव डाले कि नौवीं योजना में परिवार कल्याण के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाये क्योंकि राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर जोर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

आपने दूसरा सकल टू-चाइल्ड नोर्म के बारे में पूछा है।

तीसरी बात, उन्होंने टू-चाइल्ड नोर्म विधेयक के बारे में पूछा है। यह विधेयक अभी लागू और विद्यमान है। हम इसके संबंध में विचार कर रहे हैं। मैं इस समर्थन में विचार इस सभा के समक्ष लाने जा रही हूं।

एक धारा ऐसी है जिसके बारे में मैं चाहती हूं कि जब मैं इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाऊं तो आप सभी मेरा मार्गनिर्देश करें। बात यह है कि इस विधेयक में विधवा पुर्नविवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण कानून पर विचार नहीं किया गया था जिससे यदि मैं सभा के माध्यम से इस विधेयक को प्रस्तुत करती तो यह किसी महिला के प्रति फिर पक्षपात करना माना जाता। किन्तु मुझे यह आशा है कि भाविष्य में शीघ्र ही हम इस सभा के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे और इसे इस सभा का समर्थन प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष जी, यह देश स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ या स्वर्ण जयन्ती मानने जा रहा है और आज इसके सामने जनसंख्या नियंत्रण का मामला सबसे प्रमुख है, जिस पर सभी ओर से गम्भीर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक विशेष सत्र में आपने इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा कराने की पिछले दिनों घोषणा की है। आजादी के पचासवें वर्ष में यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने उद्योग जगत से फिक्की में सहयोग की अपील की है ताकि देश की इस प्रमुख समस्या में उद्योग जगत को भी इन्वौल्व किया जा सके। मेरी जानकारी के अनुसार आजादी के 50 वर्षों में, आठवीं पंच-वर्षीय योजना के पूरा होने तक, लगभग 35 हजार करोड़ रुपए फैमिली वैल्फेयर स्कीम पर खर्च हुए हैं परन्तु दुर्भाग्य हैं कि अभी तक फैमिली प्लानिंग के मामले में हम सिर्फ 32 प्रतिशत परिवारों तक ही पहुंच पाए हैं और उन 32 प्रतिशत परिवारों में भी सफलतापूर्वक इसे लागू नहीं किया जा सका है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद तथा 35 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद, आज भी हमारे लिए यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

जैसा माननीय मंत्री जी ने फिक्की में अपने विचार रखे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके आधार पर सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई योजना बनाई है? सरकार ने एक सर्व कराया था, जिसमें 1983 ईस्वी तक हमारे देश में लगभग 36,786 करोड़ रुपया कालेधन के रूप में विद्यमान होने की बात कही गई थी। अब उस सर्वे को 14 वर्ष बीत गए हैं इसलिए कालेधन की राशि पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। अभी वित्त मंत्री जी ने कालेधन को सफेद करने की एक योजना घोषित की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसी योजना के साथ जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को जोड़कर कोई नई योजना उद्योग जगत के सामने रखने वाली है ताकि देश में कालेधन की समस्या के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण की समस्या को शामिल करके उसका भी हल निकला जा सके?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : माननीय सदस्य के मुद्दे पर मैं यह कहूंगा कि जनसंख्या का मुद्दा निधियों की कमी के कारण ही नहीं है। इसमें अनेक

बातें शामिल हैं। नि:सन्देह यह महिलाओं की स्थिति है। आप यह देखेंगे कि वे ही राज्य पिछड़े रहे हैं जहां महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम लोग इस विषय पर एक स्पेशल सैशन की तैयारी कर रहे है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसीलिए, मुख्य बात जिसका कि मैं अनेक बार उल्लेख कर चुका हूं वह यह है कि जब तक हम महिलाओं और उनकी स्थिति के साथ-साथ लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाते हैं तब तक परिवार कल्याण उस सीमा तक नहीं पहुंच सकता जितना कि हम चाहते हैं। शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए, पूरी स्थिति को ध्यान में रखा जाना है।

दूसरा मुद्दा जिसे हमें ध्यान में रखना वह यह है कि विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में गरीबी और परिवार नियोजन एक ही मुद्दे के दो पहलू हैं। इसलिए, भारत सरकार का समग्र दृष्टिकोण इसके अनुसार होना चाहिए। न केवल यह सरकार बल्कि मेरी पूर्ववर्ती सरकारें भी इसका पालन करती रही हैं तथा हम प्रारम्भिक रूप से सभी चीजों को समग्र रूप से लेकर चलते हैं। इसलिए सफेद धन और काले धन का प्रश्न सुसंगत मुद्दा नहीं है किन्तु सामाजिक दृष्टिकोण एक मुद्दा है। इसलिए आप देखें कि जो आंकड़े मेरे माननीय मित्र ने आपको दिए हैं, उनसे पता चलता है कि कोई राज्य जितना अधिक पिछड़ा होगा उतनी ही अधिक वहां की जनसंख्या होगी। चूंकि मेरे मित्र ऐसे राज्य से आये हैं जिसकी स्थिति भी इस संबंध में अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वह इस संबंध में आन्दोलन चलायेंगे। जब हम इन बातों को देखते हैं तभी इन चीजों में सुधार लाया जा सकता है क्योंकि इस सन्दर्भ में हमारी राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरे दिन पहले ही यह घोषित किया है कि हम संसद की एक विशेष सभा बुलाने जा रहे हैं और उसमें चर्चा का मुख्य विषय जनसंख्या नियन्त्रण ही होगा। आपको सभा में इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता हूं। आपने अपने उत्तर में यह बताया है कि आप एफ०आई०सी०सी०आई०, पी०एच०डी० और ए०एस०एस०ओ०सी०एच०ए०एम को शामिल कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियनों को शामिल करना है क्योंकि वे ऐसे संगठन हैं जो कार्मिकों के साथ कार्य कर रहे हैं। इस आन्दोलन में ट्रेड यूनियनों को शामिल करना होगा। वास्तव में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में त्रिपक्षीय समिति है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस समिति ने कितनी बैठकें की हैं। श्रम मंत्री के रूप में मेरे सात वर्ष के कार्यकाल में, मेरे विचार से, मुश्किल से दो बार बैठक हुई थी। इसलिए कृपया इस त्रिपक्षीय समिति को सक्रिय बनाये तथा इसमें ट्रेड यूनियनों को शामिल करें।

रासायनिक हथियार

\+

***203. श्री प्रमोद महाजन :**
श्री येल्लैया नंदी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा चीन और दूसरे देशों की सहायता से रासायनिक हथियारों का निर्माण जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान के पास कौन-कौन से रासायनिक हथियार हैं;

(घ) चीन द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किए गए अन्य सैन्य हार्डवेयरों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों और प्रौद्योगिकी के अंतरण के मुद्दे को प्रकाश में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस संबंध में सरकार को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार को पाकिस्तान के पास संदिग्ध रासायनिक शस्त्र कार्यक्रम के बारे में छपी खबरों की जानकारी है। तथापि, पाकिस्तान की सरकार ने एक सरकारी वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि "पाकिस्तान रसायनिक शस्त्रों के विकास, उत्पादन, भण्डारण तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का हमेशा से ही भारी पक्षधर रहा है"।

(घ) यह खबर हैं कि चीन पिछले चार दशकों से पाकिस्तान को हथियार, टैंक, युद्धपोत लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र तथा इनसे संबंधित प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करता रहा है।

(ङ) और (च) सरकार ने चीन द्वारा पाकिस्तान को उसकी वैध आवश्यकताओं से अधिक संवेदनशील हथियारों तथा उनसे संबंधित प्रौद्योगिकी की निरन्तर आपूर्ति के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है और यह इस क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता को बनाए रखने मे अनुकरणीय नहीं है। सरकार देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की हिफाजत के लिए आवश्यक कदम उठाती रही है और भारत के सुरक्षा वातावरण से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन करते हुए ऐसे कदम उठाती रहेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, यह एक विचित्र संयोग है कि जिस दिन संसद ने हिरोशिमा और नागासाकी की मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, उसी दिन रासायनिक शस्त्रों पर हमें बहस करनी पड़ रही है। भारत ने केमीकल वैपनकर्न्वेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुसमर्थन रैटीफाइड किया है। और इतना ही नहीं हमने अपने रासायनिक शस्त्र भंडार निरीक्षण के लिए खोल दिए है। जिनका इंस्पैक्शन कम से कम पूना में प्रारंभ हुआ है। उधर पाकिस्तान में रासायानिक शस्त्र बढ़ रहे हैं। ऐसी खबरे छपी है। सरकार ने उत्तर में इन खबरों को तो स्वीकार किया है, लेकिन सरकार ने फिर भी यह कहा है। कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि रासायनिक शस्त्रों पर वह पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में है। परन्तु उत्तर से यह पता नहीं चलता है कि पाकिस्तान के इस आश्वासन पर भारत सरकार को विश्वास है या नहीं। पाकिस्तान का यह वक्तव्य विश्वासपात्र है या नहीं क्योंकि मुझे भी यह लगता है कि पाकिस्तान ने केमीकल वैपनकर्न्वेशन पर हस्ताक्षर तो किए है, लेकिन उसने आज तक उनका अनुसमर्थन नहीं किया है। रैटीफाई नहीं किया है और इसलिए उसके जो शस्त्र भंडार हैं वे परीक्षण के लिए खुले नहीं हैं। मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब सबसे बड़ा खतरा हमको पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ने केमीकल वैपन कन्वेंशन को रैटीफाई नहीं किया है, वह इंसपैक्शन नहीं करने दे रहा है और हमने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, तो क्या हम पाकिस्तान को कोई समयावधि देंगे, टाइम-बाउंड कहना चाहेंगे कि इतने समय के अंदर

यदि वह रैटीफाई करता है, तो उसका इंसपैक्शन हो जाएगा। दोनों ओर से शस्त्र नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान इसको रैक्टिफाइ न करे और दोनों ओर से शस्त्र भंडार निर्माण के लिए खोल न दें तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने अनुसमर्थन और हस्ताक्षर पर पुनर्विचार करेंगे?

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय यह मुद्दा यहां पहले भी उठाया गया था। दो बातों का मैंने जिक्र किया था और उन्हें मैं दोहराना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि इस संबंध में औपचारिकता यह कहती है कि जब कभी हम यह महसूस करते हैं कि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो हम इससे बाहर जा सकते हैं।

जहां तक घोषणा और अभिपुष्टि का संबंध है, अब यह बात आम हो गयी है कि हममें यह क्षमता है और हम अपना भला-बुरा समझ सकते हैं। इसका मतलब तत्काल विनाश से नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास हथियार हैं और हमने विश्व को यह दिखा भी दिया है। हमारे समान ही 60 और इससे अधिक देशों ने भी अपने घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। अत:, इसका होना ही अपने आप में स्वयं बाधक है। हम इसे तैयार करने की भी क्षमता रखते हैं। यह भी राष्ट्रीय क्षमता थी। विनाश की प्रक्रिया बहुत धीरे-धीरे चलती है।

इसके विकास के प्रत्येक स्तर पर हम संभावित विरोधियों पर नजर रखते हैं। यदि किसी स्तर पर हम यह महसूस करते हैं कि हमारी सुरक्षा खतरे में है तो हम तमाम बातों को दोबारा देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मेरा दूसरा प्रश्न चीन के पाकिस्तान को दिये गये शस्त्रों से संबंधित है। मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि चीन ने पाकिस्तान को केवल शस्त्र ही नहीं दिये बल्कि उनकी प्रोद्योगिकी व टेक्नोलॉजी भी उसके साथ दे रहे हैं। यह खुला रहस्य है कि चीन ने पाकिस्तान को केवल एम-11 ही नहीं दिया हैं बल्कि एम-9 की प्रौद्योगिकी व टेक्नोलॉजी भी दी है जिसके कारण एम-11 को इम्प्रूव करके उन्होंने हत्फ-III बनाया है जो उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार, शक्ति के अनुसार शायद बन नहीं पाता। ऐसी स्थिति में एम-9 की टेक्नोलॉजी देकर लगभग हत्फ-III, जो कि 700-00 किलोमीटर की रेंज तक आ सकता है, से हिन्दुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे का निर्माण हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे दो उपप्रश्न इसमें आते हैं कि क्या इस स्थिति को देखकर भारत सरकार पृथ्वी को तैनात करने का अधिकृत निर्णय लेगी और अग्नि की गति बढ़ायेगी? रक्षा मंत्री ने कानपुर की एक सभा में पृथ्वी को तैनात करने और अग्नि के निर्माण की गति बढ़ाने की बात की है लेकिन मैं संसद में प्रधानमंत्री जी से इस विषय में उत्तर चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं। वह भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह हमारी सुरक्षा की स्थिति के बारे मे जानते हैं। में आशा करता हूं कि रक्षा मंत्री के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्हें यह विश्वास हो गया होगा कि भारत में अपनी रक्षा करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, जिनका कि उल्लेख किया गया है, बल्कि हथियार देने वालों की एक लंबी सूची है। यदि मेरे मित्र चाहते है तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ किन्तु मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं इसलिए इनके पास यह सूची होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, वह एक ऐसा विवरण पढ़ रहे हैं जिसे सभी जानते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : एक खास बात जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा वह यह है कि भारत में यह क्षमता है कि वह अपनी रक्षा कर सके और मेरे ख्याल से चाहे हम 'पृथ्वी' के विषय में बात करें अथवा 'अग्नि' के विषय में, हम अपनी रक्षा ही कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र मुझसे इसका पूरा विवरण नही चाहेंगे।

दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वह इनके उपयोग के संबंध में थी। उपयोग केवल परिस्थिति की मांग है। अपने पास शस्त्रों का होना एक बात है। यदि किसी के पास बंदूक है और वह उसे हमेशा भर कर नहीं रखता और बाजार में भी उसे साथ नहीं ले जाता है तो वह केवल परिस्थिति के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है।

इसीलिए, हम यह महसूस करते हैं कि अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हमें ऐसे शस्त्रों का उपयोग करना पड़े। परंतु हमारे पास शस्त्र हैं, हमने उन्हें प्रदर्शित भी किया है तथा हमारे पास इन्हें बनाने की क्षमता भी है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि चीन, पाकिस्तान की मदद कर रहा है तथा उन्हें नाभिकीय-अस्त्र सप्लाई कर रहा है, इस विषय में सम्पूर्ण विवरण श्री महाजन पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। वे उन्हें एम-II, प्रौद्योगिकी, टैंक इत्यादि सप्लाई कर रहे हैं। यह अत्यंत चिन्ताजनक विषय है कि अभी हाल ही में, इस्लामाबाद के निकट एक नया कारखाना खोला गया है जिसमें चीन के इंजीनियर कार्य कर रहे हैं। इसमें प्रौद्योगिकीविद् पाकिस्तान को नाभिकीय-अस्त्रों को और उत्कृष्ट बनाने में मदद दे रहे हैं मैं इस विषय में सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं क्योंकि, भारत सरकार भी इस तथ्य से भलीभांति अवगत है।

दूसरे, विवरण में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार, चीन के पास इस संदर्भ में द्विपक्षीय आधार पर ही नहीं वरन् बहुपक्षीय आधार पर भी हमारी चिन्ता व्यक्त करने के लिए पहुँची थी।

मैं समझता हूं, कि अभी हाल ही में, बल्कि कल ही, चीन के उप विदेश मंत्री, श्री टैंग यहाँ थे। वह अधिकारियों से मिले थे तथा उन्होंने आपसे भी भेंट की थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में उनके समक्ष कोई गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई थी। उस द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बातचीत तथा श्री टैंग से हुई आपकी बातचीत का परिणाम क्या रहा?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक चीन के साथ द्विपक्षीय, आधार पर हुई बातचीत सहित अन्य बातचीतों का सवाल है, हमने तो हर बार शस्त्रों की सप्लाई तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण के विषय में चिंता व्यक्ति की है। यही बात मैं कह रहा हूं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, चीन के पास हर बार एक ही जवाब होता है। भूतपूर्व विदेश मंत्री होने के नाते आप बखूबी जानते हैं कि आपको किस प्रकार के उत्तर मिलते हैं। परंतु मुख्य मुद्दा यह नहीं है। मूल रूप से मुद्दा हमारी अपनी ताकत का है तथा इस विषय में, वह भी विशेषत: स्वाधीनता के 50वें वर्ष में, मैं चाहता हूं कि सभा इस विषय में पूर्णत: आश्वस्त हो। मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि भारत में अपनी रक्षा करने की क्षमता भी है और इच्छा शक्ति भी है।

श्री जसवंत सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की क्षमता तथा किसी भी संकट का सामना करने की तैयारी के विषय में जो कुछ भी कहा है उसे मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है। जिस स्पष्टीकरण की मांग मैंने की थी वह इसी संदर्भ में है तथा विशेषत: रासायनिक-अस्त्रों तथा

प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के विकास से भी संबंधित है। माननीय प्रधान मंत्री जी निश्चय ही इस बात से अवगत हैं कि रासायनिक अस्त्रों के निर्माण की क्षमता होते हुए भी 50 के दशक के अंत से लेकर आज, निरीक्षण, करने तक भी रासायनिक अस्त्रों का उपयोग किए जाने के बारे में कभी भी कोई सैन्य सिद्धांत नहीं बनाया गया है। सेना यथार्थ में, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि कोई रासायनिक-अस्त्र हैं भी। अत: इसीलिए, प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अत: हम हर संभावना के लिए तैयार हैं' इस अवधारना पर खरा नहीं उतरता — प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी का मामला भी कुछ ऐसा ही है — यह केवल एक बहकावा मात्र ही प्रतीत होता है। पिछले पचास वर्षों के सैन्य मामलों के इतिहास को सरसरी तौर पर पढ़े तो यह पता चलता है कि उच्च अधिकारियों के इस प्रकार के कथन जैसे, "हम हर प्रकार की संभावना के लिए तैयार हैं" के कारण भारत को अनेक प्रकार की तथा हर प्रकार की विपरीत संभावनाओं का सामना करना पड़ा है। और आज भी माननीय प्रधान मंत्री जी उसी लहेजे में पृथ्वी के उपयोग की बात करते हैं। यह एक तकनीकी विषय है और आगे बात करने के योग्य नहीं है। परंतु उनके पूर्वाधिकारी ने यह कहा है कि 'अग्नि' केवल प्रौद्योगिकी संबंधी जांच करना मात्र है, प्रौद्योगिकी का एक विकसित रूप है। यदि यह प्रौद्योगिकी का विकसित रूप है तो आप अग्नि का उपयोग इस संबंध में एक सुस्पष्ट सिद्धांत, एक स्पष्ट अवधारणा के अभाव में, अथवा पर्याप्त सैनिक तैयारी, चाहे वह रासायनिक-अस्त्रों की हो अथवा प्रक्षेपणास्त्र की हो या नाभिकीय-अस्त्रों की हो, के अभाव में कैसे कर सकते हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : दुर्भाग्यवश, मेरे पूर्व अनुभव माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह जी के अनुभवों से भिन्न हैं। मैं कभी सेना में नहीं रहा हूं। इसीलिए उनका तकनीकी ज्ञान निश्चय ही मुझसे अधिक है और मैं इसे स्वीकार भी करता हूं परंतु जो बात में कहना चाह रहा हूं वह यह है कि रक्षा की तैयारी तथा सिद्धांत दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्री जसवंत सिंह : बिना सिद्धांत के तैयारी कैसे हो सकती है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। जहां तक आज के संदर्भ में नाभिकीय-अस्त्रों या रासायनिक अस्त्रों या सेफेटी अन्य शस्त्रों के उपयोग के सिद्धांत की बात है विशेषत: हमारी जो तैयारी है उस के स्तर पर, मैं आशा करता हूं वह मुझसे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहने को उम्मीद नहीं करते है।

श्री जसवंत सिंह : बिल्कुल भी नहीं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जी हां, आपका स्वागत है।

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि वह मान गए हैं।

यह कोई चीज प्रतिपदित करने की बात नहीं है। यह जहां तक सेना का संबंध है एक प्राथमिक बात है। रसायानिक शस्त्रों का ही उदाहरण लीजिए। किसी भी सरकार का सीधे-सीधे यह कहना कि 'हां, हमारे पास रासायनिक शस्त्र है, हमारे पास क्षमता है,' का कोई महत्व नहीं है जबकि सेना को इसकी जानकारी ही न हो। 50 के दशक के अंत से लेकर आज तक जब हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, सेना को न तो सिद्धांत इसके उपयोग के कोई ज्ञान है और न ही इससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से बचाव के सिद्धांतों का ही कोई ज्ञान है। रसायानिक शस्त्रों के उपयोग के संबंध में कोई 'सिविल डिफेंस' भी नहीं है। अत:, जब माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि, "मैं सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाने का सुझाव दे रहा हूं।" तब यथार्थ में मेरा भी एकदम यही सुझाव है।

यदि सेना के नियोजन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि वह तत्संबंधी सिद्धांत की घोषणा नहीं कर सकते है, सरासर चाल ही है। यह शस्त्र व्यापक रूप से विध्वंसकारी हैं। सेना की तैयारी का नियोजन तथा सेना के इन क्षेत्रों में ज्ञान के आधार पर ही आंका जाएगा। अत:, मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री जी का यह कहना कि, "मेरे पास सिद्धांत तो है परंतु में उसको उद्घाटित नहीं करूंगा," बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माफी चाहता हूं यदि मैंने अपने मित्र को नाराज कर दिया है।

श्री जसवंत सिंह : आपने मुझे नाराज नहीं किया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इनकी बातों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। ... *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : वह पहले से तैयार होकर आए हैं। वह पहले से ही तैयार हैं। ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आखिरकार वह एक सैनिक हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कहता हूं कि रासायनिक शस्त्रों का निर्माण मेरे प्रधान मंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुआ है। यह तब भी था जब मेरे माननीय मित्र भी मंत्री थे। ... *(व्यवधान)*

यह तब भी था जब हममें से बहुत से लोग यहाँ इन पदों पर आसीन थे। यह भी एक तार्किक बात है।

मैं उसी नीति के आधार पर चल रहा हूं जिसे उत्तरोतर सरकारों ने अपनाया है। वह नीति पहले भी यही थी और आज भी यही है कि हमारी रक्षा तैयार के इस चरण पर भी भारी क्षति पहुंचाने वाले शस्त्रों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए, हमारे देश में, मेरे विचार से किन्हीं अच्छे कारणों से भिन्न-भिन्न सरकारों ने अपने शासन काल में इस प्रकार के शस्त्रों को सेना को नहीं सौपा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह भारत के लिए यह इस स्तर पर करते रहना, जहां सिविल कंट्रोल भी पूरा नहीं हैं, विशेषत: इस प्रकार के शस्त्रों पर, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी नीति सिद्ध होगी। मैं इनकी परेशानियां और चिताएं समझ सकता हूं क्योंकि मैं उन तकलीफों और चिंताओं से परिचित हूं। मेरा उनसे कोई मत भेद नहीं है। परंतु, इस समय, मैं यह समझता हूं कि वह स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, जब होगी, तब देखा जायेगा।

उदाहरण के लिए, पृथ्वी का उतना ही उपयोग किया गया है जितना कि सेना अभ्यास के लिए आवश्यक है, सेना जानती है कि इसका उपयोग किस तरह करना है। हमने इसे एक स्थिति विशेष पर किया है।

अग्नि के संबंध में एक वक्तव्य दिया गया है। हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं जहां पुन: प्रवेश संभव है; हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब हम इसकी मारक क्षमता (रेंज) का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हमें इसका सैन्यीकरण करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज को भी बोलने का अवसर देने दीजिए जो रक्षा सेवाओं से कभी संबंधित नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने बार-बार यह बताया कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को चीन से जब हथियार मिल रहे हैं, क्या आपकी जो सोच है, वह सोच यहीं तक सीमित

है कि पाकिस्तान चीन के हथियारों का मात्र एक खरीददार है और केवल एक खरीददार के तौर पर ही उनके चीन के साथ रिश्ते हैं? अथवा चीन की भारत के प्रति जो दृष्टि है, जो दृष्टि अनेक क्षेत्रों में हमें रोज देखने को मिल रही है। आज के दिन जब आप हमें यहां जवाब दे रहे हैं, तिब्बत में 11 मिलिट्री हवाई अड्डों की लम्बाई बढ़ाई जा रही है। जो नये सुखोई हवाई जहाज,उन्होंने खरीदे हैं, उनकी इस्तेमाली के लिए और तिब्बत से वह हवाई जहाज कहां इस्तेमाल होने वाले हैं ? चूंकि कहा जाता है कि ये उनको रामेश्वरम तक जाकर वापस ले जा सकते हैं, तो चीन की दृष्टि क्या है, इससे भी स्पष्ट होता है।

आपकी जमीन के बारे में उनकी जो दृष्टि है, अभी अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में अपने एक प्रवेश के मुख्य मंत्री को चीन के एक सम्मेलन में जाने की दावत मिली। वीजा लेने के लिए जाओ करके उनको कहा गया और साधारण वीजा, एक अंग्रेजी पत्र में सिम्पल वीजा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुए, सिम्पल वीजा ले लीजिए करके कहा गया। चीन के दूतावास में वे मुख्य मंत्री वहां पर गये। उन्हें कहा, अपने वीजा के लिए कल आ जाइये। कल उनको कहा गया कि नहीं, आपको वीजा नहीं मिलेगा।... *(व्यवधान)* मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। चूंकि इनकी तैयारी किन चीजों के लिए है... *(व्यवधान)* दूसरे दिन जब वे गये, उनको कहा गया कि आपका इन्वीटेशन वापस लिया है। वे बोले कि कैसे, तब उनको कहा गया कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आज जाकर आ सकते हैं, इसलिए कि वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जिसे प्रदेश को चीन अपना हिस्सा करके मानता है। तो इन सारी परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूं, पाकिस्तान के हाथों में ये सारे हथियार जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को जितनी जरूरत है, उससे अधिक जा रहे हैं, ऐसा आप ही अपने उत्तर में कह रहे हैं तो फिर वे हथियार जो उनकी सुरक्षा से ज्यादा वहां जा रहे हैं तो क्या चीन की जो बड़ी एक दृष्टि हमारे देश के बारे में है, क्या उसके बारे में यह सारा मामला नहीं जुड़ा है ? आप यहां बार-बार यह कहते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी कौन-सी तैयारी है?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज निजी और सार्वजनिक दोनों ही रूप से अक्सर चीन के साथ भारत के संबंधों के बारे में खास तौर पर उस क्षेत्र विशेष के संबंध में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है चर्चा करते रहे हैं। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि चीन की क्या नीति है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि भारत की नीति क्या है। भारत की नीति है कि जहां तक संभव हो, शांति बनाये रखने का प्रयास किया जाये। लेकिन हम बुरे वक्त के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं। हम आक्रामक नहीं बनना चाहते हैं। हम कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब से वह सत्ता में आये हैं, बहुत कुछ बदल गया है। अतः, मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्हें इस जिम्मेदारी का बोध रहा है और भगवान न करे, यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आई तो हम इसे पूरी तरह निभायेंगे।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण संस्थान

\+
204. **श्री हरिन पाठक :**
श्रीमति भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से गुजरात में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से गुजरात में और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और क्या तत्संबंधी सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एवं संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ०प्र०सं०) द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार कुल 3083 औ०प्र०सं० थे जिनमें से 201 गुजरात में थे। भारत सरकार इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि विश्व बैंक सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापना हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में ऐसे चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं कुल 565 वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण से संबंधित वर्षवार व्यय, जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता द्वारा दिया जाता है, निम्नानुसार है :—

1.	1994-95	5196.007 लाख रु०
2.	1995-96	5310.655 लाख रु०
3.	1996-97	6085.840 लाख रु०

गुजरात से संबंधित संगत आंकड़े निम्नानुसार है :

1.	1994-95	194.880 लाख रु०
2.	1995-96	313.654 लाख रु०
3.	1996-97	337.447 लाख रु०

इसके अतिरिक्त रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन किया जाता है। वर्तमान में ऐसे कुल दस क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से एक गुजरात में है, तथा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कि स्थापना की गई है।

(ख) उड़ीसा, बिहार एवं पंजाब राज्य सरकारों से तीन और क्षेत्रीय व्यासायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन संस्थानों की स्थापना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है अतः वर्तमान में इन प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत अहम् विषय के साथ जुड़ा है। इसका देश के करोड़ों शिक्षित-अर्द्धशिक्षित बेरोजगार युवकों से

सीधा सम्बन्ध है। सरकार ने सारी जिम्मेदारी प्रदेशों पर डाल दी है। देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण यह भी है। हम आज भी मैकाल की शिक्षा पद्धति की पैरवी कर रहे हैं। उसके आधार पर विद्यालयों और महाविद्यालयों से जब युवक शिक्षित होकर निकलते हैं तो बाहर सरकारी कर्मचारी ही बनते हैं, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं होता। जबकि सरकार भी उनको सीमित मात्रा में रोजगार दे पाती है। इसलिए यह प्रश्न देश के भविष्य के साथ सीधे जुड़ा है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के आई०टी०आई० पर डालने की बात आप कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि इन युवकों को अलग-अलग रोजगारों की तालीम मिले इसके लिए सरकार चिंतित है, यह तो ठीक है, लेकिन आई०टी०आई० के बजाए क्या केन्द्र सीधे हस्तक्षेप करके ऐसी संस्थाएं देश में ज्यादा से ज्यादा खोलेगी जिनमें विभिन्न तरह के रोजगार देने की तालीम देने का प्रबंध हो ?

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०टी०आई०) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं और राज्य सरकारें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को चलाती है। हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता अथवा निधियां नही देते हैं। हमारे यहां आई०टी०आई० में व्यापक पाठ्यक्रम है। हमने विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत उन्हें कुछ बुनियादी सुविधाएं दी हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित बहुत कम संस्थाएं है। गैर-सरकारी और राज्य द्वारा प्रायोजित आई०टी०आई० के बीच 2:1 का अनुपात है और ऐसे लगभग एक हजार संस्थान हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार की भूमिका का संबंध हैं ऐसे संस्थान भी हैं जिनका वित्तपोषण केन्द्र द्वारा किया जाता हैं महिलाओं के लिए दस आर०वी०टी०आई० हैं। विश्व बैंक की सहायता से एक और योजना चलायी जाती है। हमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है। उस धनराशि में से 23 प्रतिशत धनराशि का उपयोग केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के लिए किया जाता है और 77 प्रतिशत धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों के लिए 50:50 के आधार पर किया जाता है। संभवत: यह राशि अपर्याप्त है। हम समस्या की गंभीरता को समझते हैं। वहां बुनियादी कमियां हैं। मुझे विश्वास है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन मुद्दों पर अधिक बल दिया जायेगा। हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि प्रशिक्षण संबंधी कुशलता प्रदान करना आवश्यक है। आई०टी०आई० और केन्द्र द्वारा वित्तपोपित अन्य संस्थाएं अनिवार्य रूप से यह सब कर रहीं है। वे इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग कुशलता संबंधी प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारे पास विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक योजना है। जब आई०टी०आई० एन०वी०टी०आई० के साथ संबद्ध थे तो वे अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

यद्यपि यह अपर्याप्त है, फिर भी यह प्रणाली कार्य कर रही है। मैं बस यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा उत्तर मिल गया न ?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : बाकी तो पेपर्स में हैं। आई०आई०टी० के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल पूछिए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मेरा प्रश्न था कि क्या देश के युवकों के बारे में सरकार चिंतित है? हम हर बार घोषणा करते हैं कि दस लाख युवकों को एक साल में रोजी-रोटी मिल जाएगी। मैंने 1991 में भी कांग्रेस के वित्त मंत्रालय के बजट की चर्चा पर सुना था। अभी उसका जवाब नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल पूछिए नहीं तो टाइम समाप्त हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मेरा दूसरा प्रश्न है. . .(व्यवधान) मेरा दूसरा पूरक प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। देश की उद्योग नीति के कारण कई पब्लिक सैक्टर्स बंद होते जा रहे हैं। उनके लाखों कामगार बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनके कामगारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का काम अभी धीरे-धीरे श्रम मंत्रालय कर रहा है। कुछ को एन०आर०एफ० में से पैसा देकर दोबारा व्यवसायिक कामकाज करने के लिए उन्हें वहां भेजा जाता है और उनको चालीस रुपया ही दिया जाता है। मै। जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे देश के संस्थान विशेष रूप से पब्लिक सैक्टर्स के संस्थानों के बेरोजगार कामगारों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना चाहती है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : सामान्य तौर पर मैं बस यही कह सकता हूं।

बाजार में प्रवेश कर रहे श्रमिक बल की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है जबकि प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है। इसका अभिप्राय यह है कि जितना बाजार व्यक्तियों को खपा सकता है, प्रति वर्ष उससे कहीं अधिक लोग रोजगार हेतु बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है।

यह सच है कि हमें उन्हें और अधिक प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार करना होगा। लेकिन सिर्फ श्रम मंत्रालय की चिंता उस समस्या का समाधान नहीं कर पायेगी। जैसाकि आप जानते हैं, यह एक मुख्य एजेंसी है। यह पूरी सरकार और राष्ट्र की चिंता का विषय है; यह सिर्फ श्रम मंत्रालय की ही चिंता नहीं है। हम अपने मानदंडों के भीतर जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, उनका विशेष प्रश्न यही है। क्या आपके पास उन श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है जिन्हें छंटनी अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी से निकाल दिया गया ताकि उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल सके ? मेरे विचार से, उन्होंने यही विशेष प्रश्न पूछा था।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वे कौन सी योजनाएं हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उन योजनाओं के बारे में आपको अलग से जानकारी दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने बताया है कि जनजातीय युवकों के लिए कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ऐसा ही एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पुरूलिया जिले के लिए प्राप्त हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जनजातीय युवकों के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के उस प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं ब्यौरे इकट्ठे करूंगा और माननीय सदस्य जी को बता दूंगा क्योंकि इस समय मेरे पास उनके ब्यौरे नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में महिलाओं के लिए काफी कम अवसर है। मैं महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वे कम से कम यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक-एक आई० टी०आई० खोला जाना चाहिए, आंतरिक सहायता अथवा बाहरी सहायता से कोई विशेष प्रयास करेंगे? *(व्यवधान)* आई०टी०आई० सभी के लिए है; उन्हें महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हमारे यहां केवल महिलाओं के लिए दस क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं? फिर भी, मैं इस मामले की जांच करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अधूरी परियोजनाएं

***205. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की अनेक केन्द्रीय परियोजनाएं निधियों की अपर्याप्तता के कारण अधूरी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने और इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के अधिकार

***206. श्री चमन लाल गुप्ता :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पैदा हुई महिलाओं को, राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जैसा कि दिनांक 8 दिसम्बर, 1996 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''व्हेयर डू आई बिलांग'' शीर्षक समाचार के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने तथा जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को मूल भूत अधिकार प्रदान करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के अधिकार संविधान पूर्व कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें व्यवस्था है कि किसी स्थायी निवासी की पत्नी या विधवा अपने पति का दर्जा तब तक प्राप्त किए रहती है, जब तक वह राज्य में रहती है और राज्य से बाहर स्थायी निवास के लिए राज्य नहीं छोड़ती है। जम्मू और कश्मीर में पैदा हुई महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक स्थायी निवासी नहीं है, के साथ शादी होने पर स्थायी निवासी के रूप में अपना दर्जा खो देती है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 (क), जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू है, में विशेष तौर पर यह व्यवस्था है कि ऐसा कोई भी कानून, जिसमें उन व्यक्तियों की श्रेणी की परिभाषा की गई हो, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या स्थायी निवासी होंगे या जिन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इस आधार पर अमान्य नहीं होगा, कि वह भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं अथवा उन्हें दिए गए अधिकारों से वंचित करता है अथवा उनके उन अधिकारों को संकुचित कर देता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाभ में साझेदारी

***207. श्री के०एस० रायुडू :**
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लाभ की अवधारणा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान का वाणिज्यिकरण करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ई०एस०आई० अस्पताल

***208. श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में 200 करोड़ रुपये की लागत से नए ई०एस०आई० अस्पतालों का निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नये अस्पतालों का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है और प्रत्येक अस्पताल पर कितना खर्च आयेगा; और

सीधा सम्बन्ध है। सरकार ने सारी जिम्मेदारी प्रदेशों पर डाल दी है। देश में बेरोजगारी का मुख्य कारण यह भी है। हम आज भी मैकाल की शिक्षा पद्धति की पैरवी कर रहे हैं। उसके आधार पर विद्यालयों और महाविद्यालयों से जब युवक शिक्षित होकर निकलते हैं तो बाहर सरकारी कर्मचारी ही बनते हैं, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं होता। जबकि सरकार भी उनको सीमित मात्रा में रोजगार दे पाती है। इसलिए यह प्रश्न देश के भविष्य के साथ सीधे जुड़ा है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के आई०टी०आई० पर डालने की बात आप कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि इन युवकों को अलग-अलग रोजगारों की तालीम मिले इसके लिए सरकार चिंतित है, यह तो ठीक है, लेकिन आई०टी०आई० के बजाए क्या केन्द्र सीधे हस्तक्षेप करके ऐसी संस्थाएं देश में ज्यादा से ज्यादा खोलेगी जिनमें विभिन्न तरह के रोजगार देने की तालीम देने का प्रबंध हो ?

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्णत: सहमत हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०टी०आई०) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं और राज्य सरकारें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को चलाती है। हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता अथवा निधियां नही देते हैं। हमारे यहां आई०टी०आई० में व्यापक पाठ्यक्रम है। हमने विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत उन्हें कुछ बुनियादी सुविधाएं दी हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित बहुत कम संस्थाएं है। गैर-सरकारी और राज्य द्वारा प्रायोजित आई०टी०आई० के बीच 2:1 का अनुपात है और ऐसे लगभग एक हजार संस्थान हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार की भूमिका का संबंध हैं ऐसे संस्थान भी हैं जिनका वित्तपोषण केन्द्र द्वारा किया जाता हैं महिलाओं के लिए दस आर०वी०टी०आई० हैं। विश्व बैंक की सहायता से एक और योजना चलायी जाती है। हमें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है। उस धनराशि में से 23 प्रतिशत धनराशि का उपयोग केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लिए किया जाता है और 77 प्रतिशत धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों के लिए 50:50 के आधार पर किया जाता है। संभवत: यह राशि अपर्याप्त है। हम समस्या की गंभीरता को समझते हैं। वहां बुनियादी कमियां हैं। मुझे विश्वास है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन मुद्दों पर अधिक बल दिया जायेगा। हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि प्रशिक्षण संबंधी कुशलता प्रदान करना आवश्यक है। आई०टी०आई० और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित अन्य संस्थाएं अनिवार्य रूप से यह सब कर रहीं है। वे इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग कुशलता संबंधी प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारे पास विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक योजना है। जब आई०टी०आई० एन०वी०टी०आई० के साथ संबंद्ध थे तो वे अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

यद्यपि यह अपर्याप्त है, फिर भी यह प्रणाली कार्य कर रही है। मैं बस यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा उत्तर मिल गया न ?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : बाकी तो पेपर्स में हैं। आई०आई०टी० के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल पूछिए।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मेरा प्रश्न था कि क्या देश के युवकों के बारे में सरकार चिंतित है? हम हर बार घोषणा करते हैं कि दस लाख युवकों को एक साल में रोजी-रोटी मिल जाएगी। मैंने 1991 में भी कांग्रेस के वित्त मंत्रालय के बजट की चर्चा पर सुना था। अभी उसका जवाब नहीं आया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल पूछिए नहीं तो टाइम समाप्त हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मेरा दूसरा प्रश्न है. . .(व्यवधान) मेरा दूसरा पूरक प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। देश की उद्योग नीति के कारण कई पब्लिक सैक्टर्स बंद होते जा रहे हैं। उनके लाखों कामगार बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनके कामगारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का काम अभी धीरे-धीरे श्रम मंत्रालय कर रहा है। कुछ को एन०आर०एफ० में से पैसा देकर दोबारा व्यवसायिक कामकाज करने के लिए उन्हें वहां भेजा जाता है और उनको चालीस रुपया ही दिया जाता है। मै। जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सारे देश के संस्थान विशेष रूप से पब्लिक सैक्टर्स के संस्थानों के बेरोजगार कामगारों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना चाहती है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : सामान्य तौर पर मैं बस यही कह सकता हूं।

बाजार में प्रवेश कर रहे श्रमिक बल की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है जबकि प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत है। इसका अभिप्राय यह है कि जितना बाजार व्यक्तियों को खपा सकता है, प्रति वर्ष उससे कहीं अधिक लोग रोजगार हेतु बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है।

यह सच है कि हमें उन्हें और अधिक प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार करना होगा। लेकिन सिर्फ श्रम मंत्रालय की चिंता उस समस्या का समाधान नहीं कर पायेगी। जैसाकि आप जानते हैं, यह एक मुख्य एजेंसी है। यह पूरी सरकार और राष्ट्र की चिंता का विषय है; यह सिर्फ श्रम मंत्रालय की ही चिंता नहीं है। हम अपने मानदंडों के भीतर जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, उनका विशेष प्रश्न यही है। क्या आपके पास उन श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम है जिन्हें छंटनी अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी से निकाल दिया गया ताकि उन्हें वैकल्पिक रोजगार मिल सके ? मेरे विचार से, उन्होंने यही विशेष प्रश्न पूछा था।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वे कौन सी योजनाएं हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उन योजनाओं के बारे में आपको अलग से जानकारी दे देंगें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने बताया है कि जनजातीय युवकों के लिए कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ऐसा ही एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पुरूलिया जिले के लिए प्राप्त हुआ है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जनजातीय युवकों के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के उस प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं ब्यौरे इकट्ठे करूंगा और माननीय सदस्य जी को बता दूंगा क्योंकि इस समय मेरे पास उनके ब्यौरे नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में महिलाओं के लिए काफी कम अवसर है। मैं महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वे कम से कम यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक-एक आई०टी०आई० खोला जाना चाहिए, आंतरिक सहायता अथवा बाहरी सहायता से कोई विशेष प्रयास करेंगे? *(व्यवधान)* आई०टी०आई० सभी के लिए है; उन्हें महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना चाहिए।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हमारे यहां केवल महिलाओं के लिए दस क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं? फिर भी, मैं इस मामले की जांच करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अधूरी परियोजनाएं

***205. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की अनेक केन्द्रीय परियोजनाएं निधियों की अपर्याप्तता के कारण अधूरी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने और इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के अधिकार

***206. श्री चमन लाल गुप्ता :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पैदा हुई महिलाओं को, राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जैसा कि दिनांक 8 दिसम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हेयर डू आई बिलांग" शीर्षक समाचार के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने तथा जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को मूल भूत अधिकार प्रदान करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के अधिकार संविधान पूर्व कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें व्यवस्था है कि किसी स्थायी निवासी की पत्नी या विधवा अपने पति का दर्जा तब तक प्राप्त किए रहती है, जब तक वह राज्य में रहती है और राज्य से बाहर स्थायी निवास के लिए राज्य नहीं छोड़ती है। जम्मू और कश्मीर में पैदा हुई महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति, जो एक स्थायी निवासी नहीं है, के साथ शादी होने पर स्थायी निवासी के रूप में अपना दर्जा खो देती है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 (क), जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू है, में विशेष तौर पर यह व्यवस्था है कि ऐसा कोई भी कानून, जिसमें उन व्यक्तियों की श्रेणी की परिभाषा की गई हो, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या स्थायी निवासी होंगे या जिन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इस आधार पर अमान्य नहीं होगा, कि वह भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं अथवा उन्हें दिए गए अधिकारों से वंचित करता है अथवा उनके उन अधिकारों को संकुचित कर देता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाभ में साझेदारी

***207. श्री के०एस० रायुडू :**
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लाभ की अवधारणा शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान का वाणिज्यिकरण करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ई०एस०आई० अस्पताल

***208. श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना देश में 200 करोड़ रुपये की लागत से नए ई०एस०आई० अस्पतालों का निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नये अस्पतालों का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है और प्रत्येक अस्पताल पर कितना खर्च आयेगा; और

(घ) विद्यमान अस्पतालों में विशेषज्ञता युक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) देश में 19 ऐसे क०रा०बी० अस्पताल हैं जिनका निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है। इन अस्पतालों का (राज्य-वार) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन नए अस्तपालों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का दायित्व दिल्ली और नोएडा को छोड़कर जहां इसे क०रा०बी० निगम द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, चिकित्सा देख-रेख संबंधी व्यय को क०रा०बी० निगम और राज्य सरकारों द्वारा 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। क०रा०बी लाभानुभोगियों को उचित देख-रेख मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से, निगम ने क०रा०बी० अस्पतालों/औषधालयों के स्टाफ और उपस्कर के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं। और उन्हें कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। निगम ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे विद्यमान अस्पतालों का स्तर बढ़ाने तथा पुराने अप्रचलित उपस्करों को बदलवाने के लिए उनकी जरूरत की समीक्षा और मूल्यांकन करें। इस संबंध में राज्य सरकारों से जब कभी भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर विचार किया जाता है तथा निगम की नीति के अनुसार मंजूरी प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट विशेषज्ञता का उपचार जो क०रा०बी० अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकारों को बीमित व्यक्तियों के मामलों को ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों के लिए संदर्भित (रेफर) करने की सलाह दी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	अस्पताल का नाम	अस्पताल की अनुमानित लागत
1	2	3	4
			(रु० करोड़ों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, तिरूपति	2.61
2.	-वही-	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, निजामाबाद	2.57
3.	चण्डीगढ़ (सं०क्षे०)	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, चण्डीगढ़	3.10
4.	दिल्ली	262 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, ओखला	15.79
5.	-वही-	270 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, रोहिणी	17.61
6.	गुजरात	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, जामनगर	3.22
7.	हरियाणा	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, भिवानी	2.04
8.	कर्नाटक	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, वेलगांव	4.86
9.	-वही-	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, शाहबाद	2.92
10.	महाराष्ट्र	100 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, चिन्चवाड	9.14
11.	-वही-	100 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, कोल्हापुर	8.71
12.	-वही-	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, विवेवाड़ी	5.51
13.	मध्य प्रदेश	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, नागदा	2.79
14.	उड़ीसा	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, राऊरकेला	3.43
15.	पंजाब	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, मन्डीगोविन्दगड़	2.42
16.	राजस्थान	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, भीलवाड़ा	2.92
17	-वही-	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, पाली	2.00
18.	तमिलनाडु	50 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, तिरूचिरापल्ली	2.11
19.	पश्चिम बंगाल	100 बिस्तरों वाला क०रा०बी० अस्पताल, दुर्गापुर	8.02
		कुल	101.77

सबके लिए मकान

***209. श्री विजय हाण्डिक : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सबको मकान उपलब्ध कराने के सरकारी लक्ष्य के संदर्भ में मकान उपलब्ध कराने में आई कमी के अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत छह वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में इस संबंध में कुल कितनी कमी आई है;

(ग) क्या मकानों संबंधी कमी की प्रतिशतता बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रतिशतता से कहीं अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की अपेक्षा है और सबके लिए मकान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वैंकटेश्वरलु) : (क) हमारे आकलन के अनुसार, भारत में इस समय 21.23 मिलियन मकानों की कम है जिसमें 7.57 मिलियन मकानो की कमी शहरों में और 13.66 मिलियन मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है।

(ख) गत 6 वर्षों में रिहायसी मकानों और परिवारों की वृद्धि दर पर तैयार आकड़ों के आधार पर, शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी का आकलन इस प्रकार है :—

वर्ष	शहरों में मकानों की कमी (मिलियन मकान)
1991	8.23
1992	8.01
1993	7.97
1994	7.91
1995	7.82
1996	7.71

(ग) उपलब्ध आकंड़ों के अनुसार शहरी जनसंख्या में 1981-91 के दशक में 38.4% की दर से वृद्धि हुई। इसी अवधि में मकानों की कमी में 17.37% की दर से बढ़त का अनुमान लगाया गया है। इसलिए वास्तव में मकानों में आयी कमी का प्रतिशत दशक के दौरान आबादी की वृद्धि के प्रतिशत से कम आंका गया।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में गठित शहरी आवास कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि नौवीं योजना में शहरी क्षेत्रों में 16.76 मिलियन मकानों की जरूरत को पूरा करने के लिए कुल 1,21,371 करोड़ रुपये (सरकारी सेक्टर से 34,000 करोड़ रुपये + प्राइवेट सेक्टर से 87,371 करोड़ रुपये) के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। 16.75 मिलियन मकानों का विवरण इस प्रकार है :—

(I)	नौवीं योजना के आरम्भ में पिछली कमी को पूरा करने हेतु	—	7.57 मिलियन मकान
(II)	आधे-पक्के मकानों में सुधार	—	0.32 मिलियन मकान
(III)	पक्के मकानों में बढोत्तरी की आवश्यकता	—	8.87 मिलियन मकान
			16.76 मिलियन मकान

आवास क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अधिक पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरक वातावरण बनाने के प्रयोजन से, सरकार आवास गतिविधियों में प्रभावकारी वित्तीय, मौद्रिक, प्रौद्योगिकीय और कानूनी दायरे में सुविधाता की भूमिका निभा रही है।

हृदय रोग के मरीजों के लिये सुविधा

***210. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हृदय रोग के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक्टरी और चिकित्सा सहायता के अभाव में बड़ी संख्या में हृदय रोग के मरीज मर जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में हृदय रोग की बढ़ती घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) इन रोगों से ग्रस्त रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि या अन्यथा को दर्शाने के बारे में समय रूझानों से संबंधित कोई आंकड़े नहीं है।

(ख) जी, नहीं। हृदय रोगों के उपचार की सुविधाएं विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अन्य संस्थाओं द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं जिनसे कोरोनरी हृदय रोगों के बारे में 1.4 प्रतिशत से लेकर 9.7 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न व्याप्तता का पता चलता है।

(ङ) रूमेटिक हृदय रोग, कोरोनरी हृदय रोग, अति रक्तदाब (हाइपरटेन्शन) आदि के कारणों, लक्षणों और नियंत्रण पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1995-96 के दौरान भारत के पांच राज्यों में कार्डियो वास्कुलर रोगों के नियंत्रण संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना के दौरान हृदय रोगों के लिए प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार, निगरानी और अनुवीक्षण जैसे विभिन्न कार्यकलाप भी शुरू किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन का भुगतान न किया जाना

***211. श्री हराधन राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उद्यमों में मजदूरी/वेतन का भुगतान नियमित रूप से और समय पर नहीं किया जाता है;

(ख) क्या यह मजदूरी संदाय अधिनियम का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इन इकाइयों में मजदूरी/वेतन का भुगतान नियमित रूप से किये जाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम जिनमें मजदूरी/वेतन का भुगतान न करने के कारण बकाया देय राशियां हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ऐसी बकाया राशियों का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्रालय चूककर्ता के०सा०क्षे०उ० के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मजदूरी/वेतन के भुगतान न किये जाने के मुद्दे को उठाता रहा है।

विवरण

उन के०सा०क्षे०उ० के नाम जिन्होंने मजूदरी/वेतन का भुगतान नहीं किया है

विभाग-वावर के०सा०क्षे० उपक्रम
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग
मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मा लि०
उ०प्र० ड्रग्स एंड फार्मा० लि०
कोयला मंत्रालय
भारत कोकिंग कोल लि०
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

विभाग-वावर के०सा०क्षे० उपक्रम
उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि० (रानीगंज)
बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि० (गुलफारबारी)
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सी०सी०आई०)
हिन्दुस्तान केबल्स लि० (एच०सी०एल०)
हैवी इंजीनियरिंग कार्पो० लि० (एच०ई०सी०एल०)
माईनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पो० लि०
रेल मंत्रालय
इरकॉन इंटरनेशनल लि०
कपड़ा मंत्रालय
रा०क० निगम (धारक कंपनी)

टिप्पणी : आदिमांक (4.8.1997 तक) अद्यतन और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित।

परिवार नियोजन का कार्यक्रम

***212. श्री केशव महन्त :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने दिए गए सहायता अनुदान का पूरा उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्यों को नकद और वस्तुगत दोनों तरह का सहायता अनुदान दिया जाता है। वस्तुगत रूप में दी गई सहायता में औषध किटें, औषधालय किटें, गर्भ निरोध आदि शामिल हैं। यह उपयोग जरूरत के आधार पर दी जाती है इसलिए वहां कोई सामग्री अधिशेष नहीं है। नकद सहायता शुरू में वेतन आदि की जरूरत के निर्धारण के आधार पर दी जाती है और उसके बाद अंतिम रूप से उसका निर्धारण परीक्षित लेखों के आधार पर किया जाता है। राज्यों को भुगतान की गई निधियां आमतौर पर उनकी वास्तविक जरूरतों से कम होती है।

विवरण

(लाख रुपये में)

		1996-97 के दौरान नकद	भुगतान किया गया वस्तुगत	सहायता अनुदान कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7880.31	2398.43	10278.74
2.	असम	2026.07	824.06	2850.13
3.	बिहार	4660.49	2851.93	7512.42
4.	गुजरात	3408.15	1957.01	5365.16
5.	हरियाणा	1439.48	859.66	2299.14
6.	हिमाचल प्रदेश	1613.92	294.88	1908.80
7.	जम्मू व कश्मीर	863.14	268.35	1131.49
8.	कर्नाटक	7599.98	1784.70	9384.68
9.	केरल	2456.74	735.58	3192.32
10.	मध्य प्रदेश	5689.22	4066.67	9755.89
11.	महाराष्ट्र	8383.02	3351.69	11734.71
12.	मणिपुर	418.72	56.61	475.33
13.	मेघालय	300.07	87.40	387.47
14.	नागालैंड	211.63	47.62	259.25
15.	उड़ीसा	2960.32	1149.21	4109.53
16.	पंजाब	1958.00	776.12	2734.32
17.	राजस्थान	6545.74	3084.52	9630.26
18.	सिक्किम	237.71	22.25	259.96
19.	तमिलनाडु	5350.47	2077.61	7428.08
20.	त्रिपुरा	346.41	100.96	447.37
21.	उत्तर प्रदेश	10536.91	7721.73	18258.64
22.	पश्चिम बंगाल	7046.22	1909.68	8955.90
23.	अरुणाचल प्रदेश	146.82	33.86	180.68
24.	गोवा	141.81	53.24	195.05
25.	मिजोरम	197.57	45.85	243.42
	कुल (राज्य)	82419.13	36559.62	118978.75
1.	पांडिचेरी	93.61	33.66	127.27
2.	दिल्ली	1475.25	388.14	1863.39
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90.20	16.12	106.32
4.	दादरा व नगर हवेली	29.47	6.02	35.49
5.	चंडीगढ़	93.50	26.12	119.62
6.	लक्षद्वीप	11.75	2.77	14.52
7.	दमण और दीव	32.55	6.25	38.80
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1826.33	479.08	2305.41
	कुल योग	84245.46	37038.69	121284.16

दिल्ली विकास प्राधिकरण

***213. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को कब तक सौंप दिया जायेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

खाड़ी के देशों से लौटे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना

***214. श्री रमेश चेन्नितला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों से लौटे व्यक्तियों के संबंधित समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह समस्या बड़े भंयकर रूप में महसूस की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने खाड़ी के देशों से लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार को खाड़ी के देशों से वापस लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास' की समस्या के बारे में केरल राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए जाने से पूर्व केरल के प्रवासियों द्वारा जमा कराई बदावेदार राशि और इस समय उत्प्रवास महा संरक्षक के पास पड़ी राशि, को केरल सरकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि वह खाड़ी के देशों से लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राहत उपाय कर सके। यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अत्यावश्यक दवाईयों की कमी

***215. श्री पंकज चौधरी :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों/राज्य सरकार के अस्पतालों और राष्ट्रीय राजधानी के ''रेबीज केन्द्रों'' में कई अत्यावश्यक दवाईयों, विशेष रूप से रेबीजरोध टीकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जबकि कुत्तों के काटने के मामले में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय मेडिकल स्टोर द्वारा अस्पतालों/रेबीज केन्द्रों को रेबीज टीके उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अस्पतालों में रेबीजरोधी टीके सहित सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अस्पतालों का संबंध है, रेबीजरोधी टीका सहित अनिवार्य औषधों की कोई विशिष्ट कमी होने की सूचना नहीं दी गई है। केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों को जब भी आवश्यक हो, अनिवार्य जीवन रक्षक औषधों की स्थानीय खरीद करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो किसी मांगकर्त्ता को किसी भी टीके की आपूर्ति नहीं करते। राज्य सरकारों/मांगकर्त्ताओं द्वारा की गई मांग के आधार पर देश के नौ उत्पादन केन्द्रों द्वारा नर्वस टिस्यू रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति की जाती है।

(ग) अस्पताल के प्राधिकारी स्थिति को समय-समय पर समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रेबीजरोधी टीके सहित अनिवार्य औषधों की कोई कमी न हो।

[अनुवाद]

मजूदरी निर्धारित करने के मानदंड

***216. प्रो० ओमपाल सिंह ''निडर'' :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित करने के मानदण्डों में उत्पादन तथा उत्पादकता को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सामूहिक सौदेकारिता की प्रक्रिया के माध्यम से संगठित क्षेत्र में मजदूरी निर्धारित की जाती है। कुछ प्रतिष्ठानों में उत्पादकता की संकल्पना को भी मजदूरी निर्धारण के एक कारक के रूप में स्थान दिया जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के मामले में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मजदूरी निर्धारित की जाती है। 12.04.1993 को जारी किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, मजदूरी बढ़ोत्तरी निम्नलिखित से जुड़ी रही है :—

(क) विशिष्ट उद्यमों द्वारा संसाधनों का सृजन;

(ख) यह शर्त कि मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के प्रशासित मूल्यों में स्वतः वृद्धि नहीं होगी; और

(ग) यह शर्त कि मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन की प्रति इकाई श्रम लागत बढ़ जाएगी।

अनुसूचित नियोजनों के लिए असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। ये न्यूनतम मजदूरी, जिनसे कम का भुगतान कोई नियोजक नहीं कर सकता है, के कारण उत्पादकता की संकल्पना उसमें प्रतिबिम्बित नहीं की जा सकती है।

लिंग निर्धारण परीक्षण

***217. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी खबर है कि लिंग निर्धारण परीक्षण अभी भी बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख राज्यों में ऐसे परीक्षण अभी भी जारी हैं;

(ग) क्या प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग

निवारण) अधिनियम, 1994 (प्री नेटल डाइग्नोस्टिक रेगुलेशन एण्ड प्रीवेन्सन आफ मिसयूज) एक्ट, 1994) को कई राज्यों में पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम को कठोरता से लागू करने के लिए निदेश जारी किए हैं?

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि लिंग निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाए जाएं और दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) समय-समय पर ऐसी सामान्य रिपोर्ट मिलती रहती है कि भारत में भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का अभी भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तथापि, सरकार को इस बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) पहली जनवरी, 1996 से यह अधिनियम और नियम सारे देश में लागू किए गए हैं। प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियम और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन के लिए 19 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में सांविधिक तंत्र पहले ही स्थापित/गठित किया जा चुका है।

(घ) जी हां।

(ङ) राज्य सरकारों को इस मामले के महत्व के बारे में जोर देकर बताया जा रहा है और गैर-सरकारी संगठनों को विशिष्ट मामलों का पता लगाने का दायित्व संभालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

*218. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री पवन दीवान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में अधिकांश उद्योग अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और वे विभिन्न श्रम कानूनों तथा श्रम न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने पर विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों अपने क्षेत्राधिकार के तहत अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की रेंज को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में अधिकांश उद्योग न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं, हालांकि समय-समय पर नियोजकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न किए जाने के संभव में समय-समय पर कुछ शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं।

2. वर्ष, 1996 के दौरान, न्यूनतम मजदूरी के नहीं/कम भुगतान किए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार को 7194 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 1187 मामलों में नियोजकों ने खामियों में सुधार किया और कर्मकारों को 48,36,495/रु० का भुगतान करवाया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 429 चूककर्ता प्रबंन्धनों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कारगार ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र अधिनियम की परिधि में आने वाले प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करता है और जहां कहीं अधिनियम के किसी उल्लंघन के बारे में उन्हें सूचना मिलती है आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.1.97 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का नाम	न्यूनतम मजदूरी की दरें और पिछले संशोधन की विधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु० से 42.40 रु०* प्रतिदिन (12.2.96)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु० से 23.00 रु० प्रतिदिन (1.1.94)	रोजगार के अनुसार और क्षेत्रानुसार दरे भिन्न हैं
3.	असम	33.0 रु० से 44.30 रु०* प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
4.	बिहार	27. 0 रु० से 39.70 रु० प्रतिदिन (21.12.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
5.	गोवा	21.00 रु० से 46.00 रु० प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
6.	गुजरात	34.00 रु० से 57.90 रु०* प्रतिदिन (1.4.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (अंचलों) के (अनुसार)
7.	हरियाणा	51.52 रु० से 55.52 रु०* प्रतिदिन (1.1.96)	सभी रोजगारों के लिए एक ही दरें कृषि को छोड़कर
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 रु० से 45.75 रु० प्रतिदिन (1.3.96)	सभी रोजगार के लिए एक ही दरे चाय बागान को छोड़कर
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु० प्रतिदिन (13.3.95)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दर
10.	कर्नाटक	26.00 रु० से 37.32 रु०* प्रतिदिन (28.3.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु० से .40 रु०* प्रतिदिन (31.3.95)	-वही-

	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	25.50 रु० से 43.96 रु०* प्रतिदिन (29.1.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें।
13.	महाराष्ट्र	9.25 रु० से 80.35 रु०* प्रतिदिन (29.6.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
14.	मणिपुर	44.65 रु०* प्रतिदिन (मैदानी क्षेत्र के लिए) 47.65 रु० प्रतिदिन (पहाड़ी क्षेत्र के लिए) (8.7.95)	सभी रोजगारों के लिये दोहरी दरें
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दरें
16.	मिजोरम	28.00 रु० से 35.00 रु० प्रतिदिन (11.6.93)	सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें
17.	नागालैण्ड	25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दरें
18.	उड़ीसा	30.00 रु० प्रतिदिन (15.8.96)	-वही-
19.	पंजाब	55.73 रु० से 58.28 रु०* प्रतिदिन (1.7.95)	कृषि को छोड़कर सभी रोजगारों के लिये एकहरी दरें।
20.	राजस्थान	32.00 रु० प्रतिदिन (1.1.95)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दरें
21.	सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी भी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	10.00 रु० से 56.25 रु०* प्रतिदिन (21.7.95)	अलग-अलग रोजगारों के लिये अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	17.70 रु० से 36.00 रु० प्रतिदिन (7.6.96)	-वही-
24.	उत्तर प्रदेश	36.00 रु० से 49.30 रु०* प्रतिदिन (13.6.96)	-वही-
25.	पश्चिमी बंगाल	27.70 रु० से 59.20 रु०* प्रतिदिन (2.11.95)	अलग-अलग रोजगारों के लिए अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
26.	अंडमान और निकोबार	37.00 रु० से 40.00 रु० प्रतिदिन (15.8.94)	-वही-
27.	चंडीगढ़	54.60 रु० से 58.07 रु०* प्रतिदिन (4.11.95)	कृषि को छोड़कर सभी रोजगार के लिये एकहरी दरें
28.	दादरा और नगर हवेली	35.00 रु० से 40.00 रु० प्रतिदिन (18.5.95)	अलग-अलग रोजगारों के लिए अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
29.	दमन और दीव	35.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)	सभी रोजगारों के लिये एकहरी दर
30.	दिल्ली	64.50 रु० प्रतिदिन* (1.2.94)	-वही-
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.96)	-वही-
32.	पांडिचरी	19.25 रु० से 40.20 रु० प्रतिदिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
33.	केन्द्रीय सरकार	34.96 रु० से 63.09 रु०* प्रतिदिन (12.7.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (क्षेत्रों के अनुसार)

नोट : 1. *मजदूरी की न्यूनतम करों सहित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का प्रावधान प्रदर्शित करता है।

2. कॉलम 3 के अंतर्गत कोष्टक में दिये गये आंकड़े पिछली बार संशोधित अनुसूचित रोजगार के लिए संशोधन की तिथि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी शिक्षा शिविर

***219. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन) द्वारा कुल कितने शिविर आयोजित किये गये हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार और श्रेणी वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई तथा आवंटित कुल धनराशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के अधिकारों के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए 1997 में और अधिक शिविर आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) कर्मचारी शिक्षा योजना एक केन्द्र प्रयोजित योजना है और इस प्रकार राज्यों को निधियों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता। देश भर में फैले हुए 48 क्षेत्रीय केन्द्रों और 15 उप क्षेत्रीय केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से बोर्ड संगठित/असंगठित; ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए ग्रामीण कर्मकारों और असंगठित/लघु उद्योग/कमजोर वर्गों के कर्मकारों के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित कैम्पों/विशेष संगोष्ठियों और 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आवंटित और खर्च की गई निधियों सहित 1997-98 के दौरान कर्मकारों की इन श्रेणियों के लिए प्रस्तावित कैम्पों का लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 94-95 से 96-97 की अवधि के दौरान ग्रामीण और असंगठित कर्मकारों के लिए आयोजित कैम्पों की कुल संख्या।

राज्य	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	ग्रामीण कर्मकारों के लिए कैम्प			कमजोर वर्ग सहित असंगठित/लघु उद्यमों के कर्मकारों के लिए कैम्प/विशेष सेमिनार			व्यय की गई निधियां (रुपयों में)			आवंटित निधियां			97-98 के दौरान आवंटित लक्ष्य	
			94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97	ग्रामीण	असंगठित कैम्प्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
असम	1.	तिनसुकिया	34	36	27	23	10	12	236510	202320	161400	262440	258620	162540	24	9
	2.	तेजपुर	51	51	40	14	5	16	237810	213120	231130	286560	377550	282520	40	24
आन्ध्र प्रदेश	3.	हैदराबाद	60	59	31	35	18	29	398780	320750	262840	390780	359800	317600	24	40
	4.	विजयवाड़ा	60	53	30	13	18	15	264660	294260	197520	348300	387450	375400	40	12
	5.	विशाखापटनम	75	76	37	18	20	22	351600	387700	266230	348300	384150	312250	32	20
बिहार	6.	धनबाद	40	38	29	17	8	13	218860	182060	171800	215560	182060	162540	36	29
	7.	जमशेदपुर	51	80	44	33	21	24	341850	379250	261350	341850	379250	275920	50	15
	8.	मुजफ्फरपुर	75	68	48	18	22	19	351600	360718	259050	348300	390750	262720	60	27
	9.	रांची	41	42	40	14	9	16	212510	209940	225940	212510	258620	147340	40	28
गुजरात	10.	अहमदाबाद	50	78	36	30	16	21	328400	342820	243810	328400	384150	244680	40	29
	11.	बड़ौदा	50	66	41	36	18	16	348200	345600	219110	328400	345600	304400	40	24
	12.	राजकोट	75	75	54	12	22	35	228080	390750	385050	329700	390750	338650	50	23
गोवा	13.	गोवा	30	39	28	10	14	24	149880	210600	199360	149880	246990	190920	30	25
हरियाणा	14.	फरीदाबाद•	72	65	30	27	25	30	370650	365150	267780	416640	365150	328750	30	23
जम्मू और कश्मीर	15.	श्रीनगर	30	30	24	6	10	20	136680	160260	203100	136680	160260	144270	24	18
कर्नाटक	16.	बंगलौर	50	54	21	31	14	9	331700	295100	125010	400680	289800	250350	30	17
	17.	हुबली	50	42	24	15	11	15	268520	216540	165840	382260	216540	151640	24	13
	18.	मंगलौर	40	30	40	16	12	24	215560	177240	241960	215560	177240	95860	30	14
केरल	19.	कोचीन	83	75	29	26	17	21	437540	374250	208555	437540	364350	314300	30	24
	20.	कोजीकोड	60	68	30	11	20	23	270000	359300	213540	270060	313920	382350	40	28
महाराष्ट्र	21.	मुम्बई	—	—	—	33	28	24	160880	139110	120720	160800.	150900	154200	—	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	22.	नागपुर	90	90	41	22	22	24	423248	454380	271460	416640	454380	289600	28	25
	23.	पुणे	50	60	44	32	21	27	335000	334200	338720	335000	334200	310070	40	24
	24.	थाणे	40	55	36	30	12	19	287710	276370	268350	338300	279920	203830	25	14
मध्य प्रदेश	25.	भिलाई	50	55	44	38	13	22	354800	284860	291080	344900	332400	233780	40	21
	26.	इन्दौर	75	65	50	18	15	27	351600	332150	344450	351600	265720	330250	48	24
	27.	जबलपुर	60	55	48	18	14	25	308730	272590	315180	279960	313920	251280	28	20
	28.	ग्वालियर	34	41	43	12	10	18	186250	209690	258760	340290	209690	166890	30	16
मणिपुर	29.	इम्फाल	75	54	53	20	20	24	733770	309600	288110	471360	612490	675620	60	84
उड़ीसा	30.	राउरकेला	50	62	33	18	7	20	262850	263960	214290	262350	321750	292900	40	28
	31.	कटक	27	48	23	19	12	21	189698	261900	202850	262850	318200	288600	20	30
पंजाब	32.	चंडीगढ़	95	75	25	22	16	28	435800	370950	248620	348300	370950	286300	35	27
राजस्थान	33.	जयपुर	75	75	44	13	22	13	329910	390750	230240	331800	313920	341950	40	18
	34.	जोधपुर	53	42	43	11	10	16	245210	208050	246970	266760	215790	131070	30	15
तमिलनाडु	35.	कोयम्बटूर	31	42	45	15	11	17	175120	216540	267750	215560	216540	196750	40	18
	36.	मद्रास	50	75	45	40	20	31	392540	384150	339900	335000	384150	286650	40	24
	37.	मदुरई	68	71	40	23	14	25	369200	339770	291970	369200	346100	191560	40	28
उत्तर प्रदेश	38.	आगरा	71	60	44	17	12	13	334100	273360	219860	348300	273360	242920	40	27
	39.	इलाहाबाद	98	90	65	26	18	22	436440	441180	339680	436440	441180	425220	48	39
	40.	बरेली	75	75	30	17	20	20	348300	384150	208830	348300	384150	337720	40	27
	41.	कानपुर	50	75	50	32	13	26	335000	335100	315200	335000	335100	279700	40	26
	42.	गोरखपुर	92	60	41	19	22	21	415250	316740	240800	416640	417150	179290	40	33
दिल्ली	43.	दिल्ली	60	75	50	38	24	32	400680	487730	376520	400680	407730	305520	—	30
पश्चिम बंगाल	44.	आसनसोल	40	54	36	24	8	25	241960	238860	215490	241960	238860	253120	40	39
	45.	बैरकपुर	79	70	35	33	38	20	441250	430990	200630	471680	474180	417480	40	32
	46.	कलकत्ता	55	65	39	34	18	18	359350	342050	223800	428580	345600	272580	50	24
	47.	सिलीगुडी	50	66	29	20	14	24	269450	332400	187340	269450	332400	345250	30	32
हिमाचल प्रदेश	48.	शिमला	60	58	43	12	11	17	262980	261320	234700	263000	286560	174100	30	22
			2722	2830	1802	1061	775	1023	14718370	14680620	11812645	15541100	15610290	12908400	1696	1208
				7354			2859			41211635			44059790		2904	
						10213										

जनसंख्या नीति की समीक्षा

***220. श्री नारायण आठवले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने नई जनसंख्या नीति के अन्तर्गत जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कार्य निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मिली सफलता और पता चली कमियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल एवं महिला स्वास्थ्य को समाकलित करते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज देकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके इस वांछित स्तर पर लाने के लिए कार्य-निष्पादन तथा समस्याओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष तथा नौवीं योजनावधि के दौरान कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क), (ख) और (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन की सतत रूप से समीक्षा की जा रही है। ''जन्म-दर, शिशु मृत्यु-दर, दम्पती सुरक्षा-दर और प्रजननता दर के बारे में राज्यवार कार्यनिष्पादन विवरण के रूप में संलग्न है।

गोवा और केरल राज्यों में जन्म-दर सबसे नीची है जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ऊंची है। शिशु मृत्यु-दर भी गोवा और केरल में सबसे नीची है जबकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में यह सबसे ऊंची है। समग्र प्रजननता दर के मामले में, नमूना पंजीयन प्रणाली द्वारा कवर किए गए प्रमुख राज्यों में यह दर केरल और तमिलनाडु में सबसे नीची थी जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ऊंची थी।

महाराष्ट्र में जन्म दर 24.5, शिशु मृत्यु-दर 55 और समग्र प्रजनन दर 2.9 होने से यह राज्य मध्यम स्तर के कार्य निष्पादन वाले राज्यों में है। महाराष्ट्र में दम्पती सुरक्षा दर 1997 में 51 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत 45.4 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) महिलाओं और बच्चों में मृत्यु और रुगणता में कमी लाने के संबंध में विभिन्न जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न कार्यनीतियां अपनाई गई हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में समग्र देश के लिए समान रूप से कई कार्यकलापों को करने की व्यवस्था है और किसी जिले में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के स्तर को देखते हुए वहां पर अतिरिक्त कार्यकलापों को करने की व्यवस्था है। इन्हें जिला अथवा-शहर विशेष परियोजना के आधार पर स्थानीय क्षमता को बढ़ाकर अनुपूरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरी मलिन बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों के लोगों तथा किशोरों की विशिष्ट जरूरतों पर विशेष अतिरिक्त कार्यक्रमों द्वारा ध्यान दिया जाएगा। गर्भनिरोधकों की, विश्वसनीयता और उपलब्धता में नियमितता पर विशेषरूप से गर्भ - निरोधकों के सामाजिक विपणन के माध्यम से बल दिया जा रहा है। नौवीं योजना में कौशल और सेवाओं की गुणवत्ता के उन्नयन को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी वैयक्तिक प्रोत्साहनों का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

परिवार कल्याण के राज्यवार निष्पादन

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	अंशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	दम्पत्ति सुरक्षा दर (31.3.97 को प्रतिशतता	कुल प्रजननता दर (1993)
1	2	3	4	5	6
	भारत	28.3	74	45.4	3.5
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.2	67	46.9	2.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.8	63+	12.1	उपलब्ध नहीं
3.	असम	29.3	77	19.1	3.3
4.	बिहार	32.1	73	21.1	4.6
5.	गुजरात	26.7	62	57.4	3.2
6.	गोवा	14.7	14+	32.9	उपलबध नहीं
7.	हरियाणा	29.9	69	53.9	3.7
8.	हिमाचल प्रदेश	25.2	63	55.3	2.8
9.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	17.6	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	24.1	62	55.6	2.9
11.	केरल	18.0	15	46.7	1.7
12.	मध्य प्रदेश	33.2	99	47.4	4.2
13.	महाराष्ट्र	24.5	55	51.0	2.9
14.	मणिपुर	20.6	27+	23.7	उपलब्ध नहीं
15.	मेघालय	29.0	45+	4.0	उपलब्ध नहीं
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	44.2	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	20.1*	6*	8.1	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	27.8	103	39.5	3.1
19.	पंजाब	24.6	54	76.9	3.0
20.	राजस्थान	33.3	86	32.6	4.5
21.	सिक्किम	22.5	47+	23.7	उपलब्ध नहीं
22.	तमिलनाडु	20.3	54	51.7	2.1
23.	त्रिपुरा	18.9	45+	26.3	उपलब्ध
24.	उत्तर प्रदेश	34.8	86	37.2	5.2
25.	पश्चिम बंगाल	23.6	58	34.2	3.0

1	2	3	4	5	6
संघ क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.7	32+	40.9	उपलब्ध नहीं
2.	चंडीगढ़	19.5	42+	38.3	उपलब्ध नहीं
3.	दादर और नगर हवेली	29.7	78+	35.6	उपलब्ध नहीं
4.	दमण और द्वीव	21.8	36+	36.8	उपलब्ध नहीं
5.	दिल्ली	23.3	39+	33.9	उपलब्ध नहीं
6.	लक्षद्वीप	25.5	37+	9.6	उपलब्ध नहीं
7.	पांडिचेरी	20.1	25+	65.7	उपलब्ध नहीं

स्रोत : कालम (3) और (4) 1996 के लिए नमूना पंजीकरण पद्धति 1 कालम (6) 1993 के लिए नमूना पंजीकरण पद्धति, 1993 कालम (5) कार्यक्रम आंकड़ा।

एनए : उपबन्ध नहीं

* : न०पं०प० 1994 से संबंधित आंकड़े।

+ : तीन वर्ष का चल - औसत (1993-95)

[हिन्दी]

कश्मीरी पंडितों के घरों का सर्वेक्षण

2236. **श्री सुशील चंद्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या विस्थापित कश्मीरी पंडितों के आवासों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कश्मीरी पंडितों के घर खाली पड़े हैं;

(ग) ऐसे कितने घरों पर अन्य लोगों द्वारा अवैध रुप से कब्जा किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा इन घरों को कब्जे से खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कश्मीरी पंडितों के इन घरों के यदि ये क्षतिग्रस्त हैं तो पुनर्निर्माण हेतु कोई आर्थिक सहायता प्रदान करने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रम्मण्यन) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार घाटी में कश्मीरी प्रवासियों के 19,288 मकान हैं, जिनमें से 13,840 मकान खाली पड़े हैं। बाकी के मकानों में से कुछ मकान सुरक्षा बलों के कब्जे में हैं और मकान मालिकों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित किराया दिया जाता है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें इन मकानों का अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2.6.1997 को, जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल सम्पत्ति (प्रतिरक्षण, संरक्षण और जब्ती बिक्री निरोध) अधिनियम, 1997 बनाया है, जिसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रवासियों की सम्पत्तियों को ले लेने की व्यवस्था है। अवैध कब्जे से खाली करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रावधान किया गया है। अधिनियम में मकान मालिक को मुआवजे का भुगतान करने की भी व्यवस्था है, जिसे अनधिकृत कब्जाधारी से वसूल किया जाएगा।

(ङ) भारत सरकार इस संबंध में राज्य सरकार को सभी आवश्यक तथा सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी।

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों का विकास

2237. **श्री बी०एन० चरण रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में ब्रिटिश एड्स "ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी" के स्लम इम्प्रूवमेंट-प्रोजेक्ट के अंतर्गत छह गंदी बस्तियों का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी" द्वारा आन्ध्र प्रदेश में और अधिक गंदी बस्तियों के विकास हेतु और ज्यादा धनराशि मंजूर की गयी थी;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए; और

(ङ) राज्य में गंदी बस्ती विकास परियोजना के अंतर्गत गंदी बस्ती का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) ओवरसीज डेवलपमेंट आथारिटी (ओ० डी०ए०) आन्ध्र प्रदेश में 3 स्लम सुधार परियोजनाओं मे मदद दे रही हैं। ब्यौरे विवरण में है।

(ग) जी नहीं, किन्तु आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ओ०डी०ए० (यू० के०) की मदद मांगते हुए, राज्य के 32 प्रथम श्रेणी कस्बों में स्लम विकास का एक परियोजना-प्रस्ताव भेजा है, जो विचार हेतु ओ०डी०ए० भेज दिया गया है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) पूर्णता की तारीख विवरण में है।

विवरण

1. **हैदराबाद स्लम सुधार परियोजना फेस-III**
   (1) परियोजना की कुल अनुमानित लागत - 42.75 करोड़ रु०
   (2) परियोजना की अवधि- 1989-90 से दिसम्बर, 1996 (लेखाओं का अन्तिम रूप दिया जा रहा है)
   (3) प्रस्ताव में शामिल समूहों की संख्या - 300
   (4) प्रस्ताव में शामिल समूहों की संख्या - 4.50 लाख
2. **विशाखापट्टनम स्लम सुधार परियोजना**
   (1) परियोजना की कुल अनुमानित लागत - 28.59 करोड़
   (2) परियोजना की अवधि- 1988-89 से मार्च, 1996 (पूर्णता रिपोर्ट ओ०डी०ए० को प्रस्तुत)
   (3) प्रस्ताव में शामिल स्लमों की संख्या - 198
   (4) प्रस्ताव में शामिल व्यक्तियों की संख्या - 2.00 लाख

3. विजयवाड़ा स्लम सुधार परियोजना

(1) परियोजना की कुल अनुमानित लागत - 49.15 करोड़ रु०

(2) परियोजना की अवधि - 1990-91 से जून, 1997

(3) प्रस्ताव में शामिल स्लमों की संख्या - 136

(4) प्रस्ताव में शामिल व्यक्तियों की संख्या - 2.47 लाख

मेट्रो रेल सेवा

2238. श्री विजय गोयल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में किन-किन मांगों का सुझाव दिया गया है;

(ग) क्या राज्य में अंतर्राजीय बस अड्डे से केन्द्रीय सचिवालय तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(च) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) दिल्ली एम०आर०टी०एस० परियोजना का अनुमोदन संघ सरकार द्वारा सितम्बर, 1996 में किया गया था। परियोजना के प्रथम चरण के 55.3 कि०मी० लम्बे रूट में शाहदरा से नांगलोई, सब्जी मंडी से होलम्बी कलां तक भूतल/उत्थित रेल प्रणाली तथा केन्द्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय तक भूमिगत रेल मार्ग शामिल है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत अप्रैल, 1996 के मूल्यों के आधार पर 4860 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) भूमिगत मैट्रो रेल केन्द्रीय सचिवालय से कनाट प्लेस, नई/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, चावड़ी बाजार, आई०एस०बी०टी०, पुराना सचिवालय होते हुए विश्वविद्यालय तक करीब 11.0 कि०मी० मार्ग पर शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ङ) भूमिगत मैट्रो कोरिडोर की कुल अनुमानित लागत 2319 करोड़ रु० है।

(च) परियोजना पर कार्य जनवरी, 1999 तक शुरू होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

2239. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 1990-91 से प्रति व्यक्ति आय में लगातार कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या निर्देश जारी किए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवानूर) : (क) से (ग) जी, नहीं, बिहार की प्रतिव्यक्ति आय में कोई सतत् गिरावट नहीं रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वर्ष	सतत् (1980-81) मूल्यों (रु०) पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
1990-91	1204
1991-92	1119
1992-93	1025
1993-94	1034
1994-95	1098 (अनंतिम)
1995-96	1149 (तुंरत अनुमान)

[अनुवाद]

भाड़े के विदेशी सैनिक

2240. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में लोगों तथा सरकार को आतंकित करने हेतु भाड़े के विदेशी सैनिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) यह सर्वविदित तथ्य है कि पाक आई०एस०आई० जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादियों और अलगाववादियों को प्रायोजित करने, उन्हें सहायता प्रदान करने और उकसाने के कार्य में सक्रिय रूप से संलिप्त रही है। इसके लिए यह जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों और अन्य विदेशी भाड़े के सैनिकों सहित सशस्त्र और प्रशिक्षित उग्रवादियों को घुसपैठ कराने का लगातार प्रयास कर रही है। जम्मू एवं कश्मीर में भाड़े के विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जून, 1997 तक 553 भाड़े के विदेशी सैनिकों को मारा जा चुका है तथा 135 को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है। उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : सीमा/एल०ओ०सी० और भीतरी प्रदेश में लगातार सतर्कता बरतना/गश्त लगाना, उग्रवादियों को खोज निकालने के लिए सक्रिय आप्रेशन : संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट बनाना; स्थानीय पुलिस को सुदृढ़ और पुनः सक्रिय करना; आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों आदि के बीच समन्वय के लिए प्रबन्धों को सरल और कारगार बनाना।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

2241. श्री एन०जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक महासागर विकास विभाग द्वारा श्रेणी-वार कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की श्रेणी-वार कितनी संख्या है;

(ग) विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी-वार कुल कितने पद रिक्त है;

(घ) सरकार द्वारा इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की आशा है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महासागर विकास विभाग में की गई नियुक्तियों की और संख्या और नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	की गई नियुक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नियुक्तियां की संख्या
समूह "क"	12	1 (अनुसूचित जाति)
समूह "ख" अराजपत्रित	2	शून्य
समूह "ग"	4	2 (1 अनु०सू० जाति, 1 अनु०सू०ज० जाति)
समूह "घ"	10	3 (अनुसूचित जाति)
कुल	28	6

(ग) शून्य

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंगल ग्रह से लाई गई चट्टानें

2242. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1997 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली संस्करण में "मारशियन गिफ्ट टू इंडिया लायज इग्नोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) मंगल ग्रह से एकत्र कर लाई गई चट्टानों पर अध्ययन कराने के क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) शेरगोट्टी उल्कापिण्ड, जोकि बिहार के गया जिले के शेरगोट्टी गांव में 25 अगस्त, 1865 को गिरा था, को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) के पुरालेख भंडार में रखा गया है, क्योंकि जी०एस०आई० भारत में पाये जाने वाले सभी उल्कापिण्डों का अभिरक्षक है। मूल्यत: इस उल्कापिण्ड का वजन 4890 ग्राम था। इस नमूने के 3600 ग्राम वजन वाले मुख्य भाग को जी०एस०आई० में रखा गया है तथा इस उल्कापिण्ड की छोटी मात्रा को उल्कापिण्डों पर कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए जी०एस०आई० द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को प्रदान किया गया :

(1) संयुक्त राज्य प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, वाशिंगटन

(2) प्राकृतिक इतिहास संग्रहलय, वियेना

(3) प्राकृतिक इतिहास का क्षेत्रीय संग्रहालय, शिकागो

(4) प्राकृतिक इतिहास का अमरीकी संग्रहालय, न्यूयार्क

(5) प्राकृतिक इतिहास का ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन

जी०एस०आई०, भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी०आर०एल०) (अहमदाबाद) तथा अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा), जर्मनी के मैक्स प्लैंक इस्टीट्यूट (एम०पी०आई०) जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एवं अन्य वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा उल्कापिण्डों पर वैज्ञानिकों के एक संकाय (जिसे शेरगोट्टी संकाय कहा गया है) द्वारा उल्कापिण्ड पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। समय-समय पर उपलब्ध निष्कर्षों को प्रकाशित किया गया है तथा इसका विस्तृत ब्यौरा "जियोचिमिका एट कास्मेचिमिमका एक्टा" नामक विख्यात पत्रिका, के वाल्यूम 50, सं० 4 पृष्ठ 875-1091, 1986 में उपलब्ध है।

इस शेरगोट्टी उल्कापिण्ड का मंगल ग्रह के मूल का होने का निष्कर्ष, शेरगोट्टी के मुख्य अवयव संघटन के मंगल ग्रह से प्राप्त मिट्टी के साथ वाइकिंग अन्तरिक्षयान, विशेष रूप में, अभिसूचक तत्व लौहे ऑक्साइड (एफ०ई०ओ०) तथा प्रग्रहित नोबल गैस और उल्कापिण्ड में ग्लासों में नाइट्रोजन संघटन, से प्राप्त साक्ष्य के द्वारा निर्धारित प्रबल समरूपता दर्शाने वाले अध्ययनों के परिणामों के आधार पर निकाला गया है।

(ग) मंगल की चट्टानों के उपयोग द्वारा बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन संभव हैं। इसमें सौर प्रणाली का उद्भव एवं विकास, पृथ्वी के साथ मंगल ग्रह के भूभाग, मृदा और वायुमंडल के उद्भव और विकास की तुलना तथा पृथ्वी ग्रह के आगे जीवन के होने की संभावना की खोज शामिल हैं ये अध्ययन सौर प्रणाली तथा पृथ्वी सहित ग्रहों पर विविध भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जानकारी बढ़ाने में भी सहायता करते हैं।

योजना का अंतरण

2243. श्री संतोष मोहन देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को शक्ति प्रत्यायोजित करने के मामले में किए गए मुख्य पहले के रूप में योजना आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित 115 विकास योजनाओं की निधि को सीधे राज्य सरकारों को सौंप दिए जाए और उन्हें इन योजनाओं के प्रबंधन और क्रियान्वयन का प्रभावी बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन सी योजनाओ को शामिल किया जाएगा;

(ग) इन योजनाओं में केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है;

(घ) क्या कुछ सरकारें किसी योजना विशेष के लिए दी गई धनराशि को अन्य योजना में लगा रही है और इस प्रकार के धन के अन्यत्र उपयोग किए जाने से महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इन योजनाओं को पूरी तरह लागू किए जाने और उनके लिए आवंटित धनराशि को अन्यत्र खर्च न किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु उनका सीधा नियंत्रण करेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी० एस०एस०) के राज्यों को हस्तांतरण के प्रश्न पर योजना आयोग में एक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस विषय पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के विचार जानने हेतु एक नोट उन्हें भेज दिया गया है। उसकी प्राप्ति पर, पूर्ण योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) के विचारार्थ संबद्ध मुद्दों पर एक संशोधित एवं विस्तृत नोट तैयार किया जायेगा। एप्रोच पेपर के अनुरूप ही योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य संयुक्त योजना प्रतिपादन तथा संयुक्त मानिटरिंग की प्रक्रिया भी विकसित की जाएगी।

इलैक्ट्रानिक वॉयस सेंसर का उपयोग

2244. श्री छीतुभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतः बधिर व्यक्ति के कान के आंतरिक हिस्से में इलैक्ट्रानिक वायस सेंसर लगाने संबंधी प्रयोग सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) कॉक्लियर इम्पलांट नामक एक इलैक्ट्रानिक वॉयस सेंसर के प्रतिरोपण को उन रोगियों में सफल पाया गया है जिनके दोनों कानों में ठीक करने योग्य श्रवण शक्ति नहीं है और जिन्हें प्रचलित श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं होता है। यह प्रतिरोपण अभ्यान्तर कान में शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है और जख्म के ठीक होने के बाद रोगी को सामान्य तौर पर कुछ प्रशिक्षण की मदद के साथ छह सप्ताह से एक वर्ष के समय में लाभ हो जाता है। अलग-अलग उपयोगकर्ता इस प्रतिरोपण से विभिन्न स्तरों का लाभ होने की सूचना देते हैं।

[हिन्दी]

फाइलेरिया के रोगी

2245. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में फाइलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में फाइलेरिया रोग उन्मूलन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र को प्रत्येक वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) दिल्ली फाइलेरिया रोग से मुक्त है और दिल्ली में कोई फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

तथापि शहरी मलेरिया स्कीम के अंतर्गत मच्छर वेक्टर के नियंत्रण हेतु आवश्यक लेलार्वारोधी उपाए किए जाते हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

2246. श्री राम नाईक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बहुत से आवेदन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की संबद्धता संबंधी निर्णय लिए जाने हेतु काफी समय से लंबित पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्हें संबंद्ध नहीं किए जाने के कारण महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रशिक्षुओं के परीक्षा में बैठने के वंचित रह जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षुओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी नहीं। संबंधन से संबंधित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी०वी०टी०) की उप समिति की अंतिम बैठक 18.6.1997 को हुई थी। उस बैठक में, स्थायी समिति, जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा उद्योग एवं श्रम के भी प्रतिनिधि थे, के अनुमोदन पर रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में 31.5.97 तक प्राप्त 45 मामलों की जांच एवं निष्पादन किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से संबंधित राज्य निदेशक द्वारा केवल उन्हीं संस्थानों में प्रशिक्षुओं को व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए थी, संबंधन हेतु जिनकी सिफारिश स्थाई समिति द्वारा कर दी गई है। समस्या इसलिए उत्पन्न हुई कि बहुत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षुओं को स्थायी समिति के निरीक्षण से पहले ही प्रवेश दे दिया गया।

(घ) स्थायी समितियों द्वारा निरीक्षण आयोजित करने में प्रशासनिक देरी एवं कठिनाइयों पर विचार करते हुए जुलाई, 1997 में निर्णय लिया गया था कि संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जिन संस्थानों का निरीक्षण किया गया है तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के मानदंडों पर जो खरे उतरते हैं, उन संस्थानों के प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जुलाई, 1997 में आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने हेतु अनंतिम अनुमति दे दी जाए। तथापि, उन संस्थानों के प्रशिक्षुओं के परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे संस्थान राष्ट्रीय व्यासायिक प्रशिक्षण परिषद् से व्यवसायों/इकाइयों का संबंधन प्राप्त नहीं कर लेते। यह छूट जुलाई, 97 की परीक्षा हेतु सभी राज्यों को एक बार के लिए दी गई थी।

[हिन्दी]

प्रसूति मृत्यु दर

2247. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुपोषण को अन्य कारणों से प्रसव के दौरान भारी संख्या में प्रसूति महिलाओं की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में राज्यवार विशेषकर गुजरात में गत तीन माह के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई है;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति से निपटने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) भारत में मातृ मृत्युदर का नियमित और मानव अनुमान नहीं है। 1991-93 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 437 की मातृ मृत्युदर का अनुमान है। बड़े आकार के नमूने के बावजूद मातृ मृत्युदर के अनुमान के लिए सैपलिंग त्रुटियां बहुत अधिक हैं। मातृ मृत्यु दर के लिए 95 प्रतिशत का विश्वसनीय अंतराल 1,00,000 जीवित जन्मों पर 334 और 540 के बीच है। भारी सैंपलिंग त्रुटियों के कारण राज्य विशेष के लिए विश्वसनीय मातृ मृत्युदरों की गणना नहीं की जा सकती।

भारत के महापंजीयक मृत्यु (ग्रामीण) के कारणों के अपने सर्वेक्षण में शिशु जन्म और गर्भाकाल (गर्भवती महिलाओं की मौतें) के कारण हुई मौते के लिए विशिष्ट कारण संकलित करते रहे हैं। 1994 में गर्भावस्था और प्रसवोत्तर काल में हुए रक्तस्राव के कारण 23.7 प्रतिशत, रक्ताल्पता के कारण 19.3 प्रतिशत, विषरक्तता के कारण 13.1 प्रतिशत, गर्भपात के कारण 12.6 प्रतिशत, प्रासूतिक फूतिता के कारण 10.6 प्रतिशत शिशु की अपस्थिति के कारण 6.4 और अवर्गीकृत 14.2 प्रतिशत मौतें हुई। सर्वेक्षण से यह भी सूचित होता है कि मातृ मृत्यु दर की घटना कभी-कभार होती है, बहुत कम संख्या से सूचित की जाती है। अतएव कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। चल रहे मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को अगस्त, 1992 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू करके सुदृढ़ किया गया है। इस का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर और रुग्णता दर में कमी लाना है। किए गए उपायों में शामिल हैं : गर्भवती महिलाओं का टेटनस टाक्साइड से प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के निवारण और उपचार के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, दाइयों का प्रशिक्षण, साफ सुथरे प्रसव सुनिश्चित करने हेतु दाई किट की व्यवस्था, जन्म में अंतराल रखने को बढ़ावा देने और मातृत्व संबंधी जटिलताओं वाली रेफर की गई गर्भवती महिलाओं को आपाती प्रसूति परिचर्या प्रदान करने हेतु उप जिला स्तर को स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

[अनुवाद]

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां

2248. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां थी जिन्हें जमीन आवंटित कर दी गई थी किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्धारित समय में वांछित धनराशि जमा नहीं करा पाई थीं, के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार बाद में पुनर्विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के बाद से ऐसा अवसर प्राप्त करने वाली सोसायटियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास लंबित पड़े ऐसे ही और मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित मामलों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) डी०डी०ए० की सूचना के अनुसार इन सोसायटियों के नाम इस प्रकार है।

(1) नव रतन सी०जी०एच०एस०

(2) आरती सी०जी०एच०एस०

(3) सुखी परिवार सी०जी०एच०एस०

(4) डबास सी०जी०एच०एस०

(5) न्यू ज्योति सी०जी०एच०एस०

(6) रवि शंकर सी०जी०एच०एस०

(7) होम लिविंग सी०जी०एच०एस०

(8) ग्रेट लियालपुर सी०जी०एच०एस०।

(ग) और (घ) डी०डी०ए० को ऐसी 24 सोसायटियों के अनुरोध प्राप्त हुआ है जिन्होंने 35% भूमि की पहली किश्त की आरंभिक राशि निश्चित अवधि के भीतर जमा नहीं की थी। इन सोसायटियों के नाम विवरण के रूप में सलंग्न है। इन लंबित मामलों के निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

विवरण

24 सहकारिता समूह हाउसिंग सोसायटियों की सूची

क्रम सं०	सोसायटी का नाम
1	2
1.	बटुकजी सी०जी०एच०एस०
2.	अगब्रोस सी०जी०एच०एस०
3.	यंगेस्टरस सी०जी०एच०एस०
4.	तरून सी०जी०एच०एस०
5.	संचार बिहार सी०जी०एच०एस०
6.	अरिहंत सिद्धार्थ सी०जी०एच०एस०
7.	भारत पेट्रोलियम सी०जी०एच०एस०
8.	सपना घर सी०जी०एच०एस०
9.	दिकुंजबिहार सी०जी०एच०एस०
10.	सत्कारतार सी०जी०एच०एस०
11.	दि एयर इंडिया एम्प्लावीज सी०जी०एच०एस०
12.	दि होम्ली वुडलैंड सी०जी०एच०एस०
13.	हिमाचल इमउलाधार सी०जी०एच०एस०
14.	मनोचा बिहार सी०जी०एच०एस०
15.	संत सुन्दर दास सी०जी०एच०एस०
16.	दि खट्टर सी०जी०एच०एस०
17.	न्यू राजपूत सी०जी०एच०एस०
18.	सेठ बिहार सी०जी०एच०एस०

1	2
19.	प्राग्य सी०जी०एच०एस०
20.	हमदम सी०जी०एच०एस०
21.	दि मोडेस्ट केटकी सी०जी०एच०एस०
22.	मंदाकिनी सी०जी०एच०एस०
23.	वेग संचार सी०जी०एच०एस०
24.	मेडिया सी०जी०एच०एस०

बंगलादेश के साथ व्यापार

2249. **श्री अमरराय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार हल्दीबारी-चिलाहाटी सड़क मार्ग से होते हुए बंगलादेश के साथ व्यापार करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव के गुण-दोष पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से, तथा इसके क्या अंतिम परिणाम निकले हैं; और

(ग) बंगलादेश को भारतीय माल के निर्यात के हित में इस मार्ग को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार का भूमि सीमा शुल्क स्टेशन जरिए हल्दीवारी-चिलाहारी में बंगलादेश के साथ एक भूतल मार्ग खोलने का प्रस्ताव है। इस रास्ते के लिए दो भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के लिए एक उचित सड़क संबंध की आवश्यकता होगी जो सड़क यातायात को सुगम बनाएगी। इस स्तर पर सड़क खोलने के लिए कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

दंत चिकित्सा

2250. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1997 के "दैनिक जागरण" में "सफदरजंग अस्पताल" दन्त रोगों के उपचार के लिए न कुर्सी है और न उपकरण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सफदरजंग अस्पताल में दांत के रोगियों के उपचार के लिए कोई डेंटल चेयर और उपकरण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा डेंटल चेयर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा डेंटल डिर्पाटमेंट को सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) डेंटल विभाग को उपकरण और डेंटल चेयर कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ताकि रोगियों को कठिनाई न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) सफदरजंग अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग में चार डेंटल चेयर हैं जिनमें से तीन कार्य कर रही हैं। यह विभाग में सामान्य दंत रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त रूप से सज्जित है।

(ग) और (घ) इस विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए दो चेयर और अधिक उपकरणों की खरीद की जा रही है।

[हिन्दी]

निजीकरण का श्रमिकों को लाभ

2251. **श्री जयसिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार द्वारा उद्योगों का निजीकरण किए जाने से श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में अब तक कितने निगमों और उद्योगों का निजीकरण किया गया; और

(घ) श्रमिक वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) यदि उद्योगों का निजीकरण अनुकूल आर्थिक परिस्थिति में चुनिन्दा और अनुक्रमिक रूप में किया जाता है तो इससे श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार होने की उम्मीद है और दीर्घावधि में कर्मकारों के लिए अधिक रोजगार सुनिश्चित होगा। तथापि, भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्रम के निजीकरण के लाभों को निर्धारित करने के लिए कोई निष्कर्षी अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है।

(ग) गुजरात राज्य में अब तक निजीकरण किए गए निगमों और उद्योगों की संख्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं कि श्रमिकों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें। इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2252. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बजाज इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुम्बई अपने कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि नियमों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) क्या आर०पी०ई०सी०, मुम्बई ने कर्मचारियों तथा श्रमिकों के संरक्षण हेतु कोई पहल की है;

(ग) क्या कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कई वर्षों से जमा भविष्य निधि धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी०वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ऐसी सूचना मिली है कि कंपनी अपने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट के माध्यम से माह में एक बार नियमित रूप से भविष्य निधि दावों का निपटान कर रही हैं।

सरकारी आवास में परिवर्धन करने की अनुमति

2253. **श्री आई०डी० स्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री**

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बी-टाइप क्वार्टर के आवंटियों को अस्थायी रूप से एक और अधिक कमरे का निर्माण करने अथवा बरामदे को ढकने की अनुमति दिए जाने का है क्योंकि उक्त टाइप के आवास में रहने का स्थान पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली में टाइप बी क्वार्टरों के आवंटियों को अस्थाई रूप से एक अन्य कमरा बनाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आवंटी द्वारा लागत का 10% भुगतान करने पर मकान के बरांडे को ढककर अतिरिक्त बंद जगह सुलभ कराने का प्रावधान पहले से है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

2254. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1997 के "दैनिक जागरण" में "अनएलाटेड डीडीए फ्लैट्सफार द लास्ट 15 इयर्स इन दिलशाद गार्डन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आवंटन हेतु वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के फ्लैटों को वर्ष 1997 में बिजली तथा पानी के बिना आवंटित किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या डी०डी०ए० के फ्लैटों की कीमत वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 में लगभग 2 लाख रुपये थी जबकि वर्ष 1997 में इनका मूल बढ़ाकर लगभग 7 लाख रुपए कर दिया गया;

(च) क्या फ्लैटों का आवंटन और अधिक धन प्राप्त करने हेतु रोक दिया गया था; और

(छ) यही नहीं, तो तैयार फ्लैटों का आवंटन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ तथा कार्यवाही की गई हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है वर्ष 1981 में डीडीए द्वारा पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन के "आर" ब्लाक 100 एम०आई०जी० व 100 एल० आई०जी० फ्लैटों का निर्माण शुरू हुआ था। ठेका-अवधि के दौरान कुछ बड़ी कमियां पायी गई। अत: ठेका निरस्त कर दिया गया और ठेकेदार को डीडीए परवर्ती निविदा से वारित (ब्लैक लिस्ट) करते हुए उसे ठेके देने पर रोक लगा दी गयी।

निम्नलिखित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनत्मक कार्रवाई पूरी की गयी:

(I) सम्बन्धित कार्यपालक इंजीनियर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड लगाया गया।

(II) सम्बन्धित सहायक इंजीनियर का देहान्त हो जाने से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

(III) 2 जूनियर इंजीनियरों को सेवामुक्त कर दिया गया और एक जूनियर इंजीनियर वेतनमान में चार वृद्धियां कम कर दी गयी।

सरकार के केन्द्रीय भवन शोध संस्थान, रूड़की नामक एक अग्रेंजी संस्थान को इन मकान की जांच कर समुचित सुधार के उपाय सुझाने के लिये कहा गया, जो अब पूरा हो चुका है। उक्त रूड़की संस्थान को अब पुन: इन मकानों को आवंटन हेतु जारी करने से पूर्व, जांच करने तथा और उनकी ढांचागत मजबूती की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, हां। तथापि दिल्ली नगर निगम से जल आपूर्ति के अभाव में, नलकूपों से पानी लेने की अन्तरित व्यवस्था की गयी है, किन्तु उसे दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली मिलने पर ही चालू किया जा सकेगा।

(घ) फ्लैटों का आवंटन दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा दी गयी लक्ष्य तिथियों के आधार पर किया गया था।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, नहीं। फ्लैटों की कीमतों का निर्धारण डी०डी०ए० की "लाभ-हानि रहित" घोषित नीति के आधार पर किया जाता है।

(छ) तैयार फ्लैटों का आवंटन न होने का मुख्य कारण बिजली पानी व जल-मल निकासी जैसे बुनियादी सुविधाओं का सम्बंधित स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया न कराना है।

[हिन्दी]

खारे जल को पेयजल में बदलना

2255. श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खारे जल को पयेजल में बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

कार्मिक लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) बहु-चरणीय फ्लैश - प्रतिलोम परासरण विलवरीकण की संयुक्त प्रक्रिया पर आधारित और मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम द्वारा जनित विद्युत और निम्न-दाब वाष्प को काम में लाने वाले 6300 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता के एक नाभिकीय विलवणी- करण प्रदर्शन संयंत्र को IX योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपाक्कम में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस संयंत्र के कैलेंडर वर्ष 2001 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है, बशर्तें कि इस परियोजना के लिए अनुमोदन शीघ्र ही मिल जाए और IX वीं योजनावधि के दौरान पर्याप्त योजनागत परिव्यय उपलब्ध हो जाए।

(घ) इस परियोजना का अनुमानित व्यय 3097 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

"न्यूक्लियर थर्मल राकेट"

2256. **श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने 'न्यूक्लियर थर्मल राकेट'' पर कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन्सैट-2 डी जैसे अपने उपग्रह को छोड़े जाने का है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली-2 (इन्सैट-2) श्रेणी के उपग्रहों को वांछित कक्षा में प्रायोचित करने की क्षमता सहित भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) का विकास किया जा रहा है। जी०एस०एल०वी० का प्रथम विकास उड़ान के 1998 में आयोजित किए जाने की योजना है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सहायता राशि

2257. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य स्कूलों की मरम्मत, नवीकरण तथा निर्माण कार्य हेतु वित्तीय सहायता दे सकते हैं; चाहे स्कूल भवन की भूमि किसी न्यास के स्वामित्व में हो;

(ख) क्या संसद सदस्य किसी न्यास के स्कूल के लिए छात्रों के बैठने हेतु बैंचों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दे सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आर्थिक सहायता की समीक्षा करने तथा इसके लिए प्रावधान करने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (घ) संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार योजना की निधियों को मरम्मत एवं नवीकरण के कार्यों पर व्यय नहीं किया जा सकता है। जब तक कि वह कार्य किसी स्थायी संपत्ति के जीर्णोद्धार/उन्नति के लिए विशेष मरम्मत का न हो। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इनवेंट्री या किसी भी तरह के सामान के खरीदने की अनुमति नहीं है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल के छात्रों के बैठने हेतु बैंचों की खरीद नहीं की जा सकती है।

(ङ) हाल ही में फरवरी, 1997 मे मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन किया गया है। फिलहाल सरकार का इन सिद्धांतों के संशोधन का कोई विचार नहीं हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच-ब्यूरो के कार्यकरण की समीक्षा

2258. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री वी०वी० राघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो विगत में कई व्यक्तियों के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) हाल ही में जैन हवाला मामले में आरोपित कुछ व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा छोड़ दिया गया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका पहले से ही दायर कर दी गई है; और विचारण-न्यायालय के आदेश के खिलाफ, माननीय उच्चतम न्यायालय में कुछ और याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अत: यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के कार्यकरण की समीक्षा, सरकार के किसी भी संगठन के मामले में की जाने वाली समीक्षा के समान ही एक सतत प्रक्रिया है और अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2259. **श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सतना और इसके आसपास क्षेत्र में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से प्रस्तावित पंपों की खुदाई करने संबंधी कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्य को करने के लिए कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से सस्ती दर पर काम करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) माननीय संसद श्री सुखलाल कुशवाहा के प्रस्तावानुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पंपों की खुदाई से संबंधित कार्य का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा करवाने में आ रही कुछ व्यवहारिक मुश्किलों को सतना के जिलाधिकारी द्वारा सामने लाया गया है। सरकार द्वारा उसे उचित निर्देश दे दिए गए है।

(ग) से (ङ) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरण या तो सरकार या पंचायती राज संस्थाएं हो सकती हैं या कोई भी अन्य प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जो कि जिलाध्यक्ष के विचारानुसार निर्माण कार्य को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने में सक्षम हो। जिलाधिकारी प्रस्तावित कार्य की लागत और गुणवत्ता को देखते हुए कार्यान्वयन अभिकरण का चयन करते हैं।

चिकोरी काफी परियोजना

2260. श्री के० परसुरामन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकोरी का अल्प मात्रा में भी दैनिक उपभोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) क्या "ब्रू" "सनराइज", टाटा "काफी" इत्यादि काफी उत्पादों में चिकारी की अधिक मात्रा (प्रतिशत में) में भिलाई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का काफी उत्पादों में अधिक मात्रा में चिकोरी मिलाने को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप चिकोरी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।

(ख) और (ग) काफी और चिकोरी मिश्रण के लिए मानक खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। काफी के साथ मिलाने के लिए चिकोरी की मात्रा काफी-चिकोरी मिश्रण के विनिर्देशन निर्धारित करते समय सीमित की गई है। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सीधी जिम्मेदारी हैं।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन पर कानून

2261. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाने से संबंधित विधेयक की सदन में पुर: स्थापित किए जाने और तत्पश्चात् स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति के पास भेजे जाने के बाद इसे प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित विधेयक में दो से अधिक बच्चे रखने वाले संसद सदस्यों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव सुधारों में कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विधेयक की सदन में कब तक पारित किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ग) राज्य सभा में दिसम्बर, 1992 में प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेक पर वहां अभी विचार किया जाना है। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में विधेयक को निर्विघ्न पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने की सिफारिश की थी। विधेयक के पक्ष में मतैक्य बनाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है।

(ख) जी, नहीं। दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने संबंधी प्रस्तावित प्रावधान के भविष्य प्रभावी होने पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए दिशा-निर्देश

2262. श्री अमरपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों और कार्यकारी निदेशकों के पदों को भरने के लिए हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड-स्तर के पद भरे जाने में देर कम होने देने के उद्देश्य से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड-स्तर की नियुक्तियों के मामलों में अपेक्षित जांच और कार्रवाई करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) लोक उद्यम-चयन-बोर्ड उन तारीखों का बिल्कुल सही रिकार्ड रखे जब पद रिक्त होते सम्भावनीय हों, तथा वह उन पदों से जुड़े कार्य से संबंधित अद्यतन विवरण रखे ताकि प्रत्येक रिक्ति होने के छ: माह पूर्व ही रिक्त पद भरने की कार्रवाई शुरू की जा सके। यदि रिक्ति अधिसूचित करने तथा कार्य संबंधी अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने के क्रम में लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को किए गए अनुरोध के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय 10 दिन के अन्दर कोई उत्तर नहीं दे तो रिक्त प्रचालित करने के सिलसिले में लोक उद्यम-चयन-बोर्ड द्वारा स्वत: कार्रवाई की जाए।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय की तरफ से परिचित विज्ञापित करने मे अक्सर देर हो जाती है।

अत: लोक उद्यम-चयन-बोर्ड को, प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को आवश्यक भुगतान के लिए बिल भेजकर विज्ञापन और दृश्य-प्रचार-निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ताकि ऐसी देर नहीं हो।

(ग) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत ऐसे अधिकारियों, जो विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए विचारण-जोन में आने संभावित हों, के ब्यौरे के संबंध में, लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा एक विस्तृत तथा अद्यतन डेटा-बैंक रखा जाए।

(घ) लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया अधिनियम 60 दिन की अवधि के भीतर ही पूर्ण कर ली जाए।

(ङ) लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की प्रतिभागिता केवल अपर-सचिव तथा उससे उच्चतर स्तर के अधिकारी की ही हो।

(च) लोक उद्यम-चयन-बोर्ड, प्रशासनिक मंत्रालय को अपनी

सिफारिशें भेजने के समय उनकी एक प्रति केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दे ताकि आयोग सतर्कता-निकासी प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर सके। केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक सूचना प्राप्त करे तथा प्रशासनिक मंत्रालय को सतर्कता के संबंध में अपने विचारों से सामान्यत: एक पखवाड़े के भीतर लेकिन, किसी भी स्थिति में लोक उद्यम चयन बोर्ड से पैनल प्राप्त होने के एक माह के अन्दर, अवगत करवा दे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सतर्कता-अधिकारियों से चर्चा द्वारा अपनी प्रक्रिया की अलग से समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपेक्षित सतर्कता निकासी समय पर भेज दी जाए।

(छ) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से वांछित सहयोग नहीं मिले तो यह बात मंत्रिमंडल सचिव की जानकारी में ला दें। मंत्रिमंडल सचिव उपयुक्त मुद्दे को उपयुक्त प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के साथ उठाएंगे। यदि प्रशासनिक मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आवश्यक सूचना प्रदान करने में असफल रहा तो यह समझा जाएगा कि प्रशासनिक मंत्रालय को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा यदि अधिकारी के बारे में बाद में, कोई बात जानकारी में लाई गई तो उसे मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के समक्ष नहीं लाने की जिम्मेदारी सीधे ही प्रशासनिक मंत्रालय की होगी।

(ज) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से ही कार्यरत अधिकारी के पूर्ववृत्त की जांच करते समय, अधिकारी के रिकार्ड की आरम्भ से ही समीक्षा/जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद विशेष पर कार्य कर रहा हो जिस पर नियुक्ति, सतर्कता निकासी प्राप्त करने के बाद की गई थी तो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिकारी के पिछले सम्पूर्ण सेवा-काल की जांच किए बिना, अपनी जांच पद विशेष पर की गई सेवा की अवधि तक ही सीमित रखे।

(झ) कभी-कभी उन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की बाढ़ सी आ जाती हैं जिनके नामों पर लोक उद्यम बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा/अन्तिम रूप दिया जा रहा हो। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सामान्यत: चयन/पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ करने से छ: माह पूर्व प्राप्त बेनामी अथवा छद्मनामी शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई छोटी-छोटी शिकायतें हो तो उन्हें शीघ्र ही निबटा दिया जाना चाहिए।

(ञ) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुमोदन/अपेक्षित जांच-पड़ताल और कार्रवाई करने के लिए एतद् द्वारा कुल 30 दिन का समय नियत किया जाता है। इस अवधि के बाद, दस दिन की समाप्ति पर, स्थापना अधिकारी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अनुस्मारक भेजेंगे। यदि अगले 20 दिन के बाद भी (अर्थात लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा पैनल प्रस्तुत किए जाने के कुल 60 दिन बाद), प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दे पाए तो, स्थापना अधिकारी मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशें स्वत: परिचालित करेंगे। चूंकि मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति (ए०सी०सी०) में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री भी शामिल होते हैं, अत: उक्त मंत्रालय/विभाग के विचार नियुक्ति पर निर्णय करते समय उपलब्ध रहेंगे।

(ट) उन मामलों में जिनमें मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति को भेजे जाते हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपेक्षित जांच-पड़ताल और आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए, एतद् द्वारा 15 दिन का समय, तथा जहां कहीं आवश्यक हो, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अन्य 30 दिन का समय नियत किया जाता है।

"मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम"

2263. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "मास रैपिड ट्रा ट्रांजिट सिस्टम" (एम०आर०टी०एस०) आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(घ) इस प्रयोजनार्थ 1997-98 और समूची नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ङ) इस प्रणाली को कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) दिल्ली एम०आर०टी०एस० परियोजना का अनुमोदन संघ सरकार द्वारा सितम्बर, 1996 में किया गया था। परियोजना के प्रथम चरण के 55.3 कि०मी० लम्बे रूट में शाहदरा से नांगलोई, सब्जी मंडी से होलम्बी कलां तक भूतल/उत्थित रेल प्रणाली तथा केन्द्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय तक भूमिगत रेल मार्ग-शामिल होगा।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत अप्रैल, 1996 के मूल्यों के आधार पर 4660 करोड़ रुपये है।

(घ) दिल्ली एम०आर०टी०एस० परियोजना को 50 करोड़ रु० की सहायता से प्राप्त राशि सहित 150 करोड़ रु० का नियतन किया गया। तथापि नौंवी योजना के लिए कुल नियतन को अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) परियोजना 2005 तक समाप्त किये जाने की संभावना है।

चिकित्सा उपकरणों हेतु गुजरात को धन

2264. **श्री विजय पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में बेहतर चिकित्सा के लिए अद्यतन चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार ने 1996-97 के दौरान गुजरात को कोई धनराशि जारी अथवा आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ध्वनि प्रदूषण

2265. **श्री अय्यन्ना पटरूधु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार ध्वनि-प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो ध्वनि-प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) सरकार को इंडियन मेडिकल एशोसिएसन द्वारा किए किए ध्वनि प्रदूषण के किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। तथापि राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से स्थायी अथवा अस्थायी श्रवण क्षति और मनोव्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं।

(ख) और (ग) ध्वनि प्रदूषण को रोकने और जनजागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. ध्वनि को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन एक प्रदूषक के रूप में अधिसूचित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के इलाकों (आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और साइलेंस जोन) के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी मानव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

2. आटो मोबाइल, घरेल उपकरणों और निर्माण उपकरणों के लिए विनिर्माण स्तर पर ध्वनि सीमायें निर्धारित की गई है।

3. उद्योगों और आटो मोबाइलों से भिन्न स्रोत पर ध्वनि नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक आचार संहिता तैयार की गई है। इसमें जन संबोधन पद्धति एयर क्राफ्ट आपरेशन, रेलवे आपरेशन, निर्माण कार्याकलाप और पटाखों का चलाना शामिल है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे संगत स्थानीय नियमों के अधीन इन आचरण नियमों को लागू करें।

खाद्य पदार्थों में निषिद्ध सुगंधित रंगों का उपयोग

2266. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य पदार्थों तथा शीतल पेयों में निषिद्ध सुगंधित रंगों का व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन्डस्ट्रियल टाक्सी कोलोजिकल रिसर्च सेन्टर ने भी निषिद्ध रंगों के उपयोग के हानिकारक प्रभाव के विषय में सरकार के पास एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों तथा शीतल पेयों में निषिद्ध रंगों के उपयोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जाना

2267. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के विकास के लिए दिए गए धन का बहुत सा भाग उग्रवादियों के हाथों में चला जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को विकास के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या वास्तव में किए गए विकास का कोई आंकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। जब कभी धन के दुरुपयोग की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सतर्कता विभाग द्वारा जांच समेत उपयुक्त जांच की जाती है। राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग को और सुदृढ़ बनाया है और उसके कार्यकलापों को और बढ़ाया है। मौके पर जाकर कार्यों और कार्यक्रमों का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए राज्य सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर की निरीक्षण समितियों का गठन किया है। जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकार द्वारा निवारक उपाय किए जाते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनेक दलों द्वारा राज्य का दौरा भी किया गया है और उन्होंने विकास कार्यों का वास्तविक निरीक्षण भी किया है और उन्होंने विकास संबंधी स्कीमों के निष्पादन को पूर्ण रूप से संतोषजनक पाया है।

विवरण

योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

मद	वर्ष		
	1994-95	1995-96	1996-97
(I) सामान्य केन्द्रीय सहायता	1707.48 *	1379.08 **	1782.78 ***
(II) ई०ए०पी० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	11.10	6.51	12.42
(III) बी०ए०डी०पी० के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	17.50	20.68	20.68
(IV) संशोधित घाटा अनुदान (योजनागत)	3.72	—	—
(V) विशेष योजना ऋण	—	44.00	100.00

* 973 कोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता समेत।
** 383.50 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता समेत।
*** 663.00 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता समेत।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेधसंधि

2268. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फिसाइल मैटीरियल कट-आफ-ट्रटी" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि और फिसाइल मेटीरियल कट-आफ संधि के बीच क्या संबंध है; और

(ग) फिसाइल मैटीरियल कट-आफ संधि के संबंध में पाकिस्तान की क्या भूमिका है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ग) 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प (48/75 एल०) लिया जिसमें एक भेदभाव रहित, बहुपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से तथा प्रभावी रूप से प्रमाणनीय संधि का आह्वान किया ताकि नाभिकीय हथियारों के लिए विखंडणीय पदार्थों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। पाकिस्तान भी इस सर्वसम्मति में शामिल हुआ। बहरहाल, सहमति के अभाव में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखंडनीय सामग्री में कटौती से संबद्ध संधि पर बातचीत की शुरूआत नहीं हो सकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिना बारी के फ्लैटों का आवंटन

2269. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आवंटित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन फ्लैटों में वास्तविक रूप से रह रहे आवंटितों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ, जिन्हें बिना बारी के फ्लैट आवंटित किए गए थे और जिन्होंने या तो उन्हें बेच दिया है अथवा किराए पर चढ़ा दिया है; क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिना बारी के आवंटित किए गए सभी फ्लेटों का सर्वेक्षण कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक किया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) डी०डी०ए० ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 74 फ्लैट बिना-बारी आधार पर आवंटित किये गए।

(ख) और (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय विदेश सेवा

2270. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की श्रेणीवार/पदवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की पदवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन श्रेणियों की अब तक की कुल रिक्तियों की पदवार संख्या कितनी है;

(घ) अब तक बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जुलाई, 1997 के अंत में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या, साथ ही उनमें अनु० जातियों/अनु० जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	अधिकारियों की कुल संख्या	अनु० जाति	अनु०जन० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I	25	01	02	—
भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-II	34	02	शून्य	—
भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-III	158	24	09	—
भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-IV	148	26	12	—
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-+भार० विदेश सेवा का वरिष्ठ वेतनमान	171	31	12	—
कनिष्ठ वेतनमान (परीविक्षार्थी (सहित)	46	05	03	08
कुल जोड़	582	89	38	08

(ग) और (घ) भर्ती में कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं। सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप जो भी रिक्तियों हुई हैं उन्हें नियमानुसार भविष्य में भर्तियों द्वारा भरा जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे की शुरूआत 1995 बैच से हुई है तथा उसके बाद से कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं। चूंकि ग्रुप "क" सेवाओं में आरक्षण सिर्फ भर्ती स्तर पर ही लागू होता है इसलिए भारतीय विदेश सेवा की उच्च श्रेणियों में रिक्तियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में कैंसर अस्पताल

2271. श्री हरिवंश सहाय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कैंसर अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि नहीं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर रोगियों के निदान हेतु सरकार द्वारा किन-किन वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से एक संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा अस्पताल कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) इस मंत्रालय का पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कैंसर अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इलाहाबाद में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र है जिसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 अन्य अस्पताल कैंसर उपचार सुविधाएं प्रदान कर रहे है जिन में से 6 पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

2272. श्री सोहन बीर :
डा० राम विलास वेदान्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उसमें से कार्य कर रही और बंद पड़ी औषध नियंत्रण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन बंद पड़ी प्रयोगशालाओं को पुन: खोलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के नियंत्रणाधीन 19 जांच प्रयोगशालाएं हैं जबकि केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन 5 जांच प्रयोगशालाएं हैं।

इन प्रयोगशालाओं की संख्या तथा स्थान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपलब्ध सूचनानुसार पटना की राज्य सरकार जांच प्रयोगशाला विगत 20 वर्षों से काम नहीं कर रही है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, बिहार राज्य जांच प्रयोगशाला का पटना स्थित भवन पहली मंजिल में प्रति वर्षा ऋतु के कारण जलजमाव के परिणामस्वरूप क्षतविक्षत हालत में है। इसीलिए बिहार सरकार ने प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त उपकरण और विशेषज्ञ जांच कार्मिक प्रदान नहीं किए हैं।

(घ) प्रयोगशाला को पुन: चालू करने के लिए भवन की संरचना की मरम्मत करने या अपेक्षित उपकरण और कार्मिक प्रदान करने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य तथा कद्राधीन औषध जांच प्रयोगशालाओं के राज्यवार नाम, संख्या और वे कहां-कहां स्थित हैं, को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	केंद्रीय प्रयोगशाला	राज्य प्रयोगशाला
1	2	3
आंध्र प्रदेश		हैदराबाद विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी	
बिहार		पटना
दिल्ली		दिल्ली
गुजरात		वड़ोदरा
गोवा		पनजिम
हिमाचल प्रदेश		शिमला
हरियाणा		चंडीगढ़
जम्मू और कश्मीर		जम्मू श्रीनगर
केरल		तिरूवंनतपुरम
कर्नाटक		बैंगलूर
महाराष्ट्र	मुम्बई	मुम्बई
उड़ीसा		भुवनेश्वर
पंजाब		चंडीगढ़
राजस्थान		जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	कलकत्ता

एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम

2273. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद ने आगमी शैक्षिणिक सत्र से एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) स्नातक चिकित्सा शिक्षा संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशें जिसमें एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या शमिल है केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 33 के अंतर्गत विनियमों के रूप में अनुमोदित की गई हैं तथा इसकी सूचना भारतीय चिकित्सा परिषद को 4.3.1997 को दे दी गई थी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियम, जिसमें एम०बी०बी०एस० पाठ्यचर्या शामिल है 17 मई 1997 को भारत के राजपत्र भाग-III खंड 4 में अधिसूचित किये गये थे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने शैक्षिक वर्ष 1997-98 से संशोधित पाठ्यचर्या लागू करने के लिए इन्हें विश्वविद्यालयों को परिपत्रित किया है। साढ़े चार वर्ष के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम का पुनर्निधारण नीचे अनुसार किया गया है :—

तीन चरण	पाठ्यक्रम के चरण की मौजूदा अवधि	पाठ्यक्रम के चरण की संशोधित अवधि
चरण-I	डेढ वर्ष	एक वर्ष (2 सेमेस्टर)
चरण-II	डेढ वर्ष	डेढ वर्ष (3 सेमेस्टर)
चरण-III	डेढ वर्ष	2 वर्ष (7 सेमेस्टर)

पटेल आयोग

2274. **श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों के लिए पटेल आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन सिफारिशों के आधार पर पिछड़े जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी विकास योजनाएं तैयार की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पटेल आयोग की सिफारिशों के आधार पर उस क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों नामत: गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर के विकास के लिए पटेल आयोग के नाम से विख्यात एक संयुक्त अध्ययन दल दिसम्बर, 1962 में स्थापित किया गया था। पटेल आयोग की सिफारिशें मूल रूप से कृषि, सहकारिता, बागवानी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, छोटी सिंचाई, उद्योग, पीडब्ल्यूडी (सड़क और कुल) विभागों से संबंधित हैं।

किसी क्षेत्र की योजना और विकास तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन की जिम्मेदारी रूप से संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के विकास के लिए शुरू की गई स्कीमों के मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं की है। क्योंकि यह कार्य प्रमुख रूप से राज्य सरकार का है।

राज्य सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए सन् 1991 में पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानतायें कम करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

श्वसन संक्रमण

2275. **श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में शिशुओं और बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण श्वसन संक्रमण है;

(ख) क्या देश में कुछ सरकारी चिकित्सा केन्द्रों में श्वसन संक्रमण का उपचार करने के लिए दी जाने वाली औषधि इन रोगों से पीड़ित अधिकांश बच्चों का उपचार करने के लिए अप्रभावी सिद्ध हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिआ के माध्यम एवं सामान्य रोगियों में उपयोग हेतु काट्रीमोक्साजोल संस्तुत औषध है। इस औषध के प्रति सामान्य कारक आर्गेनिज्मों की प्रतिरोध क्षमता पैदा होने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं। इन में से अधिकतर रिपोर्टें अस्पताल में रखे गए रोगियों के लिए हैं और ये रिपोर्टें प्रयोगशाला व्यवस्था पर आधारित हैं। इन में से कुछ अध्ययन यह भी दर्शाते है कि उन क्षेत्रों में जहां प्रयोगशाला व्यवस्था में औषध प्रतिरोधी स्ट्रेनों का पता लगाया गया है, औषध की क्लिनिक प्रभावकारिता अभी भी अत्यधिक है। कार्यक्रम दिशा निर्देशों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय स्थितियों में इस्तेमाल करने पर औषध की प्रभावकारिता के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्टें नहीं मिली है।

बच्चों में तीव्र श्वसनी संक्रमणों में औषध के इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। विख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों के एक विशेषज्ञ समह, जिसने इस मुद्दे को मार्च, 1997 में पुनरीक्षा की, ने राय दी है कि चूंकि समुदाय में काट्रीमोक्साजोल का क्लिनिकल कार्यनिष्पादन अभी भी उत्कृष्ट है इस लिए इस औषध के इस्तेमाल संबंधी नीति में कोई परिवर्तन क्लिनिकल परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए।

इस समय क्लिनिकल अध्ययन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं।

खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक

2276. **प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1996-97 तथा चालू वर्ष के दौरान खाड़ी के देशों में रोजगार हेतु कितने भारतीय की भर्ती की गई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि श्रमिकों को करार में निर्धारित किये गए वेतन तथा भत्तों का उनके नियोजकों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों को ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लवण युक्त मिट्टी के सुधार हेतु दूर संवेदी तकनीक

2277. **श्री अय्यन्ना पटरूध : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने भूमि सुधार उपायों के लिए लवण युक्त मिट्टी के सुधार हेतु दूर संवेदी तकनीकी शुरू की है जिसमें खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां ये परीक्षण किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तटीय क्षेत्रों में और अधिक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे लोकप्रिय बनाने तथा इस संबंध में किसानों की सहायता करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन०आर०एस०ए०) ने लवण युक्त

मिट्टी के सुधार हेतु उपायों के लिए, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, स्वयं किसी सुदूर संवेदी तकनीक की शुरूआत नहीं की है। तथापि, एन०आर०एस०ए० ने उपग्रह सुदूर संवेदी आंकड़ों का उपयोग करते हुए लवण युक्त मिट्टी की पहचान और रेखांकन के लिए मृदा लवणता की समस्या की प्रकृति और परिणाम के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभक्त करने के लिए प्रणाली का विकास किया है। इन मानचित्रों से प्राप्त सूचना, कृषि विभागों/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा लवणता प्रभारित मिट्टी में सुधार के लिए आगे कदम उठाने के उद्देश्य से उपयोगी है।

उपग्रह आंकड़ों का उपयोग कते हुए आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार दीपसमूह, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के लिए 1:250,000 के पैमाने पर लवणता प्रभावित मिट्टी का मानचित्रण कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य पूरा होने वाल है।

तदनंतर, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस०) आंकड़ों का उपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटुर, प्रकाशम और नेल्लूर जिलों में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में तथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 1:50,000 के पैमाने पर मानचित्रण किया गया है।

एड्स के विषाणु की जांच

2278. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिह गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के लोगों के रक्त में एड्स विषाणु (एच०आई०वी०) होने की अलग-अलग जांच किस हद तक की गई है;

(ख) इन वर्गों के ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिनकी अभी जांच की जानी है; और

(ग) इन वर्गों के लोगों की जांच करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना आवंटन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 30 जून, 1997 तक की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में एड्स विषाणु (एच०आई०वी०) की मौजूदगी के लिए 3131470 नमूनों की जांच की गई है। ये नमूने अधिकांशत: जनसंख्या के अधिक जोखिम वाले समूहों में से हैं। जिन व्यक्तियों की जांच की गई है और जिनमें एच० आई०वी० पाजिटिव पाया गया है उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) एच०आई०वी० की मौजूदगी हेतु रक्त की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है और यह देशभर के 62 निगरानी केंद्रों में असंबद्ध गुमनामी के आधार पर किया जाता है। अधिक जोखिम वाले समूहों और आम जनता के वर्गों में एच०आई०वी० संक्रमण की प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण हेतु 55 निगरानी स्थल सर्वस्त देश भर में स्थापित किए गए हैं।

विवरण

एच०आई०वी० संक्रमण के लिए सीरम निगरानी-रिपोर्ट की अवधि 30 जून, 1997 (अनंतिम)

क्रम सं०	नाम	कितनों की जांच की गई	पाजिटिव	सीरम पाजिटिव की दर (प्रति हजार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	73275	693	9.46
2.	असम	12716	169	13.29
3.	अरुणाचल प्रदेश	485	0	0.00
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10588	89	8.41
5.	बिहार	8790	24	2.73
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	55104	184	3.34
7.	पंजाब	1488	65	43.68
8.	दिल्ली	314213	1244	3.96
9.	दमण व दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	250	8	32.00
10.	दादरा व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	160	1	6.25
11.	गोवा	61689	1215	19.70
12.	गुजरात	374078	607	1.62
13.	हरियाणा	135952	244	1.79
14.	हिमाचल प्रदेश	13851	92	6.64
15.	जम्मू और कश्मीर	8981	40	4.45
16.	कर्नाटक	372602	3134	8.41
17.	केरल	44547	215	4.83
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्यक्षेत्र)	755	7	9.27
19.	मध्य प्रदेश	93062	390	4.19
20.	महाराष्ट्र	370897	37841	102.03
21.	मणिपुर	28128	4807	170.90
22.	मिजोरम	24838	83	3.34
23.	मेघालय	14070	57	4.05
24.	नगालैंड	7011	389	55.48
25.	उड़ीसा	81573	201	2.46
26.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	[illegible]	2406	31.50
27.	राजस्थान	21014	234	11.14
28.	सिक्किम	187	3	16.04
29.	तमिलनाडु	687934	9660	14.04
30.	त्रिपुरा	4234	2	0.47
31.	उत्तर प्रदेश	75545	529	7.00
32.	पश्चिम बंगाल	157083	567	3.61
	कुल	3131470	65200	20.82

[हिन्दी]

मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा

2279. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक कल्याण संस्था द्वारा बिहार में कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या कर्मा में अभ्रक, चूना पत्थर, डालोमाइट, बीड़ी और क्रशर उद्योग में करने वाले हजारों मजदूरों के बच्चों के लिए केवल एक प्राथमिक, माध्यमिक और एक हाईस्कूल है और उनमें 1996 से प्रवेश बंद है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मा में माध्यमिक और हाईस्कूल में बच्चों का पंजीकरण फिर शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) श्रम मंत्रालय का श्रम कल्याण संगठन कर्मा बिहार में एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल को संचालित करता है।

(ख) से (घ) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत स्थापित और वित्तपोषित ये स्कूल मुख्य रूप से अभ्रक खान कर्मकारों के बच्चों के लिए हैं। अभ्रक खनन कार्यकलाप की अत्यधिक कमी होने तथा अनेक अभ्रक खानों के बंद हो जाने के कारण, इन स्कूलों में अध्ययन करने वाले अभ्रक खान कर्मकारों के बच्चों में काफी कमी आई है और अब ये छात्रों की कुल संख्या का केवल 3% रह गए हैं। निधि के उपचय में भी तेजी से गिरावट आ रही है और ये सामान्य जनता की शैक्षणिक सुविधाओं का वित्त पोषण हेतु उपभोग में लाए जाने के लिए नहीं हैं। बिहार सरकार के लिये यह प्रस्ताव किया गया था कि वह इन स्कूलों और अन्य संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले ले किन्तु इसके अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। शैक्षणिक सत्र 1996-97 से इन स्कूलों में नए दाखिले बन्द कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सेकेन्डरी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए विश्व बैंक सहायता

2280. श्री एन०एस०वी० चित्थन :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने सेकेन्डरी स्वास्थ्य प्रणाली का पुनर्गठन करने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं विश्व बैंक को भेज दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने इन राज्यों का दौरा करके इन परियोजनाओं को व्यवहार्य पाया है तथा इन परियोजनाओं का वित्त पोषण करना स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य सरकारों से इन राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धति के सुधार और उन्नयन के लिए विश्व बैंक सहायता लेने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव को विश्व बैंक को बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

विश्व बैंक की क्रियाविधियों के अनुसार विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगभग 18 से 24 महीने लग जाते हैं जो परियोजनाओं की बाह्य एजेंसी की अपेक्षाओं के दायरे के भीतर तैयार करने की राज्यों की क्षमता पर निर्भर करता है। परियोजनाएं तैयार करने के लिए विश्व बैंक मिशन भी संबंधित राज्यों का दौरा करता है। इस समय परियोजनाओं के अंतिम आयाम पर टिप्पणी करना संभव नहीं हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

2281. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना को और अधिक प्रभावी और कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि अंशदान की न्यूनतम दर मासिक मजदूरी का 8.33% और अधिकतम दर मासिक मजदूरी का 10% है। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने भविष्य निधि अंशदान की न्यूनतम दर मासिक मजदूरी का 8.33% से 10% और अधिकतम दर मासिक मजदूरी का 10% से 12% बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कलकत्ता मेट्रो परियोजना

2282. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो परियोजना के शेष कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वैंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) कलकत्ता मैट्रो रेल परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि मई, 1997 तक 99.86% कार्य पूरा हो चुका है। यह भी बताया गया है कि परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख जून, 1998 है।

[हिन्दी]

एड्स जांच की सुविधा

2283. श्री जगत वीर सिंह "द्रोण" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक संख्या में "एड्स" रोगी, जिसमें से अधिकांश व्यक्ति समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से निम्न वर्गों के हैं, मुम्बई से उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में पहुंच रहे हैं जिनके कारण चिकित्सा जांच में खलबली मची हुई है;

(ख) उत्तर प्रदेश में एड्स जांच के सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या कानपुर शहर में एड्स जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शहर में "एड्स" जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जन्म/मृत्यु दर

2284. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार औसत जन्म और मृत्यु दर कितनी है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) वर्ष 1995 की नमूना पंजीयन पद्धति से जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। यू०एन०एफ०पी०ए० द्वारा ''स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन'' में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार 1990-95 के दौरान भारत की मृत्यु दर 10 (प्रति 1000 जनसंख्या) है जो पड़ोसी देशों, चीन, थाइलैंड, इण्डोनेशिया, कोरिया और श्री लंका से अधिक है। तथापि अधिक विकसित क्षेत्रों की मृत्यु दर वही है जो उसी अवधि के लिए भारत की है।

(ग) और (घ) हालांकि मृत्यु दर में कमी हुई है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं गैर सरकारी संगठनों और प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों/सरकारी अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही है। परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को एक एकीकृत कार्यक्रम में मिला दिया गया है जिस का नाम ''प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य'' रखा गया है और इस कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच और गुणवत्ता में नौवीं योजना के दौरान सुधार किया जाएगा। इस के द्वारा देश में मृत्यु दर को और कम किए जाने की संभावना है।

विवरण

जन्म दरें और मृत्यु दरें — 1995

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अशोधित जन्म दर	अशोधित मृत्यु दर
1	2	3	4
	भारत	28.3≠	9.0
I.	**बड़े राज्य**		
1.	आंध्र प्रदेश	24.2	8.4
2.	असम	29.3	9.6
3.	बिहार	32.1	10.5
4.	गुजरात	26.7	7.6
5.	हरियाणा	29.9	8.1
6.	कर्नाटक	24.1	7.6
7.	केरल	18.0	6.0
8.	मध्य प्रदेश	33.2	11.2
9.	महाराष्ट्र	24.5	7.5
10.	उड़ीसा	27.8	10.8
11.	पंजाब	24.6	7.3
12.	राजस्थान	33.3	9.1
13.	तमिलनाडु	20.3	8.0
14.	उत्तर प्रदेश	34.8	10.3
15.	पश्चिम बंगाल	23.6	7.9
II.	**छोटे राज्य**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	23.8	6.0
2.	दिल्ली	23.3	6.0
3.	गोवा	14.7	7.5
4.	हिमाचल प्रदेश	25.2	8.7
5.	जम्मू व कश्मीर	अनुपलब्ध	अनुपलबध
6.	मणिपुर	20.6	6.7
7.	मेघालय	29.0	8.9
8.	मिजोरम	अनुपलब्ध	अनुपलबध
9.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	सिक्किम	22.5	6.9
11.	त्रिपुरा	18.9	7.7
III.	**संघ राज्य क्षेत्र**		
1.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	18.7	5.8
2.	चंडीगढ़	19.5	5.7
3.	दादरा व नगर हवेली	21.8	8.0
4.	दमण व दीव	21.0	8.0
5.	लक्षद्वीप	25.5	7.6
6.	पांडिचेरी	20.1	7.6

स्रोत — नमूना पंजीयन पद्धति, महापंजीयक, भारत
≠ जम्मू व कश्मीर और मिजोरम शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2285. **श्री दिलीप संघानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि को संसद सदस्य के निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा खर्च किया जाता है/किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिला मजिस्ट्रेटों ने संसद सदस्यों को प्रदान की गई धनराशि को मनमाने ढंग से खर्च किया है अथवा उस राशि से अधिक धनराशि खर्च की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार संबद्ध अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या संबद्ध संसद सदस्य को भी की गई कार्यवाही की जानकारी दे जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) यदि संसद सदस्यों द्वारा अनुशासित निर्माण कार्य योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होते है तथा करवाए जाने के लायक होते हैं तो जिलाधिकारियों द्वारा उन निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन करवाया जाता है।

(ख) से (ङ) कुछ ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित सांसदो को सूचना देते हुए ऐसे मामलों को उचित कार्रवाई हेतु जिला कलेक्टरों/राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2286. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में इस समय कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : बिहार राज्य से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राज्य में अगस्त, 1995 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	79
2.	नालंदा	51
3.	भोजपुर	71
4.	रोहतास	82
5.	औरंगाबाद	69
6.	जेहानाबाद	44
7.	गया	84
8.	नवादा	41
9.	सारन	59
10.	सिवान	55
11.	गोपालगंज	37
12.	पश्चिम चंपारण	54
13.	पूर्वी चंपारण	74
14.	सीतामढ़ी	68
15.	मुजफ्फरपुर	67
16.	वैशाली	50
17.	बेगूसराय	48
18.	समस्तीपुर	67
19.	दरभंगा	60
20.	मधुबनी	87
21.	सहरसा	52
22.	माधेपुरा	23
23.	पूर्णिया	99
24.	कटिहार	39
25.	खगरिया	21
26.	मुंगेर	95
27.	भागलपुर	77
28.	गोड्डा	18
29.	साहिबगंज	47
30.	दुमका	69
31.	देवघर	14
32.	धनबाद	43
33.	गिरीडिह	49
34.	हजारीबाग	62
35.	पलामू	68
36.	लोहारडागा	20
37.	गुमला	40
38.	रांची	68
39.	सिंहभूम	68
	कुल	2209

[अनुवाद]

मछुआरों की रिहाई

2287. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए कतिपय मछुआरों/अन्य व्यक्तियों की रिहाइ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों में कितने मछुआरों/अन्य व्यक्तियों को जेल में बंदी बनाया गया है तथा दोनों देशों द्वारा कितने व्यक्तियों की रिहाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) 19-23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में भारत-पाकिस्तान के बीच हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों द्वारा पुष्टि किए गए एक-दूसरे के हिरासत में रह रहे मछली पकड़ने वाले पोतों/कारगों नौकाओं के मछुआरों/कर्मी दल के सदस्यों को छोड़ दिया जाएगा। तद्नुसार 15 जुलाई, 1997 को भारत ने 194 पाकिस्तानी

मछुवारों तथा कर्मीदल के सदस्यों और पाकिस्तान ने 193 भारतीय मछुवारों तथा कर्मी-दल के सदस्यों को रिहा कर दिया। भारतीय मछुवारे तथा कर्मी दल के सदस्य 15.07.1997 को भारत लौट आए हैं।

विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान यह भी सहमति हुई थी कि एक-दूसरे की हिरासत में रह रहे शेष मछुवारों तथा कर्मी-दल के सदस्यों की पुष्टि करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठा रही है। पाकिस्तान की अभिरक्षा के अधीन शेष भारतीय मछुआरों तथा कर्मी-दल के सदस्यों के साथ भारतीय बन्दियों को छुड़ाने/उनके प्रत्यावर्तन के लिए हमारे प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

रिक्त पड़े आरक्षित पद

2288. श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री एन०जे० राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इसके अनुषंगी विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पदों पर गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 31 मार्च, 1997 को उपलब्ध सूचना के अनुसार सीधी भर्ती पद्धति द्वारा भरे जाने वाले और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निम्नलिखित श्रेणीवार पद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विभागों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में खाली पड़े हैं :

क्रम सं०	समूह	अ०जा०	अ०ज०जा०
1.	"ए"	5	19
2.	"बी"	1	—
3.	"सी"	74	136
4.	"डी"	—	4

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किए जाते।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समय-समय पर सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाए हैं। इस मंत्रालय और इसके संबद्ध विभागों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्यों (विज्ञापन दिए गए/रोजगार कार्यालय को मांग भेजी गई) को मांगे भेजकर बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) पदों को यथाशीघ्र भरने हेतु प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

विदेशों में रोजगार

2289. श्री पी०सी० थामस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया/दक्षिण कोरिया ने भारत से कुशल श्रमिकों की मांग की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) कोरियाई सरकार ने कोरियाई बाजार में विदेशी कर्मकारों की सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति दी के लिए एक नए नीतिगत निर्णय की घोषणा की थी। भारत सरकार कार्य के लिए भारतीय कर्मकारों के दक्षिण कोरिया जाने की संभावना के संबंध में मामले पर विचार कर रही है।

टीकाकरण

2290. श्री संतोष कुमार गंगवार :
डा० असीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम कुछ राज्यों में प्रभावकारी और सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में उचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम होने के नाते स्वैच्छिक है और इसकी स्वीकार्यता का स्तर राज्य सरकार के ढांचे और क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावकारिता, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, साक्षरता और समुदाय में महिलाओं के स्तर जैसे घटकों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कार्यनिष्पादन अपेक्षाकृत कम है।

(घ) पहले से पैदा की गई व्यापक जागरूकता को ध्यान में रखते हुए अब लोगों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जाना है। विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत करके उन्हें एक समेकित "प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य" कार्यक्रम नाम दिया गया है। ऊपर के स्तर से गर्भ निरोधक लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रणाली के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर सेवाओं की विकेन्द्रीकृत योजना बनाई गई है। नवीं योजना में पिछड़े हुए राज्यों, जिलों पर अधिक ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रिक्त-पद

2291. **श्री दत्ता मेघे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होम्योपैथ चिकित्सकों की कमी

2292. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या प्रधान मंत्री होम्योपैथ चिकित्सकों की कमी के बारे में 5 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) संबंधित प्राधिकारियों को स्मरण दिलाया गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विलंबित परियोजनाएं

2293. **श्री सुरेश कलमाड़ी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से उन परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए कतिपय मानदंड अपनाने के लिए कहा है जिनके संबंध में काफी विलंब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान योजना और योजना भिन्न खर्च के वर्गीकरण संबंधी मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि आठवीं योजना के अंत तक पूरी होने वाली परियोजनाओ को जिनमें परिव्यय का 10 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है, निजी/संयुक्त क्षेत्रों को स्थानांतरित करने अथवा समाप्त करने/छोड़ देने के लिए अलग से विनिर्धारित किया जाए।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं

2294. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का राज्यों की राजधानियों के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम एक स्थान पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/अस्पतालों को केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत खोलने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में फिलहाल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रथमत: राज्य राजधानियों में विस्तार किया जाएगा जो व्यवहार्यता, अपेक्षाओं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदडों की पूर्ति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

चण्डीगढ़ शहर को नौवीं पंचवर्षीय योजना में कवरेज के लिए शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

श्रम कल्याण योजना

2295. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मध्यम दर्जे के उद्योगों में लगे श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कोई नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों में लगे श्रमिकों/कामगारों का चिकित्सा और बीमा आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में स्थित मध्यम दर्जे के उद्योगों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भविष्य निधि की अदायगी

2296. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री हाराधन राय :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि भुगतान के अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सीतापुर, प्लाइवुड लिमिटेड (सीतापुर) दामोदर इन्टरप्राइजेज लिमिटेड, बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड और अजय ग्लास वर्क्स (रानीगंज स्थित कारखानों के भविष्य निधि अदायगी के मामलों सहित भविष्य

निधि और पेंशन के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सभी प्रकार से पूर्ण क०भ०नि० दावों को क०भ०नि० कार्यालय में प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निपटाना अपेक्षित है। तथापि अपूर्ण आवेदन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने, नियोजक द्वारा विवरणियों के प्रस्तुत न किये जाने, हस्ताक्षर में अंतर आदि के कारण भाविष्य निधि दावों के निपटान में विलम्ब होता है। राज्य-वार लम्बित भविष्य निधि दावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अंशदाताओं को शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। भविष्य निधि दावों के निपटान की नियमित मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई हैं भविष्य निधि दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत निपटान तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है और पुन: सक्रिय किया गया है।

विवरण

31.3.97 की स्थिति के अनुसार लम्बित भविष्य निधि दावों को दर्शाने वाला विवरण (राज्य-वार)

आन्ध्र प्रदेश	118
बिहार	1638
दिल्ली	497
गुजरात	14190
हरियाणा	1722
कर्नाटक	3826
केरल	711
मध्य प्रदेश	3994
महाराष्ट्र और गोआ	14879
नार्थ इस्टर्न क्षेत्र	1256
उड़ीसा	143
पंजाब और हिमाचल	2414
राजस्थान	1506
तमिलनाडु	1537
उत्तर प्रदेश	1312
प० बंगाल	8617

ह्रदय शल्य चिकित्सा पर व्यय

2297. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन लोगों को ह्रदय शल्य चिकित्सा नि:शुल्क उपलब्ध कराने अथवा ह्रदय शल्य चिकित्सा पर होने वाले पूरे खर्चे का वहन "प्रधान मंत्री राहत कोष" से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय ह्रदय शल्य चिकित्सा और गरीब लोगों को ह्रदय का ऑपरेशन करने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए सारे खर्चे को वहन करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसके द्वारा उन रोगियों को जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हैं, विभिन्न जीवन घातक रोगों के लिए विशिष्ट चिकित्सीय उपचार करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कार्डियक रोगों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 13.1.1997 के संकल्प के तहत स्थापित की गई है जो कि भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-I खण्ड-I (संख्या 9) में प्रकाशित किया गया है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) एक रुग्णता सहायता निधि स्थापित करें जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। इस सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त दान राशि में केन्द्रीय सरकार का सहायता अनुदान जोड़ा जाएगा जो कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अंशदान के 50 प्रतिशत के बराबर होगा तथा इसकी अधिकतम राशि इन राज्यों के मामले में 5 करोड़ रुपये होगी जिनके यहां आबादी का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है तथा दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में यह राशि 2.00 करोड़ रुपये होगी। गरीबी रेखा योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित रेखा होगी। निधि में व्यक्ति विशेष निगमित निकायों तथा अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय लोक हितैषी द्वारा भी अंशदान किया जा सकता है। इस निधि में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत आयकर से मुक्त होगा। सोसाइटी के लेखा की लेखा परीक्षा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के महालेखा परीक्षक द्वारा हर वर्ष की जाएगी।

यह निधि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे रोगी व्यक्तियों जो जीवन घातक किस्म के रोगों से पीड़ित है, को किसी अतिविशिष्टता प्राप्त अस्पताल/संस्थान अथवा इन अन्य सरकारी/निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दी जाएगी जो इस योजना में भाग ले रहे हैं। यह सहायता एक बारगी अनुदान के रूप में होगी जो इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के नाम जारी की जाएगी जिस अस्पातल में उपचार लिया गया हो।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए 1996-97 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट अनुदानों में 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतना ही राशि 1997-98 के बजट में रखी गई है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय रुगणता सहायता निधि और परिवार कल्याण मंत्रालय के 5 करोड़ रुपये के आरंभिक दान से स्थापित की जाए। इस निधि में अलग-अलग निगमित निकायों तथा गैर-निगमित निकायों द्वारा भी अंशदान किया जाएगा। इस निधि में किया गया अंशदान भी आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) के तहत आयकर भुगतान से मुक्त होगा; राष्ट्रीय रुगणता सहायता निधि का प्रबन्ध समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय रुग्णता सहायता नीधि एक पंजीकृत सोसाइटी होगी तथा इसके लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हर वर्ष की जाएगी।

यदि किसी गरीब रोगी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 1.5 लाख रुपये से कम है तो निधि द्वारा उसका भुगतान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्तिगत मामले में

सहायता राशि 1.5 लाख रुपये से अधिक है तो मामला केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि को भेजा जाएगा।

बिना विधान मंडल वाले राज्य क्षेत्रों में रह रहे ऐसे लोगों को इसी प्रकार की सहायता दिए जाने के लिए राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि बजट परिव्यय निर्धारित करेगी।

इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक सहायता हेतु आवेदन-पत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोग सहायता निधि अथवा राष्ट्रीय रोग सहायता निधि को भेजे जा सकते हैं। आवेदक को उस राज्य सरकार को अपना आवेदन पत्र भेजना होगा जिसमें वह रह रहा है। तथा उसके साथ इस अस्पताल से जहां उपचार प्राप्त किया जा रहा है अथवा प्राप्त किया जाएगा, से रोग पर होने वाले खर्च का अनुमान संलग्न करना होगा। आप का प्रमाण-पत्र भी देना होगा जो राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। राज्य रुग्णता निधि मामले की जांच करेगी तथा उसी मामले में आगे जांच करेगी जहां व्यक्तिगत मामले में व्यय की राशि 1.50 लाख रुपये के अन्दर है। यदि व्यय की राशि इससे अधिक है तो राज्य सरकार राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के अन्तर्गत मामले की जांच करने के लिए अपनी सिफारिशों सहित इसे केन्द्र सरकार को भेजेगी।

सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन

2298. डा० बलिराम : क्या शहरी और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक संस्थाओं और ट्रस्टों को रियायती दरों पर भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार आवंटित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सामाजिक संस्थाओं/न्यासों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था परन्तु उनके आवेदन-पत्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है; और

(घ) इन आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा और उन्हें भूमि आवंटित कर दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां। सामाजिक संस्थानों को भूमि का आवंटन, संस्थाओं की श्रेणियों और उनके कार्यों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डी०डी०ए० एवं भूमि एवं विकास संगठन (एल०एंड०डी०ओ०) ने आठ मामलों में भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया है, ऐसी संस्थाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भूमि का आवंटन, भूमि की उपलब्धता एवं मांग पर निर्भर होता है। जिन मामलों में अनुरोध स्वीकार कर लिए जाते हैं, उन्हें आवंटन कर दिया जाता है और अन्य मामलों में भू-स्वामी एजेंसियां खेदपत्र जारी करती है। तथापि, इस संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं रखे जाते हैं और अनुरोध विभिन्न स्तर पर मामला-प्रति-मामला आधार पर निपटाए जाते हैं।

विवरण

उन संस्थानों की सूची जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि रियायती दरों पर आवंटित की गई है।

1. श्री कांची कामाकोटी पीतम चैरिटेबल ट्रस्ट (0.641 एकड़)
2. कथक केन्द्र (2325.558 वर्गमीटर)
3. दिल्ली सिम्फेथि सोसायटी (760.534 वर्गमीटर)
4. संत निरंकारी मंडल
5. विरेन्द्र नाथ जमना दास चैरिटेबल ट्रस्ट
6. बी०आर० धवन मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट
7. टैगोर अकादमी
8. चिल्ड्रन मेडिकल फाउण्डेशन

[अनुवाद]

भारत में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन स्टेशन

2299. श्री बी०एल० शंकर :
श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत में फेडेरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन का एक घोषित स्टेशन स्थापित करने हेतु भारत सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रियां है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) भारत में संघीय आसूचना ब्यूरो का एक अलग कार्यालय खोलने की अनुमति के लिए अमरीकी सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

2300. श्री नन्द कुमार राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को क्या सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या इन केन्द्रों को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता मिल रही है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों में मरीजों को निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश में कार्य कर रही यूनिटों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/संशोधित नियंत्रण यूनिट	54
2.	शहरी कुष्ठ केन्द्र	72
3.	सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र	530

4.	जिला कुष्ठ कार्यालय यूनिट	23
5.	अस्थायी अस्पतालीकरण वार्ड	14
6.	नमूना सर्वेक्षण-सह-मूल्यांकन यूनिटें	5
7.	मोबाईल कुष्ठ उपचार यूनिट	40

(ख) भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान दी गई सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	सहायता (लाख रुपये में)		
	नकद	समाग्री के रूप में	कुल
1993-94	125.00	55.39	180.39
1994-95	117.00	99.81	216.81
1995-96	129.75	242.95	372.70
1996-97	135.00	157.54	292.54

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। राज्य सरकार को कुष्ठ रोधी औषधें उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कुष्ठ रोगियों को इनकी निःशुल्क सप्लाई करने के लिए केन्द्रों में उपलब्ध कर सकें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कैंसर उपचार केन्द्र विकास

2301. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय कैंसर उपचार केन्द्र विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार को कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का केरल राज्य में कैंसर केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में एक पूरी तरह से विकसित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र पहले ही मौजूद है। नीति के अनुसार इस केन्द्र को अनुसंधान कार्यकलापों के संचालन और उपकरणों की खरीद के लिए इस वितीय वर्ष के दौरान 75.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता आवंटित की जा रही है।

(ग) केन्द्र सरकार की इस समय केरल में नया कैंसर केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय झुग्गी-झोंपड़ी विकास कार्यक्रम

2302. **श्री डी०पी० यादव :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय झुग्गी-झोंपड़ी विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम अगस्त, 1996 में शुरू किया गया था। वर्ष 1996-97 में राज्यों/संघ राज्यों को स्लम विकास हेतु 250 करोड़ रुपये की राशि दी गई। चालू वर्ष यानी 1997-96 में इस कार्यक्रम के तहत 330 करोड़ रु० रखे गये हैं। कार्यक्रम के संचालन हेतु तैयार दिशा-निर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(आवास और शहरी विकास प्रभाग)

राज्यों/संघ राज्यों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्लम विवरण विकास कार्यक्रम दिशा-निर्देश

राज्यों/संघ राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त वर्ष 1996-97 के बजट में राज्यों में स्लम विकास कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना आयोग ने वर्ष 1991 में अनुमानित स्लम आबादी के आधार पर 250 रुपये से राज्यवार नियतन की गणना की है। इस धन-राशि के उपयोग बावत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का सुझाव दिया गया है।

1. कार्यक्रम के उद्देश्य और घटक

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में पर्याप्त और संतोषजनक जल-आपूर्ति, स्वच्छता बुनियादी (बेसिक) शिक्षा सुविधाएं स्वास्थ्य देखभाल, स्कूल पूर्व और प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर अनौपचारिक शिक्षा सुविधाओं आदि का प्रावधान होगा। स्कीम का एक उद्देश्य आवास का प्रावधान, सामुदायिक अधिकार कूड़े व ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा पर्यावरणीय सुधार और आत्म निर्भरता की पद्धति का सृजन करते हुए विभिन्न समाज क्षेत्रीय कार्यक्रमों की सापेक्षता भी है। मुख्य ध्यान सामुदायिक आधार भूत ढांचे, आश्रय का प्रावधान, शहरी गरीब महिलाओं को अधिकार सम्पन्न करना, प्रशिक्षण कौशल उन्नयन और महायता तथा गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों निजी संस्थानों और अन्य निकायों की भागीदारी पर दिया जाये।

2. शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

74 वें संशोधन की मूल भावना के आधार पर नये शहरी क्षेत्र के लिए निधियों जारी करने से पूर्व चुने गये शहरी स्थानीय निकायों की विधमानता आवश्क होगी। इस कार्यक्रम के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मोडल एजेंसी के रूप में होने पर विचार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्य के लिए प्रस्ताव सामुदायिक योजना के रूप में समुदाय आधारित संगठनों से ही आने चाहिए जिसे स्वीकृति हेतु जिला शहरी विकास अधिकरण के लिए समुचित टिप्पणियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अग्रषित किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन जहां तक संभव ही शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाये। शहरी स्थानीय निकाय को निष्पादन में यथासंभव समुदाय आधारित संगठनों को शमिल करने की कोशिश करेगें। जहां तक इस कार्यक्रम के तहत अनुरक्षण और मरम्मत के कार्यों को निष्पादित कराने का संबंध है, वास्तविक दायित्व संबंधित समुदाय आधारित संगठनों का होना चाहिए।

3. सापेक्षता

इस कार्यक्रम में प्रत्येक स्लम के भीतर कुछ चुनिंदा न्यूनतम बुनियादी

सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने पर विचार किया गया है। कार्यक्रम में इन सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए जो अन्यत्र मुहैया नहीं करायी गई हैं जिनके आभाव में सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में इस कार्यक्रम के तहत मुहैया न करायी जा सकी सुविधाओं की व्यवस्था करायी जायेगी। तथापि, इस प्रावधान की स्पष्ट शर्त है कि सापेक्षता के तहत निधियों उन सुविधाओं के अनुपूरण के लिए स्रोत होगी जिससे सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों की बेहतर सुपुर्दगी प्राप्त की जा सकेगी और किसी भी हालत में ये निधियों वैकल्पिक सुविधाओं अथवा उनके किसी भाग के उपयोग में नहीं लायी गई हैं।

4. राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी गई निधियों के लिए कुछ अनुपात में अपनी निधियों का वहन करना होगा।

5. मानीटरिंग

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मानीटरिंग राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) द्वारा नियमित आधार पर की जायेगी जो जिला शहरी विकास प्राधिकरणों (डुडाज) और शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक जानकारी तथा निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का प्रवोधन शहरी रोजगार और गरीबी उपमशन विभाग करेगा।

[अनुवाद]

काला-आजार

2303. डा० असीमबाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काला-आजार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में काला-आजार तेजी से फैल रहा है;

(ग) यदि हां, तो काला-आजार का प्रकोप किन-किन क्षेत्रों में व्याप्त है; और

(घ) इस बीमारी को रोकने के लिए क्या निवारणोपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) काला-आजार बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थानिक मारी है। छुटफुट मामले उत्तर प्रदेश में भी सूचित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बिहार के 36 जिलों और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में काला-आजार की स्थानिक मारी है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भी इस रोग की छुटफुट घटना की रिपोर्ट मिली है।

(घ) काला-आजार के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों में शामिल है :—

— रोगवाहक नियंत्रण के जरिए संचरण की रोकथाम करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव करना;

— प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए शीघ्र पता लगाना और समग्रत: उपचार करना;

— स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी आवास का आवंटन

2304. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी आवास आवंटित करने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित रामाकृष्णा पुरम में किए गए ऐसे आवंटनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन आवासों का आवंटन रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनमें आवंटी स्वतंत्रता सेनानी नहीं रह रहे है;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी मकानों के आवंटन के लिए नियम/दिशानिर्देश संपदा निदेशालय के दिनांक 19.4.94 के कार्यालय ज्ञापन सं० 12016 (2)/80-नीति-II (खंड V) में है जो विवरण के रूप में संलग्न है। कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति इस उत्तर के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। तथापि, सिविल रिट याचिका सं० 585/94 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.12.96 के आदेशनुसार भविष्य में स्वंतत्रता सेनानियों का आवंटन न्यायालय द्वारा अनुमेय 5% विवेकाधीन कोटे में से होगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आर०के० पुरम् में स्वतंत्रता सेनानियों को किए गए आवंटनों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र०सं०	नाम	क्वार्टर नं०
1.	श्री आर०पी० गुप्ता	टाइप-डी क्वार्टर नं० 1043/सैक्टर 7, आर०के० पुरम 12.6.96 को आवंटित किया गया था।
2.	श्री वीरेन्द वर्मा	टाइप-डी क्वार्टर सं० 629 सैक्टर 4 आर०के० पुरम् 4.12.96 को आवंटित

(ग) ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया।

विवरण

सं० 12016 (2)/80-नीति-II (खंड-V)
भारत सरकार
संपदा निदशोलय

नई दिल्ली, दिनांक 19.4.94

कार्यालय ज्ञापन

विषय :— स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी आवास के आवंटन हेतु मार्गदर्शन का पुनरीक्षण।

1. स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पुल रिहायशी आवास के आवंटन के मार्गदर्शनों का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया गया और मार्गदर्शनों को नियमानुसार परिशोधित करने का निर्णय लिया गया है :—

2. अखिल भारतीय स्तर से स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण मूल रिहायशी आवास की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि :—

(क) उनका स्वयं का अथवा उनके परिवार के सदस्य अथवा आश्रित का दिल्ली में मकान अथवा फ्लैट न हो।

(ख) आवास की आवश्यकता स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनके पति/पत्नी की वास्तविक मेडिकल चिकित्सा के लिए हो।

(ग) मामले की गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सिफारिश की गयी हो तो आवास के आवंटन की आवश्यकता का औचित्य देंगे तथा जो स्वतंत्रता सैनानी 70 वर्ष से कम आयु के हों,

उनके मामले में आवंटन की अवधि भी निर्दिष्ट करेंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आवंटन "जीवन-पर्याप्त" के लिए होगा तथा अनिवार्यत: चिकित्सा आधार पर नहीं होगा।

(घ) आवास का टाइप, टाइप-डी अथवा निम्नतर तक प्रतिबंधित होगा।

(ङ) सामान्य लाइसेंस फीस प्रभारित की जाएगी।

(च) स्वतंत्रता सेनानी को आवंटित सरकारी आवास में रहने वाली पत्नी/पति स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात् भी आवंटन की निर्धारित अवधि तक आवास को रखे रहने के पात्र होंगे।

(छ) परिशोधित मार्गदर्शन 10.2.94 अर्थात् सी०सी०ए० द्वारा निर्णय लिए जाने की तारीख से लागू होंगे।

हस्ता/-

(ओ०पी० भाटिया)
संपदा उप निदेशक

संपदा निदेशालय के सभी अनुभाग व अधिकारी।

प्रतिलिपि :

1. गृह मंत्रालय (अवर सचिव), स्वतंत्रता सेनानी कक्ष।
2. श्री वी०आर० श्रीनिवासन, निदेशक, मंत्रिमंडल, सचिवालय को सी०सी०ए० की 10.2.94 को हुई बैठक में मद सं० 7 के संदर्भ में।

[अनुवाद]

"मेमरि प्लस" औषधि

2305. श्री के०सी० कोंडय्या :
श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1996 को जिसे मेमरि प्लस नामक औषध के कैप्सूल रूप में उत्पादन का उद्घाटन किया गया था वह बाजार में बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि के उपयोग हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा जांच कर प्रमाण पत्र जारी किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि उपर्युक्त औषध दुष्प्रभाव रहित और वास्तव में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है जिससे कि सामान्य जनता इस औषधि के निर्माताओं द्वारा किये जा रहे व्यापक प्रचार के धोखे में न आए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*"मंत्री द्वारा दिया गया मूल उत्तर निम्न प्रकार है :—

(क) से (ग) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने "मेमरि प्लस" विकसित की है जिसे सीखने और याद रखने के लिए मददगार पाया गया है।

यह औषध "मेध्या रसायन" (याददाश्त वर्धक) के रूप में प्रयुक्त शास्त्रीय आयुर्वेदिक "औषध" ब्राह्मी" पर आधारित है।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने "मेमरि प्लस" की प्रभावकारिता और निरापदता पर निम्नलिखित अध्ययन किए हैं :—

1. बाकोसाइड कन्टट (सक्रिय अवयव) पर आधारित ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट (ट्रेड नाम: मेमरि प्लस) का मानकीकरण।
2. आधुनिक औषध विकास के लिए यथा आयोजित निरापदता अध्ययन (विनियामक फार्माकोलॉजी और विषविज्ञान)
3. जन्तु माडलों में सीखने और याद रखने में मददगार पाई गई मानकीकृत ब्राह्मी एक्स्ट्रेक्ट (मेमरि प्लस)।

मेमरि प्लस का विपणन मैसर्स वलवेट इन्टरनेशनल फार्मा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा औषध नियंत्रक, तमिलनाडु द्वारा जारी किए गए आयुर्वेदिक औषध लाइसेंस के अधीन किया जाता है।

ऊपर मुद्रित उत्तर मंत्री द्वारा बाद में मूल उत्तर के स्थान पर भेजा गया था"

बाल श्रम

2306. श्री एन० डेनिस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया इन्टरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में यह टिप्पणी की गई है कि उद्योगों में बच्चों को कार्य पर लगाने से उत्पादकता में कमी होती है और फलस्वरूप लाभाजर्कता प्रभावित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डेमचोक में सीमामार्ग

2307. श्री पी० नामग्याल : क्या प्रधान मंत्री डेमचोक पर सीमावर्ती मार्ग के बारे में 2 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के डेमचोक में सीमा को खोलने के संबंध में अभी हाल ही में चीनी अधिकारियों के साथ कुछ और चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो की गई बातचीत संबंधी प्रगति/निष्कर्ष क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां। सीमावर्ती व्यापार और कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए लद्दाख में डेमचौक मार्ग खोलने का प्रस्ताव बीजिंग में अक्तूबर, 1996 में सम्पन्न भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की 9वीं बैठक और मार्च, 1997 में नई दिल्ली में सम्पन्न भारत-चीन विशेषज्ञ दल की 5वीं बैठक के दौरान चीनी पक्ष के साथ उठाया गया था।

(ख) चीनी पक्ष को हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचना अभी देनी है। इस मसले पर चीनी पक्ष के साथ बातचीत जारी रहेगी।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों में भारतीय

2308. डा० राम विलास वेदान्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की देशवार संख्या क्या है;

(ख) क्या खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए खाड़ी देशों की सरकारों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है।

1.	बहरीन	1,00,000
2.	ईराक	80
3.	कुवैत	1,95,000
4.	ओमान	3,31,500
5.	कतर	80,000
6.	सउदी अरब	13,00,000
7.	सं० अरब अमीरात	10,00,000
8.	यमन	4,000

(ख) और (ग) इन देशों में रह रहे भारतीयों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए भारत सरकार और इन देशों की सरकारों के बीच कोई द्विपक्षीय करार नहीं किया गया है। तथापि, सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों को विभिन्न विदेशी सरकारों और भारतीय संघों के साथ नियमित सम्पर्कों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के कल्याण तथा उनकी रक्षा हेतु अनुदेश किए गए हैं। संकट की स्थिति में भारतीय राष्ट्रिक भारतीय मिशनों/केन्द्रों के कर्मचारियों से आसानी से मिल सकते हैं।

अगर किसी नियोजक से विवाद का मामला है, भारतीय मिशन सर्वप्रथम पीड़ित कर्मचारी ओर नियोजक के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए परस्पर स्वीकार्य हल निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी आवश्यक होता है, भारतीय कार्मिकों की शिकायतों को हल करने के लिए नियोजकों पर जोर देने हेतु मामले विदेशी सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजे जाते हैं। मिशन के प्रयासों के बावजूद जब वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था नहीं हो पाती है या कोई अन्य उपाय सम्भव नहीं होता है तो पीड़ित व्यक्ति के प्रत्यावर्तन के लिए सभी सम्भव सहायता दी जाती है।

अगर कोई शिकायत स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है, तो स्थानीय कानूनों के अधीन समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा संबंधित देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए वह मामला विदेशी सरकारों के साथ उठाया जाता है।

औद्योगिक दुर्घटनायें

2309. श्री अशोक प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कितनी दुर्घटनायें हुई है;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु तथा इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्याप्त सुरक्षोपाय करने हेतु क्या निदेश जारी किए है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में घटित दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार हे :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या	कुल
1993	74	2661	2735
1994	85	2632	2717
1995	102	1967	2069

(ख) से (घ) जी, हां दुर्घटनाओं की घटना को रोकने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा उपाय कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए हैं। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए उनका पालन करना अपेक्षित है। दुर्घाटनाओं के ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्यु हाती है अथवा गम्भीर शारीरिक चोट लगती है उनकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कारखाना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। राज्य सरकार के कारखाना निरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार यादृच्छिक आधार पर निरीक्षण किया जाता है। उन मामलों में जहां दखलदार द्वारा विधि के तहत कर्मकारों की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के उपलबंधों को क्रियान्वित करने में गफलत पायी जाती है कारखाने के दखलदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

एड्स नियंत्रण में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग

2310. श्रीमती कमल रानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स नियंत्रण के लिए कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन लगे रहे और संगठनवार इनको कितनी राशि की सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(ख) 1997-98 के दौरान कितने स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ग) क्या ये स्वैच्छिक संगठन एड्स के मामलों की जांच और प्रशिक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए हैं;

(घ) क्या एड्स के बारे मे जागरूकता पैदा करने हेतु सेमिनार, कार्यशाला और दौरे आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिन्हें इस मंत्रालय के विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता सीधे प्रदान की है।

(ख) पांच गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। स्वैच्छिक संगठनों/व्यावसायिक निकायों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत सूचना देते हुए अपने प्रस्ताव भेजें और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनके अनुरोध पर विचार किया जाता है।

विवरण

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1995-96, 97 और 1997-98 के दौरान सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई

		रुपये
1995-96		
1.	भारतीय किशोर स्वास्थ्य संघ, नई दिल्ली	30,000/-
2.	युवक और जनता संवर्धन सोसायटी, नई दिल्ली	8,12,000/-
3.	कूकी सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, मणिपुर	35,000/-
4.	एड्स निवारण सोसायटी, गुवाहाटी	2,56,520/-
5.	मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली	50,000/-
6.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	18,84,000/-
1996-97		
1.	दृष्टिकोण, नई दिल्ली	42,000/-
2.	युवक तकनीकी प्रशिक्षण सोसायटी, चण्डीगढ़	1,50,000/-
3.	ग्रामीण समुदाय विकास सेवा, मणिपुर	1,25,000/-
4.	एड्स निवारण सोसायटी, गुवाहाटी, असम	1,75,000/-
5.	ग्रामीण महिला उत्थान संघ, गुवाहाटी	50,000/-
6.	दिशा, नई दिल्ली	5,00,000/-
7.	गुड सेफर्ड मिनिस्ट्री, कोहिमा, नागालैंड	1,00,000/-
8.	भारतीय सामाजिक विपणन परिषद, नई दिल्ली	6,25,000/-
9.	जन शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	2,00,000/-
10.	एड्स निवारण सोसायटी, गुवाहाटी	84,950/-
11.	दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर	1,00,000/-
12.	ग्रामीण विकास सोसायटी, मणिपुर	1,00,000/-
13.	भारतीय आयुर्विज्ञान संघ, नई दिल्ली	1,00,000/-
14.	साक्षा, नई दिल्ली	50,000/-
15.	वैज्ञानिक निर्देशन और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली	1,50,000/-
16.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली	3,75,000/-
17.	फस्ट इंडियन पब्लिक हैल्थ कांग्रेस, कलकत्ता	50,000/-
18.	टार्च, नई दिल्ली	1,75,000/-
19.	हैल्थ फार आल आर्गेनाइजेशन, मणिपुर	75,000/-
20.	इंडो नेशनल सोसिओ एकोनामिक फाउंडेशन, भुवनेश्वर	2,50,000/-
21.	प्रोग्राम एथेटिकल एकेडेमिक कल्चरल एन्टरप्राइजेज	1,20,000/-
22.	मीरेज आर्ट गैलरी, नई दिल्ली	5,62,500/-
23.	जन शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	34,700/-
1997-98		
1.	बरूका, कलकत्ता	10,92,332/-
2.	इंडियन नेटवर्क आफ एन०जी०ओ०, अहमदाबाद	50,000/-
3.	प्रोग्राम फार एथिकल एकेडेमिक एंड कल्चरल एन्टरप्राइजेज, सहारनपुर	30,000/-
4.	राजस्थान, उत्तर प्रदेश कैथोलिक हैल्थ एसोसिएशन, नई दिल्ली	30,000/-
5.	ग्रामीण विकास सोसायटी, मणिपुर	1,00,000/-
6.	इनर व्हील क्लब, दिल्ली रीज०	15,000/-
7.	टार्च, नई दिल्ली	1,40,000/-
8.	जन शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली	5,000/-
9.	-तदैव-	2,40,000/-
10.	मिरज आर्ट गैलरी आफ आर्ट, नई दिल्ली	1,87,500/-
11.	-तदैव-	1,87,500/-

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर

2311. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने सभी सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरों का उपयोग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सिफारिश की है कि राज्य के कार्यकरण को नागरिकों के प्रति जवाब-देह बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का कार्यभार ले लेना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) से (घ) कार्मिक और नागरिक सेवाओं से संबंधित सूचना के कंप्यूटीकरण के लिये श्री एन० विट्ठल, अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पूर्व सचिव, दूर संचार विभाग) की अध्यक्षता में दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। इस दल द्वारा की गई सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल थी :—

(1) मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के लिये एक पांच वर्षीय योजना बना सकते हैं और मंत्रालयों के बजट में कंप्यूटरीकरण के लिये एक विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसको प्राप्त करने के लिये संसाधन उपलब्ध हों।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरत के लिये प्रभावी तौर पर जागरूकता को बढ़ाने की दृष्टि से, प्रत्येक विभाग में व्यापक स्तर पर

कार्यशालाओं और सेमिनारो का आयोजन किया जाए जिनमें भारतीय प्रशासन सेवा में वर्टिकल इन्टेग्रेशन कोर्सेस के नमूने के तौर पर प्रशासन के उच्चतम से निम्नतम सभी स्तरों को शामिल किया जाए।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी संस्कृति का प्रसार करने की दृष्टि से कंप्यूटर की अनुमति दिये जो संबंधी प्रतिबंध को हटा दिया जाए। कंप्यूटर ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुलभ होना चाहिए जो इसके इच्छुक हों। यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपने घरों में भी कंप्यूटर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(4) मंत्रालयों के सचिव, कंप्यूटरों के प्रति रूचि रखने वाले ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करें जो कि सूचना प्रौद्योगिकी की संस्कृति को केवल मंत्रालयों में ही नहीं बल्कि अधीनस्थ संगठनों में भी प्रसारित करने हेतु नेता तथा परामर्शदाता की भूमिका निभा सकें।

(5) राज्य सरकारों को भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि राज्यों में कंप्यूटरीकरण के बिना सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने और प्रशासन के उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिये इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(6) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने बजट की 2 से 3 प्रतिशत तक की राशि सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय करने के लिये आवंटित की जानी चाहिये ताकि सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण तथा हार्डवेयर, साफ्टवेयर प्राप्त करने के साथ-साथ साफ्टवेयर और रख-रखाव के विकास के लिये निधियों की उपलब्धता में वृद्धि हो सके।

2. प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिये कार्य-योजना के बारे में विचार करने के लिये प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.5.97 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में की गई चर्चा के मुद्दों में एक मुद्दा, सार्वजनिक-कार्यालयों से जनता को सूचना की उपलब्धता के बारे में था। सम्मेलन में स्वीकार किये गये विवरण में यह घोषणा की गई है कि सरकारी कार्य संचालनों के प्रणालीबद्ध और चरणबद्ध कम्प्यूटरीकरण के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की मदद से उनमें गति लाई जायेगी।

3. प्रचालनात्मक तत्वों और केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर लिये जाने निर्णयों का निर्धारण करने संबंधी कार्य योजना के विभिन्न तत्वों को विस्तृत रूप देने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

4. केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर सरकारी प्रचालनों के कम्प्यूटीकरण से संबंधित सम्मलेन के विवरण को कार्य रूप देने तथा मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यान्वयन समिति की सहायता करने के उद्देश्य से दिनांक 2 जुलाई, 1997 को लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री एन० विट्ठल की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप के विचारार्थ विषयों में दिनांक 26.12.96 को पहले गठित किये गये विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना शामिल है।

कालापानी

2312. श्री शरत पटनायक :
श्री भक्त चरण दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल क्षेत्र में कालापानी से संबंधित मामला सुलझाने के लिये नेपाल के साथ बातचीत शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) 5 से 7 जून, 1997 तक प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि कल्पानी क्षेत्र सहित, पश्चिमी क्षेत्र में सीमा सरेखण से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने तथा इस संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो आग के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए संयुक्त तकनीकी स्तर सीमा समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ स्तर के संयुक्त कार्यकारी दल को एक माह के भीतर बैठक करनी चाहिए।

2. प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह में काठमांडू में हुई। दोनों पक्षों के बीच कल्पानी क्षेत्र सहित पश्चिमी क्षेत्र में सीमा सरेखण के सीमांकन पर विचारों का उपयोगी प्रारंभिक आदान-प्रदान हुआ। बातचीत को जारी रखने पर सहमति हुई।

[हिन्दी]

गुर्दा प्रतिरोपण

2313. **श्री थावरचंद गेहलोत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अवैध रूप से गुर्दे के प्रतिरोपण के व्यापक में जुटे व्यक्तियों और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों का उलंघन करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1997 तक राज्यवार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अवैध रूप से गुर्दे के प्रतिरोपण के व्यापार को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा मानव अंगों के अवैध व्यापार के ऐसे मामले सूचित किए थे जिनमें या तो दोषी व्यक्तियों को बन्दी बना लिया गया था अथवा जो जांच के विभिन्न चरणों में थे। यह मामले मुख्यत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों और पश्चिम बंगाल के निवासियों से संबंधित थे लेकिन पुलिस का मामला होने के कारण ब्यौरा केवल बन्दी बनाए गए व्यक्तियों तक ही सीमित रखा गया था।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के कार्यान्वयन, मिली शिकायतों तथा बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के संबंध में उद्यतन सूचना भेजें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग ठीक ढंग से की जा रही है, मामले पर संसद की चुनिंदा सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया है जिन्हें कि अधिनियम के अपनाए जाने के बारे में राज्यवार प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध किया गया है। इस समय निम्नलिखित राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा

उत्तर-प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने अधिनियम को अपना लिया है।

[अनुवाद]

हुडको सहायता

2314. श्री गोरधन भाई जाविया :
श्री समीक लहिरी :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) हुडको द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या गुजरात राज्य आवास परिसंघ ने वित्तीय सहायता के संबंध में हुडकों को कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) हुडकों द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए ऋण का वार्षिक राज्य-वार आवंटन, संबंधित राज्यों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता हैं हुडको ने 1995-96 से अपनी ऋण राशि का 50% आवंटन उक्त आधार पर तथा शेष 50% राशि का आवंटन कार्यान्वियन एजेंसियों से प्राप्त मांगों के आधार पर शुरू किया है। शहरी अवंस्थापन परियोजनाएं, धन सुलभ होने पर मंजूर होती है, और इनके लिए हुडको द्वारा इस तरह का कोई-पूर्व आवंटन नहीं किया जाता।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95 से 1996-97 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) हुडको को ऐसी कोई योजना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

विवरण

1994-95 से 1996-97 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत राज्य-वार ऋण।

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	97.05	186.11	503.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	–
3.	असम	41.27	50.02	73.74
4.	बिहार	24.51	42.31	51.09
5.	गुजरात	78.54	83.85	86.53
6.	गोवा	9.00	0.72	11.35
7.	हरियाणा	34.27	60.68	17.45
8.	हिमाचल प्रदेश	6.06	35.68	26.06
9.	जम्मू व कश्मीर	16.49	19.64	3.69
10.	कर्नाटक	432.18	140.14	263.54
11.	केरल	249.70	209.04	241.42
12.	मध्य प्रदेश	71.78	75.91	82.46
13.	महाराष्ट्र	73.90	75.63	71.61
14.	मणिपुर	6.06	5.77	39.65
15.	मेघालय	14.31	0.94	8.07
16.	मिजोरम	0.00	5.26	5.72
17.	नागालैंड	5.77	0.00	5.89
18.	उड़ीसा	40.29	20.77	33.90
19.	पंजाब	76.63	54.58	43.60
20.	राजस्थान	111.09	206.04	126.06
21.	सिक्किम	9.50	6.50	7.14
22.	तमिलनाडु	235.09	332.72	371.53
23.	त्रिपुरा	4.63	0.73	0.09
24.	उत्तर प्रदेश	77.64	150.63	183.32
25.	पश्चिम बंगाल	42.78	96.75	135.29
26.	अंडमान निको० द्वीप समूह	0.99	1.49	–
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	–
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	–
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	–
30.	दिल्ली	3.70	105.00	77.60
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	–
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	–
	कुल	1763.24	1966.91	1470.59

संसदीय सद्भावना शिष्ट मंडल

2315. श्रीमती कृष्ण बोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने भारत-पाक संबंधों को सामान्य बताने की प्रक्रिया के रूप में संसदीय सद्भावना शिष्ट मंडलों के आदान-प्रदान पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सद्भावना यात्राएं किस स्तर पर हो सकती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस प्रक्रिया मे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को किस प्रकार शामिल करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने हेतु वचन बद्ध है तथा दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर कार्यकलापों को बढ़ावा देने के नीति पर जोर दे रही है। सरकार पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की प्रतीक्षा कर रही है उक्त प्रतिनिधिमण्डल के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है। सरकार दोनों देशों के बीच कार्यकलापों को संबर्धित करने के अपने प्रयत्न जारी रखेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उन्मूलन हेतु धनराशि

2316. श्री जी० वेंकट स्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना हेतु आंध्र प्रदेश, असम तथा पश्चिमी बंगाल को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों द्वारा प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या असम तथा पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं हेतु आवंटित और जारी की गई धनराशि का अन्य प्रयोजनों हेतु व्यय किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) प्रमुख केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जिन्हें आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है वे हैं : एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०)। आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल आवंटन और हुआ खर्च संलग्न विवरण-I से III में दर्शाया गया है।

(ख) से (घ) जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) के संबंध में महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 2, 1995 और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) के संबंध में रिपोर्ट संख्या 3, 1997 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों का अपवंचन हुआ है (जे०आर०वाई० 1341.13 लाख रुपये और ई०ए०एस० 429.63 लाख रुपये)। असम में निधियों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है।

जे०आर०वाई० के संबंध में सी०एंड०एजी० रिपोर्ट संख्या 2, 1995 और ई०ए०एस० के संबंध में रिपोर्ट संख्या 3, 1997 का चयन संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा विस्तृत परीक्षा के लिए किया गया है। सार्वजनिक लेखा समिति ने पश्चिम बंगाल का पहले ही दौरा कर लिया है।

विवरण-I

1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन — आन्ध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

क्र० सं०	कार्यक्रम	1995-96 कुल आवंटन	1995-96 व्यय (अस्थाई)	1996-97 कुल आवंटन	1996-97 व्यय (अस्थाई)
1.	आई.आर.डी.पी.	8336.41	8624.01	8336.41	12810.19
2.	जे.आर.वाई. (प्रथम स्ट्रीम)	34118.65	31705.69	17372.39	17488.47
	(द्वितीय स्ट्रीम)	3113.75	2851.21	—	—
3.	ई.ए.एस. #	18187.50	12249.54	25137.50	25509.86

कुल जारी कर दी गई क्योंकि ई.ए.एस. के अन्तर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं।

विवरण-II

1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन — असम

(लाख रुपए)

क्र० सं०	कार्यक्रम	1995-96 कुल आवंटन	1995-96 व्यय (अस्थाई)	1996-97 कुल आवंटन	1996-97 व्यय (अस्थाई)
1.	आई.आर.डी.पी.	2743.50	3409.02	2743.50	1600.68 (फरवरी, 97)
2.	जे.आर.वाई (आई स्ट्रीम)	10820.18	9583.33	5718.18	4543.21
3.	ई.ए.एस.	10025.00	9822.98	13525.00	8790.06

ई.ए.एस. : फण्ड जारी कर किया गया क्योंकि ई.ए.एस. के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं।

विवरण-III

1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन — पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

क्र० सं०	कार्यक्रम	1995-96 कुल आवंटन	1995-96 व्यय (अस्थाई)	1996-97 कुल आवंटन	1996-97 व्यय (अस्थाई)
1.	आई.आर.डी.पी.	7472.2	6693.99	7472.20	5474.89
2.	जे.आर.वाई.				
	(प्रथम स्ट्रीम)	29455.21	26114.49	15569.34	12834.05
	(द्वितीय स्ट्रीम)	3832.50	4378.31	—	—
3.	ई.ए.एस.	11550.00	9929.18	12712.50	11729.24

ई.ए.एस. : फण्ड जारी किया गया क्योंकि ई.ए.एस. के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं।

अल्युमिनियम संयंत्र

2317. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हीराकुंड स्थित अल्युमिनियम संयंत्र के बंद होने से कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए;

(ख) उनको देय धनराशि का भुगतान करने तथा उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उक्त अल्युमिनियम संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्प्रवास संबंधी जांच

2318. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या गोवा से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं और उनमें से गरीब लोगों द्वारा अनपेक्षित उत्प्रवास संबंधी जांच करवाना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

2319. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ समाप्त कर दिया गया था;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के कार्य नहीं करने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा-हितों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल कार्यरत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा इस संबंध में विद्यमान नियमों तथा मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जा रही है।

(ग) सम्पर्क अधिकारी और कर्मचारी शिकायत अधिकारी सहित विभिन्न माध्यमों से अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी मंत्रालय में अपनी शिकायतें सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा यह सुनिश्चत किया गया है कि शिकायतों को हल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

2320. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक और आर्थिक सहायता देने को शिथिल करने के लिए अमरीकी विदेश सहायता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अमरीकी सीनेट ने पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक तथा आर्थिक सहायता पर, जो पाकिस्तान को बाहरी सहायता प्राप्त नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम के रूप में दी जाती रही है, कुछ प्रतिबंधों को हटाते हुए अमरीकी विदेशी सहायता अधिनियम 1961 में एक संशोधन पारित किया है। विधिवत प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद यदि इस कानून को अधिनियमित कर दिया गया तो यह संशोधन पाकिस्तान के रक्षा सेवा अधिकारियों को सैन्य प्रशिक्षण देने और पाकिस्तानी परियोजनाओं में लगी अमरीकी नियमों को विदेशों में निजी पूंजी निवेश की ऋण सुविधा का विस्तार तथा एक्जिम बैंक गारंटी से संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान कर देगा।

(ख) और (ग) सरकार ने इस घटना के प्रति चिंता व्यक्त की है क्योंकि पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र और नाभिकीय कार्यक्रम को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी खबर है कि यह संशोधन पाकिस्तान द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण और चीन की सहायता से प्रक्षेपास्त्र सुविधा की स्थापना कर लेने के परिणाम स्वरूप पारित हुआ है। ये घटनाएँ भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत हैं। सरकार ने गौर किया है कि इसी प्रकार के प्रावधान 1995 के ब्राउन संशोधन में भी सन्निहित थे परंतु उस समय इन्हें चीन द्वारा पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए रिंग मैग्नेटों की आपूर्ति के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया था। सरकार ने इन घटनाओं के प्रति अपनी चिंता से अमरीकी प्राधिकारियों को अवगत करा दिया है। सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहती है।

परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

2321. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग ने हाल ही में मलेशिया और फिलीपीन्स के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते से भारत की सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा परिस्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोजनों में सहयोग करने के लिए पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग ने फिलीपीन्स के परमाणु अनुसंधान संस्थान के साथ 8 मार्च, 1997 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार परमाणु प्रोद्योगिकी में सहयोग करने के संबंध में पाकिस्तान तथा मलेशिया के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी मसलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की सावधानीपूर्वक तथा सतत् रूप से आकलन कर रही है। सरकार अपने ऊपर खतरे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

2322. **श्री बुद्धसेन पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यदि हां, तो इस सहायता के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) *क्या योजना आयोग द्वारा गठित किए गए कार्यदल की तकनीकी समीति ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों की पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में पहचान की गयी है;*

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने नौंवी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) जी, हां। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच०ए०डी०पी०) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०), विनिर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों के विनिर्धारित तालुकों को प्रदान की जाती है। एच०ए०डी०पी० के अंतर्गत उपलब्ध कुल एस०सी०ए० को एच०ए०डी०पी० और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू०जी० डी०पी०) के बीच 86.61 : 13.39 के अनुपात में आवंटित किया जाता हैं एच०ए०डी०पी०के लिए एस०सी०ए० का परस्पर विभाजन आबादी, इलाके के क्षेत्र के आधार पर इन कारकों को बराबर भार प्रदान करते हुए किया जाता है, डब्ल्यू०जी०डी०पी० के लिए आबादी को 25% सारांश और क्षेत्र को 75% भारांश प्रदान किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हां। तथापि, निधियों की कमी के कारण एच० ए०डी०पी० का विस्तार 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, सहित किसी नए पर्वतीय क्षेत्र तक नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में वेतन का भुगतान न किया जाना

2323. श्री रनजीब बिस्वाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई रुग्ण उपक्रमों (पी०एस०यू०) के श्रमिकों को भविष्य निधि, ई०एस०आई० आदि की बकाया राशि का विलम्ब से भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों पर श्रमिकों के लिए देनदारी 100 करोड़ से भी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो श्रमिको को इस सांविधिक बकाया का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित बकाया राशि के शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी०वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) क०रा०बी० और क०भ०नि० के रूप में रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर 209.12 करोड़ रुपये बकाया हैं। चूक का कारण ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की दयनीय वित्तीय स्थिति है। चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बकाया राशियों की वसूली के लिए सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।

सॉफ्टवेयर अभियंताओं की कमी

2324. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सॉफ्टवेयर अभियंताओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग और उपलब्धता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में सॉफ्टवेयर अभियंताओं की कमी को दूर करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) से (ग) सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इस समय औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहे है। सरकार विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करने अध्यापकों को प्रशिक्षण देने, बढ़िया क्वालिटी की पाठ्यक्रम सामग्री का विकास एवं प्रसार करने तथा नए संस्थानों की स्थापना के लिए कदम उठाने के माध्यम से विशेष रूप से प्रमुख संस्थानों के जरिए कम्प्यूटर जनशक्ति में वृद्धि करने के लिए कई उपाय कर रही हैं अनौपचारिक (निजी/सार्वजनिक) क्षेत्र से बढ़िया क्वालिटी की जनशक्ति के सृजन का सुनिश्चय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग-कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता (डी०आई०ए०सी०सी०) नामक अपनी संस्था के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की मान्यता पर एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कुछ पूर्व निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले संस्थानों को 'ओ' आधारभूत 'ए' (उन्नत डिप्लोमा), 'बी' (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात्) तथा 'सी' (स्नातकोत्तर) स्तर के पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

2325. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-97 की अवधि जो इस वर्ष मार्च माह में समाप्त हो गयी है, के लिए 220.60 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ते एड्स के मद्दे नजर केन्द्र सरकार से एड्स संबंधी कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में पांच वर्षों के लिए विश्व बैंक के 84 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण से आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी और सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को मार्च, 1999 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वित के लिए हर वर्ष वार्षिक कार्य योजना भेज रही है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जांच के पश्चात् निधियां विमुक्त की जाती है। आंध्र प्रदेश की 1997-98 की कार्य योजना अब प्राप्त हो गई है और केन्द्र सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया है।

रिक्त पद

2326. **श्री एन०जे० राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक विभागों/उपक्रमों में पदवार कितनी नियुक्तियां की गयी;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कुछ पद अभी भी रिक्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पदवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(च) आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ व्यापार

2327. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम ने पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु केन्द्र सरकार से राज्य में नथुआ-ला दर्रे को खोलने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) नाथुआ-ला दर्रे सहित अतिरिक्त स्थानों से सीमा पार व्यापार पर चीनी पक्ष के साथ वार्ता की जानी है। इस समय भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे (उत्तर प्रदेश) तथा शिपकी ला दर्रे (हिमाचल प्रदेश) से होकर सीमा पार व्यापार प्रबन्ध मौजूद है।

[हिन्दी]

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

2328. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अप्रैल, 1997 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना खर्च वहन किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : महोदय 4 से 8 अप्रैल, 1997 तक नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के XIIवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन पर कुल 5,22,27,255/- रु० व्यय हुए। 3,46,67,981/- रु० की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है जबकि 1,75,59,274/- रु० की राशि के बिल भुगतान की प्रक्रिया के अधीन हैं यह व्यय 1 अगस्त, 1997 तक प्राप्त/तैयार किए गए बिलों पर आधारित है।

[अनुवाद]

डिस्पोज़ेबल सिरिंजों की कमी

2329. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में चलाए जाने वाले केन्द्र सरकार के अस्पतालों सहित अधिकांश अस्पतालों में डिस्पोज़ेबल सिरिंजों की कमी है और मरीजों को अपने लिए सिरिंजों को स्वयं खरीदना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सफदरजंग अस्पताल के मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए ग्लास सिरिंजों का उपयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पाए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा एड्स और हेपाटाइटिस(बी) जैसे घातक रोगों का फैलना रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में डिस्पोज़बल सिरिंजों की उपलबधता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सफदरगंज अस्पताल ने सूचित किया है कि किसी विशेष रोगी के मामले में उपयोग की गई सिरिंजों के प्रकार के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखे जा रहे हैं। सामान्यतया उपयोग की गई सिरिंजों और सूइयां फेंकी जाती हैं। तथापि, कांच की सिरिंजों को भी उचित रूप से रेगाणुविहीन करने के बाद अस्पताल में उपयोग में लाया जाता है।

(घ) और (ङ) अस्पताल से उत्पन्न संक्रमणों के नियंत्रण के बारे में अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित दिशा निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ दर्शाते है कि भाप-सह पात्र (आटोफरेब्ड) अथवा पूर्ण-रोगाणुविहिन (प्रि-स्टेरीलाइज्ड) डिस्पोजेबल सूईयों तथा सिरिंजों द्वारा ही इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए। भाप सह पात्र पुन: उपयोग में लाई जाने योग्य तथा पूर्व रेगाणुविहीन डिस्पोजेवल सूईयां तथा सिरिंजें समान रूप से निरापद होती हैं और वे ही केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में प्रयोग की जाती है।

रेडियो थिरेपी

2330. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80% कैंसर के मामलों का इलाज रेडियो थिरेपी से किया जा सकता है;

(ख) क्या देश में केवल 190 बाह्य रेडियो थिरेपी मशीनें उपलब्ध हैं जबकि 800 मशीनों की मांग है;

(ग) यदि हां, तो इतनी कम संख्या में मशीनों के उपलब्ध होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार देश में 214 कोबाल्ट रेडिया थिरेपी मशीनें उपलब्ध हैं।

निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को चरणों में चलाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध बजट के भीतर टेली-कोबाल्ट मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 31 कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अर्बुदविज्ञान के विकास का दर्जा बढ़ाने के लिए 31 मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोबाल्ट-60 टेलीथिरेपी उपकरणों का प्रावधान शामिल है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों का भंडारण

2331. **श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे औषधियों में दवाओं आदि के संबंध में कोई उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या खराब व्यवस्था के कारण दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में स्थित औषधालयों में औषधियों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में हर वक्त सभी आवश्यक औषधियों की उपलब्धता बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) कुल मिलाकर सी०जी०एच०एस० फार्मूलरी में शामिल अधिकांश औषधियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चलाए जा रहे औषधालयों में इस समय उपलब्ध हैं। तथापि, कभी-कभार होने वाली कमी को अनुमोदित स्थानीय केमिस्टों से स्थानीय खरीद के द्वारा पूरा किया जाता है। आपाती स्थितियों में एक "प्राधिकार पर्ची" जारी की जाती है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को औषधि बिना कोई भुगतान किए प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से सीधे खरीदने की अनुमति होती है।

औषधियों की स्टाक स्थिति का आकलन करने के लिए भंडारण संगठन के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं और जहां भी आवश्यक होता है, आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

गैरिज सुविधा

2332. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ टाइप-II और टाइप-III के सरकारी क्वार्टरों में स्कूटर गैराज की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रेजीडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशनों/एरिया वेलफेयर आफिसर्स/रेजीडेंट्स से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों में स्कूटर गैराज नहीं है:—

(I) टाइप-II के सभी क्वार्टर

(II) टाइप-III के सभी दो मंजिला क्वार्टरों तथा दो मंजिल से अधिक के ब्लाकों में भूतल क्वार्टरों में।

(ग) जी हां

(घ) उक्त (ख) में उल्लिखित क्वार्टरों में स्कूटर गैराज बनाने के लिये के०लो०नि०वि० को अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) के०लो०नि०वि० ने बताया है कि टाइप-II के सभी तथा टाइप-III के सभी दो मंजिला क्वार्टरों में स्कूटर गैराज की व्यवस्था न करने के वर्तमान दिशा-निर्देशों आलोक में उक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किये गये हे। टाइप-III के दो मंजिलों से अधिक मंजिल वाले टाइप-III के भूतल क्वार्टरों में स्कूटर गैराज इसलिये नहीं बनाये गये हैं। उनके आवंटी अपने स्कूटर अपने क्वार्टर में खड़ा कर सकते हैं।

भविष्य निधि बकाया का भुगतान नहीं किया जाना

2333. **श्री अजय चक्रवती :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर ने वर्ष 1993 तथा 1994 में सेवानिवृत हुए अथवा स्वेच्छा से सेवा छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की जमा भविष्य निधि राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस निगम के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट

2334. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री एन० डेनिस :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) द्वारा जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट 1997 में भारत सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि उसके द्वारा वित्तीय घाटे को कम करने पर बल दिये जाने के कारण सार्वजनिक व्यय में बहुत ज्यादा कटौती की जा रही है और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में बाधा पहुंच रही है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल श्रम को समाप्त करने तथा उपेक्षित समुदायों के सामाजिक उत्थान के लिए कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता पर भी बल दिया गया है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास से कृषि की उपेक्षा हुई है और ग्रामीण आबादी और भी गरीब हो गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों द्वारा गरीबी में 50 प्रतिशत कमी लायी गयी है जबकि बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारत की 50 प्रतिशत गरीब जनता रहती है; और

(च) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा गरीबी के उन्मूलन हेतु पर्याप्त धन प्रदान करने तथा वित्तीय घाटा दूर करने के लिये भी क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) जी हां, मानव विकास रिपोर्ट 1997 में कहा गया है कि "राजकोष घाटे में कटौती करने पर बल देने के कारण सरकारी खर्च में बड़ी कटौतियां करने पर जोर दिया जा रहा है और राज्यों में कमी करने पर जोर देने के कारण प्रमुख क्षेत्रों में राज्यों की जिम्मेदारियों को त्यागना पड़ रहा है। जिससे गरीब लोगों का जीवन प्रभावित होता है"। इसमें निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बाल श्रम उन्मूलन, समाज सेवाओ के लिए पर्याप्त प्रावधान और सीमांतिक समुदायों के लिए आर्थिक सुरक्षा शामिल है।

(ग) रिपोर्ट में कहा गया है कि 1951 से आठवें दशक के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनता के अनुपात में उतार-चढ़ाव होता रहा। आठवें दशक के मध्य से आठवें दशक के अंत तक ग्रामीण और शहरी निर्धनता दोनों के भार में महत्वपूर्ण और सतत् रूप से सुधार हुआ। भारत में प्रथम अवधि के दौरान गरीबी में लगातार गिरावट देखने में नहीं आई जिसका कारण यह था कि विभाजन की अपेक्षा कुल उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में लघु उद्यमों की बजाय जिनमें अधिकांश गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमों पर जोर दिया गया।

(घ) से (च) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 1973-94 अवधि के संबंध में अधिकांश राज्यों में गरीबों के अनुपात में काफी गिरावट आई है। आंध्र प्रदेश और पंजाब में गरीबी के अनुपात में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई जबकि हरियाणा में लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 1993-94 के लिए भारत की ग्रामीण जनता का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए निर्धारित उद्देश्यों के बीच एप्रोच पेपर में निम्नलिखित बातें दी गई हैं :

(1) पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करने और निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि और ग्राम विकास को प्राथमिकता प्रदान करना। प्रथम बार, योजना अवधि के लिए 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कृषि वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

(2) स्थिर कीमतों वाली अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करना। विकास प्रक्रिया की स्थिरता और दृढ़ता के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व घाटे मे कटौती करने के लिए ठोस प्रयास करने और कुछ मात्रा में राजकोष संतुलन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(3) सभी के लिए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(4) एक समयबद्ध तरीके से सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, आश्रय और संयोजन की बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करना।

(5) सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेंटों के रूप में स्त्रियों और सामाजिक रूप से असुविधा प्राप्त समूहों जैसे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाना।

[हिन्दी]

बिहार का विकास

2335. श्री रविन्द्र कुमार पांडेय :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विकास के संबंध में चर्चा करने के लिए 12 मार्च, 1997 को बिहार के संसद सदस्यों के साथ बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में बिहार सरकार का कार्य निष्पादन अत्यन्त असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) जी, हां। बैठक के दौरान, महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों जैसे सिंचाई, आधार संरचना विकास, विद्युत परियोजनाओं पर जोर देना, रोजगार-अवसरों को बढ़ाने तथा शिक्षा क्षेत्रक के विकास पर चर्चा की गयी।

(ग) और (घ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किया जाता है तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इनके कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

टी०आई०एफ०आर० का कार्यकरण

2336. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिये कभी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं की एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्ष और उसके द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) और (ख) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टी०आई०एफ०आर०) जो कि भौतिकी गणित और सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संस्था है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ने 1995-96 में अपनी अनुसंधान गतिविधियों के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्वर्ण जयंती के फलस्वरूप इसकी प्रबंधक परिषद् ने टी०आई०एफ०आर० की उपलब्धियों की समीक्षा करने और साथ-ही-साथ अनुसंधान में बढ़ती हुई विशेषज्ञता को देखते हुए अन्य संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकार करने, चुनिंदा क्षेत्रों में उद्योगों के साथ अधिक उद्देश्य पूर्ण विचारों के आदान-प्रदान की गुंजाइश और सृजनात्मक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संस्थान को समर्थ बनाने हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में सिफारिशें देने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों के एक दल को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

निम्नलिखित विशेषज्ञों से युक्त एक समिति ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का 13-18 जनवरी, 1997 के दौरान दौरा किया और उसके कार्यकरण की समीक्षा की :—

(I) प्रो० लॉर्ड पोर्टर, ओ०एम०, ए०आर०एस०, नोबल लॉरिएट,
अध्यक्ष, सेन्टर फॉर पेट्रोमॉलिक्यूलर साइंसिज,
डिपार्टमेन्ट ऑफ कैमिस्ट्रि एंड बायोकैमिस्ट्रि,
इमपिरियल कॉलेज, लन्दन, यू०के०

(II) प्रो० डी० ममफोर्ड,
प्रेजीडंट ऑफ दी इन्टरनेशनल मैथेमैटिकल यूनियन,
डिविजन ऑफ एप्लायड मैथेमैटिक्स,
ब्राउन यूनिवर्सिटि,
रोहडे आयलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका

(III) प्रो० सर आरनोल्ड वोल्फनडेल, एफ०आर०एस०,
पूर्व में एसट्रोनॉमर रॉयल और
प्रेजीडेन्ट ऑफ दी रॉयल एसट्रोनॉमिकल सोसाएटी,
डिपार्टमेन्ट ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटि ऑफ डुरहाम,
साइंस लेबोटरीज, यू०के०

(IV) प्रो० बी०वी० श्रीकान्तन,
नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज,
इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस कैम्पस,
बंगलौर और
भूतपूर्व निदेशक,
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान

(V) प्रो० एस० ब्रैनर, एफ०आर०एस० बिमारी के कारण इस समिति के सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सके किंतु उन्होंने लिखित साक्ष्य दिया था।

(ग) उक्त समिति के निष्कर्षों और मुख्य सिफारिशों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निष्कर्ष और सिफारिशें

हमारे निष्कर्षों को प्रश्नों का उत्तर देकर ठीक से व्यक्त किया जा सकता है :

(I) टाटा मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की वर्तमान स्थिति के बारे में होमी भाभा क्या कहते?

(II) भविष्य के बारे में वे क्या सिफारिशें करते?

(III) के संदर्भ में वे इस समय विज्ञान के कई क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के बारे में निःसंदेह उत्साह से भर जाते। तथापि, कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संघ में हुई भूल से निराश होते। वे संस्थान में शामिल होने वाले प्रतिभावना व्यक्तियों की कमी के संबंध में विशेष रूप से चिन्तित होते। तथापि, वे अपने उत्तरवर्ती प्राधिकारियों के बारे में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की मौजूदगी को ही ऐसे संसार में जहां ''प्रासंगिकता'' और ''धन-उत्पत्ति'' का इसी तरह से संस्थानों पर गंभीर प्रभाव पड़ता, कायम रखने में (और, वस्तुत: इसे आगे बढ़ाने में मदद करने में) उनकी असंदिग्ध दक्षता पर गर्व करते। हम महसूस करते हैं कि होमी भाभा हमारी सिफारिशों को मान लेते। आगे की विषय-वस्तु में हमने विशिष्ट - और कुछ मामलों में विस्तृत - सिफारिशों को रेखांकित किया है। सभी महत्वपूर्ण हैं किन्तु यहां हमने मुख्य सिफारिशों का ही उल्लेख किया है।

मुख्य सिफारिशें

1. रेडियो खगोलिकी, आण्विक जीव-विज्ञान, ठोसावस्था भौतिकी और कम्प्यूटर विज्ञान में मूलभूत कार्यों को सहायता दी जाए और आगे बढ़ाया जाए।

2. मुंबई आण्विक जीव-विज्ञान का कार्य कायम रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए तथा निदेशक और परिषद इस सिफारिश के बारे में अपनी सहमति को अत्यावश्यकता स्वरूप व्यापक रूप से अवगत कराएं।

3. विशुद्ध गणित विज्ञान वर्ग को सशक्त रूप से सहायता दी जाए और विशुद्ध तथा प्रयुक्त गणित-विज्ञान और सैद्धांतिक कम्प्यूटर विज्ञान के आमेलन पर विचार किया जाए।

4. ''टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के उद्देश्य'' का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाए।

5. अत्यावश्यकता की दृष्टि से एक अन्वेषण समिति का गठन निदेशक के पद हेतु अभ्यर्थियों का पता लगाने के लिए किया जाए। यह अन्वेषण-कार्य प्रो० सिंह के निदेशक पद की अवधि के खत्म होने से काफी पहले ही शुरू कर दिया जाए।

6. प्रशासक के कार्यालय सुधार में किए जाएं।

7. उच्चतम संभाव्य उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ संकाय-सदस्य को हासिल करने और उसकी मौजूदगी कायम रखने के लिए (I) पदोन्नति मानदंडों, (II) कार्य-अवधि और स्थायी नियुक्तियों के बीच संतुलन और (III) विश्व स्तर पर भर्ती को बढ़ाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाए।

8. इन तीन अलग-अलग स्कूलों में अनुसंधान की व्यवस्था की जाए :

गणितीय विज्ञान
भौतिकी और खगोल-विज्ञान
जैव और रसायन विज्ञान

9. ''प्रौद्योगिकी अंतरण'' को बेहतर बनाने की कार्रवाई की जाए।

10. विज्ञान की शिक्षा और इसके प्रचार-प्रसार को उच्च दर्जा दिया जाए।

ऊपरिपुलों का निर्माण

2337. **श्री विजय गोयल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एम०आर०टी०एम० परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित एक्सप्रेस हाइवे से जोड़े जाने वाले अपेक्षित नौ रेल ऊपरिपुलों की उद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इन ऊपरिपुलों के निर्माण हेतु 1997-98 के दौरान बजट में किये गये प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपरिपुलों को पूरा किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी दर

2338. **श्री ओम पाल सिंह निडर :**
श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के अनुसार एशिया में सर्वाधिक गरीबी दर भारत में विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो गरीबी दर के संबंध में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश से गरीबी दूर करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त योजना देश से गरीबी दूर करने में किस हद तक सहायक होगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिक्षा/स्वास्थ्य/सामाजिक सेवाओं के लिए प्रावधान

2339. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 ई० तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) केन्द्र और राज्यों के आवंटनों को दर्शाते हुए अब तक सेवा-वार उपलब्ध सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सफाई और अन्य सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) संबंधी अप्रोच पेपर में, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक सेवाओ के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सरकार की प्रबिद्धता का उल्लेख किया गया है। बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम में गरीबों पर जोर देते हुए सभी सात बुनियादी न्युनतम सेवाओं तक पहुंच की परिकल्पना की गई है नामत: सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी के लिए आवास, बच्चों के लिए पोषण सहायता, न जुड़े गांवों को जोड़ना और गरीबों पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाना।

(ख) 1996-97 (बजट अनुमानों) के अनुसार, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामाजिक सेवाओं के वास्ते 30490.77 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय था। जबकि 1995-96 (संशोधित अनुमान) में यह राशि 23178.56 करोड़ रुपये थी। 30490.77 करोड़ रुपये की इस कुल राशि में से 3132.97 करोड़ रुपये की राशि सामान्य शिक्षा के लिए, 814.30 करोड़ रुपये की राशि चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, 1535.0 करोड़ रुपये की राशि परिवार कल्याण के लिए और 1740.75 करोड़ रुपये आवास के लिए है।

(ग) प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 1997-98 तक सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में 10.82 करोड़ बच्चे शामिल होन की उम्मीद है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश में 132727 उप-केन्द्रों और 2424 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा मार्च, 1996 के अंत तक 21853 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायम ही गये थे, मार्च, 1994 और मार्च 1995 के अंत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमश: 21206 और 21536 थी। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार 50 प्रतिशत शहरी आबादी को स्वच्छता सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया। जबकि 1996 में यह प्रतिशतता 45.9 थी।

नए बोर्ड गठित करना

2340. **कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाने के लिए नए बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र की मुख्य परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए नया बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी प्रक्षेपास्त्र

2341. श्री येल्लैया नंदी :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री परस राम भारद्वाज :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" "न्यू चाइनीज मिसाइल्स टार्गेट इंडिया एंड एशिया: यू० एस० डेली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत इन प्रक्षेपास्त्रों में हासिल की गई स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस खतरे का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भारत सरकार का विचार इस मामले को चीन के साथ उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) सरकार को भारत तथा रूस के विरुद्ध चीनी प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर की जानकारी है। भारत-सरकार अपने ऊपर खतरे की आशंका को देखते हुए देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

2342. प्रो० चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना, महिलाओं के उत्थान की योजना गरीबी उन्मूलन योजना और जिन उग्रवादियों ने हथियार डाल दिये हैं उनकी पुनर्वास योजना जैसी अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं को और कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) जी, हां। रोजगार अवसर मुहैया कराने और गरीबी उन्मूलन के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), कार्यान्वित कर रही है स्व रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (टी०आर०वाई०एस०ई०एम०) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास-कार्यक्रम आई०आर० डी०पी० की दो प्रमुख उप-स्कीमें हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 3700.18 लाख रु० के आवंटन की तुलना में संभावित व्यय 2861.86 लाख रु० है और स्कीम के अंतर्गत 52947 परिवारों को सहायता प्रदान की गई मजदूरी रोजगार के सृजन हेतु जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम दो अन्य स्कीमें हैं और 8वीं योजना के दौरान 29954.55 लाख रु० के आवंटन की तुलना में इन पर संभावित व्यय 22617.10 लाख रुपये हैं और कुल 490.19 लाख श्रम-दिवस सृजित किए गए।

आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

आंखों की बीमारियां

2343. श्री छत्तर सिंह दरबार :
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंखों की बीमारियों में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। 1986 में देश में दृष्टिहीनता की व्याप्तता पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था।

(घ) दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर 1.49 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण संस्थान

2344. श्री केशव महन्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भविष्य निधि कार्यालय

2345. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम नामक पर भविष्य निधि का नया लेखा कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) कोट्टायम में एक उप-कार्यालय खोले जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

2346. श्री हरिवंश सहाय : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनधिकृत बस्तियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के कौन-कौन सदस्य है;

(ग) समिति के गठन के समय उसके विचारार्थ विषय क्या थे;

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उच्च स्तरीय समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार उन्हें प्रस्तुत कर दी है। मामला अभी न्यायाधीन है।

विवरण

(ख) उच्च स्तरीय समिति का गठन :

1.	श्री एन०पी०सिंह सचिव (यू०डी०) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय	—	अध्यक्ष
2.	श्री पी०वी० जयकृष्णन मुख्य सचिव रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
3.	श्री हेमेन्द कुमार अपर सचिव (यू०डी०) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय	—	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	सदस्य
5.	श्री जगदीश सागर प्रधान सचिव (यू०डी०) रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
6.	श्री बी०एस० मिन्हास संयुक्त सचिव शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय शहरी विकास विभाग	—	सदस्य
7.	श्री वी०के० दुग्गल आयुक्त दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
8.	श्री आई०ए० [illegible] अध्यक्ष नई दिल्ली नगर परिषद	—	सदस्य
9.	महाप्रबंधक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	—	सदस्य
10.	श्री राकेश मोहन अपर आयुक्त (डब्ल्यू०एस०) दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
11.	श्री किशन लाल शर्मा, संसद सदस्य	—	सदस्य
12.	श्री जग प्रवेश चन्द्र विधायक, रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
13.	श्री शोएब इकबाल, विधायक रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
14.	श्री एस०पी०एस० परिहार	—	संयोजक सदस्य

(ग) उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय :–

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या पर विचार करना तथा इसके कारणों का विश्लेषण करना।

(ख) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या से निपटन के लिए उपायों का सुझाव देना जिनमें दिल्ली की उन कालोनियों, जो निर्धारित तारीख से पहले से बसी हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता व जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा में कोई बाधा नहीं पहुंचती, को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं।

(ग) भविष्य में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(घ) नियमितीकरण के लिए कालोनियों पर विचार करने से पूर्व आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर विचार करना।

(ङ) यह विचार करना कि मौजूदा अनधिकृत कालोनियों में से कितनी कालोनियों में ये सुविधाएं मुहैय्या कराई जा सकती हैं तथा ईकाई की अनुमानित लागत और समय सीमा, जिसमें ये सुविधाएं मुहैय्या कराई जा सकती हैं।

(च) ऐसी कालोनियों का पता लगाना जिनमें अधिक लागत अथवा तकनोकी समस्याओं अथवा अन्य कारणों से ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(छ) उन कालोनियों का पता लगाना जिन्हें सुविधाओं की कमी अथवा अन्य कारणों से नियमित नहीं किया जा सकता तथा इन अनधिकृत कालोनियों को स्थानांतरित करने के उपायों का सुझाव देना।

(ज) इन कोलोनियों के स्थानांतरण में लगने वाले समय तथा उपायों का सुझाव देना जिसमें इनमें से कुछ कालोनियों को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली के आस-पास नगर क्षेत्रों का निर्माण तथा इन क्षेत्रों में मुहैय्या कराई जाने वाली सुविधायें भी शामिल हैं।

रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य

2347. श्री सोहन वीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त रोजगार के अवसर

सृजित करने के लिए कितना लक्ष्य रखा गया;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) आठवीं योजना की रोजगार कार्यनीति प्रतिवर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन तक रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य के साथ प्रतिपादित की गयी थी जो आठवीं योजना के दौरान 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत वार्षिक रोजगार वृद्धि दर की ओर संकेत करती है तथा योजना में विचारित अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि 5.6 प्रतिशत के अनुरूप ही है।

(ख) और (ग) रोजगार और बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) के पंचवार्षिक सर्वेक्षण देश में रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों की विस्तृत जानकारी का स्रोत हैं। ऐसे नवीनतम सर्वेक्षण 1993-94 की अवधि (एन०एस०एस०ओ०) का 50वां दौर) से संबंधित है। एन०एस०एस०ओ० के 50वें दौर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1987-88 से 1993-94 के दौरान रोजगार की वृद्धि दर 2.23 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य से कम है।

रोजगार वृद्धि की दर की उपलब्धि संवृद्धि दर और अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्रकीय और उप क्षेत्रकीय स्वरूप पर आधारित है। 1987-88 से 1993-94 तक के दौरान हुई 2.23 प्रतिशत की रोजगार संवृद्धि दर आठवीं पंचवर्षीय योजना के केवल पहले दो वर्षों को कवर करती है जिसके दौरान आर्थिक संवृद्धि पर 5.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आठवीं योजना के लक्ष्य से कम थी।

(घ) और (ङ) पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना की एप्रोच में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है। उत्पादक रोजगार राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसका उद्देश्य इक्विटी के आधार पर विकास प्राप्त करना है। बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने से विकास की प्रक्रिया में और अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः सृजित होगा। रोजगार की गुणवत्ता में सुधार तीव्र रूप से विकसित हो रही उत्पादकता की स्थिति में ही हो सकता है जिनके प्रति श्रम अपना उचित दावा प्रस्तुत करता है। शिक्षा और कौशल विकास से लोग रोजगार अवसरों का लाभ प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। परम्परागत व्यवस्था में लगे लोगों को विपणन अवसरों की व्यवस्था करने, कौशल विकसित करने, प्रौद्योगिकीय स्तर में वृद्धि करने के वास्ते विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करने होंगे।

श्रम आधारित प्रौद्योगिकी

2348. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रम आधारित तकनीक को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रम आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करती है।

नौंवी योजना की एप्रोच में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास की प्रक्रिया में स्वतः सृजित होंगे।

[अनुवाद]

खाड़ी युद्ध के कारण स्वदेश लौटकर आए लोगों को मुआवजा

2349. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के खाड़ी युद्ध में केरल लौट कर आए लोगों को यू०एन०सी०सी० द्वारा मुआवजे का भुगतान करने में अत्याधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा केरल सरकार को किए गए इस आशय के अनुरोध पर कि यदि मुआवजे की पूरी धनराशि एक साथ नहीं मिलती तो कम से कम उसका कुछ अंश ही दिलाने के लिए ही मामले शीघ्रातिशीघ्र निपटान करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। खाड़ी से लौटने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला मुआवजा यू०एन०सी०सी० (संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग) द्वारा दिया जाएगा। इस निकाय से जैसे ही धन उपलब्ध होगा, संबंधित दावाकर्ताओं को यथाशीघ्र संवितरित कर दिया जाएगा। "ख" श्रेणी के दावा कर्ताओं को (मृत्यु तथा गंभीर चोट) से संबंधित मुआवजे का संवितरण किया जा चुका हैं यह कार्य 1996 के मध्य तक पूरा किया जा चुका था।

संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने मार्च 1991 से पूर्व कुवैत से भाग कर आए श्रेणी "क" के 6216 व्यक्तियों के दावों के आंशिक निबटान के लिए हाल ही में 15.54 मिलियन अमरीकी डालर अंतरित किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं कि यह मुआवजा यथा शीघ्र संवितरित किया जाए। ये दावेदार 2500/- अमरीकी डालर की दर से राशि प्राप्त करेंगे।

(ख) जेनेवा स्थित भारत का स्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है कि हमारे राष्ट्रिकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिनेकर्मी

2350. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, क्षेत्रवार कितने सिनेकर्मी हैं;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में सिनेकर्मियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिनेकर्मियों की कल्याण योजनाओं पर योजनावार कितना धन खर्च किया गया?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) सिने कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत सिने कर्मकारों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

देश में क्षेत्रवार पता लगाए गए सिने कर्मकारों की संख्या

क्र० सं०	क्षेत्र	पता लगाए गए सिने कर्मकारों की संख्या
1.	हैदराबाद	8645
2.	भुवनेश्वर	99
3.	नागपुर	4088
4.	बंगलौर	1289
5.	भीलवाड़ा	1290
6.	कलकत्ता	348
	कुल	16259

विवरण-II

सिने कर्मकारों और उनके आश्रितों के लिए रोजगार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सूची

स्वास्थ्य

1. हृदय रोगों से पीड़ित सिने कर्मकारों को वित्तीय सहायकता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
2. कैंसर से पीड़ित सिने कर्मकारों को वित्तीय सहायकता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
3. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए सिने कर्मकारों को वित्तीय सहायकता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।

सामाजिक शिक्षा

सिने कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना।

शिक्षा

1. हाई स्कूल से आगे अन्तिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने पर प्रोत्साहन की अदायगी।
2. सिने कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूलों में हाजिरी के आधार पर प्रतिदिन 1/-रु० के हिसाब से प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
3. सिने कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान सिने कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं पर किया गया व्यय

योजना का नाम	वर्ष		(रुपए हजारों में)
	1994-95	1995-96	1996-97
स्वास्थ्य	245	112	431
शिक्षा	635	617	706
सामूहिक बीमा योजना	—	—	162

रेडक्रास सोसायटी

2351. श्री अन्ना साहेब एम०के० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेडक्रास सोसायटी के प्रबंधन और कार्यकरण में सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) इस सोसायटी के प्रबंध कार्य में समाज की क्या भूमिका है;

(ग) सोसायटी द्वारा वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान की गई प्राप्तियों और भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान सोसायटी की नई खोली गई शाखाओं की संख्या क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेड क्रास सोसायटी के कार्य, एक स्वायत्त संस्थान होने के कारण, भारतीय रेड क्रास सोसायटी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों से विनियमित होते हैं। सोसायटी अपनी निधियां स्वयं जुटाती हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायतानुदान भी शामिल है।

प्रबंध निकाय में सामान्य जनता के सुप्रसिद्ध लोग सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। सोसायटी की राज्य शाखाओं द्वारा भी सामान्य जनता से सदस्य नामित किए जाते हैं। जिला स्तर पर भी कार्यकारी समिति में सामान्य जनता से सदस्य नामित किए/प्रतिनिधि बनाए जाते हैं।

राज्य शाखाओं के प्रतिनिधि, जो सामान्य जनता के सदस्य होते हैं, सोसायटी की जनरल-मीटिंग में होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेने हेतु पात्र हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय मुख्यालय के प्राप्ति एवं भुगतान के विवरण नीचे दर्शाए जा रहे हैं :

वर्ष	प्राप्ति (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये)
1.1.93 से 31.3.94	3.42	4.75
1.4.94 से 31.3.95	3.59	4.69
1.4.95 से 31.3.96 (अनन्तिम)	2.56	4.77

(घ) 1994 से 1996 के दौरान भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की कोई नई शाखा नहीं खोली गई है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2352. श्री दिलीप संघानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ममद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई धनराशि पर किस दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या इस राशि के "ट्रेजरी" मे जमा होने की अवधि के दौरान भी ब्याज का भुगतान किया जाता है;

(ग) इस प्रकार अर्जित ब्याज की राशि को व्यय करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है और ऐसे कितने संसद सदस्य हैं जिनकी ब्याज राशि सरकारी ट्रेजरी में जमा की जाती है और यह ब्याज राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस राशि को खर्च करने हेतु कोई निर्देश जारी किए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) सामान्य तौर पर संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों को बैंकों में पी०एल०ए० में रखा जाता है तथा उस पर ब्याज समय-समय पर विद्यमान दरों के अनुसार ही दिया जाता है।

(ग) से (ङ) जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार, अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन नीति

2353. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों या लम्बी अवधि के लिए कोई दीर्घावधि समेकित परिवार नियोजन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रोत्साहन के अभाव और सरकार के मतभेद के कारण परिवार नियोजन नीति हाशिए में चली गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नीति की पुनरीक्षा करने और पुनः तैयार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रारूप में वर्ष 2010 तक निम्नलिखित के द्वारा 2-1 की कुल प्रजनन दर प्राप्त करने का प्रस्ताव है—

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए संसाधनों का आवश्यकता आधारित आवंटन
2. जनता, जन-नेताओं और नागरिकों द्वारा समर्थन
3. राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों की दक्षता में सुधार और जिम्मेदारी निश्चित करना; और
4. परिवारों के शैक्षिक और आर्थिक स्तर में तुरन्त और सतत् सुधार।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन के बारे में नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रारूप का अंग है। सरकार जनसंख्या नीति के प्रारूप को शीघ्र ही संसद के समक्ष लाने की आशा रखती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

2354. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी०वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

2355. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में गत छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान श्रेणी-वार अलग-अलग कितने सरकारी क्वार्टरों का निर्माण क्या गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : दिल्ली/नई दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक छठी, सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय अवधियों तथा सातवीं एवं आठवीं योजनाओं के दौरान 1990-92 की अवधि के दौरान बनाए गए सरकारी क्वार्टरों के श्रेणीवार विवरण नीचे दिए गए हैं :—

योजना	क	ख	ग	I	II	III	IV	V	V विशेष	होस्टल	कुल
छठीं योजना (80-85)	523	2471	6262	—	22	398	123	48	—	—	9847
सातवीं योजना (85-90)	498	1172	2529	—	293	1370	128	102	28	384	6504
90-92	—	—	—	—	—	—	256	21	—	—	277
आठवीं योजना (92-97)	—	—	—	—	—	135	112	—	—	—	247

अवैध परिवर्धन

2356. **श्री आई०डी० स्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी०डी०ए० सील्स फ्लैट इन वसंत कुंज फॉर इल्लीगल एडिशंस बट बाक्स ऐट ऐक्रुअली कैरीइंग आउट आर्डर्स ऐज हाउस बोलांग्स टु टॉप ब्यूरोक्रैट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा लिए गये एक निर्णय के अनुसार ब्लाक सी-4 में बने भवनों में दो मंजिलों से अधिक निर्माण कार्य नहीं हो सकता क्योंकि यह क्षेत्र एअर फनेल के अंतर्गत आता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी भवनों को गिराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ग) जी हां। जैसा कि डी०डी०ए० द्वारा बताया गया है, 5 मामलों में आवंटन रद्द कर दिया गया है। ऐसी ही कार्रवाई अवैध अतिरिक्त निर्माण के अन्य मामलों में की जा रही है।

(ख) जी, हां।

[हिन्दी]

नए विद्युत संयंत्र

2357. **श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और ज्यादा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क), (ख) और (ग) IXवीं योजनावधि में कैगा-1 और 2 (2x220 मेगावाट) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 (2x220 मेगावाट) की चल रही परियोजनाओं को पूरा करने और चालू किए जाने के अलावा परमाणु विद्युत विकास के प्रस्तावों में तारापुर (महाराष्ट्र) में 500 मेगावाट की दो यूनिटों, कैगा (कर्नाटक) में 220 मेगावाट की दो यूनिटों पर काम शुरू किए जाने के अतिरिक्त रूसी परिसंघ की सहायता से कुडानकुलम (तमिलनाडु) में 1000 मेगावाट के हल्का पानी रिएक्टरों की दो यूनिटों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को कमीशन किया जाना और इस योजना के अंत तक 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ का विकास

2358. **श्री सत्य पाल जैन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य-क्षेत्र चंडीगढ़ के विकास के संदर्भ में मार्ग-दर्शन देने के लिए कोई समन्वय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना, इसके निदेश पदों और समिति के उद्देश्य क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) समन्वय समिति की संरचना इस प्रकार है :—

1.	सचिव शहरी विकास विभाग, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार	—	अध्यक्ष
2.	जी०ओ०सी० II कोर, रक्षा मंत्रालय	—	सदस्य
3.	प्रशासक के परामर्शदाता, चण्डीगढ़	—	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	—	सदस्य
5.	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार	—	सदस्य

विचारार्थ विषय :

(क) चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश तथा मोहाली और पंचकुला नगर क्षेत्रों की विकास योजनाओं का अध्ययन करना तथा इस क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;

(ख) इन दोनों नगर क्षेत्रों से पहले से कार्यान्वित किए गए तथा लागू किए जा रहे विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का समग्र रूप से क्षेत्र के विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेश द्वारा किए जाने वाले उपचारी उपायों का सुझाव देना; तथा

(ग) चण्डीगढ़ व इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले शहरी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा तैयार करना।

लक्ष्य

चण्डीगढ़ के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के लिए चण्डीगढ़ व उसके आस-पास विकसित हो रहे शहरों के विकास का दिशानिर्देशन व समन्वयन।

उत्तर प्रदेश की लंबित योजना

2359. **डा० बलिराम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अनेक मंजूर की गयी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में से कुछ धनराशि अभी भी जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इसके द्वारा मंजूर योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि जारी कराने हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (घ) वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को ब्लॉक अनुदानों और ब्लॉक ऋणों के रूप में समेकित रूप में प्रदान की जाती है जिसे, राज्य की वार्षिक योजना को वित्तपोषित करने के लिए, किसी स्कीम/सैक्टर/कार्यक्रम आदि से सम्बद्ध नहीं किया जाता है बदले में, राज्य सरकार विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को निधियां प्रदान करती है।

जहां तक वित्त मंत्रालय से राज्य की वार्षिक योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने का संबंध है, 1995-96 के लिए 4027.40 करोड़ रुपये के संशोधित योजना परिव्यय के स्थान पर राज्य सरकार ने कुल व्यय 4260.50 करोड़ रुपये सूचित किया था। परन्तु निर्दिष्ट योजनाओं के संबंध में व्यय में 193.40 करोड़ रुपये की कमी हुई थी, जिसके कारण 72.20 करोड़ रुपये की अनुपातिक कटौती की गई थी।

वार्षिक योजना 1996-97 के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष से संबंधित 5281.74 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय के स्थान पर पूरा व्यय (प्रथम 9 मास के लिए वास्तविक और अंतिम 3 मास के लिए प्रत्याशित) सूचित किया था। अत: कोई कटौती नहीं की गई थी। तथापि, राज्य को वर्ष 1996-97 के लिए वास्तविक व्यय की आपूर्ति अभी की जानी है।

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र का विकास

2360. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई/निर्णय लिया गया;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम राजस्थान के पिछड़े/मरू क्षेत्र के विकास के लिए अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जारी की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 सिंचाई योजनाएं, अर्थात् मेजा मॉडर्नाइजेशन और मेजा फीडर प्रोजेक्ट, जिनकी अनुमानित लागत 31.62 करोड़ रुपये और नर्मदा नहर परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 467.53 करोड़ रुपये है। राजस्थान राज्य के लिए अनुमोदित की गई थी।

(ख) और (ग) पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों और मरू क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशिष्ट स्कीमें/परियोजनाएं नहीं हैं। तथापि, स्थान अवस्थिति और कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर सिंचाई योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों ओर कुछ मामलों में मरू क्षेत्रों, दोनों को लाभान्वित करती हैं। 1996-97 संबंधी केन्द्रीय बजट में, चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) भी घोषित किया गया था। ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के ब्यौरे, लिए गए निर्णय, संस्वीकृत तथा निर्मुक्त धनराशि का उल्लेख अनुबंध में संलग्न है। इसके अलावा, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 1997 तक 5 विकास केन्द्र भी अनुमोदित किये जा चुके हैं। इन विकास केन्द्रों के संबंध में भी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सिंचाई क्षेत्र के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपये)

		1994-95	1995-96	1996-97
1.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	271.84	328.00	301.65
2.	लघु सिंचाई	46.06	48.95	42.81
3.	कमाण्ड क्षेत्र विकास	81.49	93.81	98.60
4.	बाढ़ नियंत्रण	6.99	8.65	11.35
	जोड़	406.38	439.41	454.41

विवरण

सिंचाई और सी०ए०डी० (करोड़ रुपये)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत	केन्द्रीय सहायता जारी की गई
1.	इंदिरा गांधी नहर	संस्वीकृत नहीं	—
2.	जाखन	"	—
3.	माही	"	—
4.	गम्भीरी	"	—
5.	जैसमन्द	1.85	0.925
6.	छप्पी	3.50	1.750
7.	सावन भादों	संस्वीकृत नहीं	—
8.	परवान लिफ्ट	"	—
9.	गंग नहर	"	—
	जोड़	5.35	2.675

परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना में बाहर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जारी की गई राशि: इंदिरा गांधी नहर परियोजना	जारी की गई राशि: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य परियोजनाएं
1994-95	60.00	20.44
1995-96	60.00	25.63
1996-97	60.00	25.63

उद्योग एवं खनिज

राजस्थान में विकास केन्द्र

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	जिले का नाम	स्थिति	जारी की गई निधियां: पिछले 3 वर्षों के दौरान	जारी की गई निधियां: जारी की गई कुल राशि
1.	आबू रोड	अनुमोदित	8.00	10.00
2.	बीकानेर	अनुमोदित	1.00	3.00
3.	धौलपुर	अनुमोदित	2.00	2.50
4.	झालावाड़	अनुमोदित	2.50	3.00
5.	भीलवाड़ा	मुल्यांकन के अधीन	—	0.50

[हिन्दी]

जन्म दर

2361. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और जन्म दर में कितनी गिरावट आई है;

(ख) क्या इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों से सहयोग मांगा जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान इनको अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई बाह्य सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा बाह्य सहायता के स्रोत क्या हैं तथा इस सहायता राशि का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश की दस वर्षों में होने वाली जनगणना में अन्य बातों के साथ-साथ जन्म दर का भी आकलन किया गया। जन्म दर में वार्षिक परिवर्तन इतने कम हैं इनका वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता। देश में वर्ष 1951 में जन्म दर का आकलन 39.9 किया गया जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार घटकर 32.5 हो गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान परिवार कल्याण के कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं जो अपने प्रभाव प्रमुख परिवार कल्याण सूचकों पर दिखाएंगे जिनका 2001 की जनणगना के दौरान आकलन किया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य सहायता अवसंरचना सामग्री और मानव संसाधन विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों मुख्य रूप से विश्वबैंक, यू०एस०एफ०पी०ए०, यूनीसैफ, यू०एस० एंड डब्ल्यू०एच०ओ०, ओ०डी०ए०, डानिडा और नोराड से प्राप्त हुई है।

विश्व बैंक, यूनीसैफ, डानिडा और डोडीए द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के लिए हैं। इन परियोजनाओं में शामिल मदें वैक्सीन, कोल्ड चेन उपस्कर, चिकित्सा उपस्कर, औषध किटें और प्रशिक्षण आदि जैसे प्रचालन कार्यकलाप हैं। यू०एस०एड० से प्राप्त सहायता में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के सर्वेक्षण/अनुसंधान को सुदृढ़ करना और उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं में नए कार्यकलाप करना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव प्रजनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे अनेक संस्थाओं/सहयोगी केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। यू०एन०एफ० पी०ए० से प्राप्त सहायता का उपयोग मुख्य रूप से चुने हुए राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाओं और जनसंख्या शिक्षा परियोजनाओं के लिए हैं।

केन्द्रीय भण्डार

2362. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विशेषकर दिल्ली के केन्द्रीय भण्डारों में उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुएं घटिया हैं और उनमें वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्यों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार की सभी शाखाओं में उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) केन्द्रीय भंडार द्वारा डिब्बा बंद (पैक) की जाने वाली सभी वस्तुएं पूर्व परीक्षण किए जाने के बाद ही, बिक्री के लिए भेजी जाती हैं। वस्तुएं स्टोर से यकायक उठाकर भी जांची-परखी जाती हैं। केन्द्रीय भंडार का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग भी बेची गई वस्तुओं के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करता है। इस प्रकार, यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्रीय भंडार घटिया वस्तुएं बेचता है।

जहां तक कीमतों का संबंध है, केन्द्रीय भंडार अपना ऊपरी खर्च पूरा करने के लिए वस्तुओं की कीमतें थोड़ी सी बढ़ाता है। इसलिए इसकी कीमतें सामान्यत: बाजार में प्रचलित कीमतों से कम होती हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडार को गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतें/सुझावों की संख्या निम्नानुसार रही है:—

वर्ष	संख्या
1994-96	26
1995-96	23
1996-97	5

उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय भंडार में कीमतों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न के ''भाग (क)'' के उत्तर में दर्शाए गए, केन्द्रीय भण्डार द्वारा उठाए गए कदम उसकी विभिन्न शाखाओं में बिक्री के लिए उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता और उनकी कीमतों पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।

[अनुवाद]

''लोकसेल गामा नाईफ''

2363. **श्री के०सी० कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में खोपड़ी को खोले बगैर मस्तिष्क संबंधी शल्यक्रिया किये जाने हेतु ''लोकसेल गामा नाईफ'' स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गामा नाईफ का मूल्य क्या है;

(ग) ''निम्हांस'' (एन०आई०एम०एच०ए०एन०एस०) बंगलौर में प्रतिवर्ष औसतन कितनी मस्तिष्क संबंधी शल्यक्रिया की जाती हैं; और

(घ) क्या निम्हांस (एन०आई०एम०एच०ए०एन०एस०) बंगलौर हेतु लोक सेल गामा नाईफ प्राप्त किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) लोकसेल गामा चाकू का मूल्य 12.64 करोड़ है।

(ग) निम्हांस, बैंगलूर में प्रतिवर्ष औसतन 1500 मस्तिष्क के शल्य चिकित्सीय आपरेशन किए जाते हैं।

(घ) संस्थान ने 9वीं पंचवर्षीय योजना में लोकसेल गामा चाकू की आवश्यकता बताई है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य मेला

2364. श्रीमती कमल रानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान कितने स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मेले आयोजित किए गए;

(ग) इनमें से कितने मेले सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पृथक पृथक आयोजित किए गए और ये मेले कहां-कहां आयोजित किए गए;

(घ) उत्तर प्रदेश में मेले आयोजित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे मेले आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(च) 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय चिकित्सा संघ (दो) रोटरी/लायन्स क्लब (तीन) भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा कितने मेले आयोजित किए गए और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने के लिए 1287 स्वास्थ्य मेलों की मंजूरी दी गई।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश में ही दाहागांव, ककराला (बदायूं), हरदोई, किरंदुअल वाला, गुमानी वाला, त्यूनी (देहरादून), कादरचौक (बदायूं) और सुल्तानपुर के माध्यम से 31,42,170 रु० के व्यय पर आठ स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष से भारतीय चिकित्सा संघ, रोटरी लायन्स क्लब और जिला रेडक्रास सोसायटी की जिला शाखाओं द्वारा हो मेलों का आयोजन किया जाना है।

इन मेलों का आयोजन जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. से कम की दूरी पर किया जाएगा अर्थात मेले की आदर्श स्थल निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का परिसर होगा जहां शल्य चिकित्सा, नैदानिक प्रक्रियाएं, प्रयोगशाला परीक्षण आदि आसानी से किए जा सकते हैं अथवा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ये ग्रामीण अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ताल्लुक अस्पताल/खंड स्तर के अस्पताल आदि भी हो सकते हैं।

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान इन अभिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी स्वास्थ्य मेले का आयोजन नहीं किया गया।

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरे

2365. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 11 मई, 1997 को श्रीलंका के नौ-सैनिकों द्वारा भारतीय मछलीमार नौका पर गोली बारी करके दो भारतीय मछुआरों को मार गिराने की दुखद घटना पर गंभीर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका सरकार द्वारा अपनी समुद्री सीमा में इस घटना के होने की स्वीकारोक्ति कर लिए जाने के बाद ही उनके समक्ष चिन्ता जताई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या श्रीलंका सरकार से किसी मुआवजे की मांग की गई है और यदि हां तो उन्होंने किस सीमा तक सहमति व्यक्त की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। 11 मई, 1997 को भारतीय जलयान पर गोली बारी की घटना, जिसमें दो मछुआरों की मृत्यु हो गई थी, कि रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद और श्रीलंका की सरकार द्वारा घटना की पुष्टि किए जाने से पहले ही श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने घटना के संबंध में श्रीलंका की सरकार को भारत सरकार की चिन्ता से अवगत करा दिया था।

(ग) और (घ) सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका की सरकार ने इस घटना की विस्तृत जांच की। इस जांच के बाद कोलम्बो स्थित हमारे उच्चायोग के माध्यम से यह सूचित किया गया कि मछली मारने वाली नौका पर तभी गोलीबारी की गई जब वह थमन्ना-नेवल बेस पर पहुँची तथा उसने चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दिया। श्रीलंका की सरकार द्वारा बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने किसी मुआवजे की मांग नहीं की है।

आपरेशन उपरांत नेत्र संक्रमण

2366. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केन्द्र में कुछ रोगी आपरेशन के पश्चात् नेत्र संक्रमण के कारण नेत्रहीन हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1995 में 11 रोगियों, जिनमें आपरेशन के पश्चात् संक्रमण हो गया, में से 8 रोगियों के संक्रमण को नियंत्रित कर लिया गया था। 3 रोगियों में संक्रमण को नियंत्रित नहीं किया जा सका और दृष्टि को बहाल नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) इस मामले की पूर्णतया जांच कर ली गई है। तथापि, संक्रमण के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। समग्र संक्रमण-रोधी उपायों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2367. श्री पवन दीवान :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अंतर्गत धनराशि के उपयोग में अनियमिततओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग में कथित अनयमितताओं से संबंधित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। जब भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई तब उस राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

विकास योजना की निगरानी

2368. श्री जी० वेंकट स्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शहरी और ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) पंचायतों के संबंध में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और नगर पालिकाओं के संबंध में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा पंचायतों/नगर पालिकाओं को ऐसे अधिकार और प्राधिकार सौंप सकता है जो उन्हें स्व: शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के वास्ते समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हों और ऐसे कानून में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में और आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के संबध में जो उन्हें सौंपी जायं, जिनमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान अधिनियम 1992 की 12वीं अनुसूची में क्रमश: उपयुक्त स्तर पर पंचायतों/नगरपालिकाओं को अधिकारों और जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए प्रावधान किया जाए। पंचायतों/नगरपालिकाओं के गठन में राज्य के विधान मंडल द्वारा कानून के अंतर्गत हाउस ऑफ द पिपिल के सदस्यों, राज्य की विधान सभा के सदस्यों, राज्यों की परिषद के सदस्यों और राज्य की विधायी परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधत्व की व्यवस्था की जा सकती है।

बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

2369. डा० कृपासिंधु भाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम-86 के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन एक निरंतर चलती रहने वाली गतिविधि है। राज्यों का श्रेणीकरण जो चुनिंदा मासिक प्रबोधित मदों के निष्पादन के आधार पर किया गया है, विवरण के रूप में संलग्न है। आठवीं योजना अवधि के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम-86 के कार्यान्वयन में मासिक आधार पर प्रबोधित मदों के संदर्भ में हुई प्रगति का विवरण 1992-93 और 1996-97 की अवधि से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम-86 को वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। ऐसे प्रकाशित दस्तावेज संसद पुस्तकालय में नियमित रूप से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के लिये बी०यू०का० '86 के निष्पादन के संबंध में राज्यों का श्रेणीकरण

क्र० सं०	राज्य/संघ	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
1.	आंध्र प्रदेश	1	6	8	4	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	23	15	16	9
3.	असम	22	22	20	23	25
4.	बिहार	14	19	21	21	26
5.	दिल्ली	-	-	-	20	24
6.	गोवा	16	18	18	24	21
7.	गुजरात	3	2	5	8	1
8.	हरियाणा	11	16	15	17	20
9.	हिमाचल प्रदेश	13	11	9	11	1
10.	जम्मू-कश्मीर	25	25	23	14	19
11.	कर्नाटक	8	8	10	17	7
12.	केरल	20	2	7	13	14
13.	मध्य प्रदेश	9	4	5	10	9
14.	महाराष्ट्र	16	10	3	7	14
15.	मणिपुर	23	21	22	25	23
16.	मेघालय	21	20	24	26	16
17.	मिजोरम	9	13	12	12	16
18.	नागालैण्ड	24	24	25	27	27
19.	उड़ीसा	12	8	11	4	11
20.	पांडिचेरी	-	-	-	8	13
21.	पंजाब	6	12	17	19	12
22.	राजस्थान	1	4	4	4	3
23.	सिक्किम	6	14	12	3	5
24.	तमिलनाडु	3	1	1	1	4
25.	त्रिपुरा	15	14	19	14	16
26.	उत्तर प्रदेश	5	7	2	1	6
27.	पश्चिम बंगाल	19	17	14	21	22

* 1995-96 से दिल्ली और पांडिचेरी का भी श्रेणी-निर्धारण किया जा रहा है।

एक्युपंक्चर प्रणाली

2370. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) एक्युपंक्चर को मान्यता प्रदान करने के बहुत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार ने वैकल्पिक चिकित्साओं से सम्बन्धित विषयों पर जिनमें एक्यूपंक्चर भी शामिल है, विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण की रोस्टर प्रणाली

2371. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण दर्शाने वाला रोस्टर कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजातियों के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों से वंचित कर दिया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा रोस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाइ किए जाने का विचार है जिन्होंने उनके मंत्रालय में आरक्षण नीति को लागू नहीं किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे जो रहे हैं।

(ख) जी नहीं। रिक्तियों की गणना के लिए माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय सं० ओ०ए०सं० 405/96 में दिनांक 5 जून, 1996 को इस मंत्रालय को दिए गए निर्देश के अधीन कार्मिक विभाग द्वारा जारी संबंधित दिशा निर्देशों का विदेश मंत्रालय पालन कर रहा है।

(ग) सम्पर्क अधिकारी समय-समय पर रोस्टरों की जांच करते हैं परन्तु उन पर उसके हस्ताक्षर के लिए जोर नहीं दिया गया है। तथापि अगले उपाय के रूप में भविष्य में हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाएगा। रोस्टर देखने के इच्छुक कर्मचारी इन को देख सकते हैं।

(घ) आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के अनुपालन न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यदि इसमें कोई ढिलाई बरती जाएगी, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय

2372. **श्री जय सिंह चौहान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व-स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है और इनमें भारत की क्या भूमिका है;

(ख) परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में गर्भपात कराने वाली महिलाओं और गर्भनिरोधकों का उपयोग करने वाले दम्पतियों की संख्या क्या है;

(ग) वर्तमान प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम पैकेज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भ्रूण हत्या की घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जनसंख्या और विकास पर 1994 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद से कई राष्ट्रीय सरकारों ने इस सम्मेलन में अपनाई गई कार्रवाई योजना को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति की सूचना दी है। भारत ने कार्रवाई योजना के अनुसार अपने परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए "प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य" नीति अपनाई है।

(ख) वर्ष 1995-96 में 5.66 लाख महिलाओं द्वारा चिकित्सीय गर्भसमापन कराए जाने की सूचना मिली है। वर्ष 1996-97 में दम्पती सुरक्षा दर 45.4 प्रतिशत थी।

(ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों में मृत्यु और रुग्णता में कमी लाने के लिए विभिन्न राज्यों और जिलों में विशिष्ट कार्यनीति अपनाई गई है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सारे देश के लिए समान कार्यकलापों और चुने हुए राज्यों/जिलों के लिए अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, जिला और शहर विशेष के लिए परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय क्षमता में वृद्धि भी की गई है।

(घ) यद्यपि देश में बालिका भ्रूणहत्या की आशंका व्यक्त करने वाले विवरण प्राय: आते रहते है, पर ये विवरण विशिष्ट उल्लेख के बिना होते हैं। लेकिन विशिष्ट शिकायतें अथवा तथ्य व्यक्तियों अथवा एजेंसियों द्वारा अपने आप नहीं दिए जाते। प्रसवपूर्व निदान तकनीकी (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 में भ्रूण के लिंग का पता लगाने मनाही है और यह पहली जनवरी, 1996 से लागू है।

[अनुवाद]

श्रम न्यायालय

2373. **श्री भक्त चरण दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली में कुछ नए श्रम न्यायालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है 1987 से लंबित मामलों के शीघ्र-निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने उन औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह श्रम न्यायालय (सी०जी०आई०टी०-सह-एल०सी०) की स्थापना की है जिनके लिए

वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार हैं जबकि इस समय दिल्ली में और के०स०औ०अ०-सह-श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, 1982 से मध्य 1997 के दौरान लम्बित औद्योगिक विवादों और आवेदन पत्रों की संख्या क्रमश: 754 और 415 की। निपटान में तेजी लाने के लिए लम्बी अवधि से लम्बित मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है और अल्प अन्तराल पर सुनवाई निर्धारित की जा रही हैं।

कम्प्यूटर डिजाइन यूनिट्स

2374. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा में भुवेनश्वर में एक कम्प्यूटर डिजाइन एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एकक कब तक काम करना शुरू करेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रम्मण्यन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति

2375. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 25 मई, 1997 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' गवर्नमेंट नॉट टू पुट पेंशनर्स प्राइवेट मेडिकल बिल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पेंशन भोगियों के निजी मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं करने संबंधी भेदभाव बरतने का क्या औचित्य है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) पेंशन भोगियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को रेफर करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ की प्रारम्भिक सलाह के बाद, ऐसे उपचार के लिए एक ''अनुमति पत्र'' संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाता है।

चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ की सलाह लेने से पहले ही) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी को उसके विवरण दर्ज करने के बाद सीधे मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में अगले प्रबंधन/उपचार के लिए भेज सकता है।

समय-समय पर प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय, पैकेज डील दरों/सरकार द्वारा अनुमोदित दरों तक सीमित होता है।

[हिन्दी]

म्यामांर द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र

2376. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''म्यामांर'' ने मणिपुर के कुछ गांवों से होकर जाने वाली एक सड़क का निर्माण किया है;

(ख) क्या इस सड़क के निर्माण से भारत के कुछ क्षेत्र म्यांमार में आ गये हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) म्यांमार द्वारा मणिपुर के गांवों से गुजरने वाली किसी सड़क के निर्माण करने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में भविष्य निधि की चूककर्ता कंपनियां

2377. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या *क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,* उत्तर प्रदेश ने कर्मचारी भविष्य निधि के अनेक चूककर्ताओं का पता लगाया है और उनमें से अधिकांश आगरा, लखनऊ और कानपुर में निर्यात व्यवसाय घरानों से हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने इन चूककताओं की एक व्यापक सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चूककताओं के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में अनेक क०भ०नि० चूककर्ता हैं जिनमें से कुछ नियति व्यापार घरानों से संबंध रखते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं और यथा समय सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) चूककर्ता प्रतिष्ठानों के पास बकाया राशियों की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7अ, 8, 14 आदि के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन में साफ्टवेयर का अपनाया जाना

2378. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री येल्लैया नंदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर अपनाए जाने के लिए सभी राज्य और केन्द्र सरकार के संगठनों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के बारे में कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) जी, हां। 1986 में, सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों को निदेश जारी किये थे कि वे प्रशासन और अपने कार्य के अन्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर अपनाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के "निकनेट" का प्रयोग करें। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने प्रशासन और दैनिक प्रचालन के अन्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर अपनाने हेतु "निकनेट" का प्रयोग करने के लिये सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उद्घाटित किये जा रहे इलेक्ट्रानिकी शासन-तंत्र के उभरते हुये प्रतिमान का उल्लेख किया गया है तथा पायलेट परियोजनाएं शुरू करने के लिये कुछ क्षेत्रों, इन्टरनेट अनुप्रयोगों तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को अभिव्यक्त किया गया है जिससे सरकार के साथ अधिक सुविधाजनक और जन मैत्री संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का उत्थान

2379. श्री एन०जे० राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2005 ई० तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी गरीब लोगों का उत्थान करने का कोई लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुमानित लोगों की तथा विशेषरूप से गुजरात में संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) वर्ष वार कितने गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) सरकार ने प्रमुख नीति संबंधी मामलों के बारे में अपने सामान्य दृष्टिकोण में तथा एक न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया है कि गरीबी-रोधी कार्यक्रमों को इस प्रकार से फिर से तैयार किया जाएगा कि अधिक रोजगार का सृजन, परिसंपत्तियों का निर्माण, उत्पादक कौशल प्रदान करना और अत्यंत गरीब लोगों की आय बढ़ाना सुनिश्चित हो सके ताकि पर्याप्त संख्या में लोगों को प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके और सन 2005 तक गरीबी को समाप्त किया जा सके।

(ख) योजना आयोग गरीबी के भार का अनुमान पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों और उपभोक्ता खर्च से लगता है। उपलब्ध नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1993-94 में 320.37 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अनुमान है कि गुजरात में 1993-94 में 10.52 मिलियन लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। गुजरात में 1993-94 में अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 32.26% है और शहरी क्षेत्रों में 44.99 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच यह ग्रामीण क्षेत्रों में 31.20 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 35.47 प्रतिशत है।

(ग) गरीबी रेखा से ऊपर उठाये जाने वाले गरीब लोगों की संख्या के संबंध में लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं

2380. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषरूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कोई व्यापक योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लागू होने के बाद से प्रत्येक राज्य में, विशेषरूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए ऐसी कोई योजना शुरू करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कश्मीर-मुद्दा

2381. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री गत माह मास्को के अपनी दौरे के दौरान भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर चल रही बातचीत में मार्गदर्शन करने के लिए रूस से आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां। ऐसी खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गत माह अपनी रूस यात्रा के समापन के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते समय जम्मू और कश्मीर के मसले का शान्तिपूर्ण ढंग से हल निकालने के लिए रूस से मदद, मार्गदर्शन तथा निर्देशन देने की मांग की थी।

(ख) सरकार की यह अटल नीति रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मसले द्विपक्षीय तरीके से हल किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार से किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। भारत की सिद्धांतगत स्थिति को रूस सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन मिला है।

[हिन्दी]

कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास

2382. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद कितने कश्मीरी पंडितों और अन्य बेघर हुए लोगों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1997 अंत तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादियों ने पुनर्वास किए गए लोगों पर हमले किए हैं;

(घ) यदि हां, तो आतंकवादियों के हमलों में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आतंकवादियों के अत्याचारों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) राज्य में नई सरकार द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने के बाद कोई भी कश्मीरी प्रवासी परिवार कश्मीर घाटी में वापिस नहीं गया है।

(ख) राज्य सरकार कश्मीरी प्रवासियों को अपने मूल देश में वापिस भेजने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है और उन्होंने सूचित किया है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि इस समस्या का राजनीतिक-आर्थिक आधार पर समाधान किया जाना है। इस प्लान को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न उठेगा।

(ग) से (च) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड

2383. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लैटेक्स लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भण्डार में जमाव के क्या कारण है; और

(ग) उक्त उपक्रम के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां, केवल वर्ष 1995-96 को छोड़कर।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि 31.3.96 की स्थिति के अनुसार उनके पास कण्डोम के 94.57 मिलियन नग का स्टाक शेष था जबकि 562.82 मिलियन नग कण्डोम की बिक्री हुई तथा कापर-टी के 2.06 मिलियन नग शेष थे जबकि 1.97 मिलियन नग कापर-टी की बिक्री हुई।

(ग) कम्पनी परिवार कल्याण में सरकार को अपनी बिक्री संपूरित करने के लिए ब्रांड नाम वाले कण्डोम और मुख सेव्य गोलियों के सीधे विपणन को सुदृढ़ करने और विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं। सरकारी खरीदों में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को अवश्य ही बहुत से निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता करनी होती है इसलिए कम्पनी कुल सरकारी अधिप्राप्ति की आंशिक आपूर्ति के आदेश ही प्राप्त होने की आशा कर सकती है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार

2384. **श्री सोहनवीर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रोजगार के लिए प्रयास करने संबंधी जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो रोजगार मुहैया कराते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में चल रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराते हैं, वे हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम। शहरी क्षेत्रों में, दो गरीबी उन्मूलन स्कीमें प्रचालन में हैं नामत: नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसके द्वारा भी रोजगार मुहैया कराए जाते हैं। प्रधान मंत्री की रोज़गार योजना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु एक केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

नौंवी योजना दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास की प्रक्रिया में सृजित होंगे।

[अनुवाद]

अस्पतालों में सफाई

2385. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में केवल कर्मचारियों और चिकित्सकों के लिए बने शौचालयों की ही नियमित रूप से सफाई की जाती है और रोगियों के लिए बने शौचालयों की उपेक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अस्पतालों के शौचालयों की सफाई के संबंध में और सफाई सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में आकस्मिक जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बार आकस्मिक जांच की गई है और क्या कमियां पाई गई हैं तथा कमियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों तथा डाक्टरों

और रोगियों के लिए बने शौचालयों की नियमित रूप से सफाई की जाती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अस्पतालों में जन-स्वास्थ्य तथा सफाई बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों के प्रमुखों द्वारा स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी केन्द्र सरकार के अस्पतालो के कार्यकरण जिसमें सफाई प्रबंध शामिल है, देखने के लिए अचानक दौरा करते हैं।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

2386. श्री विजय गोयल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा काल में मृत्यु होने वाले सरकारी सेवा के आश्रितों को तत्काल नियुक्ति नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन नियमों में छूट दिए जाने का विचार है ताकि ऐसे, परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) से (घ) किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने के प्रयोजन से नियुक्ति-प्राधिकारी को दिवंगत कर्मचारी के परिवार की वित्तीय परिस्थिति का जायजा लेना होता है। यदि यह कायम हो जाए कि उसके लिए रोजगार का प्रावधान किए बिना वह आर्थिक संकट का सामना नहीं कर पाएगा तो परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी दे दी जाती है। ऐसी नियुक्तियां करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के आवेदक को न केवल भर्ती-नियमों के अनुरूप पात्र होना चाहिए बल्कि उसे सभी प्रकार से पद के लिए उपयुक्त भी होना चाहिए। फिर भी, सबसे निचले पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, आपवादिक परिस्थितियों में, शैक्षिक अर्हताओं में अस्थायी तौर पर दो वर्ष के लिए ढील दी जा सकती है। अनुकम्पा के आधार पर समूह "घ" पद पर नियुक्त होने वाली विधवा स्त्री को शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि वह पद से जुड़े कार्य संतोषजनक ढंग से कर सके। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त विधवा को फिर से अपना विवाह कर लेने के पश्चात् भी सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त योजना की शर्तों के अनुसार, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, उस संगठन के अलावा किसी अन्य संगठन में भी की जा सकती है, जहां दिवंगत व्यक्ति कार्यरत था। इस प्रकार, यह योजना, इतनी लचीली, सहानुभूतिपूर्ण और अनुकूल है कि इसमें और अधिक ढील दी जानी अनावश्यक है।

परमाणु ऊर्जा द्वारा उठाया गया घाटा

2387. श्री वी०ए० चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग को 2300 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए "क्रिटिकल" तथा "लांग डिलीवरी आईटेम्स" की पहले से खरीद करने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच करवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) 500 मेगावाट के 6 यूनिटों और 220 मेगावाट के 4 यूनिटों के लिए क्रान्तिक किस्म के और लम्बे समय में प्राप्त होने वाले उपस्करों और संघटकों को अग्रिम रूप से प्राप्त करने का काम सन् 2000 ईस्वी एक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के प्रस्ताव के एक भाग के रूप में सम्यक अनुमोदन लेकर शुरू किया गया था। यह कार्य गेस्टेशन अवधि को कम करके शीघ्रता से इन परियोजनाओं को पूरा कर सकने के लिए किया गया था। इस सँबंधी में सामग्री/उपस्करों की अग्रिम रूप से प्राप्ति किए जाने के परिणाम-स्वरूप वित्तीय हानि नहीं होगी क्योंकि ब्याज और परीरक्षण प्रभार को ध्यान में रखने के बाद भी मूल्य-वृद्धि, विदेशी-मुद्रा की विनिमय दरों में विभिन्नता, रुपए के अवमूल्यन आदि को देखते हुए इन उपस्करों और सामग्री की लागत अब अधिक आएगी। वित्तीय कठिनाइयों की वजह से इनका समय से उपयोग नहीं किया जा सका। अत: इस मामले में किसी जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

2388. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्गवार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन पदों पर अन्य वर्गों के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी बकाया पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) इस समय निम्नलिखित वर्गों में अनुसूचित जनजाति के लिए सात पद रिक्त हैं :

वर्ग	पदो की संख्या
वर्ग 'ख'	2
वर्ग 'ग'	5

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इन सात रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

फ्रांसीसी वैज्ञानिकों से सहायता

2389. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री भक्त चरण दास :
श्री बी०एल० शंकर :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एड्स के बारे में अनुसंधान के विभिन्न विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों की मदद करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है और भारतीय प्राधिकारियों के साथ चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो इस चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) "एड्स" के नियंत्रण के लिए सरकार का विचार कितनी फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया और 11.7.1997 को इस विषय पर विचार विमर्श किया।

(ग) फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रसवकालीन संचरण, आणविक विविधता, आनुवंशिक कारक, जीव विज्ञानीय और इम्यूनोलाजिकल मानीटरिंग और एच०आई०वी० संक्रमण में मुकोसिलइम्यूनिरी के बारे में अनुसंधान के क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(घ) सहयोग के तौर-तरीकों पर दोनों देशों के वैज्ञानिकों की एक कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जायेगा जिसे जनवरी, 1998 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

शहरी बेरोजगार युवा

2390. श्री दत्ता मेघे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में शहरी बेरोजगार युवाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) महाराष्ट्र में रोजगार चाहने वालों की संख्या (जो सभी रोजगार कार्यालयों के प्रचलित रजिस्टरों के अनुसार जरूरी तौर पर बेरोजगार नहीं हैं) वर्ष 1991 के अंत में तथा 1996 के अंत में क्रमश 31.6 लाख और 38.2 लाख थी। इनमें 6.6 लाख की वृद्धि हुई है।

(ख) यह मंत्रालय शहरी रोजगार के लिये दो केन्द्रीय योजनाएं अर्थात् नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में नेहरू रोजगार योजना, स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार सुलभ कराने के लिये अक्टूबर, 1989 में आरम्भ की गयी थी। प्रधान मंत्री की शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें स्वरोजगार का एक घटक है, समूचे देश में नवंबर, 1995 में शुरू की गई।

(ग) नेहरू रोजगार योजना : वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र हेतु प्रावधान 869.23 लाख रु० प्रधान मंत्री का शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम: वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र हेतु प्रावधान 721.08 लाख रुपये।

[अनुवाद]

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय/अस्पताल

2391. श्री सत्य पाल जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत अस्पताल अथवा औषधालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों अथवा अस्पतालों को खोलने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे सभी नगरों में के०स०स्वा० से योजना के अंतर्गत औषधालय/अस्पताल खोले गए हैं जो ऐसे औषधालयों के लिए अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने अब तक सेवारत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलूर, जयपुर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम शहरों में औषधालय खोले हैं। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसुति और स्त्री रोग विज्ञान अस्पताल तथा आयुर्वैदिक अस्पताल केवल, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदंडों की व्यवहार्यता, अपेक्षा, अनुपालन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथमतः राज्य की राजधानियों तक बढ़ाया जायेगा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कवरेज के लिए चंडीगढ़ शहर को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्र की घोषणा

2392. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को पिछड़े

क्षेत्र घोषित करने और उनके विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों/जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवानूर) : (क) से (ङ) जी नहीं, कृषि क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। योजना आयोग ने उनके बीच पिछड़े के रूप में किसी क्षेत्र का अभिनिर्धारण नहीं किया है। तथापि केन्द्रीय सरकार की राज्यों में सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले में पिछड़ेपन के लिए भारांश प्रदान करके संसाधनों के अन्तरण की प्रक्रिया और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातिय उप योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा योजना-भिन्न निधियों का आवंटन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जो राज्य के सापेक्ष विकास को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति में एकक प्रणाली

2393. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूर्ण सुविधायुक्त डिस्पैंसरियों के स्थान पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एकक प्रणाली शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एकक प्रणाली इसके लाभार्थियों, चिकित्सकीय और अर्द्ध चिकित्सकीय व्यक्तियों के लिए लाभदायक/औचित्यपूर्ण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इन एककों का दर्जा बढ़ाने के लिए उचित कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) लाभभोगियों की औसत उपस्थिति के आधार पर औषधालयों और इकाईयों के लिए कर्मचारी स्वीकृत करने के विशिष्ट मानक निर्धारित हैं। तदनुसार, लाभभोगियों की उपस्थिति के सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिकतर स्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की इकाईयां स्थापित की गई हैं।

यह इकाईयां लाभार्थियों की आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करती हैं और इन इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गए उपचार में गुणवत्तापरक कोई अन्तर नहीं किया जाता है।

वास्को-डि-गामा के भारत आगमन की 500वीं वर्षगांठ

2394. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुर्तगाल वास्को-डि-गामा के भारत आगमन की 500वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाने की व्यवस्था कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उपरोक्त समारोह में शामिल होने के लिए पुर्तगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और गोवा तथा केरल के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा

2395. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाल किले के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को इसके वर्तमान स्थान सुभाष पार्क, दरियागंज से हटाकर लाल किले के सामने पुन: स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

2396. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री दिनांक 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2777 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए पत्रों के उत्तर स्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को संघ-राज्य-क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का घरेलू नौकर रखा जाना निषिद्ध करने के उद्देश्य से, एक नियम शामिल किए जाने के बारे में राष्ट्रीय मानव-अधिकार-आयोग द्वारा की गई सिफारिश विचाराधीन है। केन्द्र-सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से परामर्श नहीं किया है।

[हिन्दी]

जनसंख्या

2397. श्री जयसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पोपुलेशन रेफरेंश ब्यूरो" के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) भारत की जनसंख्या 2000 ई० तक अनुमानत: कितनी हो जाएगी;

(ग) क्या हाल की जनगणना के अनुसार विश्व में उपलब्ध सुविधाओं और जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व की जनसंख्या 1 अरब से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(घ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु विकासशील देशों में जनसंख्या विकास दर में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जनसंख्या संसाधन कार्यालय यू०एस० एड का एक संगठन है। उनसे प्राप्त की गई सूचना के अनुसार इस कार्यालय द्वारा अनुमानित 1997 में (सहज) जनसंख्या वृद्धि 1.9 प्रतिशत है।

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 2000 ईसवी तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1009 मिलियन होगी।

(ग) और (घ) अधिकतम जनसंख्या का कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिसका हमारी पृथ्वी आरामदायक जीवन की सभी आवश्यकताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते समय, भरण-पोषण कर सके क्योंकि आवश्यकताओं के स्वरूप और सीमा समय-समय पर बदलती रहती हैं और संगठनों की उत्पादकता तथा इन आवश्यकताओं को उत्पन्न करने वाली तकनीकें भी बदलती रहती हैं। तथापि जैसाकि भारत में संसाधनों और सेवाओं पर दबाव से यह बात देखी गई है, यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि भारत पहले से ही अधिक जनसंख्या वाला देश है।

जैसाकि नमूना पंजीयन प्रणाली (1995) के माध्यम से अनुमान लगाया गया है। भारत की कुल प्रजननता दर 3.5 है। स्थाई जनसंख्या के लिए प्रजननता दर 2.1 तक कम हो गई है। वस्तुत: जनसंख्या 2.1 की प्रजननता दर हो जाने के पश्चात् अगली पीढ़ी के लिए बढ़ती रहेगी क्योंकि और युवा दम्पती प्रजनन आयुवर्ग में शामिल हो जायेंगे तब वृद्धावस्था के कारण वे इस वर्ग से बाहर हो जाएगी। अत: स्थाई जन संख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रजननता-दर को 2.1 तक कम किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

मलेरिया का उन्मूलन

2398. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियों के कीटाणुओं का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत में बच्चों को पोलियो से बचाने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(घ) इस संबंध में तैयार किए गए भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान पोलियों की कारगर निगरानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोलियों निगरानी परियोजना शुरू की जा रही है।

(ग) 1995-96 और 1996-97 में पल्स पोलियों टीकाकरण के दौरान प्राप्त उपलब्धियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) तीव्र फ्लेसिड पक्षाघात की निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है। तीव्र फ्लेसिड पक्षाघात के रोगियों की निगरनी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से देश भर में निगरानी चिकित्साधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक केन्द्रीय परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

विवरण-I

पल्स पोलियो टीकाकरण—9 दिसम्बर, 1995

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-3			कवरेज 0-3			प्रतिशत	तीन वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरूणाचल प्रदेश	12	12	79580	12617	92197	82496	16377	98873	107.241	9671	108544
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	1419908	4512220	5932128	1228446	4259509	5487955	92.51242	801796	6289751
3.	असम	23	23	1903362	196894	2100256	2047535	169229	2216764	105.5473	220479	2437243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	39	39			7968000	9315000	802000	10117000	126.9704	536700	10653700
5.	चण्डीगढ़	1	1	7500	42500	50000	7277	42271	49548	99.096	5785	55333
6.	दिल्ली				1013236	1013236		1080357	1080357	106.6244	51085	1231442
7.	दा० व न० हवेली	1	1	13716		13716	17063		17063	124.4022	507	17570
8.	गोवा	2	2	45500	26000	71500	43605	24477	68082	95.21958	3788	71870
9.	गुजरात	19	19	2515810	813519	3329329	2523518	771035	3294553	98.95547	287291	3581844
10.	हरियाणा	16	16	1003268	354274	1357542	1278085	433180	1711265	126.0561	101824	1813089
11.	हिमाचल प्रदेश	12	12	346936	23447	370383	338270	24906	363176	98.05418	15715	378891
12.	जम्मू व कश्मीर	14	14			702616			84880	111.7082	91423	876303
13.	कर्नाटक	20	20	2646866	914057	3560923	2596351	819786	3416137	95.93403	183882	3600019
14.	केरल	14	14	1452921	209544	1662465	1523539	209657	1733196	104.2546	219143	1952339
15.	लक्षद्वीप	1	1	4735		4735	4602		4602	97.19113	4771	9373
16.	मेघालय	7	7	167964	24938	192902	165926	17432	183358	95.05241	22209	205567
17.	महाराष्ट्र	30	30	4537581	2349783	6887364	4464373	2182144	6646517	96.50306	442093	7088610
18.	मणिपुर	8	8	128096	17053	145149	159571	20109	179680	123.79	27225	206905
19.	मिजोरम	4	4	44539	17270	61809	46246	15569	61815	100.0097	8171	69986
20.	मध्य प्रदेश	45	45			6547450			7096178	108.3808	285317	7381495
21.	नागालैंड	7	7	80127	19438	99565	68039	17428	85467	85.84041	6371	91838
22.	उड़ीसा	30	30	2384112	303878	2687990	2376745	287630	2664375	99.12146	204589	2868964
23.	पंजाब	14	14	1332716	470522	1803238	1391563	560402	1951965	108.2478	126037	2078002
24.	पाण्डिचेरी	4	4	19443	30082	49525	20780	37492	58272	117.6618	31354	89626
25.	राजस्थान	21	21	3916679	1007759	4924438	4022625	941048	4963673	100.7967	238245	5201918
26.	सिक्किम	4	4	33057	4100	37157	36834	8292	45126	121.4468	5887	51013
27.	तमिलनाडु	23	23	2764092	922503	3686595	2677460	948479	3625939	98.35469	2502237	6128176
28.	त्रिपुरा	4	4			208603			229265	109.9049	9349	238614
29.	उत्तर प्रदेश	66	66	12270793	2162118	14432911	13347185	2457881	15805066	109.5071	1650889	17455955
30.	पश्चिम बंगाल	19	19	4808184	842452	5650636	4575138	687209	5262347	93.1284	283589	5545936
31.	अ. व नि. द्वीपसमूह	1	1			24600			23432	95.25203	1176	24608
32.	दमण व दीव	2	2			8739			8923	102.1055	234	9157
	योग	496	496	43927485	16290204	75677697	54358272	16833899	79334849	104.8325	8478832	87813681

विवरण-II

पल्स पोलियो टीकाकरण—20 जनवरी, 1996

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-3			कवरेज 0-3			प्रतिशत	तीन वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरूणाचल प्रदेश	12	12	82496	16277	98197	88366	18310	106676	108.0012	10902	117578
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	4512220	1419908	5932128	4657550	1471611	6129161	103.3215	734673	6863834
3.	असम	23	23	1912893	196894	2109787	2047535	169505	2217040	105.0836	220487	2437527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	39	39			7968000			11466000	143.9006	557000	12023000
5.	चण्डीगढ़	1	1	7500	42500	50000	8156	51983	60139	120.278	9011	69150
6.	दिल्ली			0	1081321	1081321	0	1151689	1151689	106.5076	165114	1316803
7.	दा० व न० हवेली	1	1	17063	0	17063	17812	0	17812	104.3896	209	18021
8.	गोवा	2	2	51200	23000	74200	50072	22558	72630	97.8841	4092	76722
9.	गुजरात	19	19	0	0	3670713	0	0	3715890	101.2307	151523	3867413
10.	हरियाणा	16	16	1164163	368002	1532165	1442676	431533	1874209	122.3242	99499	1973708
11.	हिमाचल प्रदेश	12	12	371698	23247	394945	363444	24938	388382	98.33825	17217	405599
12.	जम्मू व कश्मीर	14	14	0	0	729080	0	0	697131	95.6179	102479	799610
13.	कर्नाटक	20	20	2763276	1121291	3884567	2904058	1069991	3974049	102.3065	229690	4203739
14.	केरल	14	14	1444627	209544	1654171	1404699	229947	1634646	98.81965	239044	1873690
15.	लक्षद्वीप	1	1	4735	0	4735	4548	0	4548	96.05069	400	4948
16.	मेघालय	7	7	173357	26423	199780	175171	20041	195212	97.71348	20603	215815
17.	महाराष्ट्र	30	30	0	0	6776167	0	0	6865263	101.3148	415163	7280426
18.	मणिपुर	8	8	147931	17171	165102	168867	21254	190121	115.1537	26338	216459
19.	मिजोरम	4	4	44206	15716	59922	46136	15522	61658	102.8971	8461	70119
20.	मध्य प्रदेश	45	45	0	0	6547450	0	0	7470651	114.1002	192792	7663443
21.	नागालैंड	7	7	72776	22474	95250	69509	22014	91523	96.08714	6975	98498
22.	उड़ीसा	30	30	2413691	303884	2717575	2509225	321016	2830241	104.1458	261647	3091888
23.	पंजाब	15	15	1420200	553870	1974070	1480992	619830	2100822	106.4208	152285	2253107
24.	पाण्डिचेरी	4	4	19443	30962	50405	25312	37214	62526	124.0472	37004	99530
25.	राजस्थान	31	31	3916679	1007759	4924438	4236915	1026742	5263657	106.8885		5263657
26.	सिक्किम	4	4	30649	7768	38417	34966	8957	43923	114.3322	6254	50177
27.	तमिलनाडु	23	23	0	0	3589710	0	0	3844983	107.1112	2653074	6498057
28.	त्रिपुरा	4	4	216091	11710	227801	221607	12214	233821	102.6427	8918	242739
29.	उत्तर प्रदेश	66	66	12722358	2287714	15010072	14437785	2883151	17320936	115.3954	1586897	18907833
30.	पश्चिम बंगाल	19	19	4374101	1051065	5425166	4370843	933819	5304662	97.7788	238646	5543308
31.	अ. व नि. द्वीपसमूह	1	1	18110	6490	24600	17685	6377	24062	97.81301	2193	26255
32.	दमण व दीव	1	1	8923	0	8923	9428	0	9428	105.6595	465	9893
	योग	496	496	37910386	9844990	77036496	40793357	10570216	85423491	110.887	8159055	93582546

विवरण-III

पल्स पोलियो टीकाकरण—7 दिसम्बर, 1996

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-5			कवरेज 0-5			प्रतिशत	पांच वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अ. व नि. द्वीप समूह	2	2	29085	9600	38685	28525	9714	38239	98.85	1423	39662
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	6608928	2109625	8718553	7279545	2276175	9555720	109.60	228756	9784476
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	112975	23241	136216	112918	31030	143948	105.68	6014	149962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
4.	असम	23	23	2778147	299190	3077337	2607130	276719	2883849	93.71	135745	3019594
5.	बिहार	43	43	13086000	1361000	14447000	12304000	1322000	13626000	94.32	189000	13815000
6.	चण्डीगढ़	1	1	45908	44042	89950	45908	40042	89950	100.00	4247	94197
7.	दा. व ना. हवेली	1	1	23224		23224	24458		24458	105.31		24458
8.	दमण व दीव	2	2	7835	5266	13101	8304	5476	13780	105.18	64	13844
9.	दिल्ली	1	1		1867656	1867656		1867656	1867656	0.00	0	1867656
10.	गोवा	2	2	82000	39000	121000	79757	37210	116967	96.67	2236	119203
11.	गुजरात	19	19	3431462	1279354	4710816	3939816	1343126	5282942	112.14		5282942
12.	हरियाणा	17	17	2000609	572584	2573193	2160519	644147	2804666	109.00	35177	2839843
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	548267	39554	587821	583636	43482	627118	106.69	1901	629019
14.	जम्मू व कश्मीर	14	14	1010344	191581	1201925	1083889	176837	1260726	104.89	47380	1308106
15.	कर्नाटक	20	20	4082562	1872027	5954589	4147016	1857099	6004115	100.83	70790	6074905
16.	केरल	14	14	2368067	361158	2729225	2240000	347289	2587289	94.80	3496	2590785
17.	लक्षद्वीप	1	1	6820		6820	6820		6820	100.00		6820
18.	मध्य प्रदेश	45	45	8146519	1601999	9748518	8366055	1668285	10034340	102.93	81480	10115820
19.	महाराष्ट्र	29	29	7127004	2231325	9358329	6746286	2115488	8861774	94.69	141664	9003438
20.	मणिपुर	8	8	224586	34973	259559	234979	37467	272446	104.96	10572	283018
21.	मेघालय	7	7	294080	48599	342679	259394	27902	287296	83.84	11902	299198
22.	मिजोरम	4	4	67199	27803	95002	70966	25705	96671	101.76	6650	103321
23.	नागालैण्ड	7	7	152863	34736	187599	146417	33209	179626	95.75	3640	183266
24.	उड़ीसा	30	30	3751995	504203	4256198	3735697	498205	4233902	99.48	99534	4333436
25.	पाण्डिचेरी	4	4	35821	50019	85840	38370	13074	51444	59.93	6403	57847
26.	पंजाब	17	17	1804642	749914	2554556	1932438	833498	2765936	108.27	131515	2897451
27.	राजस्थान	31	31	5253684	1559442	6813126	5531804	1370902	6902706	101.31	85684	6988390
28.	सिक्किम	4	4	53731	8148	61879	59139	9248	68387	110.52	3331	71718
29.	तमिलनाडु	25	25	4774881	1470176	6245057	4531408	1670292	6201700	99.31	164520	6366220
30.	त्रिपुरा	4	4	325992		325992	305710		305710	93.78	1021	306731
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	17900307	3583162	21483469	18120842	4009419	22130261	103.01	838032	22968293
32.	पश्चिम बंगाल	19	19	7210378	1704009	8914387	6600040	1427412	8027452	90.05	149529	8176981
	योग	510	510	93345915	23683386	117029301	93331786	24022108	117353894	100.28	2461706	119815600

विवरण-IV

पल्स पोलियो टीकाकरण—18 जनवरी, 1997

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-5			कवरेज 0-5			प्रतिशत	पांच वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अ. व नि. द्वीप समूह	2	2	29085	9600	38685	28536	9941	38477	99.46	2224	40701
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	7051140	2133698	9184838	7711266	2489938	10201204	117.07	324044	10525248
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	131141	23586	154727	128038	24396	152434	98.52	6113	158547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	असम	23	23	2812736	322323	3135059	3072552	341314	3413866	108.89	180133	3593999
5.	बिहार	43	43	12929000	1361000	14290000	12798000	1296000	14094000	98.63	227000	14321000
6.	चण्डीगढ़	1	1	39359	59380	98739	41771	62957	104728	106.07	5989	110717
7.	दा. व ना. हवेली	1	1	24458		24458	25560		25560	104.51	0	25560
8.	दमण व दीव	2	2	8304	5476	13780	9053	5730	14783	107.28	62	14845
9.	दिल्ली	1	1	0	1790000	1790000	0	1933584	1933584	108.02	0	1933584
10.	गोवा	2	2	84000	40000	124000	83438	38797	122235	98.58	2121	124356
11.	गुजरात	19	19	4610764	224574	4835338	5302778	251465	5554243	114.87	0	5554243
12.	हरियाणा	17	17	2000315	570203	2570518	2279296	716278	2995574	116.54	43365	3038939
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	549554	40278	589832	607693	44688	652381	110.60	1523	653904
14.	जम्मू व कश्मीर	14	14	1022522	191274	1213796	1131397	219353	1350750	111.28	55090	1405840
15.	कर्नाटक	20	20	3959414	1804443	5763857	4250160	1988177	6238337	108.23	120659	6358996
16.	केरल	14	14	2366878	361312	2728190	2352010	382616	2734626	100.24	15721	2750347
17.	लक्षद्वीप	1	1	7018	0	7018	7036	0	7036	100.26	0	7036
18.	मध्य प्रदेश	45	45	8250632	1938743	10189375	8132095	2017966	10150061	99.61	66741	10216802
19.	महाराष्ट्र	29	29	7190953	2350713	9541666	6864485	2362058	9226543	96.70	173152	9399695
20.	मणिपुर	8	8	259709	36677	296386	281901	40376	322277	108.74	15861	338138
21.	मेघालय	7	7	297378	32973	330351	288275	27096	315371	95.47	12992	328363
22.	मिजोरम	4	4	67242	27803	95045	74575	26737	101312	106.59	7908	109220
23.	नागालैण्ड	7	7	156885	37195	194080	151174	35862	187036	96.37	3795	190831
24.	उड़ीसा	30	30	3753594	504985	4258579	3843988	524157	4368145	102.57	105506	4473651
25.	पाण्डिचेरी	4	4	35960	51431	87391	39525	70663	110188	126.09	6646	116834
26.	पंजाब	17	17	1829805	898836	2728641	2037378	992240	3029618	111.03	149023	3178641
27.	राजस्थान	31	31	5173439	1687133	6860572	5923357	1434109	7357466	107.24	88986	7446452
28.	सिक्किम	4	4	55148	8148	63296	60094	9093	69187	109.31	3611	72798
29.	तमिलनाडु	25	25	4494220	1583060	6077280	4884209	1700667	6584876	108.35	127775	6712651
30.	त्रिपुरा	4	4	315776	19078	334854	320473	20132	340605	101.72	0	340605
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	19479165	3817328	23296493	22739297	4651786	27391083	117.58	1071490	28462573
32.	पश्चिम बंगाल	19	19	7248011	1792490	9040501	6741095	1491112	8232207	91.06	121914	8354121
	योग	510	510	96233605	23723740	119957345	102210505	25209288	127419793	106.22	2939444	130359237

मेगासिटी परियोजना

2399. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से अपनी मेगासिटी परियोजना हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 50 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी मांग की है कि आठवीं योजनावधि के दौरान जारी धन में कमी को अतिरिक्त धनराशि जारी करके भरपाई की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) जी, हां। मेगासिटी स्कीम का कार्यान्वयन, शहरी विकास विभाग, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसी नोडल एजेन्सी को शहरी मामले ओर रोजगार मंत्रालय द्वारा निधियां जारी करना निम्नलिखित पर निर्भर करता है (1) पहले जारी की गई निधियों के उपयोग सहित परियोजना निष्पादन, (2) राज्य हिस्से की उपलब्धता, (3) प्रस्तावित परियोजनाओं की स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुरूपता, (4) 50% संस्थापक वित्त जुटाना, और (5) स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित नीति सुधारों की प्रगति जो संविधान (74वें) संशोधन अधिनियम द्वारा तथा परिकल्पित शहरी क्षेत्र सुधारों का आधार होगी। 9वीं योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों के समग्र आधार व अन्य ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, शहरी विकास विभाग के लिए घरेलू बजट समर्थन, मेगासिटी स्कीम के लिए आवंटन सहित, का

पूर्वानुमान 2,000 करोड़ रुपए लगाया गया है (1996-97 की कीमतों पर), जबकि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में बजट अनुमान 866.01 करोड़ रुपए हैं (1991-92 कीमतों पर)।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

2400. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की बैठक में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने यह पाया था कि नौवीं योजनावधि में राज्यों में चालू राजस्व में से बकाया लगभग 64,000 करोड़ रुपए का होगा जो आयोग में कार्यालय द्वारा लगाए गए अनुमान से कम है;

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग और वित्त मंत्रालय दोनों ने राज्यों से अपने विभागों को व्यवस्थित रखने के लिए खर्च को कम करने और संसाधन जुटाने के नए अवसरों का पता लगाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) राज्य सरकारें योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों से कहां तक सहमत हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) राज्यों के उनकी नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमानों पर योजना आयोग ने 9 जून, 1997 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। उस बैठक में आयोग ने राज्यों के नौवीं योजना संबंधी अपने संसाधनों पर विचार किया था, जिनका नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के संसाधन संबंधी कार्यदल द्वारा 1,89,612 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। आयोग न यह भी नोट किया था कि, प्रत्येक राज्य के साथ हुए परवर्ती सरकारी स्तरीय विचार-विमर्शों के आधार पर, संसाधनों के इन अनुमानों में पर्याप्त कमी आई है और वे 1,31,880 करोड़ रुपये रह गए हैं। ऐसा मुख्यत: इस कारण से हुआ था कि राजस्व में बकाया के अनुमान में लगभग 64000 करोड़ रुपये तक की तीव्र कमी आई थी। तथापि, इस कमी का अंशत: राज्यों द्वारा अनुमानित उच्चतर ऋणों के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। राज्यों पर उच्चतर संसाधन जुटाने संबंधी आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। तदुपरांत, नौवीं योजना परिव्यय को अंतिम रूप देने हेतु मुख्य मंत्रियों की उपाध्यक्ष के साथ अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के संबंध में हुई परिचर्चा के दौरान, मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के परिणाम-स्वरूप संसाधन संबंधी अनुमानों में पर्याप्त रूप से उच्च स्तरीय सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद

2401. श्री एन०जे० राठवा :
श्री काशीराम राणा :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के श्रम न्यायालयों बड़ी संख्या में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक विवादों का न्याय-निर्णयन करने के लिए 12 के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय का गठन किया है जिनके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार हैं। चंडीगढ़, जयपुर और संख्या-2 धनबाद स्थित के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय को छोड़कर सभी पीठासीन अधिकारी अपने-अपने पदों पर आसीन हैं। जबकि एक उम्मीदवार का चयन कर लेने के पश्चात, के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय संख्या-2, धनबाद के संबंध में प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए०सी०सी०) के पास पहले ही भेज दिया गया है, चंडीगढ़ और जयपुर स्थित के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाई चल रही है। पीठासीन अधिकारियों के पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाता है और पात्र न्यायिक अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करके चयन किया जाता है। इस प्रकार अ०जा०/अ०ज० जाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय राजनयिकों को प्रशिक्षण

2402. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के मिशनों में तैनात भारतीय राजनयिकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रशिक्षण से व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(ग) यह प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री का कब भेजा गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की एक सुस्थापित और नियमित प्रथा है।

(ख) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई व्यापक विषय शामिल होते हैं जिसमें व्यापार तथा पर्यटन के संवर्द्धन पर बल दिया जाता है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बसंत विहार में पांच सितारा होटल

2403. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[अनुवाद]

फ्रांसीसी वैज्ञानिकों से सहायता

2389. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री भक्त चरण दास :
श्री बी०एल० शंकर :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने एड्स के बारे में अनुसंधान के विभिन्न विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों की मदद करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है और भारतीय प्राधिकारियों के साथ चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो इस चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) "एड्स" के नियंत्रण के लिए सरकार का विचार कितनी फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया और 11.7.1997 को इस विषय पर विचार विमर्श किया।

(ग) फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रसवकालीन संचरण, आणविक विविधता, आनुवंशिक कारक, जीव विज्ञानीय और इम्यूनोलाजिकल मानीटरिंग और एच०आई०वी० संक्रमण में मुकोसिलइम्यूनिरी के बारे में अनुसंधान के क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(घ) सहयोग के तौर-तरीकों पर दोनों देशों के वैज्ञानिकों की एक कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जायेगा जिसे जनवरी, 1998 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

शहरी बेरोजगार युवा

2390. **श्री दत्ता मेघे :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में शहरी बेरोजगार युवाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) महाराष्ट्र में रोजगार चाहने वालों की संख्या (जो सभी रोजगार कार्यालयों के प्रचलित रजिस्टरों के अनुसार जरूरी तौर पर बेरोजगार नहीं हैं) वर्ष 1991 के अंत में तथा 1996 के अंत में क्रमश 31.6 लाख और 38.2 लाख थी। इनमें 6.6 लाख की वृद्धि हुई है।

(ख) यह मंत्रालय शहरी रोजगार के लिये दो केन्द्रीय योजनाएं अर्थात् नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में नेहरू रोजगार योजना, स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार सुलभ कराने के लिये अक्टूबर, 1989 में आरम्भ की गयी थी। प्रधान मंत्री की शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें स्वरोजगार का एक घटक है, समूचे देश में नवंबर, 1995 में शुरू की गई।

(ग) नेहरू रोजगार योजना : वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र हेतु प्रावधान 869.23 लाख रु० प्रधान मंत्री का शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम: वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र हेतु प्रावधान 721.08 लाख रुपये।

[अनुवाद]

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय/अस्पताल

2391. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत अस्पताल अथवा औषधालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों अथवा अस्पतालों को खोलने के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे सभी नगरों में के०स०स्वा० से योजना के अंतर्गत औषधालय/अस्पताल खोले गए हैं जो ऐसे औषधालयों के लिए अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने अब तक सेवारत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलूर, जयपुर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम शहरों में औषधालय खोले हैं। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान अस्पताल तथा आयुर्वैदिक अस्पताल केवल, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदंडों की व्यवहार्यता, अपेक्षा, अनुपालन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथमत: राज्य की राजधानियों तक बढ़ाया जायेगा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कवरेज के लिए चंडीगढ़ शहर को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्र की घोषणा

2392. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को पिछड़े

क्षेत्र घोषित करने और उनके विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों/जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) जी नहीं, कृषि क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। योजना आयोग ने उनके बीच पिछड़े के रूप में किसी क्षेत्र का अभिनिर्धारण नहीं किया है। तथापि केन्द्रीय सरकार की राज्यों में सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले में पिछड़ेपन के लिए भारांश प्रदान करके संसाधनों के अन्तरण की प्रक्रिया और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातिय उप योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा योजना-भिन्न निधियों का आवंटन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जो राज्य के सापेक्ष विकास को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति में एकक प्रणाली

2393. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूर्ण सुविधायुक्त डिस्पेंसरियों के स्थान पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एकक प्रणाली शुरू किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एकक प्रणाली इसके लाभार्थियों, चिकित्सकीय और अर्द्ध चिकित्सकीय व्यक्तियों के लिए लाभदायक/औचित्यपूर्ण नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इन एककों का दर्जा बढ़ाने के लिए उचित कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) लाभभोगियों की औसत उपस्थिति के आधार पर औषधालयों और इकाईयों के लिए कर्मचारी स्वीकृत करने के विशिष्ट मानक निर्धारित हैं। तदनुसार, लाभभोगियों की उपस्थिति के सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिकतर स्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की इकाईयां स्थापित की गई हैं।

यह इकाईयां लाभार्थियों की आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करती हैं और इन इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गए उपचार में गुणवत्तापरक कोई अन्तर नहीं किया जाता है।

वास्को-डि-गामा के भारत आगमन की 500वीं वर्षगांठ

2394. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुर्तगाल वास्को-डि-गामा के भारत आगमन की 500वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाने की व्यवस्था कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उपरोक्त समारोह में शामिल होने के लिए पुर्तगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और गोवा तथा केरल के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा

2395. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाल किले के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को इसके वर्तमान स्थान सुभाष पार्क, दरियागंज से हटाकर लाल किले के सामने पुन: स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

2396. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री दिनांक 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2777 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए पत्रों के उत्तर स्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को संघ-राज्य-क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों की आचरण-नियमावली में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का घरेलू नौकर रखा जाना निषिद्ध करने के उद्देश्य से, एक नियम शामिल किए जाने के बारे में राष्ट्रीय मानव-अधिकार-आयोग द्वारा की गई सिफारिश विचाराधीन है। केन्द्र-सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से परामर्श नहीं किया है।

[हिन्दी]

जनसंख्या

2397. श्री जयसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पोपुलेशन रेफरेंश ब्यूरो" के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) भारत की जनसंख्या 2000 ई० तक अनुमानतः कितनी हो जाएगी;

(ग) क्या हाल का जनगणना के अनुसार विश्व में उपलब्ध सुविधाओं और जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व की जनसंख्या 1 अरब से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(घ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु विकासशील देशों में जनसंख्या विकास दर में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जनसंख्या संसाधन कार्यालय यू०एस० एड का एक संगठन है। उनसे प्राप्त की गई सूचना के अनुसार इस कार्यालय द्वारा अनुमानित 1997 में (सहज) जनसंख्या वृद्धि 1.9 प्रतिशत है।

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी दल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार 2000 ईसवी तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1009 मिलियन होगी।

(ग) और (घ) अधिकतम जनसंख्या का कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिसका हमारी पृथ्वी आरामदायक जीवन की सभी आवश्यकताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते समय, भरण-पोषण कर सके क्योंकि आवश्यकताओं के स्वरूप और सीमा समय-समय पर बदलती रहती हैं और संगठनों की उत्पादकता तथा इन आवश्यकताओं को उत्पन्न करने वाली तकनीकें भी बदलती रहती हैं। तथापि जैसाकि भारत में संसाधनों और सेवाओं पर दबाव से यह बात देखी गई है, यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि भारत पहले से ही अधिक जनसंख्या वाला देश है।

जैसाकि नमूना पंजीयन प्रणाली (1995) के माध्यम से अनुमान लगाया गया है। भारत की कुल प्रजननता दर 3.5 है। स्थाई जनसंख्या के लिए प्रजननता दर 2.1 तक कम हो गई है। वस्तुतः जनसंख्या 2.1 की प्रजननता दर हो जाने के पश्चात् अगली पीढ़ी के लिए बढ़ती रहेगी क्योंकि और युवा दम्पती प्रजनन आयुवर्ग में शामिल हो जायेंगे तब वृद्धावस्था के कारण वे इस वर्ग से बाहर हो जाएगी। अतः स्थाई जन संख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रजननता-दर को 2.1 तक कम किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

मलेरिया का उन्मूलन

2398. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियों के कीटाणुओं का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत में बच्चों को पोलियो से बचाने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(घ) इस संबंध में तैयार किए गए भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान पोलियों की कारगर निगरानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोलियों निगरानी परियोजना शुरू की जा रही है।

(ग) 1995-96 और 1996-97 में पल्स पोलियों टीकाकरण के दौरान प्राप्त उपलब्धियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) तीव्र फ्लेसिड पक्षाघात की निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है। तीव्र फ्लेसिड पक्षाघात के रोगियों की निगरनी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से देश भर में निगरानी चिकित्साधिकारियों का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक केन्द्रीय परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

विवरण-I

पल्स पोलियो टीकाकरण—9 दिसम्बर, 1995

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-3			कवरेज 0-3			प्रतिशत	तीन वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरूणाचल प्रदेश	12	12	79580	12617	92197	82496	16377	98873	107.241	9671	108544
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	1419908	4512220	5932128	1228446	4259509	5487955	92.51242	801796	6289751
3.	असम	23	23	1903362	196894	2100256	2047535	169229	2216764	105.5473	220479	2437243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	39	39			7968000	9315000	802000	10117000	126.9704	536700	10653700
5.	चण्डीगढ़	1	1	7500	42500	50000	7277	42271	49548	99.096	5785	55333
6.	दिल्ली				1013236	1013236		1080357	1080357	106.6244	51085	1231442
7.	दा० व न० हवेली	1	1	13716		13716	17063		17063	124.4022	507	17570
8.	गोवा	2	2	45500	26000	71500	43605	24477	68082	95.21958	3788	71870
9.	गुजरात	19	19	2515810	813519	3329329	2523518	771035	3294553	98.95547	287291	3581844
10.	हरियाणा	16	16	1003268	354274	1357542	1278085	433180	1711265	126.0561	101824	1813089
11.	हिमाचल प्रदेश	12	12	346936	23447	370383	338270	24906	363176	98.05418	15715	378891
12.	जम्मू व कश्मीर	14	14			702616			84880	111.7082	91423	876303
13.	कर्नाटक	20	20	2646866	914057	3560923	2596351	819786	3416137	95.93403	183882	3600019
14.	केरल	14	14	1452921	209544	1662465	1523539	209657	1733196	104.2546	219143	1952339
15.	लक्षद्वीप	1	1	4735		4735	4602		4602	97.19113	4771	9373
16.	मेघालय	7	7	167964	24938	192902	165926	17432	183358	95.05241	22209	205567
17.	महाराष्ट्र	30	30	4537581	2349783	6887364	4464373	2182144	6646517	96.50306	442093	7088610
18.	मणिपुर	8	8	128096	17053	145149	159571	20109	179680	123.79	27225	206905
19.	मिज़ोरम	4	4	44539	17270	61809	46246	15569	61815	100.0097	8171	69986
20.	मध्य प्रदेश	45	45			6547450			7096178	108.3808	285317	7381495
21.	नागालैंड	7	7	80127	19438	99565	68039	17428	85467	85.84041	6371	91838
22.	उड़ीसा	30	30	2384112	303878	2687990	2376745	287630	2664375	99.12146	204589	2868964
23.	पंजाब	14	14	1332716	470522	1803238	1391563	560402	1951965	108.2478	126037	2078002
24.	पाण्डिचेरी	4	4	19443	30082	49525	20780	37492	58272	117.6618	31354	89626
25.	राजस्थान	21	21	3916679	1007759	4924438	4022625	941048	4963673	100.7967	238245	5201918
26.	सिक्किम	4	4	33057	4100	37157	36834	8292	45126	121.4468	5887	51013
27.	तमिलनाडु	23	23	2764092	922503	3686595	2677460	948479	3625939	98.35469	2502237	6128176
28.	त्रिपुरा	4	4			208603			229265	109.9049	9349	238614
29.	उत्तर प्रदेश	66	66	12270793	2162118	14432911	13347185	2457881	15805066	109.5071	1650889	17455955
30.	पश्चिम बंगाल	19	19	4808184	842452	5650636	4575138	687209	5262347	93.1284	283589	5545936
31.	अ. व नि. द्वीपसमूह	1	1			24600			23432	95.25203	1176	24608
32.	दमण व दीव	2	2			8739			8923	102.1055	234	9157
	योग	496	496	43927485	16290204	75677697	54358272	16833899	79334849	104.8325	8478832	87813681

विवरण-II

पल्स पोलियो टीकाकरण—20 जनवरी, 1996

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-3			कवरेज 0-3			प्रतिशत	तीन वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अरूणाचल प्रदेश	12	12	82496	16277	98197	88366	18310	106676	108.0012	10902	117578
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	4512220	1419908	5932128	4657550	1471611	6129161	103.3215	734673	6863834
3.	असम	23	23	1912893	196894	2109787	2047535	169505	2217040	105.0836	220487	2437527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	39	39			7968000			11466000	143.9006	557000	12023000
5.	चण्डीगढ़	1	1	7500	42500	50000	8156	51983	60139	120.278	9011	69150
6.	दिल्ली			0	1081321	1081321	0	1151689	1151689	106.5076	165114	1316803
7.	दा० व न० हवेली	1	1	17063	0	17063	17812	0	17812	104.3896	209	18021
8.	गोवा	2	2	51200	23000	74200	50072	22558	72630	97.8841	4092	76722
9.	गुजरात	19	19	0	0	3670713	0	0	3715890	101.2307	151523	3867413
10.	हरियाणा	16	16	1164163	368002	1532165	1442676	431533	1874209	122.3242	99499	1973708
11.	हिमाचल प्रदेश	12	12	371698	23247	394945	363444	24938	388382	98.33825	17217	405599
12.	जम्मू व कश्मीर	14	14	0	0	729080	0	0	697131	95.6179	102479	799610
13.	कर्नाटक	20	20	2763276	1121291	3884567	2904058	1069991	3974049	102.3065	229690	4203739
14.	केरल	14	14	1444627	209544	1654171	1404699	229947	1634646	98.81965	239044	1873690
15.	लक्षद्वीप	1	1	4735	0	4735	4548	0	4548	96.05069	400	4948
16.	मेघालय	7	7	173357	26423	199780	175171	20041	195212	97.71348	20603	215815
17.	महाराष्ट्र	30	30	0	0	6776167	0	0	6865263	101.3148	415163	7280426
18.	मणिपुर	8	8	147931	17171	165102	168867	21254	190121	115.1537	26338	216459
19.	मिजोरम	4	4	44206	15716	59922	46136	15522	61658	102.8971	8461	70119
20.	मध्य प्रदेश	45	45	0	0	6547450	0	0	7470651	114.1002	192792	7663443
21.	नागालैंड	7	7	72776	22474	95250	69509	22014	91523	96.08714	6975	98498
22.	उड़ीसा	30	30	2413691	303884	2717575	2509225	321016	2830241	104.1458	261647	3091888
23.	पंजाब	15	15	1420200	553870	1974070	1480992	619830	2100822	106.4208	152285	2253107
24.	पाण्डिचेरी	4	4	19443	30962	50405	25312	37214	62526	124.0472	37004	99530
25.	राजस्थान	31	31	3916679	1007759	4924438	4236915	1026742	5263657	106.8885		5263657
26.	सिक्किम	4	4	30649	7768	38417	34966	8957	43923	114.3322	6254	50177
27.	तमिलनाडु	23	23	0	0	3589710	0	0	3844983	107.1112	2653074	6498057
28.	त्रिपुरा	4	4	216091	11710	227801	221607	12214	233821	102.6427	8918	242739
29.	उत्तर प्रदेश	66	66	12722358	2287714	15010072	14437785	2883151	17320936	115.3954	1586897	18907833
30.	पश्चिम बंगाल	19	19	4374101	1051065	5425166	4370843	933819	5304662	97.7788	238646	5543308
31.	अ. व नि. द्वीपसमूह	1	1	18110	6490	24600	17685	6377	24062	97.81301	2193	26255
32.	दमण व दीव	1	1	8923	0	8923	9428	0	9428	105.6595	465	9893
	योग	496	496	37910386	9844990	77036496	40793357	10570216	85423491	110.887	8159055	93582546

विवरण-III

पल्स पोलियो टीकाकरण—7 दिसम्बर, 1996

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-5			कवरेज 0-5			प्रतिशत	पांच वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अ. व नि. द्वीप समूह	2	2	29085	9600	38685	28525	9714	38239	98.85	1423	39662
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	6608928	2109625	8718553	7279545	2276175	9555720	109.60	228756	9784476
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	112975	23241	136216	112918	31030	143948	105.68	6014	149962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
4.	असम	23	23	2778147	299190	3077337	2607130	276719	2883849	93.71	135745	3019594
5.	बिहार	43	43	13086000	1361000	14447000	12304000	1322000	13626000	94.32	189000	13815000
6.	चण्डीगढ़	1	1	45908	44042	89950	45908	40042	89950	100.00	4247	94197
7.	दा. व ना. हवेली	1	1	23224		23224	24458		24458	105.31		24458
8.	दमण व दीव	2	2	7835	5266	13101	8304	5476	13780	105.18	64	13844
9.	दिल्ली	1	1		1867656	1867656		1867656	1867656	0.00	0	1867656
10.	गोवा	2	2	82000	39000	121000	79757	37210	116967	96.67	2236	119203
11.	गुजरात	19	19	3431462	1279354	4710816	3939816	1343126	5282942	112.14		5282942
12.	हरियाणा	17	17	2000609	572584	2573193	2160519	644147	2804666	109.00	35177	2839843
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	548267	39554	587821	583636	43482	627118	106.69	1901	629019
14.	जम्मू व कश्मीर	14	14	1010344	191581	1201925	1083889	176837	1260726	104.89	47380	1308106
15.	कर्नाटक	20	20	4082562	1872027	5954589	4147016	1857099	6004115	100.83	70790	6074905
16.	केरल	14	14	2368067	361158	2729225	2240000	347289	2587289	94.80	3496	2590785
17.	लक्षद्वीप	1	1	6820		6820	6820		6820	100.00		6820
18.	मध्य प्रदेश	45	45	8146519	1601999	9748518	8366055	1668285	10034340	102.93	81480	10115820
19.	महाराष्ट्र	29	29	7127004	2231325	9358329	6746286	2115488	8861774	94.69	141664	9003438
20.	मणिपुर	8	8	224586	34973	259559	234979	37467	272446	104.96	10572	283018
21.	मेघालय	7	7	294080	48599	342679	259394	27902	287296	83.84	11902	299198
22.	मिजोरम	4	4	67199	27803	95002	70966	25705	96671	101.76	6650	103321
23.	नागालैण्ड	7	7	152863	34736	187599	146417	33209	179626	95.75	3640	183266
24.	उड़ीसा	30	30	3751995	504203	4256198	3735697	498205	4233902	99.48	99534	4333436
25.	पाण्डिचेरी	4	4	35821	50019	85840	38370	13074	51444	59.93	6403	57847
26.	पंजाब	17	17	1804642	749914	2554556	1932438	833498	2765936	108.27	131515	2897451
27.	राजस्थान	31	31	5253684	1559442	6813126	5531804	1370902	6902706	101.31	85684	6988390
28.	सिक्किम	4	4	53731	8148	61879	59139	9248	68387	110.52	3331	71718
29.	तमिलनाडु	25	25	4774881	1470176	6245057	4531408	1670292	6201700	99.31	164520	6366220
30.	त्रिपुरा	4	4	325992		325992	305710		305710	93.78	1021	306731
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	17900307	3583162	21483469	18120842	4009419	22130261	103.01	838032	22968293
32.	पश्चिम बंगाल	19	19	7210378	1704009	8914387	6600040	1427412	8027452	90.05	149529	8176981
	योग	510	510	93345915	23683386	117029301	93331786	24022108	117353894	100.28	2461706	119815600

विवरण-IV

पल्स पोलियो टीकाकरण—18 जनवरी, 1997

क्र० सं०	राज्य	जिले		लक्ष्य 0-5			कवरेज 0-5			प्रतिशत	पांच वर्ष से ऊपर की संख्या	कुल टीके लगाए गए
		संख्या	सूचित	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अ. व नि. द्वीप समूह	2	2	29085	9600	38685	28536	9941	38477	99.46	2224	40701
2.	आंध्र प्रदेश	23	23	7051140	2133698	9184838	7711266	2489938	10201204	117.07	324044	10525248
3.	अरूणाचल प्रदेश	13	13	131141	23586	154727	128038	24396	152434	98.52	6113	158547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	असम	23	23	2812736	322323	3135059	3072552	341314	3413866	108.89	180133	3593999
5.	बिहार	43	43	12929000	1361000	14290000	12798000	1296000	14094000	98.63	227000	14321000
6.	चण्डीगढ़	1	1	39359	59380	98739	41771	62957	104728	106.07	5989	110717
7.	दा. व ना. हवेली	1	1	24458		24458	25560		25560	104.51	0	25560
8.	दमण व दीव	2	2	8304	5476	13780	9053	5730	14783	107.28	62	14845
9.	दिल्ली	1	1	0	1790000	1790000	0	1933584	1933584	108.02	0	1933584
10.	गोवा	2	2	84000	40000	124000	83438	38797	122235	98.58	2121	124356
11.	गुजरात	19	19	4610764	224574	4835338	5302778	251465	5554243	114.87	0	5554243
12.	हरियाणा	17	17	2000315	570203	2570518	2279296	716278	2995574	116.54	43365	3038939
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	549554	40278	589832	607693	44688	652381	110.60	1523	653904
14.	जम्मू व कश्मीर	14	14	1022522	191274	1213796	1131397	219353	1350750	111.28	55090	1405840
15.	कर्नाटक	20	20	3959414	1804443	5763857	4250160	1988177	6238337	108.23	120659	6358996
16.	केरल	14	14	2366878	361312	2728190	2352010	382616	2734626	100.24	15721	2750347
17.	लक्षद्वीप	1	1	7018	0	7018	7036	0	7036	100.26	0	7036
18.	मध्य प्रदेश	45	45	8250632	1938743	10189375	8132095	2017966	10150061	99.61	66741	10216802
19.	महाराष्ट्र	29	29	7190953	2350713	9541666	6864485	2362058	9226543	96.70	173152	9399695
20.	मणिपुर	8	8	259709	36677	296386	281901	40376	322277	108.74	15861	338138
21.	मेघालय	7	7	297378	32973	330351	288275	27096	315371	95.47	12992	328363
22.	मिजोरम	4	4	67242	27803	95045	74575	26737	101312	106.59	7908	109220
23.	नागालैण्ड	7	7	156885	37195	194080	151174	35862	187036	96.37	3795	190831
24.	उड़ीसा	30	30	3753594	504985	4258579	3843988	524157	4368145	102.57	105506	4473651
25.	पाण्डिचेरी	4	4	35960	51431	87391	39525	70663	110188	126.09	6646	116834
26.	पंजाब	17	17	1829805	898836	2728641	2037378	992240	3029618	111.03	149023	3178641
27.	राजस्थान	31	31	5173439	1687133	6860572	5923357	1434109	7357466	107.24	88986	7446452
28.	सिक्किम	4	4	55148	8148	63296	60094	9093	69187	109.31	3611	72798
29.	तमिलनाडु	25	25	4494220	1583060	6077280	4884209	1700667	6584876	108.35	127775	6712651
30.	त्रिपुरा	4	4	315776	19078	334854	320473	20132	340605	101.72	0	340605
31.	उत्तर प्रदेश	68	68	19479165	3817328	23296493	22739297	4651786	27391083	117.58	1071490	28462573
32.	पश्चिम बंगाल	19	19	7248011	1792490	9040501	6741095	1491112	8232207	91.06	121914	8354121
	योग	510	510	96233605	23723740	119957345	102210505	25209288	127419793	106.22	2939444	130359237

मेगासिटी परियोजना

2399. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से अपनी मेगासिटी परियोजना हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 50 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी मांग की है कि आठवीं योजनावधि के दौरान जारी धन में कमी को अतिरिक्त धनराशि जारी करके भरपाई की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) जी, हां। मेगासिटी स्कीम का कार्यान्वयन, शहरी विकास विभाग, शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसी नोडल एजेन्सी को शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय द्वारा निधियां जारी करना निम्नलिखित पर निर्भर करता है (1) पहले जारी की गई निधियों के उपयोग सहित परियोजना निष्पादन, (2) राज्य हिस्से की उपलब्धता, (3) प्रस्तावित परियोजनाओं की स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुरूपता, (4) 50% संस्थापक वित्त जुटाना, और (5) स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित नीति सुधारों की प्रगति जो संविधान (74वें) संशोधन अधिनियम द्वारा तथा परिकल्पित शहरी क्षेत्र सुधारों का आधार होगी। 9वीं योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों के समग्र आधार व अन्य ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, शहरी विकास विभाग के लिए घरेलू बजट समर्थन, मेगासिटी स्कीम के लिए आवंटन सहित, का

पूर्वानुमान 2,000 करोड़ रुपए लगाया गया है (1996-97 की कीमतों पर), जबकि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में बजट अनुमान 866.01 करोड़ रुपए हैं (1991-92 कीमतों पर)।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

2400. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की बैठक में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने यह पाया था कि नौवीं योजनावधि में राज्यों में चालू राजस्व में से बकाया लगभग 64,000 करोड़ रुपए का होगा जो आयोग में कार्यालय द्वारा लगाए गए अनुमान से कम है;

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग और वित्त मंत्रालय दोनों ने राज्यों से अपने विभागों को व्यवस्थित रखने के लिए खर्च को कम करने और संसाधन जुटाने के नए अवसरों का पता लगाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) राज्य सरकारें योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों से कहां तक सहमत हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ङ) राज्यों के उनकी नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमानों पर योजना आयोग ने 9 जून, 1997 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। उस बैठक में आयोग ने राज्यों के नौंवीं योजना संबंधी अपने संसाधनों पर विचार किया था, जिनका नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के संसाधन संबंधी कार्यदल द्वारा 1,89,612 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। आयोग न यह भी नोट किया था कि, प्रत्येक राज्य के साथ हुए परवर्ती सरकारी स्तरीय विचार-विमर्शों के आधार पर, संसाधनों के इन अनुमानों में पर्याप्त कमी आई है और ये 1,31,880 करोड़ रुपये रह गए हैं। ऐसा मुख्यत: इस कारण से हुआ था कि राजस्व में बकाया के अनुमान में लगभग 64000 करोड़ रुपये तक की तीव्र कमी आई थी। तथापि, इस कमी का अंशत: राज्यों द्वारा अनुमानित उच्चतर ऋणों के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। राज्यों पर उच्चतर संसाधन जुटाने संबंधी आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। तद्उपरांत, नौंवीं योजना परिव्यय को अंतिम रूप देने हेतु मुख्य मंत्रियों की उपाध्यक्ष के साथ अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के संबंध में हुई परिचर्चा के दौरान, मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के परिणाम-स्वरूप संसाधन संबंधी अनुमानों में पर्याप्त रूप से उच्च स्तरीय सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों क रिक्त पद

2401. **श्री एन०जे० राठवा** :
श्री काशीराम राणा :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के श्रम न्यायालयों बड़ी संख्या में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ये पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक विवादों का न्याय-निर्णयन करने के लिए 12 के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय का गठन किया है जिनके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार हैं। चंडीगढ़, जयपुर और संख्या-2 धनबाद स्थित के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय को छोड़कर सभी पीठासीन अधिकारी अपने-अपने पदों पर आसीन हैं। जबकि एक उम्मीदवार का चयन कर लेने के पश्चात, के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालय संख्या-2, धनबाद के संबंध में प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए०सी०सी०) के पास पहले ही भेज दिया गया है, चंडीगढ़ और जयपुर स्थित के०स०औ०अ०—सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई चल रही है। पीठासीन अधिकारियों के पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाता है और पात्र न्यायिक अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करके चयन किया जाता है। इस प्रकार अ०जा०/अ०ज० जाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय राजनयिकों को प्रशिक्षण

2402. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के मिशनों में तैनात भारतीय राजनयिकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रशिक्षण से व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(ग) यह प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री का कब भेजा गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की एक सुस्थापित और नियमित प्रथा है।

(ख) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई व्यापक विषय शामिल होते हैं जिसमें व्यापार तथा पर्यटन के संवर्द्धन पर बल दिया जाता है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वसंत विहार में पांच सितारा होटल

2403. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) रूस से आयुर्विज्ञान की स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रों की शिकायतों की जांच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : महोदय, भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए रूस जाते हैं। रूस की टी.वी.आर. अकादमी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। उस अकादमी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में यह सहमति हुई थी कि जो मेडिकल ग्रेजुएट पांच वर्ष का मेडिकल कोर्स रूस से करके आएंगे वे यहां एक वर्ष की इन्टर्नशिप के बाद अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह क्रम वर्ष 1996 तक चलता रहा। अब जनवरी, 1997 से इन्टर्नशिप के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी सहमति नहीं दे रही है, जिससे जो छात्र पांच वर्ष का मेडिकल कोर्स पहले की भांति करके आते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अब उनकी टीचिंग ट्रेनिंग एक वर्ष अधिक बढ़ा दी है। इस तरह से जो मेडिकल छात्र सात साल में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं वह आठ साल बाद प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। जब कि भारतवर्ष का मेडिकल ग्रेजुएट साढ़े पांच वर्ष बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। यह उन मेडिकल (स्नातक) छात्रों के साथ समुचित न्याय नहीं है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पहले की भांति पांच साल का मेडिकल कोर्स करने के बाद एक वर्ष की इन्टर्नशिप करने की मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दिलाने का निर्देश दें।

(दो) दिल्ली में रेलवे कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक—दिल्ली) : राजधानी दिल्ली में जो रेलवे आवास कालोनियां हैं, उनमें जरूरी नागरिक मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। इन रेलवे आवासों में न तो सड़कें हैं, न सीवर हैं, न बिजली की सुविधा है और न ही पीने के पानी का समुचित प्रबंध है। इन जरूरी नागरिक मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां के आवास आवंटियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन रेलवे आवासों की स्थिति बहुत ही जीर्ण-शीर्ण है और इनके रख-रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन रेलवे आवास कालोनियों में भारी गंदगी फैली हुई है, जिसका यहां के आवास आवंटियों के स्वास्थ्य पर कु-प्रभाव पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप डेंगू महामारी में यहां रहने वाले बहुत से लोग मृत्यु का शिकार हो गए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली में स्थित रेलवे आवास कालोनियों में जरूरी नागरिक मूलभूत बुनियादी सुविधाएं अर्थात सीवर, बिजली, सड़क, पीने का पानी और वहां पर सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए अविलम्ब कदम उठाएं तथा इन रेलवे आवासों के रख-रखाव के लिए कोई एक निगरानी समिति का गठन किया जाए तथा जो रेलवे आवास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच गये है, उनकी मरम्मत के लिए भी पर्याप्त मात्रा में धन का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

(तीन) उड़ीसा राज्य सरकार के सोनपुर जिले के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, उड़ीसा के ढेंकानाल जिला, अगुल जिला तथा सोनपुर जिले के महाराजपुर उपखंड पानी की कमी वाले क्षेत्र है, जहां सामान्य दिनों में भी पानी की कमी रहती है सूखे, बाढ़ तथा चक्रवात ताकि पिछले साढ़े तीन दशकों से निरन्तर आ रहे हैं, के दौरान स्थिति बहुत बिगड़ जाती है।

पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए तथा पानी की कमी की समस्या दूर करने के लिए, आवास एवं शहरी विकास विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदुषित ब्राह्मणी नदी बेसिन के 161 गांवों सहित तालचेर, अंगुल, मेहरामुंडली ढेंकानाल, जिला मुख्यालय नगर, भवन एनएसी क्षेत्रों के लिए तथा इससे जिसमें 139.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत 2.5 लाख लोगों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने जून, 1995 में शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, तथा 23 फरवरी, 1996 को जापान के ओ.ई.सी.एफ. फैक्ट फाइन्डिग मिशन से चर्चा करने के बाद परियोजना में संशोधन किया।

उड़ीसा सरकार ने भी वर्द्धित शहरी जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत कामारव्या नगर, अंगुल और आथमालिटिक एन.ए.सी. में जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए, प्रस्ताव भेजा है। जिनकी लागत क्रमश: 2.37 करोड़ रु०; 1.93 करोड़ रु० और 1.93 करोड़ रु० होगी।

अब मैं भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह काफी समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों की परेशानी को कम करने के लिए निर्माण कार्य को शुरू कर शीघ्रता से पूरा करें। चालू वित्त वर्ष के दौरान उन पेय-जल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन किया जाए।

(चार) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार आश्वासन और साक्षरता योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितताओं की जांच कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार राज्य के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा चल रहे साक्षरता योजना, श्रमिक सुनिश्चित रोजगार योजना का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। साक्षरता का प्रचार-प्रसार एवं कार्य पर दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है। लेकिन वास्तव में इस दिशा में अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। मेरे क्षेत्र में उग्रवादी संगठन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में विकास कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। लेकिन केन्द्र का जो धन गया है उसका भी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दोनों योजनाओं में हुए खर्च की सतर्कता विभाग से जांच कराया जाये तथा इन योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वयन के लिए कारगर उपाय किये जाएं।

(पांच) मध्य प्रदेश में सतना शहर को विमान सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का सतना जिला वर्तमान समय में औद्योगिक इकाइयों का केन्द्र बन चुका है। एशिया महाद्वीप में सीमेंट उत्पादन का काम जिस पैमाने में इस क्षेत्र में होता है अन्यत्र कहीं नहीं होता। वहां सीमेंट के अलावा चूना, गेरू रामरज का भी काफी पैमाने पर निर्यात होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से उद्योग स्थापित करने के दृष्टिकोण को लेकर बाहर से काफी पैमाने पर लोगों का आना-जाना बना रहता है लेकिन सतना शहर को वायु सेवा से नहीं जोड़ा गया है जो कि अति आवश्यक है। कुछ वर्षो पहले वहां पर वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध थी लेकिन उस समय औद्योगिक प्रगति अच्छी नहीं थी इसके कारण यात्री मिल नहीं पाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं।

[श्री सुख लाल कुशवाहा]

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सतना को अति शीघ्र वायु सेवा से जोड़ कर औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करें।

(छ:) मण्डला मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंडला (मध्य प्रदेश) में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं अधिवासी उपयोजना के द्वारा (विशेष केन्द्रीय सहायता) काफी समय से निर्माण कार्य संचालित है जिनके माध्यम से अनेक विभागीय निर्माण कार्य जिले में किए गए हैं। वहां पर लाखों मजदूरों को मजदूरी के बदले खाद्यान्न की पर्चियां दी गई लेकिन लगभग एक वर्ष से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई लेकिन फिर भी गरीब आदिवासी जिला मंडला के मजदूरों को मजदूरी खाद्यान्न पर्चियों का भुगतान नहीं किया गया।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आदिवासी मजदूरों को जो अनाज की पर्चियां मजदूरी के बदले दी गई, वह उसका भुगतान या तो पैसे में कराए या खाद्यान्न उपलब्ध कराए।

अपराह्न 12.18 बजे

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री उत्तर दें !

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया तथा काफी संख्या में उपयोगी सुझाव दिए, का आभारी हूं। मेरा उत्तर बहुत ही संक्षिप्त होगा, क्योंकि इस विधेयक का प्रयोजन बहुत ही सीमित है।

जैसा कि आप जानते है कि बीमा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में मल्होत्रा समिति ने काफी विस्तृत रिर्पोट दी है जहां तक इस विधेयक का संबंध है हम सभी प्रतिवेदन के अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं, जिसका शीर्षक 'बीमा व्यवसाय का विनियमन' है। अध्याय 12 में बीमा उद्योग की पुर्न:सरचना पर विचार किया गया है, कुछ अन्य अध्याय भी है जिनमें बीमा उद्योग के अन्य पहलूओं पर विचार किया गया है। मल्होत्रा समिति ने अपने प्रतिवेदन में बीमा व्यवसाय के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कहा है जिसकी मैं कुछ पक्तियां पढ़ना चाहूंगा :-

> "बीमा उद्योग एक बहुत बड़ा व्यवसाय हैं और यह कुछ समय में बहुत सी धनराशि सृजित करता है। इन धनराशियों का निवेश सावधानीपूर्वक करना होता है जिसके तीन लक्ष्य होते हैं से अधिकतम लाभ सुरक्षा तथा उपलभ्यता जाने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि बीमा व्यवसाय को शुरू करने वाले पर्याप्त रूप से व्यवसायिक क्षमता तथा वित्तीय सम्पन्नता वाले हों। अत: बीमाकर्त्ता हर जगह किसी न किसी तरह राज्य के नियंत्रणधीन है जिसका लक्ष्य है कि व्यवसाय ठीक ढंग से चले और सक्षम व्यक्ति उसे चलाये। बीमाकर्त्ताओं को कोई अनुचित हानि नहीं कि जिससे वे दिवालिया हो जाये तथा जो अतंत: बीमा कराने वाले लोगों के विधिक हितों की सुरक्षा करता हो।"

सभी विनियामक व्यवस्थाएं प्रणालियों को बनाने का प्रयास करती है। जिनमें बीमा संस्थानों जिनमें कुप्रबधन तथा दिवालिए बीमाधारी बन रही है के बारे में सही समय पर खतरे का संकेत मिल जाता है। ताकि सही समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। तत्पश्चात इस देश के बीमा विनियमन के इतिहास को देखने के बाद वर्ष 1912 के भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1938 का बीमा अधिनियम, रिपोर्ट के अंत में कहा गया है कि बीमा नियन्त्रक कार्यालय के सृजन का उल्लेख करते हुए और कार्यालय किस तरह घट गया।

> "नियन्त्रक कार्यालय हर तरह से संकुचित होने लगा। अब नियन्त्रक तथा सहायक नियन्त्रक वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग के अंग है तथा वह विधि के अनुसार कुछ अवशिष्ट कार्य करते हैं जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है इन विकास से कुछ कार्यात्मक विसंगतियां पैदा हो गयी। बीमा नियन्त्रक की शक्तियां तथा स्थिति में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारी कमी आई तथापि, कि राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र विशेषरूप से व्यय, ग्राहक सेवा, दावा निपटान, विवादों के समाधान टैरिफ का औचित्य तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित संचालनों में व्यावसायिक विनियमों की जरूरत है।"

जहां तक वर्तमान तथा भविष्यगत परिदृश्यों का संबंध है समिति का विचार है कि बीमा नियन्त्रक कार्यालय को इसकी पूर्ण सांविधिक शक्तियों के साथ पुन: दी जानी चाहिए तथा उच्च प्राथमिकता के देते हुए इसे वित्त मंत्रालय से अलग किया जाए तथा बाद में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की तरह बहु-सदस्यीय सांविधिक निकाय के रूप में बीमा विनियामक प्राधिकरण के रूप में स्थापना की जाए।

बीमा विनियामक प्राधिकरण के एक पूर्णकालिक चेयरमैन, है बी०वि०प्रा० को कार्य करने की पूरी स्वायत्तता दी जानी चाहिए, तथा इसे अपने कार्यों को स्वंतत्र ढंग से निभाने की संचालनात्मक छूट भी मिलनी चाहिए।

इस विधेयक से कि हम बीमा विनियामक प्राधिकरण को बहुसदस्यीय सांविधिक निकाय बना रहे है। इस विधेयक का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से और किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करनी है। वास्तव में, इस विधेयक के द्वारा किसी अन्य प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। विधेयक में ऐसे कुछ अच्छे प्रावधान है जिन पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। पहले, विधेयक के खंड 13(1) में लिखा है :

> "इस अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के तथा इस समय लागू अन्य विधि के अध्यधीन प्राधिकरण का कर्त्तव्य बीमा व्यवसाय को विनियमित करना, बढ़ाना तथा सही तरह से उसका विकास करना होगा।"

इसलिए यह अधिनियम, अन्य किसी विधि के अध्यधीन है इसको खंड 26 के द्वारा बल मिलना है जिसमें लिखा है कि :

> "इस अधिनियम के उपबंध इस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि बाधवकारी अत: यह विधि किसी अन्य विधि का उल्लंघन नहीं करती है इसलिए इसे विधेयक के खंड 26 के साथ पठित खंड 13 इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि यह विधि किसी अन्य विधि के विरुद्ध नहीं है।"

यदि बीमा से संबंधित कोई अन्य विधि है तो वह विधि लागू रहेगी।

मैं सदन का ध्यान पिछले दो अधिनियमों के दो विशिष्ट प्रावधानों की ओर आकर्षित करूंगा। एक जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 30 है जिसमें लिखा है :

> "निगम को इस अधिनियम में जैसा आवंटित है के सिवाय भारत में जीवन बीमा कारबार करने का एकमात्र विशेषाधिकार होगा।"

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 30 को छूने या बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। इसी प्रकार जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 कहती है :

"निगम और अर्जक कम्पनियों को इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है के सिवाय भारत में साधारण बीमा कारबार करने का एकमात्र विशेषधिकार होगा।"

इस विधेयक के द्वारा जीवन बीमा निगम की धारा 24 को छूने या बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अत: यह विधेयक किसी भी प्रकार से भी जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 या जीवन बीमा निगम की धारा 30 की अवहेलना नहीं करता। अत:, इस संबंध में कोई भी आशंका होना अनुचित है।

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) **:** विभिन्न कम्पनियों के बीच 46 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं उठाए गए मुद्दे से परिचित हूं।

अत:, कुछ व्यक्त की गई आशंकाएं—कि जीवन बीमा निगम अथवा साधारण बीमा निगम के निजीकरण का फैसला किया गया है या संपूर्ण क्षेत्र को निजी बीमाकत्ताओं, घरेलू अथवा विदेशी, के लिए खोलने का फैसला किया गया है—मेरे विचार में अनुचित, असामयिक है और इस विधेयक पर सदन में विचार करते समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

अत: मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य चूंकि केवल एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना है, इस उद्देश्य के संबंध में ही विधेयक के गुणों और दोषों पर चर्चा की जानी चाहिए और इसी उद्देश्य के मद्देनजर बिल पर मतदान होना चाहिए।

महोदय, मैं एक मिली जुली सरकार का मंत्री हूं जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम से बंधी हुई है। मुझे यह घोषणा करते हुए कोई हिचक नहीं है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करना मेरा कर्तव्य है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट कहा गया है कि बीमा व्यवसाय का पुनर्गठन किया जाएगा, कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के लिए यहां स्थान है, कि बैंकिंग व्यवसाय के अनुभव को बीमा व्यवसाय के पुर्नगठन में इस्तेमाल किया जाएगा और कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहेंगे और उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या श्री निर्मल कान्ति चटर्जी इससे सहमत हैं ?

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : पुनगर्ठन तो निजी क्षेत्र का भी किया जा सकता है।

श्री पी० चिदम्बरम : न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने में मैंने समय-समय पर कुछ उद्घोषणाएं की है। एक उद्घोषणा, मैंने इस सरकार के बहुत ही प्रारंभिक दिनों में ही की थी कि हम असांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण को बहु-सदस्यीय सांविधिक निकाय बनाने के लिए एक विधेयक लाएंगे। यह वही वायदा है जो इस विधेयक के द्वारा लागू किया जा रहा है।

यद्यपि मैं इस सदन का ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित करना चाहूंगा कि इस वर्ष 28 फरवरी को बजट भाषण में मैंने अपने कैबिनेट के साथियों की सहमति से सरकारी नीति की घोषणा की थी कि बीमा उद्योग का पुनर्गठन किया जाएगा।

महोदय, मुझे दो बाते स्पष्ट करने दीजिए। मैं सरकार से आम सहमति के बगैर कुछ नहीं कर सकता हूं और इस सदन की सहमति के बगैर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा इरादा है बीमा व्यवसाय का पुनर्गठन करना है मैंने इसकी रूप रेखा दी है और क्या पुनर्गठन किया जाएगा यह मैंने बजट भाषण में स्पष्ट कर दिया था। यह मेरे लिए बहुत आवश्यक नहीं है कि मैं उसके प्रत्येक पहलू को पुन: दुहराऊं। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं की गई थी और मेरा विश्वास है कि इस सदन ने कोई कटौती प्रस्ताव तो प्रस्तुत किए और नहीं पारित किए, कि इस सदन ने पुनर्गठन के निर्देश का विस्तृत समर्थन करते हुए अनुपूरक विधेयक तथा वित्तविधेयक का अनुमोदन कर दिया।

यह संभव है कि कुछ सदस्यों को बीमा व्यवसाय के पुनर्गठन के बारे में व्यक्तिगत रूप से आपत्ति हो परंतु, जब व्यक्ति सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हो, जैसा कि सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है, अत: यदि मैं यह कहूं कि बीमा व्यवसाय के पुर्नगठन की आवश्यकता नहीं है अथवा कि इसे रोका जाना चाहिए अथवा ठहरना चाहिए अथवा पीछे हटना चाहिए, ऐसा मेरे लिए ठीक नहीं होगा।

श्री बी०के० गढ़वी (बांसकण्ठा) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे पूरा करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए, आप उसके बाद पूछ सकते हैं।

श्री बी०के० गढ़वी : क्या माननीय मंत्री उत्तर देने से बचना चाहते हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं, मैं अपनी विचार श्रृंखला में हस्तक्षेप नहीं चाहता हूं। माननीय सदस्य फिर बोल सकते हैं। मैं कुछ देर बाद मौका दूंगा।

अत: इन सुधारों को जारी रखने में मैं हमेशा सरकार के अन्दर आम सहमति बनाने के बाद तथा इस सदन की सहमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करूंगा।

यदि किसी निर्णय विशेष पर सरकार में आम सहमति नहीं है तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। यदि मेरे पास इस सदन की सहमति नहीं है तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। इसकी रूपरेखा स्पष्ट है और इसके लिए आवश्यक है कि बीमा व्यवसाय की पुनर्गठन किया जाए। यह कैसे किया जाये, यह कब किया जाय यह तो सरकार के समय-समय पर किए गए निर्णयों, इस सदन में समय-समय पर पेश किए गए विधेयकों और समय-समय पर सदन का समर्थन हासिल करने पर निर्भर करेगा।

आज, इस विधेयक में नहीं उठे मुद्दों पर आशंका व्यक्त करने के बारे में, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यह कुछ असमय लगता है और मैं इन आशंकाओं को दूर करना चाहता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से अपने बजट भाषण के पैरा 47 से 52 पढ़ने के लिए एक बार फिर आग्रह करूंगा जिसमें सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया गया है। यदि मुझे इस सदन का समर्थन मिलता रहा तो हम इस सदन की सहमति प्राप्त करने के बाद तथा इस संबंध में उचित विधेयक लाने के बाद इन नीतियों को समय-समय पर लागू करेंगे। तब तक हम पिछली सरकार द्वारा बहुत पहले दिए गए तथा वर्तमान सरकार द्वारा दुहराए गए वचन को लागू करने का कार्य कर रहे हैं कि बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक सांविधिक विनियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा और इस संबंध में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताये गये हैं।

महोदय, विदेशी बीमाकर्त्ताओं को संपर्क कार्यालयों को खोलने की अनुमति

[श्री पी० चिदम्बरम]

देने की नीति पिछली सरकार की है। उन्हें संपर्क कार्यालयों के खोलने की अनुमति दी गई है। मैंने इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि हमने उस नीति को जारी रखना है। उन्हें कोई व्यावसायिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। उन्हें कोई धनराशि इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें भारत तथा उनके संबंधित देशों के बीच संचार माध्यम के रूप में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। यह नीति 1995 की है और हमने उस नीति को जारी रखना है। परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, उनमें से किसी को भी कोई व्यावसायिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी गई है; तथा वास्तव में उनमें से किसी को भी व्यावसायिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि संसद की पहले से ही बने का के प्रति निष्ठा है।

मैंने आपका ध्यान साधारण बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 तथा जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 30 की ओर आकर्षित किया है। दोनों प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है।

अपराह्न 12.33 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैंने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव किया था मैं 'प्रस्ताव' शब्द पर जोर दे रहा हूं, कि चुनिंदा भारतीय कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में अनुमति प्रदान करके स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को थोड़ा खोल दिया जाना चाहिए। मैंने जीवन बीमा व्यवसाय को खोलने का प्रस्ताव नहीं किया था। मैंने साधारण बीमा व्यवसाय को सामान्य रूप से खोलने का प्रस्ताव नहीं किया था। मैंने इस सदन में प्रस्ताव किया था, मैं 'प्रस्ताव' शब्द को दुहराता हूं कि कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों को व्यवसाय में आने की अनुमति देकर स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को खोला जाये। परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक मुझे आपकी सहमति नहीं है। मैं कार्यकारी आदेश के द्वारा किसी भारतीय कम्पनी को स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में भी आने की अनुमति नही दे सकता। मैं इस सदन की सहमति चाहता हूं क्योंकि साधारण बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 और जीवन बीमा निगम की धारा 30 क्रमशः साधारण बीमा तथा जीवन बीमा का एकाधिकार इन दो नियमों को सौंपती है। यदि कोई कैबिनेट का निर्णय हुआ है तो मैं पुनः इस सदन में आऊंगा और आपको सहमति मागूंगा, उस समय निश्चित रूप से सदन निर्णय लेगा। मैं कोई ऐसा मंदबुद्धि नहीं हूं कि मैं इस सदन के विचारों को ना समझ पाऊँ। यहां वामपंथी है जो निजी क्षेत्र के किसी भी प्रकार के प्रवेश का विरोध करते हैं। कांग्रेस है जो प्रवेश का लगातार समर्थन करती है। बीजेपी है जो केवल भारतीयों के लिए प्रवेश का समर्थन करती है। मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि मैं इन तीन पृथक स्थितियों के बारे में न जानूं। अतः जबकि ये तीन स्थितियां मेरे समक्ष हैं तो यदि मैं इस देश के वित्त की व्यवस्था का कार्य और सुधार जारी रखना चाहता हूं तो मुझे बार-बार आपके पास आना होगा तथा आपको आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा *(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (कन्नौर) : तमिल मानीला कांग्रेस के विचारों को क्या हुआ *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे आपके पास बार-बार आना होगा तथा आपकी सहमति मांगनी होगी *(व्यवधान)* बगैर सहमति के कुछ भी नहीं हो सकता।

मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तमिल मानीला कांग्रेस का क्या विचार है। तमिल मानीला कांग्रेस आग में जन्मी है और सुधार के प्रति वचनबद्ध पार्टी है। *(व्यवधान)* हम सुधारक हैं *(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : कृपया वह कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं एक सुधारक हूं परन्तु मैं आम सहमति के बगैर सुधार नहीं कर सकता। मैं सहमति के बगैर सुधार नहीं कर सकता। आम सहमति एक ऐसी चीज है जिसे यहां बनाना होगा; सहमति ऐसी चीज है जिसे मुझे यहां हासिल करना होगा। मुझे इसका पता है। हमारा संसदीय लोकतंत्र है। मेरी कोई व्यक्तिगत कार्यसूची नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है। मेरी एक दृष्टि है ओर हममें से प्रत्येक की एक दृष्टि है। श्री वाजपेयी ने, जब वह प्रधानमंत्री थे, तो एक दृष्टि दी थी, कांग्रेस ने एक दृष्टि दी। मेरी एक दृष्टि है परन्तु मैं इस दृष्टि को चला नहीं सकता जब तक मेरे मित्रों में आम सहमति नहीं है अथवा इस सदन के प्रत्येक भाग की सहमति नहीं है।

महोदय, एक उचित समय पर जब सरकार निर्णय लेगी, यदि सरकार निर्णय लेती है कि आगे क्या सुधार करने की आवश्यकता है, मैं इस सदन में पुनः आऊंगा। परंतु इस समय मुझे पूरी तरह स्पष्ट कर लेने दीजिए कि हम केवल बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक बहु सदस्यीय सांविधिक निकाय भर बनाना चाहते हैं।

मैं बड़ी विनम्रता से इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह विधेयक पारित करने और बीमा व्यवसाय को विनियंत्रित करने के लिए एक बहु-सदस्यीय सांविधिक निकाय बिठाने में मेरा सहयोग करें।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकते हैं कि पुनर्गठन और सुधार की अवधारणा क्या है जिसके प्रति वह वचनबद्ध है और न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी वचनबद्ध है ? क्या यह विदेशी कंपनियों को देश में प्रवेश की अनुमति दे रहा है ? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वचनबद्ध थी और वह ऐसा उचित समय आने पर ही करेंगे। वह कृपया यह बतायें कि क्या बीमा व्यवसाय में सुधार लाने और इसका पुनर्गठन करने की उनकी इस अवधारणा के तहत विदेशी कंपनियों को बीमा व्यवसाय में प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में विचार किया गया है और यदि नहीं, तो कृपया वह हमें यह भी बतायें कि उन्होंने अनुमति क्यों दी है *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : बीमा संबंधी कार्य करने वाली इन 46 कंपनियों को अनुमति क्यों दी गई है ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप वाद-विवाद को फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, जब हमने बीच में बोलना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब वह बैठ जाये तब हम अपनी बात पूछ सकते है। अब जब हम उनसे पूछ रहे हैं, तो वह कहते हैं कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकते। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बार-बार सदन में वापस आ रहे हैं।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : उन्हें यह बताना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। टाटा और अन्य कंपनियों ने इन 46 कंपनियों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन किया था ? क्या मंत्री जी उन समझौता ज्ञापनों को सभापटल पर रखेंगे अथवा यह बतायेंगे कि उसमें बीमा शामिल किया गया था अथवा नहीं ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य बीमा क्षेत्र को इस समय गैर-सरकारी और

बहु राष्ट्रीय विदेशी कंपनियों के लिए खोलना बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि ऐसा कोई विचार कभी नहीं रहा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो समझते हैं, वो कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : निर्मल कांति चटर्जी द्वारा सभापटल पर रखे गये संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री जी यह संशोधन स्वीकार कर सकते हैं कि किसी भी विदेशी और भारतीय गैर सरकारी कंपनी को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके श्री बसुदेव आचार्य के साथ कोई मतभेद है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : जी नहीं, महोदय, लेकिन तार्किक आधार पर, जी हां।

मैं वित्त मंत्री की लोकतांत्रिक संसदीय अवस्थिति को पूरी तरह समझता हूं। यहां बैठकर कौन इसे स्वीकार नहीं करेगा ? मुद्दा यह है कि आरंभ में प्रारूप विधेयक में यह विशेष उल्लेख किया गया था कि यह गैर-सरकारी कंपनियों सहित कंपनियों को नियंत्रित करने वाला एक विनियामक प्राधिकरण है। समिति में यह मेरा संशोधन है जिसमें 'गैर सरकार' शब्द का लोप किया गया है।

अंग्रेजी भाषा का यह दुर्भाग्य है कि वह शब्दकोश जिसे माननीय जसवंत सिंह समझ सकते हैं, इस 'गैर-सरकारी' शब्द का लोप करके यह और अधिक उदार हो गया है। प्रारंभ में मूल रूप से इसका उद्देश्य था कि इस विधेयक में ही जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 और साधारण बीमा निगम अधिनियम की धारा 26 के भावी उदारीकरण का प्रावधान किया जाये। इसका यही उद्देश्य था *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : धारा 30।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ठीक है। धारा 30

महोदय, कल हमने इस बात पर बहस की थी कि यदि इसे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोला जाता है तो इससे साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र की क्षमता में स्वयं कमी आ जायेगी। गैर-सरकारी क्षेत्र इस क्षेत्र में स्वयं ही पूरी तरह छा जायेगा—मैं भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की बात नहीं कर रहा हूं। इस क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र के क्रियाकलापों द्वारा आत्मविश्वास में इतनी कमी आ सकती है कि उससे देश के बीमा क्षेत्र का माहौल भी खराब होगा और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को भी नुकसान होगा। हमने इस संबंध में बहस की थी लेकिन वह उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका यह कहना है कि हम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वह बार-बार आयें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब हम उस बात पर आयें तो आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अभी संशोधनों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं उस समय न बोलकर आपका समय बचाऊंगा। अतः मैं अब बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि बाकी समय में आप चुप रहेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्री जी कहते हैं कि वह बार-बार आते रहेंगे। हम उनकी मदद करना चाहते है। हम नहीं चाहते कि वह बार-बार आयें। अतः हमारा यह कहना है कि हमें इस विधेयक विशेष में ही बीमा व्यवसाय से विदेशी क्षेत्र सहित गैर सरकारी क्षेत्र को बाहर रखने का प्रावधान करना चाहिए। यही मेरा संशोधन है। संशोधन और भी है। वह निश्चित रूप से काफी सूक्ष्म पर्यवेक्षक हैं। उन्होंने भाजपा और हमारे बीच अंतर किया है, जिन्होंने केवल विदेशी क्षेत्र के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगाया है। लेकिन सबसे पहले हमें सभा में यह देखना चाहिए कि क्या वे हमारी बात से सहमत हैं अथवा नहीं। लेकिन इस विनियामक प्राधिकरण विधेयक में ही हमें इस प्रकार की बात कहनी चाहिए ताकि हमारे प्रिय वित्त मंत्री जी को सभा में बार-बार न आना पड़े।

श्री ई० अहमद : महोदय, मुझे केवल एक शब्द कहने की अनुमति दी जाये *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर फिर से वाद-विवाद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहती है कि विधेयक पर फिर से एक बार वाद-विवाद करना होगा तो आप वाद-विवाद कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प०बं०) : महोदय, जब वित्त मंत्री इस पर सभा की सर्वसम्मति चाह रहे हैं तो क्या वह यह आश्वासन दे सकते हैं, कि बहुराष्ट्रीय निगमों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? मैं बस यही पूछना चाहता हूं क्योंकि वह इसपर सभा की सम्मति चाह रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसका निर्णय मतदान द्वारा किया जाये। मैं प्रत्येक खंड मतदान के लिए रख दूंगा और उस समय आप निर्णय ले सकते है। आप वाद-विवाद पुनः शुरू नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मुझे केवल एक ही बात का स्पष्टीकरण चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री ई० अहमद : महोदय, मेरे माननीय सहयोगी, श्री निर्मल कांति चटर्जी ने जो कुछ भी कहा है, मेरे विचार से वह अतर्कसंगत है। सभा यह कहकर कानून नहीं बना सकती कि भविष्य में नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें केवल विनियामक प्राधिकरण के लिए ही कानून बनाना होगा। यह काफी अयुक्तियुक्त है। *(व्यवधान)* वह यह कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में बीमा संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं विधेयक मतदान के लिए रख रहा हूं। आपको इसके पक्ष में अथवा विरोध में मतदान करने का पूरा-पूरा अधिकार है। आपको इसके पक्ष में मतदान करने अथवा न करने का मौलिक अधिकार है। इसका निर्णय आप स्वयं लीजिए। लेकिन कृपया सभा का अब और समय बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं अपना मत दूंगा और मेरा मत इस विधेयक के विपक्ष में होगा। चूंकि वह सभा की सर्वसम्मति चाहते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियामित, संप्रवर्तित और सुनिश्चित करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा द्वारा विधेयक पर खंडवार विचार करने से पूर्व, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि आज लगभग प्रात: 10.30 बजे मतदान प्रणाली में अकस्मात कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आटोमेटिक वोट रिकार्डिंग मशीन काम नहीं कर रही है। इसलिए मतविभाजन नियम 367क के अंतर्गत पर्चियां बांट कर किया जाएगा।

सदस्यों को अपना मतदान रिकार्ड करने के लिए 'पक्ष में'/विपक्ष में' अंकित पर्चियां उनके स्थानों पर ही दी जाएगी। 'पक्ष में' वाली पर्चियां एक ओर हरे रंग में, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में छापी गई हैं और 'विपक्ष में' वाली पर्चिया उसके पीछे लाल रंग में छापी गई हैं। इन पर्चियों पर सदस्य कृपया हस्ताक्षर करके और अपनी विभाजन संख्या लिखकर अपनी पंसद का मतदान रिकार्ड करें। जो सदस्य 'मतदान' में तटस्थ रहना, चाहते हैं, वे 'तटस्थ' पर्ची मांग सकते हैं। अपना मतदान रिकार्ड करने के तुरंत बाद प्रत्येक सदस्य को अपनी-अपनी पर्ची मतविभाजन क्लर्क को दे देनी चाहिए जो उनके स्थान से पर्ची लेकर उसे पटल पर अधिकारियों को सौंप देगा। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मतविभाजन के लिए केवल एक पर्ची भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे मतविभाजन क्लर्क द्वारा पर्चियां एकत्रित करने तक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे।

सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 4

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 32

"तीन" *के स्थान पर* "पांच" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 *के पश्चात्* निम्नलिखित *अन्त: स्थापित* किया जाये।

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रमश: जीवन बीमा, साधारण बीमा या बीमांकिक विज्ञान का ज्ञान या अनुभव है।" (4)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 से 9 तक *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये—

"5. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुननियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु कोई व्यक्ति ऐसे अध्यक्ष के रूप में उसके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि व्यक्ति ऐसे पूर्ण कालिक सदस्य के रूप में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा।" (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 12 में—

"या उपधारा (3)" *का लोप किया जाये।* (6)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 8

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 1 से 4 तक *के स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये।

"8. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, उस तारीख से जिसको वे उस रूप में पद धारण करना समाप्त करते हैं, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय दो वर्ष तक की कालावधि के लिए—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन; और

(ख) बीमा सेक्टर में किसी कंपनी में कोई नियुक्ति, स्वीकार नहीं करेंगे।" (7)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड 8क

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4,

पंक्ति 4 के *पश्चात* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये–

"8क अध्यक्ष को प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के बाबत साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी।" (8)

(श्री पी० चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 से 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 36–

"बीमा कारबार" के *स्थान* पर "बीमा और पुनर्बीमा कारबार" *प्रतिस्थापित* किया जाये। (9)

पृष्ठ 6,–

पंक्ति 14 का *लोप किया* जाये; (10)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, बेशक।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 के *पश्चात* निम्नलिखित *अन्तःस्थापित* किया जाए।

"परन्तु यह कि किसी विदेशी या निजी क्षेत्र की कम्पनी को बीमा कारबार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंतः स्थापित किया जाए*–

"परंतु यह कि किसी विदेशी या निजी क्षेत्र की कम्पनी को बीमा कारबार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।" (12)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं दो कारणों से इस संशोधन का विरोध करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा के प्रकिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के अंतर्गत यह संशोधन विधयक के क्षेत्र से परे है इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य जीवन बीमा निगम अधिनियम अथवा साधारण बीमा निगम अधिनियम के किसी उपबंध में संशोधन करना नहीं है। इसके विपरीत, इस विधेयक की दोनों धारा में 13 तथा 26 इस बात की पुष्टि करती है कि ये अधिनियम जारी रहेंगे। साधारण बीमा निगम की धारा 24 तथा जीवन बीमा निगम की धारा-30 जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पूर्व ही उल्लेख किया है क्रमशः जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को एकाधिकार प्रदान करती हैं। यह संशोधन जिसका उद्देश्य यह है कि एकाधिकार नुकसानदायक न हो यह बात इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आती है। यह संशोधन केवल तभी प्रासंगिक होगा यदि जीवन बीमा निगम अधिनियम अथवा साधारण बीमा निगम अधिनियम में संशोधन करने संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

इसका विरोध करने का मेरा दूसरा कारण जिसे मैंने काफी स्पष्ट कर दिया है कि इस सरकार ने बीमा कारबार को शुरू करने के लिए केवल चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा कारबार के अन्तर्गत लाकर साधारण शुरूआत की है। हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि इस सरकार का जीवन बीमा की शुरूआत करने का न तो कोई प्रस्ताव है न ही कोई निर्णय, साथ ही इस सरकार का साधारण बीमा के किसी अन्य भाग को शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सरकार का किसी विदेशी कंपनी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं अतः उस वक्तव्य तथा नियम 80 पर आधारित मेरी आपत्ति को देखते हुए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जो स्वीकार्य नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे हटा लें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अब वह कतिपय नियमों तथा उपबंधों का सहारा ले रहे हैं। मूल प्रारूप में 'निजी' शब्द दिया गया है। बाद में संशोधन के द्वारा इसे हटाया जा रहा है। इसलिए इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार को इसके क्षेत्र तथा परिधि के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरे, चूंकि यह पुस्तक मौजूदा जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम अधिनियम के साथ परस्पर-विरोधी है इस विधेयक में इस संशोधन को जोड़ने पर कोई बन्धन नहीं हो सकते है, यह प्रावधानों के अनुकूल है। जो चीजे जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के पहले के उपबंधों के अनुकूल नहीं है। उनमें यहाँ कुछ आगे संशोधन किए जाने की जरूरत है। चूंकि यह संशोधन अनुकूल है, मैं निवेदन करता हूं, यह वैध है तथा सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, यह तो आपने देखना है कि क्या सदस्य द्वारा दिया गया संशोधन नियमानुसार है अथवा नहीं है। इसलिए यदि आप महसूस करते है कि सदस्य द्वारा सुझाया गया संशोधन नियमानुसार है इसे तभी परिचालित किया जाए अथवा प्रस्तुत किया जाए। इसलिए माननीय सदस्य को आपत्ति हो रही है कि यह संशोधन, जिसका सुझाव दिया गया है, नियमानुसार नहीं है। तथा उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आता है। यह तय करने का अधिकार तो आपका है कि क्या यह निम्नानुसार है। जब एक बार आप तय कर लेंगे कि संशोधन, नियमानुसार है तभी इसपर प्रस्ताव किया जा सकता है। इसके बिना प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब संशोधन को परिचालित किया गया है, हम मान लेते हैं कि यह नियमानुसार है। यह अलग बात है कि यह सभा द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। कम से कम उस मुद्दे पर माननीय सदस्य संशोधन करने पर आपत्ति नहीं कर सकते है। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा समझना है माननीय सदस्य ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 का सन्दर्भ दिया है। श्री राम नाईक ने जो बात उठाई है वह सही है और मैं उसका अनुमोदन करता हूं क्योंकि नियम 80 संशोधनों की ग्राह्यता के बारे में बताता है।

अब चूंकि संशोधन स्वीकार कर परिचालित कर दिया गया है तथा सदस्य ने पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं अतः हम ग्राह्यता के पहलू

में और अधिक नहीं जाना चाहते हैं हमारे लिए केवल दो रास्ते है; या तो सदस्य इसे वापस ले लें या इसे सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करें।

मेरे विचार से ये मुद्दे रखे गए है। तथा मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। इसलिए जस्टिस गुमान मल लोढा तथा श्री शिवराज सिंह के संशोधन को श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के संशोधन के साथ सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन तथा निर्मल कांति चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में एक मौलिक अंतर है। मेरा संशोधन विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक ही सीमित है जबकि उनके संशोधन में स्वदेशी, भारतीय कंपनियों का भी उल्लेख है। *(व्यवधान)* हमारे इस मुद्दे पर वैचारिक मौलिक मतभेद है। हम स्वदेशी कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा की अनुमति देते हैं। लेकिन हम विदेशी कंपनियों का इस क्षेत्र में आपने का विरोध करते हैं। इसलिए मेरा संशोधन उनके संशोधन से भिन्न है। वे हमारे संशोधन का समर्थन कर सकते हैं परंतु हम उनके संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित किया जाए:-*

''परन्तु यह कि प्राधिकरण को किसी विदेशी कम्पनी या विदेशी उद्यम को भारत में या तो स्वयं या सह उद्यम के माध्यम से बीमा कारबार करने की अनुमति देने की शक्ति नहीं होगी।'' (14)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : अध्यक्ष जी, हम तो अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं हम विदेशी कम्पनियों के विरोधी हैं और स्वदेशी कम्पनियों का समर्थन करते हैं। हमने निजी कम्पनियों के बीमा कारोबार में प्रवेश का विरोध नहीं किया है, लेकिन किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी और किसी भी विदेशी कम्पनी के बीमा कारोबार में प्रवेश के हम विरोधी हैं। इसलिए अपना संशोधन मैं पेश कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित किया जाए:-*

''परन्तु यह कि किसी विदेशी कम्पनी को बीमा कारबार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।'' (13)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं संशोधनों के दोनों प्रस्तावकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधनों पर निम्नलिखित कारणों से दवाब न डालें। प्रस्ताव केवल यह है—मैं पुन: जिस शब्द पर बल देना चाहूंगा—वह है स्वास्थ्य बीमा, जो मेरे विचार से एक ऐसा उत्पादक है जिसकी भारत के लोगों को आवश्यकता है और इस देश में करोड़ो लोग स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से वंचित हैं। इसे चुनिन्दा भारतीय खिलाडियों तथा भारतीय कम्पनियों के लिए खोल देना चाहिए केवल यही एक प्रस्ताव है जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है और मैंने उस सभा के समक्ष रखा है। जैसा कि मैंने कहा है उसके लिए भी मुझे उपयुक्त कानूनों में अनुकूल संशोधन प्रस्तावित करने होंगे, जिसे मैं अभी नहीं कर रहा हूं। यदि उचित समय पर वह नीति लागू की जानी है तो उसके लिए एक संशोधन प्रस्तुत करना होगा। इस अवस्था में तो वह भी संभव नहीं है। अत: यह आशंका कि विदेशी बीमा कम्पनियां अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में प्रवेश करने वाली हैं, एक बिल्कुल गलत आशंका है। इसके लिए सरकार का न तो कोई प्रस्ताव है और न ही सरकार ने कोई निर्णय लिया है। सुस्पष्ट विवरण को देखते हुए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं। कि वे अपने दो संशोधनों पर जोर न डालें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम एक ही संशोधन पर अंतहीन बहस नहीं कर सकते।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं केवल उसी का उल्लेख कर रहा हूं जो उन्होंने कहा है। विदेशी बीमा कम्पनियों तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० जोशी, मुझे आपसे कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या मैं संशोधनों को एक साथ रखूं या अलग-अलग ?

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, कृपया इन्हें अलग-अलग रखिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मंत्री जी ने हमसे हमारे संशोधनों को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम इसके विरूद्ध उनसे अनुरोध करते हैं। उन्हें हमारे संशोधन स्वीकार करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी किसी का अनुरोध स्वीकार नहीं कर रहा है तो सभा को ही इसका निर्णय करना होगा।

अत: अब मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या-12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित किया जाए:-*

''परन्तु यह कि किसी विदेशी या निजी क्षेत्र की कम्पनी को बीमा कारबार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।'' (12)

जो इसके पक्ष में है वे कृपया 'हाँ' कहिए।

कुछ माननीय सदस्य : 'हाँ'

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरूद्ध है वे कृपया 'नहीं' कहिए।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से परिणाम 'नहीं' कहने वालों के पक्ष में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, महोदय, परिणाम 'हां' कहने वालों के पक्ष में है। हम मत-विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दीर्घाएं खाली कर दीजिए—

अपराह्न 1.00 बजे :

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री फर्नान्डीज, दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

मैं एक बार पुन: श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 12 को सभा की मतदान हेतु प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 के *पश्चात* निम्नलिखित *अंत: स्थापित किया जाए—*

''परंतु यह कि किसी विदेशी या निजी क्षेत्र की कम्पनी को बीमा कारबार

में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।'' (12)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : पर्चियां बांट दी जाएं।

मत विभाजन संख्या-1 **अपराह्न 01.20 बजे**

पक्ष में

1. आचार्य, श्री बसुदेव
2. खान, श्री मनोल
3. चक्रवर्ती, श्री अजय
4. चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
5. चन्द्रशेखर, श्री
6. चौधरी, श्री बादल
7. जय प्रकाश, श्री (हिसार)
8. जहेदी, श्री महबूब
9. डोम, डॉ० रामचन्द्र
10. तोपदार, श्री तरित वरण
11. दास, श्री भक्त चरण
12. नीतीश कुमार, श्री
13. पाल, श्री रूप चन्द
14. पाल, श्री सिबैस्टिअन
15. प्रामानिक, प्रो० आर०आर०
16. फर्नान्डीज, श्री जार्ज
17. बक्सला, श्री जोआचिम
18. बर्मन, श्री उद्धव
19. बर्मन, श्री रनेन
20. बसु, श्री अनिल
21. बसु, श्री चित्त
22. बाला, डा० असीम
23. बौरी, श्रीमती संध्या
24. मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
25. मंडल, श्री सनत कुमार
26. मुखर्जी, श्री प्रमथेस
27. मुखर्जी, श्री सुब्रत
28. मुखर्जी, श्रीमती गीता
29. मुखोपाध्याय, श्री अजय
30. मुर्मू, श्री रूप चन्द
31. मोल्लाह, श्री हन्नान
32. मोहन, श्री आनन्द
33. रमेन्द्र कुमार, श्री
34. राघवन, श्री वी०वी०
35. राय, श्री बलाई चन्द्र
36. राय, श्री हाराधन
37. राय प्रधान, श्री अमर
38. रियान, श्री बाजूबन
39. सम्पत, श्री ए०
40. सिंह, श्री दरबारा
41. सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
42. सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद
43. सुरेन्द्रनाथ, श्री के०वी०

विपक्ष में

1. अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
2. अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
3. अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
4. अर्गल, श्री अशोक
5. अरूणाचलम, श्री एम०
6. अलेमाओ, श्री चर्चिल
7. अहमद, श्री ई०
8. अहमद, श्री एम० कमालुद्दीन
9. आज़मी, श्री इलियास
10. आठवले, श्री नारायण
11. इस्लाम, श्री कमरूल
12. इस्लाम, श्री नुरूल
13. उदयप्पन, श्री एस०पी०
14. उपेन्द्र, श्री पी०
15. उरांव, श्री ललित
16. ओ ब्रायन, श्री नील एलायसियस
17. कंडासामी, श्री के०
18. कंडासामी, श्री वी०
19. कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
20. कनोडिया, श्री महेश कुमार एम०
21. कनौजिया, श्री जी०एल०
22. कांशी राम, श्री
23. कामसन, प्रो० एम०
24. कुमार, श्री एम०पी० वीरेन्द्र
25. कुमार, श्री वी० धनन्जय
26. कुमारस्वामी, श्री एच०डी०
27. कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
28. कुसमरिया, डा० रामकृष्ण
29. कृष्ण, श्री
30. कौर, श्रीमती सुखबंस
31. खलप, श्री रमाकान्त डी०
32. गढ़वी, श्री पी०एस०
33. गढ़वी, श्री बी०के०
34. गावीत, श्री मणिकराव होडल्या
35. गीते, श्री अनंत गंगाराम
36. गुप्त, श्री चमन लाल

37. गेहलोत, श्री थावरचन्द
38. गोड़ा, श्री वाई०एन० रूद्रेश
39. घाटोवार, श्री पवन सिंह
40. चाक्को, श्री पी०सी०
41. चारी, डॉ० एम० वेणुगोपाल
42. चिदम्बरम, श्री पी०
43. चेन्नितला, श्री रमेश
44. चौधरी, श्री पंकज
45. चौधरी, श्री पदमसेन
46. चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई
47. चौधरी, श्री राम टहल
48. चौहान, श्री निहाल चन्द
49. चौहान, श्री श्रीराम
50. जगमोहन, श्री
51. जटिया, डॉ० सत्य नारायण
52. जायसवाल, डॉ० मदन प्रसाद
53. जालप्पा, श्री आर०एल०
54. जेना, श्री श्रीकान्त
55. जोशी, डा० मुरली मनोहर
56. जोशी, वैद्य दाऊ दयाल
57. जोस, श्री ए०सी०
58. ज्ञानगुरूस्वामी, श्री आर०
59. ठाकरे, श्री राजाभाऊ
60. डार, श्री मोहम्मद मकबूल
61. डेनिस, श्री एन०
62. तिवारी, श्री नारायण दत्त
63. तिवारी, श्री लाल बिहारी
64. तिर्थरामन, श्री पी०
65. तोपनो, कुमारी फ्रिडा
66. तोमर, डा० रमेश चन्द
67. त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि
68. थामस, श्री पी०सी०
69. दरबार, श्री छत्तर सिंह
70. दिलेर, श्री किशन लाल
71. दीवान, श्री पवन
72. देव, श्री संतोष मोहन
73. देवी, श्रीमती सुभावती
74. द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
75. नंदी, श्री येल्लैया
76. नटराजन, श्री के०
77. नरसिम्हन, श्री सी०
78. नाईक, श्री राम
79. नागरत्नम, श्री टी०
80. नामग्याल, श्री पी०
81. नायक, श्री मृत्युन्जय
82. "निडर", प्रो० ओमपाल सिंह
83. निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक
84. निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
85. निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद
86. पटनायक, श्री नवीन
87. पटवा, श्री सुन्दर लाल
88. पटेल, डा० ए०के०
89. पटेल, श्री चन्द्रेश
90. पटेल, श्री दिनशा
91. पटेल, श्री बुद्धसेन
92. पटेल, श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास
93. परसुरामन, श्री के०
94. परांजपे, श्री दादा बाबूराव
95. परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ
96. पलानीमनिक्कम, श्री एस०एस०
97. पवार, श्री उत्तम सिंह
98. पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण
99. पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम०के०
100. पाटीदार, श्री रामेश्वर
101. पाठक, श्री हरिन
102. पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
103. पासवान, श्री सुकदेव
104. प्रभु, श्री सुरेश
105. प्रेमी, श्री मंगल राम
106. फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलिक
107. फूलन देवी, श्रीमती
108. बंगरप्पा, श्री एस०
109. बंशीवाल, श्री श्याम लाल
110. बर्क, डॉ० शफीकुर्रहमान
111. 'बचदा', श्री बची सिंह रावत
112. बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी
113. बनातवाला, श्री जी०एम०
114. बालासुब्रह्मण्यन, श्री एस०आर०
115. बालू, श्री टी०आर०
116. बिश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल
117. बुडानिया, श्री नरेन्द्र
118. बैंदा, चौधरी रामचन्द्र
119. बैश्य, श्री बीरेन्द्र प्रसाद
120. बोस, श्रीमती कृष्णा
121. भगत, श्री विश्वेश्वर
122. भगवती देवी, श्रीमती

123. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
124. भारती, डॉ० अमृत लाल
125. भूरिया, श्री दिलीप सिंह
126. भोई, डॉ० कृपासिन्धु
127. मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर
128. मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी०
129. महाजन, श्री प्रमोद
130. मिश्र, श्री पिनाकी
131. मिश्र, श्री राम नगीना
132. मिश्र, श्री श्याम बिहारी
133. मीणा, श्री भेरूलाल
134. मुंडे, श्री विजय अन्नाजी
135. मूर्ति, श्री के०एस०आर०
136. मोहले, श्री पुन्नू लाल
137. यादव, श्री अनिल कुमार
138. यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
139. यादव, श्री दिनेश चन्द्र
140. यादव, श्री मुलायम सिंह
141. यादव, श्री रमाकान्त
142. यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद
143. यादव, श्री सुरेन्द्र
144. रमैया, डा० बोल्ला बुल्ली
145. राजा, श्री ए०
146. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री
147. राठवा, श्री एन०जे०
148. राणा, श्री काशीराम
149. राम, श्री ब्रजमोहन
150. रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
151. रामलिंगम, डॉ० के०पी०
152. रामनाथन, श्री एम०
153. रामसागर, श्री
154. रामशकल, श्री
155. राम बाबू, श्री ए०जी०एस०
156. राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
157. राय, श्री नवल किशोर
158. रायुडु, श्री के०एस०
159. राव, श्री आर० साम्बाशिवा
160. राव, श्री पी०वी० नरसिंह
161. राव, श्री पी०वी० राजेश्वर
162. रावत, श्री भगवान शंकर
163. रावत, प्रो० रासा सिंह
164. रिबा, श्री तोमो
165. रीगो, श्रीमती हैडविग माइकेल
166. रूडी, श्री राजीव प्रताप
167. रेड्डी, श्री एस रामचन्द्र
168. रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
169. रेड्डी, श्री जी०ए० चरण
170. लोढ़ा, जस्टिस गुमान मल
171. वर्मा, श्री आर०एल०पी०
172. वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
173. वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा
174. वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह
175. वर्मा, प्रो० रीता
176. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
177. वानगा, श्री चिन्तामन
178. वेंकटरामन, श्री टिंडिवनाम जी०
179. वेंकटेशन, श्री पी०आर०एस०
180. वेदान्ती, डॉ० राम विलास
181. शंकर, श्री बी०एल०
182. शर्मा, श्री अशोक
183. शर्मा, डॉ० अरूण कुमार
184. शर्मा, श्री मंगत राम
185. शिवा, श्री तिरूची
186. शेरवानी, श्री सलीम इकबाल
187. शाक्य, डॉ० महादीपक सिंह
188. शाह, श्री मानवेन्द्र
189. शैलजा, कुमारी
190. षण्मुगम, श्री पी०
191. षणमुगा सुन्दरम, श्री वी०पी०
192. सईद, श्री पी०एम०
193. सरपोतदार, श्री मधुकर
194. सरोदे, डॉ० जी०आर०
195. सवानूर, श्रीमती रत्नमाला डी०
196. सहाय, श्री हरिवंश
197. साथी, श्री हरपाल सिंह
198. साय, श्री नन्द कुमार
199. साहू, श्री अनादि चरण
200. सिंह, श्री अजित
201. सिंह, श्री अमर पाल
202. सिंह, श्रीमती कांति
203. सिंह, श्री खेलसाय
204. सिंह, श्री जसवंत
205. सिंह, श्री ध० चौबा
206. सिंह श्री देवी बक्स
207. सिंह, श्री नकली
208. सिंह, श्री प्रहलाद

209. सिंह, मेजर जनरल विक्रम
210. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
211. सिंह, श्री राजकेशर
212. सिंह, डा० राम लखन
213. सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार
214. सिंह, श्री शिवराज
215. सिंह, श्री सुरेन्द्र
216. सिंह, श्री मोहनबीर
217. सिंह देव श्री के०पी०
218. सिद्दराजु, श्री ए०
219. सिन्हा, श्री मनोज कुमार
220. सुभाष चन्द्र, श्री
221. सुरेश, श्री कोडीकुनील
222. सुल्तानपुरी, श्री के०डी०
223. सोनकर, श्री विद्यासागर
224. सोम, श्री एन०वी०एन०
225. सौम्य रंजन, श्री
226. स्वामी, श्री आई०डी०
227. स्वामी, श्री जी० वेंकट
228. स्वामी, श्री सी० नारायण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :-

पक्ष में		43
विपक्ष में	:	228

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : श्री चटर्जी, कृपया अपना समर्थन वापस ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं खंड 13 में अपने संशोधन सं० 14 पर जोर दे रहा हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप अपना निवेदन पहले ही कर चुके हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : उन्हें अपने कहे अनुसार संशोधन स्वीकार करना होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने भाजपा के नेताओं के साथ इस विषय पर चर्चा की है। मैं आपकी और इस सभा की अनुमति से उन्हें एक बार फिर से समझाना चाहता हूं। कृपया मुझे केवल दो मिनट दीजिए।

यह केवल सभा के एक वर्ग द्वारा एक संशोधन के पक्ष में और दूसरे वर्ग द्वारा इसके विपक्ष में अथवा सभा के दोनों वर्गों द्वारा किसी संशोधन के संबंध में सहमत होते हुये मतदान करने का प्रश्न नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, आप क्या कर रहे हैं ? कृपया इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। कृपया बैठ जायें।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने इस विधेयक का प्रयोजन बता दिया है और मैं इसे बार-बार नहीं दोहराऊंगा जब हम पुर्नसंरचना में और सुधार करेंगे तभी हमें इन बातों की काफी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी कि किसी व्यक्ति के लिए बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाये अथवा नहीं इसके लिए क्या शर्तें रखीं जायें, क्या अर्हताएं निर्धारित की जायें, क्या मानदंड निर्धारित किए जाएं।

मुझे यह मालूम है कि इस संबंध में कई तरह के विचार है। जब मैंने यह बात कही थी। तो मुझे इसका पता था। जैसाकि मैंने कहा, जीवन बीमा क्षेत्र को सबके लिए खोलने का मेरा और सरकार, दोनों का किसी प्रकार को काई प्रस्ताव नहीं है। मैंने ऐसा अपने बजट संबंधी भाषण में भी नहीं कहा था। सामान्य बीमा के संबंध में मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं इसे सामान्य रूप से खोलने का प्रस्ताव रख रहा हूं—"सामान्य रूप से खोलना" मैं अपने भाषण से उद्धृत कर रहा हूं और मैंने उसका कारण बता दिया है। वाद-विवाद में मैंने यह बताया था कि स्वास्थ्य बीमा क्यों आवश्यक है। जब मैंने 'जनरोग्य' की शुरूआत की तो हजारों नीतियां पर विचार किया गया। क्योंकि यह काफी कम लागत वाली और कम लाभ वाली नीति है। यहां तक कि उस की भी मांग की गई। इस देश में स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की अत्यधिक मांग है। इसलिए जब हम स्वास्थ्य बीमा नीति की शुरूआत करेंगे तो इसे चुनिंदा भारतीय कंपनियों के लिए खोला जायेगा। नीति संबंधी विवरण केवल यही है। इस विधेयक के रूप में परिणत करना होगा और इसे कार्यरूप भी देना होगा। मुझे आपके पास फिर से आना पड़ेगा। तब हमें उन निबंधन और शर्तों को सावधानीपूर्वक लिखना होगा जिनके फलस्वरूप चुनिंदा भारतीय कंपनियां स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में प्रवेश करेंगे इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजना होगा। इस संबंध में जो भी शर्तें निर्धारित की जायेंगी, हमें उन पर शांति और धैर्यपूर्वक वाद-विवाद करना होगा।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि उन निबंधन और शर्तों के प्रभावों की जांच किये बिना, जिनके तहत कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी विनियामक प्राधिकरण के संबंध में कानून में बहुप्रयोजनीय संशोधन करने का प्रयास असामयिक है। तर्क में जितना बल है मैं समझता हूं। फिर भी मुझे संसद की सहमति और दलों के समर्थन के साथ ही चलना होगा। मैं तर्क के प्रश्न को समझता हूं उन तर्कों को समझने के बाद मैंने यह काफी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के समक्ष किसी विदेशी कंपनी अथवा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव केवल यही है कि चुनिंदा भारतीय कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा कारोबार में प्रवेश की अनुमति दी जाये। उसके लिए भी हमें इस संबंध में काफी कठोर निबंधन और शर्तें निर्धारित करनी होगी कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं और वे क्या कर सकते हैं तथा क्या नहीं कर सकते।

कृपया इस बात को समझिये कि बीमा में अलग-अलग प्रकार के उत्पाद है। भारत कई उत्पादों से परिचित नहीं है। भारत के पास ज्यादा प्रौद्योगिकियां नहीं है। इसलिए हमें उस समय उनपर ज्यादा सावधानी से विचार करना होगा। स्थायी समिति में इस पर शांति और धैर्य के साथ विचार करने के बाद जब हम संसद में अब वापस आयें। मेरे विचार से तभी श्री लोढा और श्री चौहान, दोनों के लिए अपने-अपने संशोधन देने का उचित समय होगा। इस समय मैं एक बार फिर से केवल यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संशोधन पर जोर न डाला जाये। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि

सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है तथा सरकार का बीमा व्यवसाय के किसी क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रवेश की अनुमति देने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, आपसे मुझे एक बात कहनी है। *(व्यवधान)* इस पर विचार करिये। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह संशोधन उनकी स्वास्थ्य बीमा योजना पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। हमने इस तरह की किसी बात का विरोध नहीं किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह प्रतिबंध लगाता है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह प्रतिबंध नहीं लगाता। आपका बाद में इसका इस तरह पुर्नगठन करने का विचार है जो न केवल बीमा क्षेत्र को अपितु समग्र भारतीय पूंजीगत ढांचे को जोखिम में डाल देगा। अत: आप हिचकियां रहे हैं, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं है। आप पिछले 25-30 मिनट से एक ही बात को दोहरा रहे हैं। मुझे वही छ: पंक्तियों वाला तर्क बार-बार दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा को छोड़कर आपके पास कोई योजना नहीं है। यह संशोधन इसे चुनिंदा भारतीय कंपनियों के लिए खोलने पर कब कोई प्रतिबंध लगाता है ? यह नहीं लगाता। अत: यह तर्क वैध नहीं है। यदि आपके विचार सुस्पष्ट हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। आप कह सकते हैं कि शैली ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। जब उद्देश्य और आशय एक ही हों और यदि इस संशोधन से काफी स्पष्ट रूप से समाकलित करना हो तो इसमें क्या आपत्ति है ? मुझे इसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हम इंश्योरेंस में और भी प्राइवेट कम्पनियों के आने के पक्ष में हैं। इंश्योरेंस में प्रतियोगिता होनी चाहिए और इसीलिए हमने श्री चटर्जी के संशोधन के साथ वोट नहीं किया। हमारे और आपके बीच में एक विभाजक रेखा है, जैसा आपने कहा था। अब सवाल मल्टीनेशनल्स का है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि यह विधेयक मल्टीनेशनल्स के लिए दरवाजे नहीं खोलता है, इस संबंध में हमारे मन में आशंकाएं हैं। बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो आशंकाएं हैं वे दूर नहीं हो रही हैं। अगर सरकार कोई और तर्क जोड़ना चाहता है, कुछ और प्रयास समझाने के लिए करना चाहती है तो हम सरकार को समय देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार इस बात पर अड़ी है कि हमें या तो इस विधेयक को पास करना है या इस संशोधन को गिराना है तो फिर बात अलग है, फिर मतदान हो जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूं कि इस वक्त समय देने का अधिकार नेता विरोधी दल को नहीं है। जब वोट हो रहा है तो बीच में वोट रुक नहीं सकता, मतदान होना चाहिए। जिसको जिस पक्ष में वोट देना हो वह उस पक्ष में वोट दे। मतदान को बीच में रोकने का अधिकार संसद में किसी को नहीं है, मतदान पूरा होना चाहिए। महोदय, एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद मतदान में वित्त मंत्री जी को सरकार को कोई समय नहीं दिया जा सकता *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : यह एक दूसरे को समझने का प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें सुनने दीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा केवल यही अनुरोध है कि कृपया हमें समय दीजिए। इसे स्थगित किया जा सकता है और इस पर बाद में विचार विमर्श किया जा सकता है। मैं केवल यही कहूंगा कि इस बीच हम इसकी जांच करने का प्रयास करेंगे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अब सरकार को हार नजर आ रही है इसका मतलब है कि जब सरकार को हार नजर आ जाएगी तो यहां पर वोट को रोका जाएगा, यह कतई नहीं हो सकता। *(व्यवधान)* सदन की गरिमा को बनाए रखिए। वोट तभी होगा जब आपको जीत नजर आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों में हार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोगों पर किस का दबाव है। अमेरिका आपके माथे पर बैठा है, हम जानते हैं। आपको कितने दिनों से कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस खोलो, बैंक खोलो, हम जानते हैं। हम लोग भी इस दुनिया में रह रहे हैं, हम भी कुछ जानकारी रखते हैं। आप किस के लिए यहां पर वोट को रोकने की कोशिश में हैं ? इस देश के वास्ते हैं ? क्या आपको उन लोगों को मैसेज देना है कि देखिए, यूनेनिमिटी है, कंसेंसस है। कंसेंसस नहीं है, वोट होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी पिछले काफी समय से सभा में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि थोड़ी बहुत आपसदारी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से वे यह नहीं समझते कि पूरा देश उनको समझता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उनपर विश्वास नहीं करता। लोग पिछले पांच-छ: सालों से यह कह नहीं पा रहे हैं। यह इस राष्ट्र की त्रासदी है। धीरे-धीरे आप अपना सब कुछ बहुराष्ट्रीय और विदेशी पूंजीपतियों को दे रहे हैं। देश को 'नहीं' कहना आना चाहिए ओर मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ माननीय सदस्यों को यह बात समझ में आ गई है कि 'नहीं' कहने का समय आ गया है और हमें आपको 'नहीं' कहना चाहिए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन पर आग्रह कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक रचनात्मक भावना से मैंने प्रस्ताव पेश किया था और मैंने चर्चा को टालने की बात कही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बारे में भी एक राय नहीं है। इसलिएं मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : नेता विरोधी दल ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इसका विवरण कैसे दूं। मेरे विचार से, यह काफी असामान्य स्थिति है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि इसका विवरण कैसे दूं। मेरे विचार से, यह काफी असामान्य स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : संसदीय प्रणाली में यह एक आम स्थिति है। यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह एक सामान्य स्थिति है। मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैंने पिछले रिकार्डों को देखा है। वर्ष 1996 में एक अवसर ऐसा आया था, जहां तृतीय वाचन चरण में विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया गया था। इसलिए, इसका पूर्वोदाहरण है। लेकिन मैं इनकी ज्यादा गहराई में जाना चाहता हूं। मैं इस संबंध में निर्णय लेना चाहता हूं। मुझ सभा के विचार जानने होंगे।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह कोई वाद-विवाद नहीं है। वाद-विवाद तो वह था। यह मतदान के समय नहीं किया गया था। वाद-विवाद समाप्त हो चुका था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि वाद-विवाद तृतीय वाचन चरण में स्थगित कर दिया गया था। श्री हरिन पाठक जी, क्या आप जानते हैं कि वाचन का तृतीय चरण कौन-सा है? क्या आप समझते हैं कि अध्यक्ष को यह नहीं मालूम कि वाचन का तृतीय चरण कौन-सा है? यह सब क्या है? आप व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। श्री महाजन जी, मैं इस विषय पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता क्योंकि हम जो भी निर्णय लेंगे वह पूर्वोदाहरण बन जायेगा। मैंने केवल एक ही पूर्वोदाहरण देखा है। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए ... बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर-पूर्व) : जी नहीं, महोदय, मुझे आपत्ति है। आप सभा स्थगित नहीं कर सकते। आप (लाबी) दीर्घाएं खोल नहीं सकते *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं मध्याह्न भोजन के पश्चात् इस पर पुनः विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : आप मतदान स्थगित नहीं कर सकते *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् आयें। मैंने सभा स्थगित कर दी है। सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत होगी।

अपराह्न 1.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.42 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.42 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, अब सभा में श्री शिवराज सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन सं० 13 पर तथा बाद में जास्टिस गुमान मल लोढा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : वे एक जैसे संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, बेशक, मैंने कहा था कि वे एक जैसे संशोधन हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। अब इस पर मात्र मतदान कराने की बात हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मेरा माननीय सदस्यों के साथ कुछ विचार विमर्श हुआ है जो कि इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि केवल भारतीय कंपनियों को ही बीमा संबंधी व्यवसाय में अनुमति दी जाएं। मैंने अपने साथियों तथा माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी परामर्श किया है। मैंने माननीय विपक्ष के नेता के साथ इसका प्रस्ताव किया है तथा मैं पूरे सदन के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूं कि हम खंड 13 में निम्नलिखित संशोधन करना चाहते हैं। मैं खंड 13 को पढ़ना आवश्यक नहीं मानता हूं। खंड 13 वह खण्ड है जो शक्तियों के विनियमन के बारे में बताती है। इसकी प्रस्तावित भाषा यह है

"बशर्ते कि प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दें।"

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें समाप्त करने दीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : यह मात्र प्रस्ताव है। मैं औपचारिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं प्रस्तावित भाषा इस प्रकार है :

"बशर्ते कि प्राधिकरण, केवल भारतीय कंपनी को बीमा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र दे दें।"

मैं समझता हूं कि सभा की भावना यही है। मेरे विचार से बेहतर यथा संभव भावना यही हो सकती है

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम इस संशोधन को सम्मिलित करें :

"कि प्राधिकरण केवल भारतीय कंपनियों को बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र दे सकता है।"

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम इसका विरोध करते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प०बं०) : हम किसी भी तरह के निजीकरण के खिलाफ हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम न केवल विदेशी कंपनियों बल्कि भारतीय निजी कंपनियों द्वारा भी बीमा व्यवसाय खोलने का विरोध करते हैं। हम निजीकरण के पूरी तरह विरुध हैं।

श्री रूप चंद पाल : हम बीमा उद्योग निजीकरण किये जाने के पूरी तरह विरोधी हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : बीमा व्यवसाय को नीत्रि क्षेत्र के सुपुर्द नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (द० दिल्ली) : अध्यक्ष जी, हमारी, अमैंजमेंट इसी आधार पर है कि इंडियन कंपनियां ही इस क्षेत्र में आए। यदि मंत्री इससे सहमत हैं तो हमारे अमैंजमैंट की भाषा को लेने में उन्हें क्या दिक्कत है?

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने एक प्रस्ताव किया है। उनका प्रस्ताव यह है कि लाइसेंस, केवल भारतीय कंपनियों को ही दिए जाएं। क्या मैं वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं? क्या बीमा उद्योग की यह स्थिति नहीं है जैसीकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व अवधि के दौरान मौजूद थी? भारतीय निजी कंपनियां बीमा व्यवसाय में मौजूद थीं। उस समय प्रबन्ध व्यवस्था ठीक नहीं थी तथा गबन आदि होते थे, पूरे देश में आन्दोलन हुए थे और इसलिए बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीकरण किया गया था। अब मुझे इस बारे में स्पष्ट करने दिया जाए। माननीय वित्त मंत्री, इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना चाहते हैं तथा इन्हें टाटा, बिरला तथा अन्य दूसरों को जो व्यवसाय में आने के इच्छुक हों इसे सुपुर्द करना चाहते हैं। इसलिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव हमें स्वीकार्य नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : अब हम 1956 से पूर्व की स्थिति की ओर वापस जा रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : राष्ट्रीयकरण से पूर्व जो स्थिति थी? हमें उसका अनुभव है। हम वर्ष 1956 से पूर्व की स्थिति की ओर वापस जा रहे है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते है। हम उसका समर्थन, नहीं कर सकते है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर बाद में ध्यान दूंगा। अब हमें शान्त होकर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अमैंडमैंट नं० 13 में जो संशोधन प्रस्तावित किया है, जैसा मैं समझ पाया हूं, वे चाहते हैं कि 'इंडियन कम्पनीज' शब्द उसमें इन्क्लूड कर लें, फिर क्या बाहर के विदेशी लोग, मल्टी-नेशनल कम्पनियां, पूंजीपति यहां आकर, अपनी कम्पनी रजिस्टर्ड कराकर, इस क्षेत्र में एंटर नहीं कर सकेंगे? जब आप चाहते हैं कि केवल स्वदेशी कम्पनियों को ही एलाव करेंगे तो माननीय सदस्यों का जो निषेधात्मक अमैंडमेंट है, उसी को स्वीकार करने में उन्हें क्या आपत्ति है? इसमें कहीं न कहीं कुछ इंटैंशन, द्विविधा या मैं कहना नहीं चाहता कोई बैड इंटैंशन है। जब आप केवल 'हिन्दुस्तानी कम्पनियां' लिखकर मल्टी-नेशनल्स को पूरी तरह रोक नहीं पाते, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस अमैंडमेंट को आप सीधे-सीधे स्वीकार कर लें। यही मैं चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अन्य दलों के विचार भी जाने चाहिए। आप अपने मुद्दों पर काफी कह चुके हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मतदान कराने जा रहे थे परन्तु आपने किसी कारण सभा को स्थगित कर दिया। इस पर कोई समझौता नहीं हुआ था। कोई मत-विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन तथा मतदान करें। हम अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं। एक बहुत ही साधरण से संशोधन को स्वीकार करने में वे आपत्ति क्यों कर रहे हैं? वे इसे किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि संयुक्त रूप से अथवा सहयोग द्वारा अथवा विदेशी कंपनियां किसी भी तरह की व्यवस्था, करके यहां आ सकती हैं, हमें निजी कंपनियों का पहले ही अनुभव है; उनमें से टाटा सहित 46 कम्पनियां पुन: अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है।

मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। पहले ही सदन में जो कुछ हुआ है इससे छवि कम हुई है। लोग पूछ रहे है, कि "क्या हुआ है"? जब मतदान हो रहा था जब अन्य बातें हो रही थी तो आप बाहर क्यों आए हैं? सभा की छवि कम न होने दें। कृपया इस ओर ध्यान दें। *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा : अभी तक आप ऐसा कर रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, पिछले डेढ़ घंटे में जो घटनाएं घटी, वे इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं कि मंत्री जी बड़े होशियार हैं, चालाक हैं और उन्होंने अपनी सारी होशियारी और चालाकी के बावजूद, अपना अंतिम इरादा क्या है, उसको सदन के समाने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब तो बात यहां पर आ गई है कि देशी कंपनियों को हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। अब यह जो एक अमैंडमेंट यहां पर था, वह तो चला गया। अब उनको एक तमाचा मारने के लिए वे कह रहे हैं कि हम "देशी कंपनी" शब्द को जोड़ने के लिए तैयार है। उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें तमाचा मारने के लिए, वे यह करना चाहते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों का नाम यहां पर न रखते हुए वे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका इरादा विदेशी कंपनियों को हिन्दुस्तान में लाने का है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का यह कहना कि जब समय आ जाएगा तब हम करेंगे, मैं इसको नहीं मानता हूं। क्योंकि जब अपने देशी कंपनियों के नाम को लिया और जब देशी कंपनियों का नाम लेने के लिए तैयार हैं, तो जैसा कहा जाता है

[अनुवाद]

आपने पराजय को जीत में बदल दिया है। वित्त मंत्री महोदय आपका उद्देश्य यही प्रयास करने का है। तब आप विश्व भर में यह कहने में समर्थ होंगे कि जो आपने जो कुछ किया है वह विश्वभर में कहीं नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, तो मेरा कहना यह है कि जब देशी कंपनियों के हाथ

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

में देते हैं, तो आज जो हमारी कंपनियां है, चाहे कोई भी विदेशी कंपनी हो, हिन्दुस्तान में शेयर खरीदने पर उनके लिए कोई रोक नहीं है। चाहे मुम्बई में और चाहे दिल्ली में वे कहीं भी शेयर खरीद सकती हैं, उनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। उनको शेयर खरीदने की इजाजत देते हैं। यह उनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, लेकिन वे सोचते हैं कि सदन में बैठे लोग इस बात को भूल गए हैं कि विदेशी फायनेंश्यल कंपनियां, विदेशी इन्वेस्टर आज हिन्दुस्तान के बाजार में आकर, शेयर बाजार में आकर जब देशी कंपिनयों के शेयर खरीद सकते हैं, तो वे मुम्बई के बाजार में रजिस्टर्ड होकर रहेंगी, तो क्या विदेशी कंपनियां इसको नहीं खरीदेंगी? मैमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग किसलिए है? क्या ये मैमो आफ अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार को मालूमात न रहते हुए हुए हैं?

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह क्या यह सत्य है कि पिछले साल भर से हर बार आपकी बहस जो हो रही है चाहे वह इंटरनैशनल मानिटरी फंड हो, या डब्ल्यू०टी०ओ० हो या अमरीकी सरकार के साथ वायलैटरल टाक हो, जहां-जहां बहस हुई है क्या उन लोगों ने इंश्योरेंस का सवाल नहीं उठाया? जितने लोग अमरीकी सरकार के यहां पर आए हैं, क्या उन लोगों ने आपसे यह बात नहीं छेड़ी है? कि कब इंश्योरेंस खोल रहे हो? कब हमें आने दे रहे हैं? क्या ये बातें नहीं छेड़ी हैं? यह कोई गुप्त बात नहीं है। सार्वजनिक बातें हैं। युनाइटेड स्टेट सर्विसेस है या जो भी अमरीका की यहां सूचना एजेंसी है, या जो भी एजेंसी है, उसने वहां के इकनामिक बुलेटिन को जिसे कुछ सांसदों का भेज दिया जाता है, यदि उसी को पढ़ लेंगे, तो उसमें ही ऐसे कम से कम 10 उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप समाप्त करें। आपने अपनी बात कह ली हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश को अमरीका का सरोगेट मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह सदन किसी विदेशी ताकत के कहने पर हिन्दुस्तान में नहीं चल सकता है। यह हमारा सार्वभौम सदन है। यह सदन इस देश के हित को मद्देनजर रखकर अपना फैसला करेगा और ऐसा कोई भी दरवाजा हो, चाहे पीछे का दरवाजा हो या सामने का दरवाजा हो, इन नीतियों को यहां पर नहीं आने देगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रक्रियात्मक मामले पर बात कर रहे हैं न कि गुण-अवगुण पर।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सर, प्रसीजरल और कांस्टीट्यूशनल, दोनों मिक्स हो गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि हम प्रक्रियात्मक मामले विषय पर बात कर रहे हैं यह एक सीमित प्रश्न है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब विभिन्न राजनैतिक दल विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो मैं यह सोचता हूं कि मुझे यह बताना चाहिए कि इस विधेयक के बारे में मेरे दल का क्या विचार है। जब माननीय वित्त मंत्री ने हमसे सम्पर्क किया था तब हमने कहा था कि हम विधेयक का समर्थन करेंगे। उस समय, हमें बताया गया था कि इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वह सरकार की ओर से माननीय सदस्यों से बात करेंगे और श्री निर्मल कांति चटर्जी के अलावा वे अपने सशोधनों पर बल नहीं देंगे। हमने कहा था "ठीक है। जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है; हम विधेयक का समर्थन करेंगे।"

अब यह स्थिति आ गई है, जबकि मुख्य निर्णय भी बदलना पड़ेगा। विधेयक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संशोधन लाये गए हैं भारतीय जनता पार्टी एक ओर तो कहती है कि वे निजीकरण के विरुद्ध नहीं है और फिर कहती है कि निजी कंपनियां देश की होनी चाहिए विदेश की नहीं। वे कहते है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आनी चाहिए।

मोटे तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है और यह उचित लगता है। किंतु आज, इस समय मेरे लिए इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय लेना संभव नहीं है। इस कारण मैं श्री चिदम्बरम् से इस पर कुछ समय लेने के लिए बात कर रहा था। किन्तु श्री चन्द्रशेखर और अन्य यहां मौजूद हैं। आज हमारी अजीब स्थिति है। मेरे दल के सभी नेता कलकत्ता जा रहे हैं।

इस पर सभा को विचार करना है हमें नहीं। या तो इसे आस्थगित किया जाना चाहिए अथवा यदि इस विशेष संशोधन के लिए मतदान कराया जाता है, तो मुझे *(व्यवधान)* मुझे पूरा करने दें। आप 'हां' अथवा 'नहीं' कह सकते है, मैं बुरा नहीं मानूंगा; किंतु मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें।

इस विशेष संशोधन पर, यदि वे बल देते है, तो मुझे मतदान करने से बचना होगा। मैं आज यह करने में समर्थ नहीं हूंगा। यदि श्री चिदम्बरम जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं उस संशोधन का समर्थन करूंगा। मैं समझता हूँ कि यह एक तर्कसंगत संशोधन है जिसको वह लाये हैं। सामान्यत: वह यह नहीं करेंगे, किन्तु उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया है। वह सभा से इसे प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं श्री वाजपेयी से भी पूछूंगा, हमें यह करने दें; यदि श्री चिदम्बरम का संशोधन कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जाता है, तो वह बेहतर रहेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, पिछले दो-तीन घंटों से सदन में जो कुछ हुआ है उससे न केवल सदन की मर्यादा घटी है बल्कि देश के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या विदेशी ताकतें हमारे देश की संसद को जिस तरह चाहें उस तरह चला सकती हैं? पिछले छह वर्षों से हम नीतियों के सवाल पर इस देश की दुर्गति देखते रहे हैं लेकिन सदन की दुर्गति आज ही दखेने को मिली है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब मतदान हो रहा था, उस समय सरकार हार जाती तो उससे सरकार नहीं गिरती। लेकिन जार्ज फर्नान्डीज साहब ने जो एक बात कही है, वहीं सही लगती है कि किन्हीं लोगों को प्रसन्न करने के लिए बार-बार एक प्रयास किया जा रहा है और मुझे दुख है कि सदन के विभिन्न वर्गों के लोग उस प्रयास को समझते हुए भी उसमें सहभागी होने के लिए तैयार बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी कड़ी बात नहीं कहना चाहता। पिछले दिनों में जिस तरह सरकार ने देश की पूंजी को विदेशियों के हाथ में बेचा है, जिस तरह से हमारे उद्योग उनके हाथ में गये हैं, जिस तरह हमारे देश की पूंजी पर उन्होंने कब्जा किया है, उनके आंकड़े अगर देखे जायें तो किसी भी राष्ट्र की गर्दन शर्म से झुक जायेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत हो चुका, इस मर्यादा का और हनन मत कीजिए चाहे जो कुछ भी हो। प्रस्ताव हटाना चाहें या रोकना चाहे लेकिन सदन में कुछ मर्यादा का निर्वाह होना चाहिए और मैं कहता हूं कि दो या ढाई घंटे में जो कुछ हुआ है, वह सदन की मार्यादा के विपरीत है।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस पर जो बहस पहले चलती रही है उसको मैंने भी सुना और आज का वित्त मंत्री जी का भाषण भी मैंने सुना। आप रिकार्ड में देख लीजिये कि उन्होंने हर बार यह कहा है कि बीमा पब्लिक सैक्टर में ही रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह इसे क्यों दोहरा रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) : अध्यक्ष जी, इस पर भाषण की कोई जरूरत नहीं है। *(व्यवधान)* आप मतदान के लिए एप्रूव कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : वित्त मंत्री जी ने संशोधन का जो प्रस्ताव रखा था, अगर उनकी नीयत साफ है तो भाजपा के साथी ने जो अमेंडमेंट दिया है, उसको मान लेने में इनको एतराज है? मैं समझता हूं कि उनकी नीयत साफ नहीं है इसलिए घुमा-फिराकर बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम काफी विचार-विमर्श कर चुके हैं। अब मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैंने सभा के विभिन्न वर्गों के विचारों को बहुत ही ध्यान से सुना है। मैं भी मानता हूं कि कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। जिनको यह सरकार बढ़ावा नहीं देना चाहती। हम अत्यंत उत्सुक हैं कि सभा की आम सर्वसम्मति का हमें सम्मान करना चाहिए और हम उसका सम्मान करेंगे।

मेरा सुझाव है कि तब तक हमें आगे कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए; हम यहीं रूकते हैं क्योंकि यह *(व्यवधान)* हम उन सबके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् वापस आएंगे *(व्यवधान)* हम इस विधेयक को प्रस्तुत भी नहीं करेंगे *(व्यवधान)* हम वापस आपके पास आ सकते हैं, *(व्यवधान)* मुझे समाप्त करने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा कि हमें विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

हम विधेयक को वापस रखते हैं। हम आपस में विचार-विमर्श करेंगे और सर्वसम्मति प्राप्त करने के पश्चात् एक व्यवस्थित रूप में हम वापस आएंगे।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दो, तीन दिनों से या चार दिनों से हम बार-बार वित्त मंत्री के पास गए है। हम अपने संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री जी के पास भी गए हैं ताकि इसे सबको सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व हम एक दूसरे के विचारों से वाकिफ हो जाएं। परंतु इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। हमें प्रसन्नता है कि इतना विलंब होने पर भी प्रधान मंत्री जी उसपर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात से खुश हैं *(व्यवधान)* पिछले चार दिनों से हमने इसके लिए प्रयत्न किये है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जब चुनाव के लिए कार्यवाही होने जा रही थी तो प्रस्ताव वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता। आप रूलिंग दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना ही काफी है; काफी है। कृपया अब मेरी बात सुनिए। प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भोजन अवकाश से पूर्व कहा था कि ऐसा पहले भी हो चुका है जबकि एक विधेयक को वाचन के तीसरे चरण पर होते हुए भी स्थगित किया गया था। इसके लिए, विधेयक के प्रस्तावक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यदि सर्वसम्मति है तो ठीक है। अन्यथा स्थगन के लिए भी मुझे इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। अत: यदि आप स्थगन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है; तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु मुझे उस प्रस्ताव को भी सभा के समक्ष मतदान के लिए रखना होगा *(व्यवधान)* मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कोई सर्वसम्मति है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं सभा में किसी निश्चित सर्वसम्मति के बिना कुछ भी करना नहीं चाहता। मैं सर्वसम्मति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि हम धारा 13 पर दो अत्यंत सुस्पष्ट स्थितियों पर अटक गए थे। मैं इसकी कोई आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूं। एक संशोधन पहले ही अस्वीकृत हो चुका है। वे उस बात पर पुन: जोर डालने के हकदार है। आखिरकार, यह एक लोकतंत्र है और एक प्रणाली है। वे उस संशोधन के अस्वीकृत होने के बाद भी अपनी बात पर जोर डाल सकते हैं।

इसके अलावा, एक अन्य संशोधन भी है जोकि और अधिक सीमित प्रकृति का है। मेरे विचार से उस संशोधन के लिए व्यापक समर्थन है। अत:, सबसे मशवरा करने के पश्चात्, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम की कार्य प्रणाली सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संभवत कोई समाधान निकाला जा सके। साधारण बीमा निगम 35 देशों में कार्यरत है और जीवन बीमा निगम 5 देशों में कार्यरत हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था और अब दोहराता हूं कि किसी भी विदेशी कम्पनी अथवा बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु भारतीय कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसीलिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया था। मैं इसे औपचारिक रूप से इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

उस चरण पर प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि वह चाहेंगे कि श्री वाजपेयी तथा अन्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, क्या हम एकमत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपका विचार समझ गया हूं। परंतु इस पर भी, क्या हम एकमत हो सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपके विचार से अवगत हूं। इसपर भी तो कोई एकमत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह है : इस पर, जो सूत्र मैंने प्रस्तुत किया है और जो आपने प्रस्तुत किया है क्या इनमें कोई एकमत है? क्या हम इसपर बात कर सकते हैं? अत: प्रधान मंत्री जी ने कहा हैं कि, "क्या आप इस मुद्दे को तब तक आस्थगित मान सकते हैं जब तक हम इस के विषय में विचार विमर्श न कर लें? मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में अपनी टिप्पणी करें। हम एकमत हो सकते हैं। हम उन्हें भी शामिल करेंगे। हम कांग्रेस को शामिल करेंगे। वे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। कांग्रेस को वास्तव में इसपर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्कता है। अत: हमें सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। हमें आशंकाओं से निपटने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। आप कह सकते हैं कि श्री जसवंत सिंह ने बार बार किसी आशंका की बात कही हैं। मैं उस आशंका को दूर करने की चेष्टा कर रहा हूं। आइए देखें कि क्या आपकी आशंका को दूर करने का कोई तरीका है या नहीं। मेरे विचार से धारा 13 तथा 26 इसके लिए उपलब्ध हैं। हम इसे और बेहतरीन तरह से दूर कर पाएंगे। हमें एकमत होने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसपर कोई समझौता हो सकता है तो हम वाद-विवाद को स्थगित कर सकते हैं। वरना, मेरे विचार से विपक्ष के नेता को प्रधान मंत्री जी की अपील का उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से किसी न किसी रूप में पार्लियामैंट से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है वैसी पहले कभी पैदा नहीं हुई। इसका कारण यह है कि सरकार विधेयक लाने से पहले अपना निश्चित मत नहीं बनाती है, किसका समर्थन मिलेगा, किसका समर्थन नहीं मिलेगा, इसका हिसाब नहीं लगाया जाता है और फिर जब सरकार कठिनाई में पड़ती है तो फिर कदम-ब-कदम मानो किसी दबाव में काम कर रही है, बातें मानती जाती है।

हमने प्रारम्भ में मांग की थी, हमारे दल ने प्रारम्भ में मांग की थी कि हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के खिलाफ हैं, लेकिन भारतीय कम्पनियों को वहां पूरा मौका मिलना चाहिए। यह बात पहले स्वीकार नहीं की गई, अब स्वीकार की गई है। ओनली इंडियन कम्पनीज, जिसका अभी वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है और जो हमारे सामने संशोधन के रूप में आना बाकी है, वह यह मान रहे हैं कि ओनली इंडियन कम्पनीज को उसमें अवसर दिया जायेगा, यह अच्छी बात है, हम इसे पसन्द करते हैं। लेकिन इसके साथ जो आशंकाएं बनी हुई हैं, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। जब मैंने मैंने इस बात का सुझाव रखा था कि थोड़ी देर के लिए चर्चा स्थगित की जाये, तो उसका उद्देश्य एक ही था कि हमने जो संशोधन दिया हुआ है, उसके बारे में सरकार विचार करें। क्या सरकार उसपर विचार कर सकती है? क्या कठिनाइयां हैं? वित्त मंत्री महोदय ने अभी कठिनाइयां बताई हैं और सचमुच में यह कठिनाइयां पहले सदन के सामने आनी चाहिए थी। वह भी पूरी कठिनाइयां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है।

सरकार का कहना यह है कि इंडियन कम्पनीज विदेशो में इन्श्योरेंस का काम कर रही हैं, वे अच्छा काम कर रही हैं, धन कमा रही हैं, वहां बसे भारतीयों की मदद से चल रही है। उनके हित में काम कर रही हैं और अगर हम अपने यहां यह लिख देते हैं कि विदेशी कम्पनियों के लिए हम दरवाजे बन्द कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वहां कठिनाई पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं, इस तर्क में थोड़ा सा वजन है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में यह आशंका लगातार बढ़ती जा रही है कि अगर छोटा सा भी छेद रहने दिया गया तो फिर उसमें से बड़े पैमाने पर विदेशी तत्व प्रविष्ट कर रहे हैं। आखिर चन्द्रशेखर जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उनके मन में यह आशंका क्यों पैदा हो रही है कि देश अपनी सर्वप्रभुता को गिरवी रखने जा रहा है। मेरे मित्र जार्ज फर्नाण्डीज भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर जो कुछ कह रहे हैं, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है।

लेकिन अब वित्त मंत्री महोदय ने कहा है और प्रधान मंत्री जी ने भी समय मांगा है, तो मैं समझता हूं कि सदन को समय देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर इसके बाद जब आप विधेयक लेकर आयें तो हमारी सारी आशंकाओं को दूर करने वाला विधेयक होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बम : महोदय, मैं केवल एक ही बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं पार्टियों के नेताओं से लगातार अलग-अलग परामर्श करता रहा हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था तथा समिति के 45 सदस्यों में से 44 सदस्यों ने इस विधेयक को पांच संशोधनों के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक बार फिर इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि स्थायी समिति की रिपोर्ट मौजूद है। इसके बावजूद भी मैं केवल इसी रिपोर्ट के अनुसार नहीं चल रहा हूं मैंने सभी पार्टियों के नेताओं से बराबर परामर्श किया है और अब जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसका अर्थ भलीभांति समझ रहा हूं, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं *(व्यवधान)* आप जो कुछ कह रहे है मैं उसे स्वीकार करता हूं *(व्यवधान)* मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें समय चाहिए *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था आपको यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)* आपको विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं विपक्ष के नेता का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन को सही रूप में लिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से, सरकार की ओर से - इस सभा से छुपकर कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी नीतियां बनाई जायेंगी वे सभी के समक्ष, सभी की सम्मति से, सभी की जानकारी से तथा सभा की सहमति से ही बनाई जाएगी। अत:, जब हम इसे स्थगित कर रहे हैं तो कृपया उसे उसी रूप में स्वीकारें। हमने सभा के उत्साह को देखा है और हम उसकी कद्र करते हैं *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई स्थगन नहीं। सरकार को विधेयक वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)*।

श्री प्रमोद महाजन : इसे वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : इसे वापस ले लेना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यदि सरकार इस पर कोई सर्वसम्मति चाहती है तो सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। जब सर्व-सम्मति होगी तब एक नया विधेयक लाया जा सकता है *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : विधेयक को वापस ले लिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विधेयक को वापस ले लिया जाए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अच्छा होगा सरकार इस विधेयक को वापस ले ले। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस विषय पर सर्वसम्मति आवश्यक है। जब विधेयक पर कोई सर्वसम्मति नहीं है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अब दो-तीन प्रस्ताव हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि आज सब कुछ सभा की सम्मति से ही होना चाहिए। यदि यह नए संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए हैं तो वह सभा की अनुमति से ही होना चाहिए। यदि यह विधेयक के स्थगन का प्रस्ताव है, तो यह पुन: उचित प्रस्ताव द्वारा तथा सभा की सहमति से होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो यह मतदान द्वारा किया जाना चाहिए। इसे वापस भी सभा की सहमति से ही लिया जाना चाहिए। सरकार को अपना मन बनाना चाहिए और अभी तीन में से किसी एक उपाय को अपनाना चाहिए। अन्यथा, मुझे संशोधनों को मतदान के लिए रखना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वापस लेने के लिए आम सहमति है।

श्री रूप चंद पाल : मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि सरकार विधेयक को वापस लेने का निर्णय लेती है तो इसका विरोध नहीं होगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं पुन: प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आभारी हूं। मैं उनके वचनों का आदर करता हूं। हम विधेयक वापस लेते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने और बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने और बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०चिदम्बरम : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक वापस लिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : यह भारत की जनता की विजय है।

अपराह्न 3.13 बजे

प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की भारी क्षति के बारे में चर्चा — *जारी*

अध्यक्ष महोदय : अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन की भारी क्षति के संबंध में आगे चर्चा होगी। श्री उधव बर्मन बोलेंगे।

अपराह्न 3.14 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। पीथिका में खड़े न होइये।

(व्यवधान)

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : पिछली बार मैंने क्षेत्र में परिस्थितिकीय परिवर्तनों के बारे में बात की थी। कटाव महत्वपूर्ण और हानिकारक चीजों में से एक है। राज्य में बाढ़ के साथ-साथ कटाव ने न केवल ब्रह्मपुत्र नदी अपितु इसकी सहायक नदियों में भी कृषि योग्य भूमि को भी समाप्त कर दिया है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। इससे प्रत्येक वर्ष हमारे राज्य में समस्या पैदा हो रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से आवश्यक रूप से निवेदन करूंगा कि वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पहले ही तैयार किए गए मास्टर प्लान के कार्यान्वियन के लिए आगे आए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री उधव बर्मन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में पहले से ही सूखा और बाढ़ आती है। केरल और गुजरात में बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला भी बाढ़ ग्रस्त है। गुजरात व्यावहारिक रूप से बाढ़ के नुकसानदेह संघात के अन्तर्गत है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि सरकार प्राकृति आपदा प्रबंध के लिए उचित तरीके नहीं अपना रही है। वे पूर्णरूप से और व्यावहारिक रूप से उपेक्षित हैं।

यह कहा गया है कि आठवीं योजना में प्राकृतिक आपदा प्रबंध कार्यक्रम के लिए 9.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। परन्तु यह देखा गया है कि आपदा व्यवस्थापन के लिए 2.69 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इससे व्यवहारिक रूप से केन्द्रीय सरकार का अकर्मण्य व्यवहार परिलक्षित होता है। आपदा प्रबंध का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। परन्तु केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा इसकी पूर्णत: उपेक्षा की जाती है।

मैं निवेदन करता हूं कि जहां हम प्राकृतिक आपदा कटौती का अन्तर्राष्ट्रीय दशक मना रहे है, वही केंद्रीय सरकार को लोगों को शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें कतिपय प्राकृतिक आपदा की विनाश संभावनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए।

असम-भूकम्प प्रभाविर्त क्षेत्र में है जहां भूचाल प्राय: आते रहते हैं। असम के लोगों के मन में पिछले भूचाल के प्रभाव के कारण भय व्याप्त हैं एक प्रसिद्ध भू-भौतिक विज्ञानी श्री नेगी ने यह बताया था कि प्रत्येक 100 वर्षों के बाद भूचाल फिर आए गए। 1897 में असम में एक भूचाल आया था। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहां के लोग इस बारे में शिक्षित हों। मैं स्वभाविक तौर पर सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि इस क्षेत्र में भूचाल के संभावित स्तरों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए निवारक उपाय किए जाएं। और लोग इसके बारे में जागरूक हों।

मैंने अपने भाषण के आरम्भ में पहले ही इसका उल्लेख किया था। मैंने कहा है कि बाढ़, कटाव, भूचाल आदि जैसे प्राकृतिक विपदाएं न केवल वर्तमान में तबाही मचा रही हैं अपितु वे भावी विकास के लिए भी समस्याएं

[श्री उध्‍व बर्मन]

पैदा कर रही हैं। ये फसलों, बुनियादी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा रही हैं।

असम में प्रायः बाढ़, कटाव आदि आते रहते हैं। यह इस क्षेत्र की विशेषता है वहां के लोगों, विशेष रूप से कृषकों में यह भय बैठा हुआ है कि वे जो कुछ भी पैदा करते है वह बाढ़ में नष्ट हो जाता है यदि हम बाढ़ नियंत्रण हेतु निवारक उपाय नहीं करते हैं और कटाव को भी नहीं रोकते हैं तो हमें व्यावहारिक रूप से इसके दुष्परिणामों को सहन करना पड़ेगा। निष्क्रियता तथा कुण्ठा की भावना लोगों मे व्याप्त है।

पिछले पांच दशकों के दौरान इस क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने के कारण असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के बीच पहले से ही काफी असंतोष हैं दुर्भाग्य से इस असंतुष्टता का उग्रवादी ताकतों ने फायदा उठाया है और वे अनेक समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में जबकि सारा देश तथा यह सभा इसका उत्सव मना रहे हैं, तब हमें बाढ़ और कटाव पर नियंत्रण पाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था ओर विकास में इस क्षेत्र की उपेक्षा के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर भी विचार करना चाहिए। हमे पिछले पचास वर्षों में इस उपेक्षा के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ में, मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार को देश भर में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों, की भावनाओं के प्रति अधिक संवदेनशील होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ रूचि ली है और वहां के विकास के लिए 6100 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और कटाव के नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपए देने का भी वायदा किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यदि केवल बाढ़ नियंत्रण किया जाता है और जल प्रबंधन जैसी अन्य बातों पर विचार नहीं किया जाता है तो वहां जो भी संभावनाएं है उनका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाएगा और इस योजना की कोई प्रगति नहीं होगी।

इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि चूंकि असम सरकार सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारें परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पूर्व घोषित परियोजनाओं का वित्त पोषण करे। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा-स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आगे आए ताकि इससे न केवल बाढ़ और मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण हो सकेगा। अपितु जल विद्युत ऊर्जा का भी काफी सृजन किया जा सकेगा। इस संबंध में मैं केन्द्रीय सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह असम की भावनाओं के प्रति संवेदन शील बनें और उनकी समस्याओं का समाधान करें क्योंकि असम के अधिकांश लोग कृषक है। वे न केवल असम के आर्थिक विकास के लिए अपितु राष्ट्रीय विकास के लिए भी काफी भूमि पर खेती कर सकते हैं। यह पूरे देश के लिए एक नए युग का सुजपात करेगा। असम के लोग यह भी कह सकते हैं कि वे पिछड़े हुए नहीं है, वंचित नहीं है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और वे इस महान देश के एक अभिन्न अंग है। एक नए भारत का निर्माण करने में हम भी काफी, योगदान दे सकते हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वे बाढ़ और कटाव रोकने हेतु न केवल अस्थायी उपाय करें और न केवल आपदा राहत हेतु राष्ट्रीय कोष के नाम पर न्यूनतम राहत दें अपितु उन्हें व्यापक उपाय भी करने चाहिए। ये अस्थायी उपाय केवल समस्याओं का थोड़ा ही समाधान करते हैं। देश भर में व्यापक उपाय किए जाने चाहिए जो असम सहित इस देश के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए काफी हद तक सहायक होंगे।

देश के कतिपय भागों में सूखे की स्थिति भी विद्यमान है। उड़ीसा राज्य ने कालाहांडी क्षेत्र के लोग व्यावहारिक रूप से सड़कों पर आ गए हैं। सूखे की स्थिति के कारण काफी लोगों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इसके लिए हमारा दोष है। यह एक अपराधपूर्ण उपेक्षा है। हम सूखे की स्थिति पैदा करने के लिए उपेक्षा का अपराध कर रहे हैं। हमें इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपराध को समाप्त किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को व्यापक उपाय करने चाहिए ताकि सभी समस्याओं का समाधान हो सके। केवल चर्चा करने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है चर्चा की जानी चाहिए लेकिन केवल इससे ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए जब तक कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं लिया जाता और उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं हो पायेगा।

मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार व्यापक उपाय करेगी ताकि बाढ़, कटाव और सूखे की स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सके और वहां की जनता को राष्ट्रीय आपदाओं के विनाश से बचाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, कल मेरे साथी प्रहलाद पटेल जी ने जबलपुर के भूकम्प के बारे में विस्तार से बताया। मैं दुबारा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उससे भी चिंता की बात पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि वहां ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री हैं। *(व्यवधान)* श्रीमान, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधान मंत्री जी को भूकम्प का अध्ययन करने के लिए आने से रोका। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं तो जल्दी आना चाहता था लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि रूकिये, अभी हमारी पार्टी के चुनाव हैं। आप रूकिये, फिर भूकम्प की स्थिति का अध्ययन कर लेंगे। केन्द्र के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार से हमारे पास विश्व बैंक की सहायता के लिए जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी, जिस प्रारूप पर आनी चाहिए थी, वह नहीं आई है, वह उन्होंने भेजी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि केन्द्र के वित्त मंत्री असत्य भाषण कर रहे है और वित्त मंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री असत्य भाषण कर रहे है। अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार यह भी पूरी तरह से आकलन नहीं कर पाई है कि इस भूकम्प में नुकसान कितना हुआ है? दो महीने गुजर गये हैं परन्तु कुछ नहीं हुआ।

मैं इस समस्या पर, इस बड़े खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी जमाने में जब आज का भौतिक विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, उस समय भगीरथ नाम के इंजीनियर ने हिमालय को तोड़कर गंगा को भारत में प्रवाहित किया था और उसकी धाराओं के जल से इस देश को सरस बनाया। आज तो भौतिक विज्ञान का युग है। श्रीमान्, मिश्रा जी कहेंगे कि यह मेरा विषय नहीं है। आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी असम, बिहार, गुजरात की बाढ़ों की चर्चा होती रही है। उड़ीसा में अनावृष्टि है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश की आजादी से पहले और बाद में भी एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की चर्चा होती रही है। लेकिन आज तो वह चर्चा भी बंद हो गयी है। आज जो हमारी सम्पत्ति है, पूंजी है, कुदरत की जो देन है वह अभिशाप बनकर हमें त्रास दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि कहां गयी नेशनल ग्रिड बनाने की चर्चा? आज तो इंश्योरेंस में विदेशी कंपनियों को लाने की चर्चा हो रही है।

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : पटवा जी, गुजरात में नर्मदा का मुद्दा भी लें।

श्री सुंदर लाल पटवा : वह नेशनल ग्रिड कहां है। क्या हर साल हम ऐसी आपदाओं से गुजरते रहेंगे और यहां टैम्प्रेरी अरेंजमेंट होते रहेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि आप रक्त-शुद्धि का उपाय क्यों नहीं करते? पर किस सरकार से अपेक्षा करे? जिस सरकार के प्रधान मंत्री कहते हैं कि हाय राम, मैं असहाय हूं, हाय राम, मुझे प्रधान मंत्री बने शर्म आती है। हम किस के आगे रोना रोएं? मध्य प्रदेश सरकार की अजीब हालत है और इस सरकार की इससे अजीब हालत है। कहीं सूखा है, कही बाढ़ है, कही भूकम्प है। मिश्र जी विद्वान आदमी हैं, साम्यवादी है। उन्होंने कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल जरूर पढ़ी होगी। मुझे विश्वास है कि आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ा होगा। मुझे विश्वास है कि आपने भर्तृहरि का नीति शतक भी पढ़ा होगा।

अपराह्न 3.31 बजे

[श्री पी०सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]

माननीय सभापति जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस देश में कोई ज्ञान-विज्ञान नहीं है? हम विदेशी उधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। देश को इस प्रकार चलाते हुए 50 साल गुजार दिए। अब इस मुकाम पर आकर खड़े हैं। आप साम्यवादी दल के हैं। इसलिए आपने कहीं न कहीं से वेद भी पढ़ा होगा। वह आपके रक्त में हैं, वंशागत परम्परा में है। क्या इन प्राकृतिक प्रकोपों को आने से रोका जा सकता है? क्या इनको रोकने के हमारे विद्वानों ने कोई उपाय बताए? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, चिंतकों ने जिन्होंने नदी के तटों पर, तपोवनों में, पर्ण कुटीरों में जीवन बीता कर और साधना करके इस देश और दुनिया को ज्ञान और विज्ञान दिया, हम उनकी तरफ नजर डालने से क्यों कतराते हैं? दुर्भाग्य से हमारी पीढ़ी इतनी अज्ञानी है कि वह हमारे पूर्वजों की पूंजी और ख्याति को भूल कर बैठी है। गांव का सामान्य किसान चिड़ियों का फड़फड़ाना देख कर भूकम्प की कल्पना कर लेता है, बरसात की कल्पना कर लेता है, अकाल की कल्पना कर लेता है। इतना सामान्य विज्ञान हमारे पास उपलब्ध है।

गुजरात की चर्चा हमारे विद्वान मित्र कर रहे थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टैक्नॉलोजी के टैक्नॉलोजी विभाग को चार करोड़ रुपए देकर भारत सरकार ने नर्मदा नदी क्षेत्र में भविष्य में भूकम्प आने की आशंकाओं की जांच का काम सौंपा था। बांध का डिजाइन बनने से पहले इसकी जांच करायी गई। विदेशों में बड़े विद्वान बसते हैं। उनसे जांच करवायी गई। इस अमेरिकन संस्थान ने गारंटी दी कि इस क्षेत्र में कभी भी चार रेक्टेयर से अधिक शक्ति का भूकम्प नहीं आएगा। 1987 में इंदौर में हमारे एक विद्वान श्री राम श्रीवास्तव ने एक आर्टिकल लिख कर उसे प्रकाशित किया।

[अनुवाद]

"भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के 1987 में संकेत मिले थे।"

[हिन्दी]

अमेरिकन विद्वान से जांच कराने के बाद उसने कहा कि इस क्षेत्र में चार रेक्टेयर से अधिक शक्ति का भूकम्प नहीं आएगा। नर्मदा के इसी बेसिन में, जबलपुर के इस सम्भाग में 5-6 जिलों में इसका प्रभाव था। इसका भी अन्तर्राष्ट्रीय सैसमिक नैटवर्क द्वारा जो अध्ययन कराया गया, उसके अनुसार इसकी गहराई 5.8 रेक्टेयर की थी। इतनी शक्ति का भूकम्प था। नर्मदा बांध के डिजाइन के अनुसार चार रेक्टेयर से ज्यादा का भूकम्प नहीं आएगा यानि इससे ड्योढ़ा। 6 रेक्टेयर स्केल को सहन करने की क्षमता वाला बांध का डिज़ाईन है और यह भूकम्प तो 5.6 रेक्टेयर स्केल का था। यदि यह 6 रेक्टेयर स्केल को पार कर जाता तो इस बांध और उस क्षेत्र की स्थिति क्या होती? इस पर पुनर्विचार करवाने की आवश्यकता है। सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बरगी, बारना, दवा ये सब बड़े-बड़े बांध उस क्षेत्र में बने हुये हैं। सरदार सरोवर बांध में जो डूब में आने वाला इलाका है, अम्बाडोगा, नेश्वरपुर, जहां जमीन की चट्टान में खड़ी दरारें हैं, वर्टीकल फाल्ट बना हुआ है इसके नीचे पानी उतर कर भूकम्प लायेगा, आप इसकी शक्ति का कैसे पता लगायेंगे। इसलिये इसकी फिर से जांच आवश्यक है। फिर भी 1994 में बाढ़ के कारण नींव का एक भाग वह गया और अपने साथ एक चट्टान को भी ले गया। दो इंच बड़े सरिया मोम की तरह पिघल गया। ऐसी स्थिति से हम गुजर चुके हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में नर्मदा के पास कौड़िया नाम की सात पहाड़ियां हैं। ये हजारों टन वजन के चतुर्मुखी, पंचमुखी, षष्ठमुखी, अष्टमुखी 20-30 मीटर लम्बे पत्थर के करोड़ों बीमा से बने हुये पहाड़ है। इसके नीचे ज्वालामुखी सुरंगों की उपस्थिति बताई जाती है। क्या ताजा खोजों के संदर्भ में सरकार फिर से इसकी जांच करने की आवश्यकता महसूस करती है? बांध बने, पानी का उपयोग हो, नेशनल ग्रिड बने और इस धरती पर बरसने वाली हर बूंद हमारी राष्ट्रीय सम्पदा बने, इस देश में खुशहाली लाये लेकिन हमारे पास ज्ञान, विज्ञान और तकनीक हैं हम हमेशा चर्चा करते हैं और कल भी चर्चा कर रहे थे। कल श्री हजारिका जी असम के बारे में कह रहे थे। मेरा अनुरोध है कि जो तात्कालिक उपाय हों, वे किये जायें, आप पूरी ताकत से करें।

सभापति महोदय, अभी कल हमारे साथी प्रहलाद जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी स्थिति का अध्ययन करने के लिये गये तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी वाहवाही करवाने के लिये एक महिला कांस्टेबिल या उसकी पत्नी को सिविल ड्रेस में खड़ा कर दिया जिसने कहा कि राहत कार्य हो रहे है ताकि प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री की पीठ थपथपा दें। यह तो सारा प्रेस और जनता जानती है कि वहां पर 5-6 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहां पर 6 जिलों में भूकम्प से नुकसान हुआ है। इसमें जबलपुर और मंडला जिले बहुत अधिक प्रभावित हैं। जैसा कि हमारी साथी प्रहलाद जी ने बताया कि रात का समय था, गरमी का मौसम और लोग बाहर सोये हुए थे। लोगों के मिट्टी और घास फूस के मकान है। यदि गिरें तो मरने की संभावना बहुम कम होती, यह मंडला जिले के लिये सौभाग्य की बात थी। जहां तक लातूर जिले का सवाल है, उस समय तो वहां पर ठंड का मौसम था, पक्के मकानों में लोग सो रहे थे और इसलिये वहां पर मरने वालों की संख्या हजारों थी। इसलिए उसका नोटिस भी इसी प्रकार से लिया गया। कम मेरे परंतु संपत्ति का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है और जिन लोगों का हुआ है, वह मंडला आदिवासी जिला है। 95 प्रतिशत आबादी यहां आदिवासियों की है। सबके सब एम०एल०ए० उस जिले के आदिवासी हैं, वहां के सांसद आदिवासी है, कोई गैर-आदिवासी नहीं है। मुश्किल से पांच से दस प्रतिशत आबादी गैर-आदिवासियों की है और उनकी आर्थिक स्थिति, उनके मकान, उनके रहन-सहन की स्थिति, ये सारी कल्पना करके हम देखें तो अगर उनके कच्चे मिट्टी के मकान भी गिर गए तो उनका सर्वस्व लुट गया। वहां अभी तक कोई नहीं गया है। जब हमारे साथियों ने और प्रहलाद पटेल ने वहां पर हल्ला मचाया, तब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की नींद उड़ी और वह वहां गए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा परंतु दो तीन खबरों की तरफ मैं जरूर इशारा करूंगा। मैं हिमायती हूं कि बांध बनना चाहिए, नर्मदा के जल का संपूर्ण उपयोग होना चाहिए। गुजरात के मित्रों को याद होगा कि जिस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और मैं मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहा था, उस समय सबसे अधिक तेजी से काम चला दोनों प्रदेशों से। चिमनभाई आज दुनिया में नहीं है। वह अलग पार्टी के थे। हम परस्पर एक पार्टी के नहीं थे, परंतु उनके इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी आज मैं कहना चाहूंगा कि पुनर्वास के मामले में हमने जिस समय जो भी सुझाव दिया, वह उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया। पूरे समन्वय के साथ और जिस तेजी के साथ उस समय काम हुआ। दुर्भाग्य तो उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश में आज की सरकार के होते हुए यह काम रूका है। परंतु इन सब खतरों की तरफ जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ओफ टैक्नोलोजी के सर्वे की जांच रिपोर्ट थी, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है वरना यह वरदान एक दिन हमारे लिए कोयना से भी बड़ा अभिशाप हो सकता है। इसकी चिन्ता हमें करनी चाहिए वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।

[श्री सुंदर लाल पटवा]

देवास में, सरदारपुर में और इन सब स्थानों पर जो-जो खतरे बताए गए हैं, उनका ड्यु नोटिस लिया जाना चाहिए। सभापति महोदय, आखिर ये प्राकृतिक प्रकोप क्यों आते हैं क्या इनके मूल पर कभी हमारा ध्यान गया? प्रकृति अभिशाप नहीं है, वरदान है। मनुष्य को नियति ने, प्रकृति ने पैदा किया है। वह मनुष्य को जिन्दा रखना चाहती है, पालना-पोसना चाहती है, बशर्ते मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे। पिछले पचास वर्षों में हमने क्या-क्या पाप किये? प्रकृति के घर के हिसाब किताब में भूल-चूक लेनी-देनी नहीं है। वहां तो तोला माशा रत्ती कांटा वाला हिसाब होता हैं बाढ़ इसलिए आती है कि हमने प्रकृति के साथ इतनी निर्दयता के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया। उसकी सजा तो मिलेगी। जंगलो का विनाश हुआ है, वनों का विनाश हुआ है। कैसे पानी रूकेगा? जो धुआं हम छोड़ रहे हैं और जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं जिस प्रकार से बिना सोचे-समझे हम निर्माण कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, जल का दुरूपयोग कर रहे हैं पशुओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वन-धन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसमें कोई माफी नहीं है। इसका हिसाब-किताब बराबर चुकता है और मिश्र जी का ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि जब तक वे इस कुर्सी पर बैठे हैं, पता नहीं कि कब तक बैठे हैं और शायद आपको भी नहीं पता होगा कि कब तक बैठे हैं ... *(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : जब आप ही को नहीं पता है तो हम क्या बताएं? हम जाएंगे तो आपके ही चलते।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मंत्री जी पक्के साम्यवादी हैं, कार्ल मार्क्स जरूर पढ़ा होगा पर घर में तो रामायण होगी। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पटवा जी, आपके पास अपनी बात समाप्त करने के लिए बहुत थोड़ा समय शेष हैं मैं समझता हूं कि आपको बोलने के लिए कुछ और विन्दु हैं। कृपया उन विन्दुओं पर बोलें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं केवल दो-तीन मिनट लूंगा। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मूल कारणों की तरफ भी हमारा ध्यान जाए। तात्कालिक उपायों तक हमारे प्रयास सीमित न रहे और मूल कारण जो है प्राकृतिक विपत्तियां आने के, खुदाइ के, जंगल कटाई के पर्यावरण को बिगाड़ने के इन सब कारणों की तरफ अगर हम दुर्लक्ष्य करते रहेंगे तो हर साल ये दुर्गति होती रहेगी और इसका नतीजा हमें भोगना पड़ेगा।

जबलपुर के भूकम्प के बारे में उपेक्षा हुई है, मैंने प्रधान मंत्री जी से उस दिन भी अग्रह किया था कि पांच हजार से छः हजार करोड़ के बीच का सामान्य नुकसान हर आदमी को दिखता है। मध्य प्रदेश की सरकार को दोबारा सर्वे कराने के बाद कुल नौ सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान दिख रहा है। नौ सौ करोड़ का नुकसान और उस पर ढाई सौ करोड़ रुपये की मांग और उसमें 40 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार का अनुदान, कृपया इस दयनीय स्थिति से मध्य प्रदेश को बचाइये, निकालिये और पर्याप्त सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध करवाइये। आप अपने स्तर से उसकी जांच करवाइये और अपने स्तर से जांच करवाकर जो सामाजिक कार्यकर्त्ता वहां काम कर रहे हैं, उनकी मदद लीजिए। इस संकट की पीड़ा को जितना हम कम कर सके, उतना करने का प्रयास करें। इस प्रार्थना के बाद में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री बी०के० गढ़वी बोलेंगे। उनके बोलने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हम 4.00 बजे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत मद संख्या 18 पर चर्चा आरंभ करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, जो डिबेट चल रही है उसको पूरा कर दिया जाए और फिर तब दूसरी डिबेट शुरू की जाए। वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय मेरा विनम्र निवेदन यह है कि प्राकृतिक विपदा की इस चर्चा को जारी रखा जाए। इसे एक बार में ही निपटाना चाहिए। हम कल से नियम 193 के अंतर्गत प्राकृतिक विपदा पर चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आज इसे जारी रखा जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी विषय पर चर्चा कल या परसो की जा सकती है। प्राकृतिक विपदा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को जारी रखा जाए ... *(व्यवधान)* हम सर्वसम्मति से अनुरोध करते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, मैं कार्य सूची का व्यतिक्रम नहीं कर सकता। आप जानते है कि यह आपके सामने है और 4.00 बजे अथवा जब भी यह चर्चा पूरी होती हैं, जो भी पहले हो, हमें इस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : नहीं तो यह ऐसे ही पड़ा रहेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुबंई उत्तर) : महोदय, आपके निर्णय से पहले, कृपया मुझे एक मिनट का समय दे।

श्री बी०के० गढ़वी (बनसकांठा) : महोदय क्या मैं अपना भाषण शुरू करूं? ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मामला यह है कि यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा के लिए 4.00 बजे का समय नियत किया गया है। जो कुछ होने की संभावना है वह यह है कि नियम 193 के अंतर्गत यह चर्चा पूरी नहीं होगी और एक विराम होगा। इसे कब जारी किया जाएगा? प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा समय समय पर की जाएगी। मेरा निवेदन है कि हम आज प्राकृतिक आपदा पर इस चर्चा को पूरा कर सकते हैं और नियम 193 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अन्य चर्चा कल या अन्य किसी दिन कर सकते हैं, यह सही होगा क्योंकि कम से कम एक महत्वपूर्ण चर्चा तो पूरी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा कल कर सकते हैं।

श्री हरिन पाठक : जी हां महोदय, अन्यथा इस महत्वपूर्ण मामले की नियति का निर्णय नहीं हो पाएगा।

श्री राम नाईक : महोदय, ऐसी बातों में निर्णय संपूर्ण सभा की सहमति से किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, यह 193 का मामला है, जो माननीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। कई जगह जन-धन की भारी हानि हुई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई राज्यों के अंदर

हुआ है। इसलिए हर राज्य के प्रतिनिधि अपने-अपने राज्य के बारे में बोलना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बात यह है कि जब तक सभा निर्णय नहीं करती है, मैं कार्यसूची का व्यतिक्रम नहीं कर सकता, अन्य महत्वपूर्ण बात है 6.30 बजे आधे घंटे की चर्चा हमें यह आरंभ करनी चाहिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : यह अन्य बात है।

सभापति महोदय : हमें इस पर 6.00 बजे से 6.30 बजे तक चर्चा करनी है। हम व्यतिक्रम नहीं कर सकते। यह चर्चा को 6.00 बजे तक पूरी नहीं होगी हम 6.00 बजे से 6.30 बजे तक आधा घंटा चर्चा करनी है।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा निवेदन है कि यह 6.30 बजे से 7.00 बजे तक है। हम इसे 6.30 बजे तक पूरा कर सकते है। कृपया इसे जारी रहने दें।

श्री हरिन पाठक : महोदय संपूर्ण सभा इस अनुरोध पर एकमत है। इस पर 6.30 बजे तब चर्चा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण सभा की इस संबंध में सहमति है। माननीय मंत्री जी भी अपनी सहमति दे रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय सारे देश की चर्चा हो जाएगी। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : मंत्री जी इससे सहमत हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हम तो इस पक्ष में हैं कि वन बाई वन हमें इसे खत्म करना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मेरा विचार है कि हम उन्हें एक-एक करके ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा किसी अन्य दिन कर सकते हैं। इस चर्चा को इस तरह लटकाना ठीक नहीं होगा।

श्री राम नाईक : महोदय इसे आज पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि सभा की यही राय है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित करूगां। फिलहाल, इस चर्चा को 4.00 बजे तक जारी रखा जाए। मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। हमारे सामने कार्य सूची हैं हमें इसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है।

श्री बी०के० गढ़वी : सभापति महोदय, बाढ़ आदि पर चर्चा करने के बजाए हम प्राकृतिक आपदा पर व्यापक चर्चा कर रहे है। मैं अपनी बात केवल गुजरात और देश के अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रखूगां।

जून का अंतिम सप्ताह गुजरात और विशेष कर उत्तरी गुजरात के लिए अंधकारमय था। यह बंजर क्षेत्र है, जहां पानी निकासी की कोई प्रणाली नहीं थी। सारे मौसम की वर्षा वहां 24 घंटे के भीतर हो गई। अत: उन केवल उस क्षेत्र के लोगों बल्कि पशुओं, झोपडियों और लोगों के रिहायशी मकानों पर भी विपत्ति आन पड़ी। उस क्षेत्र में सात जिलों अर्थात गांधी नगर, अहमदाबाद, मेहसाणा, सुरेन्द्र नगर, साबरकांठा, खेड़ा और बनसकांठा प्रभावित हुए थे। 215 से अधिक लोग मारे गए।

यह जबरदस्त प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। मुझे खुशी है कि हमारे कृषि मंत्री ने गुजरात का दौरा किया। उन्होंने इस पर भी सहमति जताई कि यह वास्तव में एक राष्ट्रीय आपदा थी। अत:, मैं उनके शब्द बोल रहा हूं जो उन्होंने प्रैस के सामने कहे थे कि यह एक राष्ट्रीय आपदा थी।

सरकार ने ऐसे पेरामीटर के भीतर वह व्यापक नहीं है। नुकसान का अनुमान लगाया है कि वहां बुनियादी सुविधाओं, सड़कों और भवनों को भारी नुकसान हुआ जो लगभग 242.83 करोड़ रुपये का है। सिंचाई परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ऊर्जा और विद्युत विभाग का 49.88 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि अधिकतर सब-स्टेशन खराब हो गए, लाइनें टूट गई और खंभे उखड़ गए थे। यद्यपि वहां बहुत बाढ़ आई थी, फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। अत: जलापूर्ति के क्षेत्र में विभाग का 7.10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कृषि विभाग ने 83.50 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है, किंतु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कृषि समुदाय का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह नुकसान इन जिलों में 1,000 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकता जो मूसलाधार वर्षा और प्रलयंकर बाढ़ से प्रभावित थे। शहरी क्षेत्रों में 98.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को 5.50 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा था। झोंपडियां और घर जो गिर गए या जिन्हें क्षति पहुंची उन्हें 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस प्रकार सरकार का अनुमान है मैं पहली बाढ़ के बारे में बात कर रहा हूं जो उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई - कि वहां 665 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बाद में, हाल ही में दो या तीन दिन पहले दो और बाढ़ आई, जहां एक नदी ने रास्ता बदल लिया और दो बड़े गांव पूरी तरह से कट गए, क्योंकि नदी ने रास्ता बदल लिया था। उसके लिए सरकार ने लगभग एक सौ करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है मुझे डर है कि यह आंकड़े बहुत ही कम है। जब वे स्थित का अतंत: मुल्यांकन करेंगे तो नुकसान बहुत अधिक होगा। गुजरात में बाढ़ पर माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भी 10 लाख से अधिक झोपड़िया, छोटे घर और कच्चे घर टूट गए हैं, 225 से अधिक मौतें हुई है, 10,000 से अधिक पशु मारे गए हैं और कुल अनुमानित क्षति 15,000 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकती।

यह आपदा की हद है। सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है? अब एक गुजरात को 100 करोड़ रुपये भी सहायता के रूप में नहीं दिए गए है। उसे केवल 82.86 करोड़ रुपये दिए गए है। यह हुए नुकसान का दसवां भाग भी नहीं है। सरकार कहती है कि उसने पांच वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष हेतु 700 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जब हम इस तरह प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगा सकते, तब आप कैसे छोटी-सी राशि का संवितरण कर सकते हैं? सहायता के रूप में दी गई राशि बढ़ायी जानी चाहिए। कल भी सरकार ने अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की। उन्हें इन प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए कृषि मंत्रालय के कोष में और अधिक निधियां उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोग उन गरीबों से भी गरीब हो गए हैं जो कच्चे घरों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई हैं।

महोदय, जब हम कहते हैं कि कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और किसानों जो गुजरात जैसे राज्य में अधिक मेहनती और उद्यमी है उन्हें इस तरह का नुकसान होता हैं, सभी मापदंडों को एक तरफ रखते हुए भारत सरकार को बहुत उदार रवैया अपनाना चाहिए था। प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए। किंतु वह क्या कर रही है? कुछ मामलों में, जहां कहीं बम विस्फोट होता है तो वह पीड़ित परिवारों को अनुकंपा के रूप में प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये देती है, दुर्धटना के अन्य मामलों में उन्होंने अनुकंपा के रूप में कुछ ओर राशि दी। किंतु जब इतनी व्यापक प्राकृतिक आपदा होती है, जहां 225 से अधिक लोग मर चुके हैं, उन्होंने

[श्री बी०के० गढ़वी]

क्या दिया? राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवार को अनुकंपा के रूप में प्रति व्यक्ति केवल 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी, फसलों और संपत्ति को पहुंचे नुकसाने का मूल्यांकन करने के अलावा, प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका समस्त परिवार उसकी मृत्यु के कारण निस्सहाय हो गया है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है।

वहां समस्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, प्रभावित हुई है। लोगों को हेलीकाप्टर द्वारा सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना पड़ा और उन्हें हेलीकाप्टर द्वारा खाने के पैकेट देने पड़े। जब वहां की स्थिति ऐसी है और जब लोगों को इस तरह से त्याग दिया गया हो तो उनके लिए अपने सामान्य जीवन में वापस आना काफी कठिन है क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान घर, संपत्ति घरेलु सामान, फर्नीचर आदि सहित जो कुछ भी कमाया था, वह सब कुछ खो दिया हैं जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं था। एक दिन में कुछ स्थानों पर लगभग 31-32 इंच बारिश हुई और तदनंतर, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, और बाढ़ आ गई जिसने लोगों की कठिनाइयों को ओर अधिक बढ़ा दिया।

अत:, मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए। यदि वह कुछ नहीं करते हैं तो उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र के छ:-सात जिलों, जो अधिकांशत शुष्क और डी०पी०ए०पी० क्षेत्र हैं, में रहने वाले लोग अगले 15 वर्षों तक अपना सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पायेंगे तब यह सरकार और राज्य सरकार किस काम की है? आखिर सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य लोगों की ऐसे समय में सहायता करना तथा उनकी स्थितियों में सुधार लाना है जिनके घर और संपत्ति प्रकृति के प्रकोप से एक ही दिन में नष्ट हो गये हों। ऐसी स्थिति में हम सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित किये गये मानदंडों तक ही स्वयं को सीमित नहीं रख सकते है।

महोदय, जब श्री सुंदरलाल पटवा जी बोल रहे थे तो उन्होंने भगीरथ का उल्लेख किया था। मैंने इस देश में भगीरथ के इतिहास के बारे में कभी भी कोई ठोस बात नहीं सुनी है।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने कहा कि यह एक कही-सुनी बात थी। हो सकता है कि वह गंगा लाये हों अथवा गंगा सहज ही भारत आ गई हो। हम इस बारे में नही जानते हैं।

सभापति महोदय : गढ़वी जी, इस समय चार बज चुके है। कृपया आप एक मिनट के लिए अपनी जगह पर बैठ जायें। क्या सभा को ऐसा लगता है कि हमें यह चर्चा जारी रखनी चाहिए? यदि हम नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा को जारी रखने का निर्णय लेते है तो हमें नियम 193 के अंतर्गत अन्य विषय अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता पर कल चर्चा करेंगे। वास्तव में इस पर आज चार बजे चर्चा करने का निर्णय लिया गया था लेकिन हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

कई माननीय सदस्य : जी हां। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह कल की कार्यसूची में आयेगा। मैं उसे इस समय नहीं कह सकता। इसे कल तक के लिए स्थगित किया जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : क्या कार्यसूची में इस परिवर्तन का निर्णय किसी बैठक में लिया गया है?

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने सभा की सम्मति ली है।

श्री हरिन पाठक : सभा इस मुद्दे पर एकमत थी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे यह बताया गया था कि दोनों बाते साथ-साथ चलेंगी।

सभापति महोदय : पाणिग्रही जी, जब हमने इस सभा में इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से चर्चा की थी, उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे। हमने सभा की सहमति से यह निर्णय लिया है कि हम इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित करेंगे। श्री गढ़वी जी, आप अब अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री बी०के० गढ़वी : इस वर्ष देश के अन्य भागों की तुलना में गुजरात में इस बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है जिससे वहां के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस बात की सराहना करते है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने राज्य का दौरा किया। लगभग डेढ़ महीना हो चुका है लेकिन लोगों को जीवनयापन करने के लिए नकद राशि देने के सिवाय उन्हें अपने घरों अथवा झुग्गियों का निर्माण करने अथवा किसी और कार्य के लिए कोई अन्य राहत नहीं दी गई है। लोग बिना घर के एक महीने तक कैसे रह सकते हैं?

केंद्रीय सरकार का दल वापस आ गया है और मुझे आश्चर्य है कि इस दल ने राज्य को और 100 करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश की है। मैं नहीं जानता कि उन्हें इस देश में रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि यह दल राज्य का पुन: दौरा करे और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाये। उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर वास्तविक स्थिति क्या है। 100 करोड़ रुपये की राशि बिल्कुल नगण्य है जबकि सरकारी अनुमान के अनुसार 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि हुई है तथा स्थानीय आकलनों के अनुसार 1500 से 2000 करोड़ तक की हानि हुई है, जोकि ज्यादा सही है।

मेरा सरकारी तंत्र से यह आग्रह है कि वह इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखे और राज्य सरकार द्वारा की गई मांग का सकारात्मक उत्तर दे। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष के नाम पर निधियां जुटाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाये गये हैं। देखा जाय तो इससे पहले की प्रणाली काफी बेहतर थी जब इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए सौ प्रतिशत से अधिक अनुदान दिया जाता था।

पटवा जी कह रहे थे कि उन्हें राष्ट्रीय सिंचाई नीति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नर्मदा परियोजना पर विचार होना चाहिए। यह ऐसा ही है जैसे मैं आपको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करूं और यह कहूं कि 'मुझे इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या आपको चपाती' दी जाये अथवा नहीं। वह इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। ये दोहरे मानदंड गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मार्ग में बाधा हैं जब इस प्रकार की अपदाएं आती हैं तो हम राज्य के विकास हेतु छोटे-मोटे जो कुछ भी प्रयास करते हैं वे बेकार हो जाते हैं और सब कुछ व्यर्थ हो जायेगा।

मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय अत्यधिक मितव्ययता से चल रहा है। मुझे यह बताया गया है कि आपके कोष में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से मुश्किल से 200 करोड़ रुपये शेष बचे हैं। लेकिन इस संबंध में अनुपूरक मांग की प्रक्रिया हैं इस समय आप धनराशि ओर अधिक बढ़ा सकते हैं। कृपया घाटे के बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि आपके विचार से मुद्रास्फीति कम है। अत: यदि मुद्रास्फीति में आधे-एक प्रतिशत वृद्धि भी हो जाये, तो भी हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कृपया, इन लोगों के लिए और अधिक धनराशि दीजिए और अपने कोष में भी कुछ ओर जमा रखिए।

बिहार, असम, राजस्थान और गुजरात से सहायता की बड़े पैमाने पर

काफी मांग की गई है कई अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुये हैं। आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से इस देश में अच्छी बारिश हो रही हैं इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को अधिक से अधिक धन और सहायता देना अनुचित नहीं होगा। शहरों की भी क्या स्थिति है? अहमदाबाद जैसे शहरों में भी गरीब लोग तथा झोंपड़ी में रहने वालें बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। सफाई व्यवस्था की भी स्थिति काफी बदतर हैं ग्रामीण विकास क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना, कुटीर ज्योति और अन्य जैसी अनेक योजनाएं है। गरीब लोगों तथा ग्रामीण विकास के लिए दी जाने वाली सहायता की निगरानी के लिए केंद्र सरकार में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। यदि आपके पास सीमित धन है तो यह सहायता भी प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए एक सामान्य चैनल होना चाहिए। लेकिन मेरी राय में आपके पास सीमित धन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सरकार अन्य क्षेत्रों में धन की परवाह नहीं करती। वह बाढ़ संबंधी राहत देने के बारे में भी परवाह क्यों करें?

अतः, मेरा यह सुझाव है कि केंद्रीय दल द्वारा गुजरात के संबंध में जो आकलन किया गया है वह अपर्याप्त है तथा इसलिए इस संबंध में पुनः आंकलन के लिए फिर से वहां पर दल भेजा जाना चाहिए क्योंकि वहां पर फिर से बाढ़ आई है। दल ने जो आंकलन किये हैं, वे सही नहीं है। वे गुजरात की वास्तविक स्थितियों पर आधारित होने चाहिए तथा केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा कोष से तुरंत 500 करोड़ रुपये की राशि जारी करनी चाहिए।

हमने कृषि मंत्री जी से भेंट की है दुर्भाग्य से उस दिन मैं अनुपस्थित था ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि गुजरात को और अधिक सहायता की आवश्यकता है? हमने वास्तविक स्थिति के बारे में बताते हुये एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। पुनः ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

हाथ कांगन को आरसी क्या, मिश्रा जी ने खुद ने तो देखा है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ी कैलेमिटी है, राष्ट्रीय कैलेमिटी हो गई है, तो उस हिसाब से मदद होनी चाहिए। मिश्रा जी को मैं जानता हूं, वे देहात की और इफैक्टिड लोगों की, जिनकी हालत बदतर हो गई है, उनकी परिस्थिति को जानते हैं तो उदार होकर आइये। किसानों के प्रति, देहात वालों के प्रति उदारता दिखाइये। आप किसानों की बहुत बात करते थे, आपके पूर्व प्रधान मंत्री किसान की बहुत बात करते थे, किसान का लड़का, किसान का भाई, किसान का बाप, सब का बाप, सब कुछ कहते थे तो उसी लीगेसी से कम से कम, किसान गुजरात में मर गया, उनकी मदद करिये। भूमिपुत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री बी०के० गढ़वी : मैं हिन्दी सीख रहा हूं।

[हिन्दी]

किसान का बेटा, भूमिपुत्र, संस्कृति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम इस विषय पर दो घंटे से चर्चा कर रहे थे।

[हिन्दी]

श्री बी०के० गढ़वी : तो इसलिए मैं आपसे बड़ी गुजारिश से कहता हूं कि गुजरात को कम से कम 2000 करोड़ रुपया दीजिए।

आज बीमे की बात चली, अच्छा हुआ कि बिल वापस ले लिया। क्राप इंश्योरेंस है, कहां है क्राप इंश्योरेंस?

[अनुवाद]

यह केवल ऋण बीमा है। आप उस पहलु को क्यों नहीं देखते? यह फसल बीमा बिल्कुल भी नहीं है। फसल का बीमा कौन कर रहा है? केवल ऋण जारी किये जाते हैं और बहुत कम किसानों को ऋण दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब प्रतिवर्ष देश के किसी-न-किसी भाग में प्राकृतिक आपदाएं घटित हों तो हमारे पास साधारण बीमा निगम जैसे एजेंसी होनी चाहिए जो निश्चित रूप से फसल के संदर्भ में पहलु की व्यापक तरीके से जांच कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या किसान सहकारी बैंकों अथवा वाणिज्यिक बैंकों अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते है। लेकिन कृषकों की प्रत्येक फसल के लिए व्यापक फसल बीमा होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से किसान प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप का सामना कर सकते हैं। इसलिए कृपया इसे ऋण बीमा से हटा दीजिए। यह गलत नामकरण किया गया है कि यह फसल बीमा है।

मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे इन निवेदनों पर उचित रूप से ध्यान दें और गुजरात में इन बाढ़ों से बुरी तरह प्रभावित लोगों की अति शीघ्र और तत्काल सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, बाढ़ एवम् सुखाड़ भारत के लिए क्रोनिक डिसिज बन गई हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम कृषि पर निर्भर हैं। हमारी कृषि कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से मारी जाती है इससे दिन-प्रतिदिन देश में परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक सत्र में, मैं दसवीं लोक सभा में भी था और अब ग्यारहवीं लोक सभा में भी हूं, मैंने देखा है कि हम प्राकृतिक आपदा विषय पर चर्चा करते हैं चर्चा के बाद घोषणाएं होती हैं। राज्य सरकारों से मांगे भी आती हैं। परंतु नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। इम्प्लीमेंटेशन के मामले में कह दिया जाता है कि राज्य का विषय है। वहां से रिपोर्ट आएगी तो हम उसे देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी०के० गढ़वी : सभापति महोदय, मुझे सभा को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि आज कृषि मंत्री जी ने गुजरात के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष में से 36 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : सभापति महोदय, यहां हम चर्चा करते हैं। यहां से जब पैसा ग्राउंड तक जाता है तो वहां बंदरबांट शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप जिसको सुविधा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती। माननीय गढ़वी ने गुजरात की चर्चा की थी। देश के कई कोनों में भयंकर बाढ़ आई है। आज प्रश्न काल में बिहार के माननीय सदस्य श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने बताया कि जहानाबाद में रात में एकाएक बाढ़ आई, जिसमें बच्चे डूब गए, लोग घिरे हुए हैं। लेकिन प्रशासन शिथिल है। कलेक्टर काम नहीं कर पा रहा है, लोगों को निकालने का कोई प्रबंध नहीं है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान देंगे। क्योंकि यह एक तात्कालिक विषय है। लोग बाढ़ में फंसे हैं, बच्चे डूब गए हैं और प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां जेल भरो आंदोलन चल रहा है। *(व्यवधान)* प्रशासन जेल भरो कार्यक्रम के सहयोग में लगा है। इसलिए मंत्री जी इस पर ध्यान देकर कार्यवाही करें।

अपराह्न 4.13 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए***]**

बाढ़ और सुखाड़ से निजात पाने के लिए जो रिलीफ कोड है, यह

[श्री नवल किशोर राय]

वर्षों पुराना है। वह रिलीफ कोड जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, जोकि आज भी लागू किया जा रहा है, चाहें सुखाड़ हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जबलपुर का भूकम्प हो या लातूर का हो, सब जगह वही 100 साल पुराना रिलीफ कोड लागू किया जा रहा है। क्योंकि उसके अनुरूप गरीब से गरीब लोगों को उचित लाभ नहीं मिलता। मैं मांग करना चाहता हूं, सदन में चर्चा हो रही है, सदन की राय से रिलीफ कोड को बदलने के लिए व्यापक दृष्टिकोण मद्देनजर रखकर गरीबों की झोंपड़ियों की जो क्षति होती है, जानमाल की क्षति होती है, उसके निदान के लिए एक सामयिक दृष्टिकोण का रिलीफ कोड सरकार को लाना चाहिए। जिससे इस प्रकार हर सत्र में हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत न पड़े। हम देखते हैं प्रत्येक सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा होती है। लेकिन चर्चा सिर्फ चर्चा होकर ही रह जाती है और 100 रुपये में से 15 रुपये भी यथार्थ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए रिलीफ कोड में व्यापक परिवर्तन करने और केन्द्र से सीधे इसे नियंत्रित करने की मैं मांग करता हूं।

अभी गुजरात की चर्चा हुई, जबलपुर में भूकम्प आया, जिसमें बहुत से लोग दुनिया से चले गए। वहां अनेक लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। गार्मियों के समय के कारण जो लोग बाहर सो रहे थे, उन लोगों की जानें बच गईं। इसी प्रकार से लातूर में भी हुआ था। इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदायें आती हैं, उसके लिए एक समयक नीति बनानी चाहिए और रिलीफ कोड में परिवर्तन होना चाहिए। अभी बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में सीतामढ़ी से आता हूं। बगल का क्षेत्र मधुबनी है, जहां से माननीय मंत्री जी प्रतिनिधि हैं। मधुबनी में भंयकर बाढ़ आई। इस बार भी इस क्षेत्र में बाढ़ आई है, लेकिन इस बार भी कोई रिलीफ का काम नहीं चल रहा है। हफ्ते तक मूसलाधार बारिश लगातार हुई है। इसकी वजह से मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी क्षेत्र के कई जिलों में हजारो हजार मकान गिर गए हैं। इनका न कोई लेखा-जोखा हुआ है और न बनाने के बारे में कोई कार्रवाई हुई है। आज भी बिहार के 15 जिलों में बाढ़ आई है। रात को जहानाबाद क्षेत्र में आई है। क्या मंत्री जी केन्द्रीय टीम भिजवायेंगे और जांच करायेंगे तथा निदान के तौर पर यहां केन्द्र से राशि मुहैया करायेंगे? इसके साथ ही केन्द्रीय स्तर पर देख-रेख करके जिन गरीबों के मकान गिर गए हैं, जिनको बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक भी नहीं मिला है, जिन्होंने स्कूल आदि जगहों पर शरण ली हुई है, उन लोगों के लिए बनाने की बात पर विचार करेंगे? बाढ़ से पशुओं की भी क्षति हुई है, क्या इसकी भरपाई की व्यवस्था करायेंगे? बाढ़ की वजह से किसानों में जो त्राहि-त्राहि फैल गई है, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था करायेंगे? इस वर्ष के लिए मैं मांग करता हूं कि बिहार में टीम भेज कर, जांच करके कम से कम एक हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। पिछले वर्ष भी बिहार में भयंकरतम बाढ़ आई थी और बिहार सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की मांग की थी, जबकि हजारों करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। भारत सरकार ने पूरी राशि तो मुहैया नहीं कराई, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में बाढ़ से घिरे क्षेत्र का हैलीकाप्टर से सर्वे किया। हम लोग भी साथ थे और उन्होंने यथासंभव राशि मुहैया कराई। लेकिन दु:ख इस बात का होता है कि जब कभी इस बात की चर्चा होती है, तो कह दिया जाता है कि यह राज्य सरकार का मामला है। पैसे चाहे राज्य सरकार के आपदा कोष से दिए जायें या भारत सरकार के कोष से दिए जायें, उन पैसों का सदुपयोग हमारे यहां नहीं होता है। पिछले वर्ष ही नहीं, 1987 में सीतामढ़ी में भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय पी०डब्ल्यू०डी० की सड़के, ग्रामीण सड़कें टूट गई थी, जिसकी वजह से हम कई प्रखण्डों में नहीं जा सके थे। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय है। बाजपट्ठी, सुरसन और फुलबरसा क्षेत्रों में जो सड़के बाढ़ के कारण 1987 में टूट गई थी, वे आज तक भी नहीं बनी हैं। हल्की बारिश होती है और रास्ता बन्द हो जाता है। वहां की सड़के बरबाद हो गई हैं। यहां से पैसा दिया गया, लेकिन सड़कों को बनाया नहीं जा सका। पिछले वर्ष भी राशि मुहैया की गई

सभापति महोदय : आप खत्म कीजिए। आपने सरे पांइट रख दिए हैं और मंत्री जी ने नोट कर लिए हैं।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक-दो महत्वपूर्ण बातों की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं,

पिछले वर्ष जो यहां से राशि मुहैया कराई गई और जो पैसा गरीबों में बंटना था, वह वास्तविक रूप में नहीं बंटा है। सीतामढ़ी, मधुबनी आदि प्रखण्डों में भुखमरी से निपटने के लिए जो पैसा दिया जाना था, वह पूरा नहीं बंटा है। अग्रहायण में तो धान के कटने का समय आ जाता है और उस समय गेहूं बंट रहा था। निश्चित समय पर नहीं बांटा गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो राशि दी है, उसके निश्चित रूप से युटिलाइजेशन के साथ-साथ चैकिंग भी आपको करनी चाहिए कि समय पर सभी प्रखण्डों में गरीबों को लाभ मिला है या नहीं मिला है। जिन लोगों की झोंपडी बननी थी, उनकी झोंपड़ियां इंदिरा आवास योजना के तहत बननी शुरू हो गयी है या नहीं। इसके साथ बिहार राज्य में जब आप पिछली बार गए थे, तो माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि किसानों को प्रति हैक्टेयर 500 रुपए उनकी क्षति के लिए दिए जायेंगे। भारत सरकार का जो रूल है उसके आधार पर मंत्री जी ने हमारे सामने वहां पर आश्वासन दिया, एनाउंस किया, लेकिन एक साल से अधिक हो गया एक पैसे की भी बिहार के किसानों को भरपाई नहीं दी गई। बिहार सरकार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया और जब यहां हम लोगों ने सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा कि यह पहले से नियम है। हम जो राशि देते हैं, स्टेट का जो केलामिटी फंड है और जो सेंट्रल से जाता है, कुल मिला करके राज्य सरकार को पांच सौ रुपए प्रति हैक्टेयर किसान को देना है, जो नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से सफाई चाहता हूं कि भारत सरकार के मंत्री जी ने जो मधुबनी में, सीतामढ़ी में एनाउंस किया उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ? जो भारत सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वे नहीं दी गई, इसके पीछे कौन सी ताकत है?

महोदय, उत्तर बिहार के लोग खास करके बाढ़ से तबाह है। वैज्ञानिको का मत है कि आने वाले दिनों में यदि कोई ठीक से उपाय नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां की आबादी बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा, इतनी बाढ़ आएगी। अधवारा समूह की 13 नदियां हैं-बांगमती, कमला बलान, कोसी, गंडक इत्यादि में नेपाल से बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि नेपाल से वार्ता की जाए, जो पहले से वार्ता थी वह रूक गई है उसको पुन: चालू कराया जाए और वैज्ञानिकों के मतों से एक भारत नेपाल जल आयोग बना कर, उसके माध्यम से सभी नेपाल से निकलने वाली नदियों में, अधवारा समूह में, रामनगर रमैया, बागमती में, नूनथर में, कमला बलान में, शीशा पानी में, जहां-जहां नेपाल में आवश्यक है वहां हाई डेम का निर्माण करा कर बाढ़ को रोकने का, सिचाई की व्यवस्था और जल विद्युत पैदा करने की व्यवस्था कराई जाए, तभी उत्तर बिहार बच पाएगा। इसके साथ ही भारत की भूमि पर उत्तर बिहार में जो नदियां है उन नदियों को उडाही करा कर सतह को गहरा कर दिया जाए ताकि उस नदी में पानी खप सके और उत्तर बिहार बच सके।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि बिहार की पिछले साल की राशि का यूटिलाइजेशन चैकिंग कराने और इस वर्ष जो बाढ़ से तबाही हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कराने तथा जिन गरीबों के मकान गिर गए हैं उनके मकानों का पुनर्निमार्ण कराने, उनको राहत देने की हम शीघ्र मांग करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : सभापति जी, गुजरात, बिहार और दूसरे

प्रांतों में नेचुरल केलामिटीज की वजह से आम आदमी को, किसान को और तमाम राज्य सरकारों को नुकसान होता है, उसकी पूर्ति राज्य सरकार नहीं कर सकती। कृषि मंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है कि हरियाणा बहुत छोटा प्रांत है। जब 1966 में हरियाणा प्रांत बना तो हरियाणा अपने खाने का पूरा अनाज पैदा नहीं करता था, हम एक लाख टन अनाज दिल्ली की सरकार से लेते थे। हरियाणा के किसानों ने ज्यों ही तमाम गांवों में बिजली आने की वजह से, जगह-जगह ट्यूबवेल लगने की वजह से, लिफ्ट ईरीगेशन के बनने से इतनी मेहनत की कि अब पंजाब के बाद हरियाणा दूसरा प्रांत है। उस वक्त आधा हरियाणा तो सूखे की चपेट में आता था और आधा हरियाणा बाढ़ से पीड़ित रहता था।

सभापति महोदय, आप तो हरियाणा के मूल निवासी हैं। अगर हरियाणा की जमीन का लेवल देखें, टोपोग्राफी देखें तो हिमाचल चंडीगढ़ से जो हरियाणा शुरू होता है वहां से स्लोप है और हरियाणा के बीच में आकर हरियाणा देखें तो उसका लेवल नीचे हो जाता है। इसी तरह जो हमारा राजस्थान का इलाका साथ लगता है, जहां आपका चुनाव क्षेत्र भी है, उस राजस्थान के इलाके का लेवल बहुत ऊंचा है।

और वह भी बीच में आकर 600-700 फुट नीचे रह जाता है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या चंडीगढ़ में ज्यादा बरसात हो तो दोनों प्रांतों के नजदीक का पानी हरियाणा में आकर रूकता है। अभी 1995 में गुजरात और बिहार की बाढ़ के बारे में बताया गया। मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में सबसे ज्यादा बाढ़ हरियाणा में आई। दो हजार करोड़ रुपये का वहां नुकसान हुआ। बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्र ने अपनी टीम भेजी। सहायता के तौर पर हरियाणा सरकार ने 1004 करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार के सामने रखी। हरियाणा में करीब 18 लाख एकड़ जमीन जो काश्त के काबिल थी उससे तीन-चार फसल लगातार वहां के किसान नहीं ले सके। पौने दो सौ के करीब जानें गयी और तीन हजार के करीब पशुधन खराब हुआ। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस समय करीब 65 हजार ट्यूबवैल बेकार हो गये और दो साल के करीब वे ट्यूबवैल चालू नहीं हो सकें केन्द्र सरकार ने जो अपनी टीम भेजी थी उन्होंने हरियाणा को कुल 39.41 करोड़ रुपये की ग्रांट दी और 300 करोड़ रुपये का लोन दिया। उस शोर्ट-टर्म-लोन की जब हमने पहली किश्त देनी थी तो भगवान की करनी ऐसी हुई कि फिर 1996 में, किश्त देने से पहले ही एक और बाढ़ आ गयी।

24-25 जून 1996 को हरियाणा में 48 घंटे में 500 मि० मीटर बरसात हुई। बरसात की भयंकता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि राजस्थान की साहिबी नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से 2500 क्यूसेक पानी एक रात में आया और हमारे दो बड़े-बड़े बांध रावली और कमेडा रातों-रात टूट गये और सारे मेवात इलाके में, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिला इससे प्रभावित हुआ।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो छोटे प्रांत हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा लम्बी-चौड़ी नहीं है, जिनके पास न बंदरगाह हैं, न बिजनैस के साधन हैं और न ही ऐसे दूसरे साधन है जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हो। ऐसे प्रांतों में अगर दो-चार साल में एक बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था दस साल के लिए खराब हो जाती है। मिश्रा जी ने पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब की सरकारों से बातचीत की थी। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि 1995 में हमें जो नुकसान हुआ, तो वह जो शोर्ट-टर्म-लोन 300 करोड़ रुपये का हमें दिया था वे उसे ग्रांट में बदल दें और सारे हिंदुस्तान के लिए एक मास्टर प्लान इस विषय पर बनाएं। अगर गुजरात में बाढ़ आती है तो गुजरात सफर करता है, अगर बिहार में बाढ़ आती है तो बिहार सफर करता है, लेकिन अगर एक मास्टर प्लान बन जाए तो जिस इलाके में सरप्लस पानी आता है, चाहे बरसात का आए या पहाड़ से आए, उसे उस क्षेत्र में ले जाया जाए जहां कभी भी पानी नहीं आता है, जहां कुएं सूखे हैं, काश्त के लिए पानी नहीं पहुंचता है। मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे एक मास्टर प्लान तैयार करें जिससे फ्लड की प्राब्लम हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों को पानी उपलब्ध हो सके।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : सभापति महोदय, आज यहां प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा हो रही है। पिछले साल उड़ीसा में अकाल पड़ा था। कालाहांडी, बोलांगीर, सम्भलपुर, नौपाड़ा, पदमपुर आदि इलाके अकाल से पीड़ित थे। पूरे दो दिन उस पर चर्चा चली थी। हमारे कृषि मंत्री जी भी वहां गए थे। उन्होंने कहा था कि यह नेशनल कैलेमिटी है। पिछले कुछ दिनों पहले वहां सूखा था लेकिन दो-तीन दिन वहां बारिश हुई। उससे लगता है कि अकाल से हम लोग तत्काल बच जाएंगे। कृषि मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं। वे भारतवर्ष के संदर्भ में ज्ञानी है। हर साल हजारों करोड़ रुपए प्राकृतिक विपदा पड़ने पर सहायता कार्य में खर्च किए जाते हैं। इस पर कुल कितना पैसा खर्च किया गया, मुझे मालूम नहीं? हमें आजाद हुए पचास साल हो गए हैं। हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हमने आज तक मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया? बाढ़, अकाल और सूखे के इलाके आइडैटिफाइड कर मास्टर प्लान बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बाढ़, अकाल को हमेशा के लिए रोका जाता है? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गांवों में रहने वाली गरीब जनता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हम लोग चर्चा के उपर चर्चा करते रहते हैं लेकिन हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। हम दुनिया की दौड़ में शामिल हैं भारत तरक्की करना चाहता है। मुझे दुख है कि हम इसको अभी तक रोक नहीं पाए हैं। कहीं न कहीं इस पर फुल स्टाप होना चाहिए। अगर भूखमरी, गरीबी, बेबसी, लाचारी और प्राकृतिक विपदा को रोक लिया जाए तो भारत उन्नति कर सकता है।

कालाहांडी के बारे में मैंने पिछली चर्चा में भी सुझाव दिया था नदियों की कमी नहीं है। हमारे यहां जंगल काटे जा रहे हैं। वहां बारिश ठीक से नहीं हो पा रही है। वहां 1936 से लेकर 1965-66 तक सूखा पड़ा। 1986 से 1989 तक भी यही हाल था। पिछले साल वहां भयंकर अकाल पड़ा। वहां जमीन पर अंकूर नहीं निकल पा रहा हैं वहां की जमीन सूख गई है। अभी पिछले दिनों वहां बारिश हुई। अगर इंदिरावती डैम का पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर वहां अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप उड़ीसा के कृषि विभाग को निर्देश दें कि वह अगले 15-20 दिनों में इंदिरावती डैम का पानी किसानों के लिए छोड़े। मीडियम प्रोजैक्ट्स को नौवें प्लान में लेने के लिए मैंने अनुरोध किया था। वह प्रोसैस में भी है लेकिन पता नहीं वह होगा या नहीं? दो-तीन मेजर प्रोजैक्ट्स थे जैसे सांगुन रिवर प्रोजैक्ट, रेत रिवर प्रोजैक्ट, उदंती रिवर प्रोजैक्ट हैं अगर उन नदियों को बांध दिया जाए तो अच्छा होगा। इस पर ज्यादा से ज्यादा 700-800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे कालाहांडी और नवापाड़ा में भविष्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा लेकिन आप इसे करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात को लेकर मैं पिछली बार एक घंटे तक चिल्लाया था। इससे बहुत हानि हुई थी और बहुत से लोग मर गए थे। उसकी अभी क्या हालत है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि इस पर आप कहते हैं कि पब्लिकेशन में यह आ रहा है कि

[अनुवाद]

"सभी चाहते हैं कि अच्छी तरह से सूखा पड़े।"

[हिन्दी]

उपहास करके ऐसा लोग कहते हैं कि जो सवाल नहीं हैं, उनको खड़ा करके ऐसा कहा जाता है। हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके यहां आते हैं। पिछली बार भी मैंने यह कहा था कि हम लोगों की आशा और आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए यहां आते हैं। जब उसे सुना नहीं जाता तो हमें दुख होता है। वी प्रोसिडिंग्स में ही रह जाता है। उस पर केन्द्र सरकार

[श्री भक्त चरण दास]

और राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। यह बड़े दुख और विडम्बना की बात है। कालाहांडी और नवापाड़ा में किसानों की क्या हालत है, यह तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने अपना सैकड़ों गोधन बेच दिया। उनके सैकड़ों भैंस पिछले साल मर गई। वहां के किसान कर्जे में डूबे हुए हैं। कर्जा वापस नहीं कर पाये हैं। आज किसान खेती करने लायक नहीं है। बैंक ठीक ढंग से लोन नहीं दे रहे हैं और गांवों में को-आप्रेटिव सोसाईटीज डिफंक्ट हो चुकी हैं, उनको रिवाईव करने का कोई प्रयास है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है और कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि वह कहां तक इफैक्टिव हो रही है। यदि यह योजना लागू नहीं की जायेगी तो बाढ़ और अकाल के कारण हमारी फसल की जो हानि हो रही है, वह जमीन बच नहीं पायेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि फसल बीमा योजना को ठीक ढंग से लागू किया जाये। इस कांप्रेहेंसिव इन्श्योरेंस योजना में हम किसानों को बचा पायेंगे।

सभापति महोदय, इस देश में कृषि खेती को बचाने से बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता है। हम लोग यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, फालतू वहम करके इतना समय बरबाद करते हैं कि इसको अभी प्रैस गैलेरी में देखने वाला कोई नहीं लेकिन कल जब पालिटीकल सरगर्मी थी तो वे लोग मौजूद थे। अब जब प्राकृतिक विपदा पर बहस हो रही है, इसलिये मेरा कहना है कि जब तक हम गंभीर नहीं होंगे तो यह बात गांव के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जब तक हम यहां पर विदेशी पूंजी और उद्योग प्रतिष्ठित करते रहेंगे तो हम अपनी जमीन नहीं बचा पायेंगे। इससे तो हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे देश को नहीं बचा पायेंगे चाहे इस पर हजारों लाखों करोड़ खर्च करते रहें। यह ठीक है कि कृषि मंत्री ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, वे इसमें पूंजी रख रहे हैं। यदि पूंजी नहीं लगाना चाहते तो हट जाना चाहिये। अभी कृषि मंत्री ने भुवनेश्वर जाकर प्राकृतिक विपदा को स्वीकार किया है और यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है। भारत सरकार को सोचना चाहिये कि भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती के लिये कितनी ही बार रास्ता सजा ले, हजारों बिजलियां लगा ले लेकिन विदेशियों को यहां बुलाने से क्या होगा। हम यहां पर कितनी बार चिल्लाये हैं और पिछली बार तो इतनी निराशा हो गई थी कि हमने तय किया कि हम रिजाईन करके चले जायें। जीने के लिये नौकरी या व्यापार करते हैं लेकिन अपने बाल-बच्चों को पालने के लिये कोई तरीका तो होना चाहिये। हम यहां संसद में अपने क्षेत्र की समस्या को बताकर उसका हल ढूंढने के लिये आये हैं और उसको स्वरूप देने के लिये जो सत्ता या व्यवस्था है, वह कर नहीं पा रही है तो फिर यह चर्चा निरर्थक है। मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी से कृषि भूमि को बचाने के लिये कहें और यह संसद उसमें पूरा सहयोग दे।

सभापति महोदय, बीमा योजना के संबंध में नीति के लिये फंड की जरूरत होती है। इसमें हजारों करोड़ की जरूरत होगी जिसमें एक हजार करोड़ रुपया सालाना खर्च होता हैं बाढ़ और अकाल के लिये केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी खर्च करती है लेकिन नहीं मालूम कितना करती है। हम यहां प्रोग्राम बनाकर चले जायेंगे, उस पर दस हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, क्या इससे नियंत्रित हो जायेगा, यह सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने काफी मूल्यवान और विचारणीय बातें उठाई है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति जी, बहुत ही सीरियस मामले पर इस सदन में चर्चा शुरू की गई है। इस चर्चा के दौरान कल से मैंने बहुत से लोगों के विचार सुने। माननीय कृषि मंत्री जी इस सारी चर्चा का जवाब जरूर दे देंगे। पिछले साल इस विषय पर इस सदन में चर्चा हुई थी और उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, वह मुझे ज्यादा मुझे ज्यादा नहीं तो कुछ-कुछ जरूर याद है।

आज खास सवाल मध्य प्रदेश के बारे में उठाया गया। जिन्होंने यह चर्चा शुरू की, उन्होंने इस सदन में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। यह नेशनल कैलामिटी थी। भूकंप आया और इस भूकंप के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने घर गिर गए, कितने लोगों को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा और कितने लोगों बेघर हो गए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मध्य प्रदेश के एक सांसद श्री पटेल जी ने इस सदन में दी। पहली बार जब यह भूकंप आया तो 22 मई को आया। उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 थी। यह जबलपुर के उत्तर पूर्व 20 किलोमीटर दूर केन्द्रित था। दूसरा भूकंप 4 जून, 1997 को आया और यह जबलपुर के उत्तर पूर्व 20 किलोमीटर दूर केन्द्रित था और उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 थी। उसके बाद 15 जुलाई को फिर भूकंप आया। वह भी जबलपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर केन्द्रित था। उसकी तीव्रता 2.9 थी। इन सभी के दरम्यान और भी कुछ सेटलमैण्ट शौक्स लगें उनकी संख्या करीब 23 थी। इसका मतलब यही है कि यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। यह क्या हो रहा है? मुझे याद है उन दिनों को जब 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र में लातूर के आस-पास के इलाके में भूकंप आया तो हजारों लोग इस भूकंप में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतना बड़ा हादसा शायद पिछले सौ सालों में इस देश में नहीं हुआ था और बड़ी तादाद में लोग नहीं मरे थे। हमारे देश के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही यह हो रहा है और दुनिया के अन्य देशों में भूकंप नहीं आता। भूकंप पूरी दुनिया में आते हैं लेकिन हमारे देश में जो इसकी फ्रीक्वेन्सी बढ़ गई है, इसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे और इसके लिए कुछ इलाज करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम कुछ न कुछ कमाएंगे। 50 साल देश को आजाद हुए हो गए। इस दौरान इस देश में कितने प्रांतों में और कितने मुल्कों में भूकंप आया, उसमें कितने लोग मरे हैं और कितना नुकसान हुआ। कोई नया सेंटर पैदा हुआ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भूकम्प का सेंटर था वह कोयना डैम में था और 1961-62 के भूकम्प मुम्बई शहर और पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गये। इनके शुरू होने के बाद उनका स्केल और भी बढ़ गया।

[अनुवाद]

हर बार यह प्राकृति आपदा है। इस संबंध में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु हर बार भूकम्प का केन्द्र बदल रहा है।

[हिन्दी]

यह एक जगह को छोड़कर अन्य जगह रह जा रहा है। क्या इसका कोई सांइटिफिक अध्ययन करके इसका कोई इलाज किया जा सकता है, यह मेरा पहला सवाल है। जबलपुर में जो हुआ और यहां पर जो सारी बातें बताई गई हैं उनसे मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का वहां पर शासन हो, जब कभी ऐसी मुसीबत आती तो उसको पार्टी लैवल से नहीं देखना चाहिए, उसको इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए और जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई के लिए पैसे का बंटवारा भी उसी ढंग से होना चाहिए। मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं। शासन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस आइडियोलोजी में कुछ फर्क हो सकता है लेकिन इंसान की सेवा करना और उसको जो कुछ चाहिए, वह देना इसके बारे में मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कहेगी, वह कांग्रेस वाला है, उसको ज्यादा दे दो, वह कम्युनिस्ट है तो उसको कम दे दो, वह शिवसेना वाला है, उसको बिलकुल मत देना, तो यदि कोई ऐसा कहता है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि यह राजनीति है और राजनीति रिलीफ के पैसे के बंटवारे

में नहीं आनी चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और उसी दृष्टि से मैं बात करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए सिर्फ 40 करोड़ रुपये अब तक दिये हैं। लेकिन उनका कितना नुकसान हुआ है, मेरे पास उसकी फीगर्स हैं, उसके अनुसार लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह पूरा पैसा कंटीजेन्सी फंड से नहीं आयेगा। लेकिन जो दिया गया और जितना लोगों का नुकसान हुआ है, उसमें हर परिवार को आपने कितना पैसा दिया है, उसकी जानकारी यदि आप यहां देंगे तो यह सदन के लिए बहुत अच्छा होगा। वहां की राज्य सरकार ने जो पैसे का बंटवारा किया, उसके बारे मे कुछ बोल रहे थे कि उसके कुछ अलग-अलग तरीके हैं कि परिवार को देखा, किसी को तीन हजार दे दिया, किसी को 15 सौ रुपया दे दिया, किसी को कुछ दे दिया और किसी को ढाई सौ रुपये से कुछ अधिक दे दिया। तो मेरा इतना ही कहना है कि यदि किसी परिवार का कम नुकसान हुआ है तो उसको पैसा कम जरूर दें, यदि सभी के घर गिर गये हैं तो उनको पैसा देते समय यह इस पार्टी का है, यह सोचकर पैसा नहीं देना चाहिए। वहां का कौन सांसद हैं, कौन विधायक है, कौन चुनकर आया और उन्होंने किसको वोट दिया है। *[अनुवाद]* पूरा प्रसंग बिलकुल भिन्न हो जाता है। *[हिन्दी]* होना चाहिए। कोई भी विधायक या सांसद हो, यदि वहां के लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उनको मदद पहुंचाना आवश्यक है, चाहे वह राज्य हो या केन्द्र हो और उसी दृष्टि से उनकी तरफ देखने की आवश्यकता है।

सभापति जी, जो यह भूकम्प आया है, अन्य जगहों पर भी आया है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, वैसे वह हमारे देश का चाहे कोई भी राज्य हो, उन सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। अभी यहां पर बाढ़ के बारे में बात हो रही थी, गुजरात के बारे में बात हो रही थी। बाढ़ ऐसी चीज है कि जब वर्षा गिरती है तो बाढ़ आती है। कल मैंने देखा कि यमुना में बाढ़ आ रही है और जब बाढ़ आती है तो वहां के जानवरों को हटाना, वहां के निवासियों को वहां से शिफ्ट करना, यदि किसी जीवन की हानि होती है तो उनको बचाना, ये सारे काम शुरू हो जाते है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि यदि बाढ़ आने वाली होती है तो उसके ऊपर प्रीवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। लोगों को नदी के किनारे बसने के लिए क्यों अलाऊ किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन की हानि मानवता की हानि होती है, जानवर भी इसमें मरते हैं। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए भी कोई प्रबंध होने चाहिए और बाढ़ से कम से कम नुकसान कैसे हो, यह देखने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। आज 50 सालों के बाद इस देश में हमें पता है कि कहां पर बाढ़ आती है। बाढ़ का नाम आता है तो असम, चेरापूंजी और डिब्रूगढ़ याद आते हैं।

सभापति महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी की याद आती है। जब बाढ़ शब्द बोला जाता है, तो गुजरात राज्य की याद आती है जहां नदियों में बहुत बाढ़ आती हैं। जब बाढ़ शब्द की याद आती है, तो यमुना नदी की याद आती है। बाढ़ के कारण हमारे पूरे देश की जो स्थिति बनी है, उससे हमने कुछ नहीं सीखा हैं बाढ़ के कारण हमारे सारे देश में जो पानी आता है, उसको रोकने के लिए हमने अपने देश में कोई प्रबंध नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

इसका यही कुल परिणाम है।

[हिन्दी]

हमारे यहां संस्कृत में एक कहावत है- *''आकाशात पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम्''* यानी आसमान से जो पानी जमीन पर गिरता है, वह भूमि में बिलकुल नहीं रहता, वह सारा का सारा सागर में चला जाता है। इस पानी को रोकने का प्रबंध करना और इसको जमा करके, इसका खेती के लिए, पीने के पानी के रूप में और अन्य प्रकार से इस्तेमाल हम जब तक नहीं करेंगे तब तक देश से गरीबी दूर नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जब तक हमारे देश का किसान ठीक नहीं रहेगा, तब तक हम देश से गरीबी को नहीं मिटा सकेंगे। उनकी यह बात बिलकुल ठीक है। जब तक हम अपने किसान की जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, उसकी खेती के लिए सिंचाई हेतु पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक यह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। उनका यह कहना बिलकुल ठीक है। किसानों की देखभाल करना, उनके लिए आवश्यक सामान मुहैया करना हमारा काम है।

सभापति महोदय, मेरे यहां आने के बाद पूरे देश का मानचित्र मेरे मन में है। पूरे देश का सिनैरियो मैं यहां देख रहा हूं। मैं बहुत सारे प्रांतों में भी गया हूं। इसीलिए मैं यहां आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से जो अध्ययन करना चाहिए, उसके हिसाब से जो इलाज होना चाहिए, वह हमने नहीं किया है जिसके कारण जहां सूखा पड़ता है वहां सूखा पड़ता रहता है, मदद देते रहते हैं। जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ आती रहती है, सरकार मदद देती रहती है। जहां अर्थ-क्वेक आते हैं, वहां आते रहते हैं और हम मदद करते रहते हैं। देश और जनता का नुकसान यानी जन-धन हानि होती रहती है। जब हमको प्यास लगती है, तब हम कुआ खोदने का काम प्रारंभ करते हैं। इसके कारण ही हमारे देश का और हमारी जनता का भारी नुकसान हो रहा है। यह हमारे देश की हालत है।

सभापति महोदय, मैं कुछ अन्य देशों में गया। वहां पर मैंने देखा कि जो काम करने की पद्धति है वह अपने देश से अलग है। यदि हम उनके काम करने की पद्धति को अपना लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश तरक्की करेगा। यदि हम अपने देश की समस्या के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर के, उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे देश का जो हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जा रहा है, वह बच जाएगा।

[अनुवाद]

यदि हम इस देश के विकासात्मक कार्यक्रम में यह राशि खर्च कर देते है तो मेरे विचार से हमारा देश बहुत जल्दी समृद्ध हो जायेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, अभी यहां नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होने वाली है, उसमें देश के गरीबों के उद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा इस साल के बजट में आवंटित 8 हजार करोड़ रुपए के ऊपर चर्चा होने वाली है। भारत सरकार द्वारा जो पैसा बजट में गरीबों के लिए रखा गया है, क्या यह धन गरीबों तक पहुंच सकेगा, उनका विकास हो सकेगा, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में पहले ऐसे बहुत से प्रकरण हो चुके हैं जिनमें देश के गरीबों के लिए बजट में रखा पैसा या सहायता उन तक नहीं पहुंची और जब उस धन के बटवारे का समय आया, तो बीच में कोई और ही उसको ले गया और गरीब उस सहायता से वंचित रह गए। यह इस देश की सबसे बड़ी शिकायत है।

सभापति महोदय, इसी शिकायत को लेकर हमारे मध्यप्रदेश के एक माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे कि वहां पर जब इतना बड़ा प्रकोप हो गया, अर्थ क्वेक आ गया, हजारों गरीब आदिवासी उससे क्षतिग्रस्त हुए। आज उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। आज वे नंगे और भूखे सड़क पर फिर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए वे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। मुसीबत के समय हमें तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए। फिर यह नहीं देखना चाहिए कि वहां का कौन विधायक है या कौन सांसद है। मुसीबत में फंसे लोगों को सहायता तुरंत पहुंचाना ही इस देश की संस्कृति रही है। हमारा धर्म यही है।

[श्री मधुकर सरपोतदार]

सभापति महोदय, जब मैं इस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं, तो मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि मैं कृषि मंत्री महोदय, श्री चतुरानन मिश्र जी को सुनता रहता हूं। उनके जुबान से सरस्वती बरसती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, लेकिन आपके इस अध्ययन और भलमनसाहत का फायदा इस देश की जनता को मिल सके, तो मैं समझता हूं कि इस देश की जनता सुखी हो जाएगी। यहां पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा, जब तक हम चर्चा करने के बाद जो नतीजा निकालें उस नतीजे पर अमल न करें। उसके ऊपर अमल करना ही सबसे बड़ी बात है। मैं देखता हूं कि हर साल देश में बाढ़ आती है और हर साल हम संसद में उसके ऊपर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, चर्चा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इलाज कुछ नहीं होता है। यह समस्या के निदान का कोई रास्ता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी कोई नैसर्गिक आपत्ति हो, उससे पहले, जब हमें यह मालूम है कि हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, तो बाढ़ के आने से पहले हमें प्रतिवर्धात्मक इलाज करने चाहिए। यहां पर उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम तकलीफ को देखकर उसका ठीक से इलाज करेंगे, तो इलाज हो सकता है। इस दृष्टि से हम यदि पूरे देश की तरफ देखेंगे तो उसका इलाज हो सकता है जैसे मिलिट्री के बारे में होता है। यदि आज कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला हो और आप मिलिट्री वाले को बोलें कि वह हथियार लेकर आओ, यह लेकर आओ, बाजार से लेकर आओ तो उससे कुछ फायदा नहीं है। यदि हमारे दुश्मन का हमारी तरफ देखने का तरीका ठीक नहीं है, यदि हमारे दिल में यह आशंका है कि यह दुश्मन हमें छोड़ने वाला नहीं है, किसी भी समय हम पर हमला कर सकता है तो मिलिट्री वाला ऐसा नहीं कहेगा कि बाद में हमें शस्त्र लेकर दो। उनका कहना यह रहेगा कि हमारे दुश्मन के पास यह हथियार है, वह बारूद है, तो हमारे पास भी वह सब चीजें होनी चाहिए ताकि हम उनका मुकाबला कभी भी करने के लिए तैयार रहें। जिस ढंग से मिलिट्री वाले बोलते हैं उसी तरह से हमारे शासक यंत्र को भी तैयार किया जाये। चाहे बाढ़ आ जाये, भूकम्प आ जाये, किसी का घर गिर जाये, आग लग जाये, इनके लिए जितने भी प्राविधात्मिक इलाज होने चाहिए, उन सब पर सरकार ठीक से सोचे और उन्हें अमल में लायें।

[अनुवाद]

यदि ऐसा किया जाता है तो सभा के लिए है आवश्यक नहीं हो कि वह वर्ष दर वर्ष नियम 193 के अन्तर्गत इन विषयों पर चर्चा करें। हमें इसकी शुरूआत प्रत्येक वर्ष एक समस्या का हल निकालकर करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस माननीय सभा से अधिक बेहतर कार्य कर सकते हैं। मेरा यही विनम्र अनुरोध है।

सभापति महोदय : श्री पाठक, आपके बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। अपराह्न 6.30 बजे श्री जगमोहन द्वारा उठायी गयी आधे घंटे की चर्चा को शुरू किया जाना है और अभी 18 सदस्य बाकी हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं सभी सदस्यों से विशेष रूप से यह अनुरोध करता हूं कि हमें पिछली सीटों पर बैठने वाले अपने कुछ मित्रों को बोलने का अधिक मौका देना चाहिए। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। यह एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम उन्हें बोलने का मौका दे सकते हैं।

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : जो निर्दलीय है उनका नाम कहीं नहीं आयेगा। *(व्यवधान)* उनको भी चांस मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं रिकवैस्ट कर रहा हूं कि डेढ़ घंटे का टाइम है और 18 साहिबान बोलने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा रेपीटिशन नहीं करें और टू दी प्वाइंट बोलें तो मेरा ख्याल है कि सब एकमोडेट हो जायेंगे। यह मेरी दरख्वास्त है। धन्यवाद

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह कार्स्ट बैंचर होते हुए भी बैक बैंचर का फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री हरिन पाठक : सभापति जी, कल शाम चार बजे से हमारा सदन, जहां से देश का शासन होता है, वह प्रजातंत्र का हिस्सा कुदरती आपदाओं के कारण देश के विभिन्न प्रांतों में जो जन हानि हुई है, नुकसान हुआ है उसकी चर्चा कर रहा है।

अपराह्न 4.58 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

पिछले आठ साल में मैं लगातार इस सदन में सदस्य के नाते बैठा हूं। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया जब इस विषय पर चर्चा हमने न की हो। यह स्वाभाविक है कि कुदरती आपदायें इस देश में आयेंगी। इतनी साईंस और टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं आयी है कि इन कुदरती आपदाओं को हम रोक सकें। हमारी मजबूरी है, हमारी लिमिटेशन्स है। यह इतना विशाल देश है कि उत्तर में हिमालय की श्रृंखलायें हैं तो उससे हजारों किलो-मीटर की दूरी पर दक्षिण में नीलसागर भारत माता के पांव धोता है। पूर्व में कोहिमा के जंगल हैं तो कच्छ में रेगिस्तान है। भूमि के संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में यह विशाल देश है और इस पर कुदरत की पूरी मेहरबानियां है। जब कुदरत की मेहरबानियां जाती हैं और आज से नहीं हजारों सालों से ऐसा होता है तब तबाही का आतंक हो जाता है। फिर चाहे जबलपुर का भूकम्प हो, गुजरात की बाढ़ हो, उड़ीसा का सूखा-अकाल हो या हिमाचल हो, मैंने चर्चा में सुना कि नौ राज्य इससे दुष्प्रभावित हुए हैं। करोड़ों लोग सीधे इसकी चंगुल में फंसे हैं। मैं रेपीटिशन नहीं करना चाहता। जब प्रांतों के लोगों ने अपनी बात रखी है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहां 260 लोग मारे गये हैं। लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि नष्ट हो गयी।

अपराह्न 5.00 बजे

आठ जिले दुष्प्रभावित हुए। अहमदाबाद, खेड़ा, बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, ये सारे जिले तबाह हो गए हैं। मेरा पूरा क्षेत्र अहमदाबाद शहर होते हुए भी 80 प्रतिशत क्षेत्र एक महीने में दो बार पानी में गर्क हो गया। उनकी आपदाएं, उनकी विपत्तियां सुनाने का समय नहीं है। कितना नुकसान हुआ, उसके आंकड़े कहने का भी समय नहीं है। हर राज्य में 1000-2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सिर्फ गुजरात में ही 1500 से 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ अहम बात पर आना चाहता हूं जो शायद मेरे अजीज दोस्त श्री चरणदास ने कही कि इन आपदाओं से हम कैसे निपटेंगे।

मैं दस साल पहले राज्य के एक कार्पोरेशन से सीधे इस सदन में आया। वहां का बजट सिविल ऐमीनिटीज का बजट होता था। मैं आठ साल से इस सदन का बजट देख रहा हूं, वही इंग्लिश का पुराना ढांचा *[अनुवाद]* विभिन्न मंत्रालयों को बजट का आवंटन, विभिन्न विभागों को बजट का आवंटन *[हिन्दी]* बस, उसकी चर्चा हो गई और 1000-2000 करोड़ रुपये इधर- उधर कर दिए। इस देश की जो मूल समस्याएं है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था हमने नहीं की है। मैं श्री चरणदास से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि एक सैटेलाइट कम छूटेगा तो चलेगा, 2-4 इन्फ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं होगा तो चलेगा, सैलुलर फोन दस साल बाद में आएगा तो चलेगा, रंगीन टी०वी० दस साल बाद आएगा तो चलेगा लेकिन यदि इस देश में बसने वाले भारतवासियों को इस कुदरती आपदाओं से हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारे लिए आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने का कोई मतलब नहीं है। कैसे मनाएगा गुजरात आजादी की 50वीं वर्षगांठ

जबकि वहां 250 आदमी मारे गए? कैसे होगी रोशनी, कैसे उड़ेंगे फव्वारे और कैसे होगी आतिशबाजी गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पूर्वांचल आदि में? उस फव्वारे उड़ाने और पटाखें फोड़ने का कोई मतलब नहीं रहता। सभापति महोदय, मुझे यही बात आपसे कहनी है। मेरे दोस्त गढ़वी जी ने उसके पूरे आंकड़े दिए हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। सिर्फ अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, महसाणा में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, खेड़ा में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अब क्या कहेंगे हम यहां, आपसे पैसे मांगेंगे। यदि पैसे मांगेंगे तो जले हुए नमक की तरह दिए जाएंगे। 1500 करोड़ रुपये का नुकसान और सरकार देगी 60-80 करोड़ रुपये।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे इस सदन में दो मांगें रखनी हैं। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा सदन मेरे साथ सहमत होगा। कि बजट ऐलोकेशन में मत जाइए। कल गुजरात के सांसद आदरणीय मंत्री श्री मिश्रा के पास गए थे। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का बयान दिया कि मेरे पास पांच साल के लिए 700 करोड़ रुपये हैं। 140 करोड़ रुपये मैं पूरे देश में कैसे बांट सकता हूं। मैं उनसे पूर्णरूप से सहमत हूं लेकिन निर्णय सदन को करना है। नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करके इस बात को यहां नहीं छोड़ना है। जोर-जोर से बोलकर 25 करोड़ रुपये हम ले जाएंगे, यह किसी राज्य तक सीमित नहीं रखना है। क्या आज यह सदन निर्णय करने के लिए तैयार है कि देश के किसी प्रान्त में जब भी प्राकृतिक विपदा आएगी, उससे जो-जो लोग दुष्प्रभावित होंगे, जितना भी नुकसान होगा, जो लोग मारे जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी भरपाई, पूरा पैसा केन्द्र सरकार देगी? तभी तो बात बनेगी।

मैं अपने क्षेत्र के उस घर में गया जिस घर में एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसका खेड़ियार नगर में कच्चा झोंपड़ा था। उसमें पानी घुस गया था। बहन रो रही थी। उसने चार मन गेहूं कर्जा लेकर पहले ही खरीदकर रखा था। सारा गेहूं नष्ट हो गया। अभी तक कलैक्टर का आदमी वहां नहीं पहुंचा। आप कितने लोगों को कैश डोल बांटेंगे। कैश डोल क्या मजाक होता है या नुकसान की भरपाई क्या मजाक होती है। यदि हम हर राज्य की मांग पूरी नहीं कर पाते तो यह मजाक मत करिए। मैं करबद्ध प्रर्थना करता हूं कि इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। आपदाएं आती हैं। आपकी मर्यादाएं है। चाहे कोई भी सरकार हो, मैं राज्य की बात नहीं करना चाहता। प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहेंगी लेकिन उन आपदाओं को निपटाने के लिए क्या हम सही अर्थों में गंभीर हैं। तो जब-जब वे आपदाएं आयें तो उन आपदाओं का अनुमान लगाये, परन्तु राज्य को उसकी मांग के अनुरूप आप सर्वे कराइये, मुझे बड़ी खुशी है कि मिश्रा जी तुरन्त गुजरात आ गये थे। मेरे क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। मेहसाना में जाकर मुझसे पहले उनके मुंह से यह लफ्ज निकल पड़े कि यह राष्ट्रीय विपदा है।

श्री रमेन्द्र कुमार : यह पाठक और मिश्रा का खेल है।

श्री हरिन पाठक : यह तो कुदरत का खेल है। आप खेल को समझ नहीं पाते, मजाक में ले लेते हैं, यह तो दुख की बात है। लाखों लोग मरते हैं, लाखों एकड़ जमीन खत्म हो जाती है, किसान रो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। यह तो हम सब की वेदना है। अगर हम कुदरत के इस करिश्मे को नहीं रोक सकते तो हमारे पास जो धन है, उससे उसपर मरहम तो लगाइये। उन बुझे हुए दीपकों को तो रोशन करिये, उनका मिट्टी का कच्चा घर टूट गया है, उसको दोबारा तो बनाइये। उस लड़के की शादी होने वाली है, उसके घर में गेहूं तो भेजिये। वरना फिर इस सदन में बैठने का क्या मतलब है। इस देश की गरीब, पीड़ित, शोषित प्रजा का अगर हम उत्थान नहीं कर सकते, 50 साल हो गये हैं, न प्लानिंग से कर सकते हैं, 80 प्रतिशत प्रजा आज भी देश में दुखी है, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मगर कम से कम जब देश में विपदा आती है, जब कुदरती प्रकोप आता है तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि इसपर एक कमेटी बनाई जाये। कमेटी बनाकर मंत्रिमण्डल में एक निर्णय लिया जाये कि जब-जब भी जिस-जिस प्रान्त में, राज्य में कुदरती विपदा आती है, तो उसका पूरा का पूरा भुगतान एक टीम भेजकर पूर्ण रूप से, 100 परसेंट उन राज्यों को किया जाये। नहीं तो एक मजाक हो जायेगा। 1500 करोड़ रुपये का गुजरात का नुकसान हुआ, 100 करोड़ रुपये दे दोगे, 1400 करोड़ रुपये का घाटा है, कोई वित्तीय घाटा नहीं हैं जो इन्सानों के साथ खिलवाड़ होगा, वह वित्तीय घाटा नहीं है, यह लोगों की जिंदगी के साथ एक मजाक होगा और जब हम देश की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, तब यह निर्णय करने का बिल्कुल उचित समय आ गया है कि हम निर्णय करें या फिर इसको रोकें। रोकने की हमारे पास क्षमता नहीं है, टैक्नोलोजी नहीं हैं हां, कितनी भी टैक्नोलोजी होते हुए भी भूकम्प होते हैं, चाहे लातूर हो या जबलपुर, बांध बनाने के बाद भी बारिश आती है। बारिश कहकर तो नहीं आती। कभी-कभी तो मजाक बन जाता है। यह जो हवामान की सूचनाएं आती हैं न कि कल पूरा सूखा रहेगा, इब्राहिम जी का ऑल इंडिया रेडियो बताता है कि कल पूरे राज्य में सूखा रहेगा और उसके चार घंटे के बाद बारिश होती है तो इसपर हम पहुंच नहीं पाते। कुदरत के इस तूफान को रोक नहीं पाते।

मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिन-जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि हुई है, किसान का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है, पशुधन मारा गया है, गरीब का झोंपड़ा, मकान गिर गया है, उन सभी राज्यों को, विशेषकर मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा, गुजरात को कम से कम 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ हैं अहमदाबाद शहर को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अब उनके टूटे हुए घरों को बसाने का समय है। राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था उतनी पर्याप्त नहीं है, केन्द्र सरकार के निर्णय लेने का समय आ गया है। कल आपने ठीक बताया, जिन-जिन मिनिस्ट्रीज के पास, जिन-जिन मंत्रालयों के पास स्पेयर, फालतू पैसे पड़े हैं, उन सब मंत्रालयों से पैसा इकट्ठे करके पूरे देश के जिन जिन प्रान्तों में ये आपदाएं आई हैं, उनपर यह पैसा खर्च किया जाये, उनको दिया जाये, ताकि उनके घर बसें।

15 अगस्त को जब आप रोशनी करें, जब इस देश में 15 अगस्त को मनायें, जब इस सदन में हम देश की आजादी के उत्सव मनायें तो उन प्रान्तों के गरीब लोगों के मन में भी थोड़ी बहुत खुशी की झलक उनको मिले।

इसी अभ्यर्थना के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) **: बोलने का यह मौका दिए जाने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति, मेरे मुख्य सचेतक और आपको धन्यवाद देता हूं।**

मुझे याद है कि मैं पिछले तीन दशकों से यही करता रहा हूं : *"कर्मण्येवाधिकारस्ते, माफलेषु कदाचन:"*। पिछले तीस वर्षों से मैं सामान्य रूप से देश में ही नहीं अपितु विशेष रूप से अपने राज्य उड़ीसा में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बोलता रहा हूं। ऐसी घटनाओं के साथ सूखा, बाढ़ और तूफान आते हैं। इस वर्ष मैं माननीय कृषि मंत्री, श्री चतुरानन मिश्र का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने 29 जुलाई के मेरे प्रश्न सं० 84 के उत्तर में बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था।

कल, श्री नीतीश कुमार द्वारा भी यह उल्लेख किया गया था। मैं पूरे उत्तर का उल्लेख नहीं करूंगा। "पांच राज्य आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश ओला वृष्टि से प्रभावित हुए थे तथा नौ राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भिन्न-भिन्न मात्रा में वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित हुए थे।"

[श्री के०पी० सिंह देव]

समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि 'कर्नाटक, केरल; समग्र पूर्वोत्तर और असम में भयकर संकट पूर्ण स्थिति है।' जैसाकि श्री प्रहलाद पटेल और अन्य लोगों द्वारा बताया गया है जबलपुर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में, सबसे भयानक भूकम्प आया था। किन्तु यहां उत्तर में यह लिखा है कि "22 मई को मध्यम दर्जे का भूकम्प आया।" अब बात आपसे बाहर हो गयी है।

अगले पैरा में उन्होंने कहा है कि "भारत सरकार और राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घावधिक कार्यक्रम चलाती हैं।" पचास वर्षों के लिए उन्होंने दीर्घावधि योजना शुरू की है। 1995-2000 के लिए आपदा राहत निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है? 1995-96 में 1130 करोड़ रुपए; 1996-97 में 1197 करोड़ रुपये; 1997-98 में 1263 करोड़ रुपये; 1998-99 में 1328 करोड़ रुपए तथा 1999-2000 में 1384 करोड़ रुपए। अत: 1995 से 2000 तक आपदा राहत के लिए कुल 6304 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है सरकार इस बात को मानती है कि आपदा में वृद्धि होने जा रही है।

जहां तक बाढ़, भूकम्प ओर ओलावृष्टि का संबंध है, यदि ये आपकी आंखों के सामने होते हैं, आप क्षति देख सकते हैं। किन्तु सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका कि माननीय मंत्री के उत्तर में बिलकुल जिक्र नहीं किया गया है।

'दि टाइम्स आफ इंडिया' में एक बहुत अच्छा लेख है - सूखे के लिए कोई परवाह नहीं करता है।" विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव ने भी यही बात कही है जो मौसम, मौसम परिवर्तन, परिवर्तनशीलता और पूर्णनुमान के संबंध में राजीव गांधी समसामयिक अध्ययन संस्थान में आये थे।

कृषि हमारा मूल उद्योग और व्यवसाय है यह न केवल इस देश का बल्कि समग्र विश्व का उद्योग और व्यवसाय हैं यह विश्व चिन्तित है। हम इसके हस्ताक्षरी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है किन्तु उत्तर में समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर डाल दी गयी हैं।

अत: मैं श्री प्रहलाद पटेल, जिन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जो बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पटवा या मेरे मित्र श्री नीतीश कुमार की राय से सहमत नहीं हो सकता हूं। दुर्भाग्य शाली मुख्य मंत्री इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं चाहे वे रात्रि में सो रहे हो या वे श्री प्रहलाद पटेल की जोरदार आवाज से नींद से जाग उठे हों। जहां तक मैं जानता हूं मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री एक दिन में 18 से 20 घंटे तक कार्य करते हैं। उन्हें सोने के लिए मुश्किल से चार घंटे का समय मिलता है। वे इस सभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं किन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री प्रहलाद पेटल की जोरदार आवाज उन्हें नन्द्रा से जगा सकी है।

महोदय, समग्र मामला योजना आयोग के विचाराधीन है जिसे उत्तरदायित्व के बिना अधिकार है। उन्होंने यह आवंटित किया है, श्री चुतरानन मिश्र, कृषि मंत्री अथवा उनके विशिष्ट पूर्ववर्ती अथवा उनके उत्तराधिकार, जो आने वाले वर्षों में कृषि मंत्री बनने जा रहे हैं, ने आवंटित नहीं किया है।

अत: योजना आयोग ने इसे नहीं देखा है। आज केवल कृषि मंत्री ही जहां मौजूद हैं। उत्तर में उन्होंने भी यह उल्लेख किया है कि ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य मंत्री तथा कई अन्य मंत्रियों ने भी राज्य सरकारों की मदद की है चाहे यह 75 : 25, 50 : 50 या 25 : 75 के अनुपात है। यह केवल आंकड़ों का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूं जो ग्रेडस्टोन ने कहा था; "लाइज डैमन लाइज एण्ड स्टेटिस्टिक्स"।

एक दिन मैं, संसद सदस्यों, के लिए तैयार किए जा रहे एक सरकारी पत्र को देख रहा था। 1972 से 1997 तक किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया था कि हर पांच वर्ष बाद भी उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग 55 प्रतिशत और 78 प्रतिशत के बीच रहें किन्तु अनेक मुख्य मंत्री, चाहे मेरे दल के थे अथवा किसी अन्य दल जिसकी भी सरकार रही हो, यह कहते रहे हैं कि उन्होंने इसे कम कर दिया है। अब यह जले पर नमक छिड़कने के समान ही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसपर की चर्चा होने जा रही है और मेरे माननीय मित्र श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही इस पर वक्तव्य देने जा रहे हैं, में 1 जून, 1997 से कमी की गयी है। ऐसे राज्य 1965 के विख्यात कालाहांडी सूखे, जब भूख से 1200 लोग मर गए थे, से लोग 55 प्रतिशत अथवा 78 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका दौरा किया था, तब से श्री देव गौड़ा तक आठ प्रधान मंत्रियों ने इसका दौरा किया है। इसके बाद, केन्द्रीय दल वहां गया था। संसद में बहस हुई थी और अनेक वायदे किए गए थे। पिछले वर्ष की आवश्यकता 577 करोड़ रुपए थी किन्तु मार्च के अन्त तक हमें 50 करोड़ रुपए मिले थे। वर्तमान प्रधान मंत्री को यह कहना पड़ा कि उड़ीसा सरकार इस धनराशि को खर्च नहीं कर सकी। श्री हरिन पाठक, श्री मुरली मनोहर जोशी और भारतीय जनता पाटी के सात सदस्य वहां गये थें उन्हें बताया गया कि उड़ीसा सरकार के पास आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। श्री देव गौड़ा ने भी यही बात कही है।

अब आप जानते है कि यह हो रहा है। हम इसे राज्य सरकारों के ऊपर नहीं डाल सकते और "ठीक है हमने 75 प्रतिशत दिया है"। मैं प्रसन्न हूं कि श्री चतुरानन मिश्र ने सभी राज्य सरकारों को चार किस्तों में से तीन किस्ते दी है। किन्तु वास्तविकता यह है कि सूखा कैंसर के समान एक बीमारी है। आप इसे देख नहीं सकते हैं। यह साक्ष्य नहीं है। यह पिछले तीस वर्षों से आपके महत्वपूर्ण और निर्धन उड़ीसा जो सूखे, बाढ़ों और भूकम्प से पीड़ित है, को खा रहा है। हमने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और अधिकांश व्यक्ति अनियन्त्रित हैं। उड़ीसा के केवल 19 प्रतिशत जल संसाधनों का दोहण अथवा उपयोग किया जाता है। महोदय यदि माननीय कृषि मंत्री इच्छुक है तो सबसे पहले यही कार्य किया जाना चाहिए कि खाद्य उत्पादन में सुधार लाया जायें। खाद्य उत्पादन अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की परामर्शदायी समिति की पिछली बैठक तथा स्थायी समिति के प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख किया गया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग 3600 करोड़ रुपए की राशि चाहते हैं। उन्हें योजना आयोग से 1,300 करोड़ रुपए की राशि मिल रही है। संसदीय स्थायी समिति, जिसमें सभी दलों से 45 सदस्य हैं, ने कहा कि यह हमारे समता घरेलू कृषि उत्पाद का एक प्रतिशत होना चाहिए जबकि हम 0.01 प्रतिशत दे रहे हैं यह संसद का उपहास है यह संसद का अपमान है। और जैसाकि मेरा और मेरे साथियों, जिनमें से कुछ मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं का पिछले तीन दशकों से अनुभव रहा है, संसद के विचारों की उपेक्षा की जाती है हम चौथी लोक सभा में सहयोगी थे जबकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी; श्री जी० वेंकटस्वामी और श्री इन्द्रजीत गुप्त हमसे भी पहले से यहां थे। वे पिछले साढ़े चार दशक से यहां थे। प्रत्येक वर्ष हम इस विषय पर समान उग्रता, समान संवदेना और समान भाव से चर्चा कर रहे हैं। अत: जैसा कि मैंने कहा है यह "कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन:" है। इससे कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हमने यह देखा है कि यह योजना आयोग है जो आदेश देता है और हम, संसद सदस्य लोक सभा और राज्य सभा में यहां संघर्ष करते रहते हैं। यह इसी तरह है जैसे "प्रत्येक स्थान पर जल ही जल है; सभी बोर्ड डूब गए है; प्रत्येक स्थान पर जल ही जल है; लेकिन पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है।" जहां तक उड़ीसा का संबंध है उसकी यही स्थिति है।

पिछले वर्ष के अभूतपूर्व सूखे के बाद जब 30 जिलों में से 26 जिले प्रभावित हुए थे. इस वर्ष हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं; जिन्होंने हमें एक पत्र देने की कृपा की है। जो श्री नीतीश कुमार द्वारा उद्धृत किया गया है, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए यह दसवां सामान्य मानसून होगा। कुल 35 जियो क्लाइमेटिक जोन में से 28 में जरूरत से अधिक वर्षा हुई है। अतः हम संसद सदस्य इस संबंध में जो कुछ कहेंगे, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए जाएंगे, भारत सरकार उसे ही स्वीकार करेगी।

अब, उड़ीसा सरकार ने डी०आर०डी०ए० द्वारा घर-घर में किए सर्वेक्षण से यह पाया है कि 43 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उन्हें 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न मिल रहा था। परंतु 1 जून 1997 से इसे घटाकर अब 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति परिवार कर दिया गया है और यह, योजना आयोग की यों ही की गई एक प्रतिचयन पद्धति के अनुसार केवल 32 लाख परिवारों को ही दिया जाता है। *(व्यवधान)* जैसा कि इस रिपोर्ट से प्रकट होता है यहां प्राकृतिक अपदाओं के बारे में किसी को चिंता नहीं है। अब हम क्या करें? हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते किए है। हम उन सिद्धान्तों के लिए वचनबद्ध हैं। क्या हमने बाढ़, तूफान और सूखे की घटनाओं को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं। प्रौद्योगिकी तो उपलब्ध है हमने छोटे-छोटे तालाबों में पानी जमा करने, नालों पर पानी रोकने की पुरानी प्रक्रियाओं को छोड़ दिया है और, जैसा कि कोई सदस्य बड़े बड़े बांधों की बात कर रहे थे। जब पर्याप्त वर्षा होती है तब ये बड़े बांध किसी काम के नहीं रहते, जब वर्षा नहीं होती, तो भी ये बेकार हैं।

यहां अनेक सम्मेलन किए गए। मुझे बताया गया था कि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को कृषि मंत्रालय द्वारा आपदाओं में कमी पर नीती संबंधी पत्र तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि आपदाओं से निपटने हेतु व्यवस्था की जा सके। अधिक से अधिक अनुदान प्रदान करने से कोई लाभ न होगा। क्योंकि यह विकास मार्ग से विपथन होगा तथा इसके योग से किन्हीं स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता और न ही यह अर्थव्यवस्था प्रणाली, के विकास में ही सहायक हैं।

एक अन्य मुद्दा यह भी है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। तब कहीं कृषि को भी उद्योग को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। कृषि संबंधी वातावरण, विशेषकर भारत में, आपस में काफी जुड़ा हुआ है तथा मौसमी पर्यावरण के अपकर्ष के कारण मौसमी परिवर्तनों से अत्याधिक प्रभावित रहता है। अतः, हमारे किसान, जिन्हें कृषि के कुछ पारम्परिक तरीकों से कार्य करने की आदत है, तथा फसल कटाई के लिए खास मौसमों की आदत है और इस तरह उनकी पूरी योजना व्यर्थ जा रही हैं आज हमारी जनसंख्या गरीब है और जबकि वह गरीबी रेखा के नीचे ही निर्वाह कर रही है फिर भी और अधिक दरिद्र होती जा रही है।

महोदय, सभी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। इस कार्य को राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि योजना आयोग ही इसका प्रबंध करता है। मैं जानता हूं कि कृषि मंत्रालय अपनी क्षमता से अधिक प्रयास कर रहा है। इसलिए, रेलवे की स्थाई समिति का सदस्य होने के नाते भी मुझे यह मालूम है कि रेल मंत्रालय इस मामले में कितना प्रयास कर रहा है। परंतु योजना आयोग जिसके पास बिना दायित्व के अधिकार हैं को सूखे तथा भुखमरी में जानलेवा वृद्धि को समझना चाहिए।

अंतिम बात यह है कि जबकि हम 'स्वदेशी' की बात करते हैं, हमें पानी के उपयोग और संरक्षण के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

जहां तक गुजरात का सम्बंध है, उनके पास, उनको मिलने वाले 15 इंच वर्षा के संरक्षण के बेहतरीन तरीके हैं। इस प्रकार के तरीके हमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में भी मिलते हैं। परंतु इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

जब हम लघु स्तरीय योजनाओं, लोगों में शक्ति का विकेन्द्रियकरण इत्यादि बातों पर बल दे रहे हैं, यहां जो सरकार है वह 14 मुख्य मंत्रियों तथा 14 क्षेत्रीय पार्टियों के गुटों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अतः मैं इस बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भटिन्डा एअरफील्ड में एक अत्यंत रोचक शीर्षक पढ़ा था, ''अपनी समस्याओं की कभी शिकायत न करें, आधे लोग तो समझेंगे नहीं और आधे खुश होंगे कि आप उनमें फंस गए हैं।'' इसलिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार को मालूम है तथा इन समस्याओं से अभिज्ञ है। परंतु वह हमारे पास आकर अपनी मजबूरी बता रही है। इस तरह मजबूरी दिखाने से काम नहीं चलेगा।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है।

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले दिनों जबलपुर में भूकम्प आने से भारी क्षति हुई है लेकिन सरकार की तरफ से जो सहायता की गयी है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं मांग करूंगा कि जबलपुर में भूकम्प पीड़ितों की भारी मात्रा में सहायता की जाये। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल के जिले हैं, देवरिया, पडरौना, बलिया, मऊ और आजमगढ़ ये पिछले 50 साल से या उससे भी अधिक दिनों से बाढ़ से ग्रसित हैं। बाढ़ की गति हर साल बढ़ती जाती है। नदी की तलहटी में मिट्टी भर जाने से बाढ़ की गति बढ़ जाती है। मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा और लोक सभा में बराबर इस बात को कह रहा हूं कि बाढ़ को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये गये हैं। इन जिलों में दस हजार करोड़ रुपये बाढ़ से बचने के लिए और पीड़ितों को सहायता देने के लिए खर्च किए गये हैं। दो करोड़ रुपये बड़ी गंडक पर आयी बाढ़ और राहत कार्यों पर खर्च किये गये हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। देवी आपदा वाले इलाकों में जो अधिकारी काम करते हैं, उन्हें ईमानदारी से कम करना चाहिए। सरकारी धन मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैंने इसका अध्ययन भी किया था। बड़ी गंडक पर सरकार ने जो दो करोड़ रुपये खर्च किए, वहां पर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम किया, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। जिसकी हैसियत दस लाख से ऊपर न बढ़ गयी है। सारा का सारा पैसा उन अधिकारियों ने रोक लिया था। देवरिया जिले में घाघरा नदी पर लकड़ी का बांध पानी रोकने के लिए बनाया गया था। पहले पानी आया और 65 लाख का लकड़ी का बांध बहकर नदी में पता नहीं कहां चला गया। देवी आपदा का धन अधिकारियों के लिए एक जरिया बन गया है। पूर्वांचल जिलों में एक हजार घर नदी के किनारे बसे हैं। हर साल नदी के किनारे बसने वाला जो गरीब आदमी है, वह नदी में कटकर चला जाता है। एक कानून बना हुआ है कि जो नदी के किनारे बसा है उसके गांव को दूर हटा दिया जाये लेकिन उसके घर को बचाने के लिए सरकार कोई मदद नहीं कर सकी है। मैं जब उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोध पक्ष में था तो मैंने इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि इस कानून को हटाया जाये। पांच हजार गांव जो नदी के किनारे बसे हैं, वे बह जाते हैं। देवरिया जिले में परसिया, देवार गांव है, वहां का एक गरीब आदमी नदी के किनारे सोया हुआ था, रात को पानी आया और वह बहकर नदी में डूब गया। अभी पिंडी गांव खतरे में है। देवरिया में कटइलवा गांव खतरे में है और बाढ़ में बह गया है। सौ गांव इस बाढ़ से बह जायेंगे। परसिया बह जायेगा। ये करीब दो दर्जन गांव देवरिया में हैं। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में पांच हजार गांव नदियों के किनारे बसे हैं। पांच

[श्री हरिवंश सहाय]

हजार गांवों के लिये वर्तमान कानून ऐसा नहीं है। नदियों के किनारे पर जो गांव हैं, उनको कैसे बचाया जाये। सरकार का कहना है कि इन गांवों को बचाने के लिये हमारे पास कोई नियम नहीं है। जो चाहते हैं, वे यहां से दूर चले जायें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो लोग सदियों से वहां पर घर बनाकर बैठे हुये हैं, वे कैसे छोड़ कर जा सकते हैं। जो पूर्वांचल के 8-10 जिलों में वहां पर बंधे बने हैं, उनमें दस हजार करोड़ रुपये की लूट हुई है। यह देखा जा रहा है कि हर साल बाढ़ की गति तीव्र होती है और देवी विपत्ति से बचने के लिये खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये, कोई निर्देश जारी करना चाहिये। क्या सरकार ने इस बात का सर्वे कराया कि हर साल बाढ़ घटने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? मेरी मांग है कि इसका सर्वे करायें। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये जाये कि नदियो के किनारे जो गांव हैं, उनको बचाने के लिये कोई ठोस उपाय किये जायें। पिछले पांच सालों में देखा गया है कि नदियों के कटाव की संख्या बढ़ती जा रही है। नदियो की तलहटी में मिट्टी भरती जा रही है। केन्द्र या राज्य सरकार से बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता भेजी जाती है, वह उन तक पहुंचती नहीं है। इसमें काफी लूट और धांधली हो रही है। मैं बाढ़ के दिनों में काम करता हूं तो देखता हूं कि जिसको 20 किलो गेहूं मिलना चाहिये, वहां 5-10 किलो मिल रहा है और जो मिल रहा है, उसको कम तोला जा रहा है। मेरी मांग है कि देवरिया, बलिया, आजमगढ़, पडरौना जिलों में पिछले सालों जो राहत कार्यों के लिये रुपया खर्च किया गया, उसकी जांच की जाये और अनुरोध है कि आने वाले दिनों में बाढ़ से बचाने के लिये कारगर कदम उठाये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी चार आनरेबल सदस्यों को बोलना है और फिर आनरेबल मिनिस्टर को जवाब देना है। अभी कुछ नाम और आये हैं। अगर हर मेम्बर पांच मिनट भी ले तो सभी बोल पायेंगे। शुरू में नाम कम थे, अब और आ हैं। श्री जोआचिम बक्सला।

श्री जोआचिम बक्स (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश का ध्यान रखते हुये अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

भारतवर्ष में किसी न किसी प्रान्त में प्राकृतिक आपदा अकाल, बाढ़, भूकम्प या अनावृष्टि के रूप में आती है जिससे साधारण जनता और गरीब लोग प्रभावित होते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि न केवल इस मानसून सत्र में बल्कि इसके पिछले मानसून सत्र में भी चर्चा कर चुके हैं। मैं एक नव-निर्वाचित सदस्य यह सोचता हूं कि हर साल क्यों इस विषय पर चर्चा होती रहती है? मैंने आशा की थी कि मेरे पूर्व वक्ता इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो चर्चा पहले हुई है, उनका क्या फल रहा और जो असुविधाएं लोगों को होती हैं, उसके लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए, लेकिन इस दिशा में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। फिर भी मैं आशावादी हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे मालूम है कि कृषि मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी है कि देश के हर प्रांत में किस तरह की आपदाएं आ रही हैं।

सभापति जी, मैं अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका पड़ोसी राष्ट्र भूटान है। भूटान में छोटे-बड़े पहाड़ हैं और उन पहाड़ों से डोलोमाइट ऐक्स्ट्रैक्शन किया जा रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है और यही वजह है कि कितनी नदियां हैं - पगली भूटान, रायडग, बसरा, संकोष, तरषा, इन सभी नदियों की सतह की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि उस क्षेत्र में मुख्यतः बाढ़ आती है और बाढ़ के प्रकोप से वहां के लोग तबाह हो जाते हैं। जब भी मानसून आता है, तो वहां के लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बाढ़ उस क्षेत्र में आएगी, उस बाढ़ से उनको काफी तकलीफ होगी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं की जाएगी। इन्हीं सब असुविधाओं की वजह से उनके मन में चिन्ता बनी रहती है। जितनी राशि केन्द्रीय सरकार से उन्हें मिलनी चाहिए, उतनी राशि उन्हें नहीं मिलती है। भूटान के साथ लगा हुआ जो जयगांव शहर है, वहां की स्थिति बहुत नाजुक है। इसके साथ-साथ जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में अनेक जगह हैं, वहां जब भी मानसून आता है तो बाढ़ की चपेट में वह आ जाते हैं और वहां के लोगों को काफी असुविधाएं होने लगती हैं। उनकी फसल नष्ट हो जाती है और चूंकि क्रोप इंश्योरेन्स नहीं है इसलिए उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। स्वाधीनता के 50वें वर्ष में हम आशा करते हैं कि हमारे देश के हर क्षेत्र की उन्नति ठीक से हो, लेकिन हमारी आशा आशा ही बनी रहती है। लोगों की आशाएं इसलिए निराशा में बदल जाती हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जब उनकी फसल नष्ट होगी तो उसके लिए कोई भी मुआवजा देने को तैयार नहीं होगा। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस विषय पर जब हर वर्ष चर्चा होती है तो क्यों नहीं इस पर एक मास्टर प्लान बनाने की चिन्ता की जाती है? आपसे निवेदन है कि आप प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन को भी इस विषय पर आगाह करें और जितने भी सदस्य हैं नेशनल फंड फौर कैलामिटी रिलीफ के, जैसे इसमें आप अगुवाई करते हैं और प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उसमें हैं और पांच मुख्य मंत्रियों का प्रधान मंत्री द्वारा नौमिनेशन होता है और साथ में दो केन्द्रीय मंत्री भी इस समिति में रहते हैं, इन सबसे मेरा निवेदन है कि कम से कम इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे क्षेत्र में स्वाधीनता सेनानियों को जहां ऐतिहासिक बक्सा के किले में बंदी के रूप में रखा गया था, वहां हम 15 अगस्त को आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने वाले थे और जितने भी 25 स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सम्मान में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन वहां बाढ़ के कारण रास्ता खराब हो गया है। 1993 में जो ब्रिज टूटे, उन पुलों का अभी तक पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक चार-पांच ब्रिज ऐसे ही पड़े हुए हैं विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुलों की यह स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस ऐतिहासिक स्थल की क्या दुर्गति होगी। और इसलिए हम लोग जो 15 अगस्त को उनके लिए सम्मान जताते हैं उसकी जगह इसको नवम्बर में करने जा रहे हैं। ताकि तब तक हम उसे रास्ते का पुनर्निर्माण और रिपेयर करने के लिए कुछ हद तक आगे बढ़ पाये। चूंकि यहां पर बहुत से वक्ता हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती है, इसके महत्व को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसके लिए विशेष मास्टर प्लान या मास्टर पॉलिसी बनाने की ओर ध्यान देंगे। हम लोग इस प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे सारे लोगों को इससे किस तरह से निपटना चाहिए, किस तरह से इसको फेस करना चाहिए, बाढ़ में जीने का लोगों को कैसा तरीका अपनाना चाहिए, उस संबंध में कम से कम उनको शिक्षा देने का कार्यक्रम हमारी केन्द्रीय सरकार की ओर से होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सिंह देव तथा कॉमरेड बक्सला ने पहले ही कहा था कि प्रति वर्ष इस सभा में हम प्राकृतिक आपदाओं के विषय में चर्चा करते हैं तथा प्रति वर्ष हम खेद जनक विवरण देते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए तथा इतने सारे घर गिर गए इत्यादि। वास्तव में हम यहां केवल यह चर्चा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को कितनी सहायता राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्राप्त होगी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस आधार पर *राष्ट्रीय आपदा राहत कोष* से सहायता प्रदान करती है।

महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले 50 सालों से प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ तथा सूखे के मामले में कुछ नहीं किया है। इसके लिए कोई 'मास्टर-प्लान' या कोई विशेष योजना इत्यादि नहीं है। आप भी इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और आप भी जानते हैं कि उस समय, जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे तब देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना थी। गंगा-कावेरी को जोड़ने का भी प्रस्ताव था ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके और साथ-ही-साथ सूखे से पीड़ित इलाकों में राहत कार्य हो सके। परंतु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। श्री मान सिंह की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई थी और वह रिपोर्ट वर्ष 1966 में इस महान सदन में रखी गई थी परंतु सरकार ने उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं किया। फिर, एक ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड है जिसने बहुत-सी सिफारिशें की हैं परंतु इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

महोदय, हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास केवल किसी चक्रवात या भूकम्प की पूर्व चेतावनी देने के लिए ही किया है। परंतु सूखे के बारे में क्या किया? मैं पिछले 21 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं तथा प्रत्येक वर्ष हम उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में सूखे की स्थिति पर विचार विमर्श करते हैं। यह इस सभा के लिए अत्यंत शर्मनाक बात है तथा यह भारत के लिए भी लज्जाजनक है कि हमने इस प्रकार के सूखे को पिछले 15 या 20 वर्षों से विशेषत: एक ही स्थान पर होते देख रहे हैं।

महोदय, हम वास्तव में गैर-योजना राशि में दिलचस्पी रखते हैं जो कि राहत कार्यों के लिए दी जाती है। मुझे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रो० मधु दण्डवते का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में वह नेताजी ही थे जिन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना करने का विचार किया था।

प्रो० मधु दण्डवते का कहना है कि हमें योजना पर अधिक ध्यान देना चाहिए न कि गैर-योजना पर। हमारे पास इतनी सारी योजनाएं हैं। मेरे क्षेत्र में एक योजना है, उत्तरी बंगाल मास्टर प्लान। यह मानसिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। उत्तरी बंगाल मास्टर प्लान और 'तिअस्ता नदी बैराज' योजना के कार्यान्वयन से न केवल नदियों पर नियंत्रण रख जा सकेगा बल्कि इससे सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलेगी। वर्ष 1976 में यह आरंभ हुआ था, और अब हम 1997 में हैं। तब से 22 वर्षों का समय बीत चुका हैं प० बंगाल सरकार को बहुत ही सीमित राशि प्रदान की गई थी। उन्होंने अब तक 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। परंतु केन्द्रीय सरकार ने अब तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। केवल कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने 100 करोड़ रु० दिए थे। यदि यह योजना उचित ढंग से कार्यान्वित की जाती तो खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक हुआ होता और इससे 60,000 श्रमदिवसों का सर्जन हुआ होता। परंतु सरकार को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।

एक बार यह प्रश्न उठाया गया था कि फरक्का, गंगा, भागीरथी तथा कलकत्ता पत्तन न्यास के भविष्य का क्या होगा, तो यह निर्णय लिया गया था कि संकोष से गंगा तक नदी के पानी को नियंत्रित किया जाये मैं यह बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के कैबिनेट के एक मंत्री ने यह कहा था कि वह 7,500 करोड़ रुपये लेंगे तथा वह उसे चुकाने के लिए भी तैयार थे। ऐसा क्यों है? उसी क्षेत्र में तिअस्ता योजना भी है परंतु सरकार 100 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर सकती जबकि वह नदी को नियंत्रण में रखने हेतु 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है।

असम में, हमेशा बाढ़ आती है। बहुत पहले, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत एक प्रस्ताव था कि ब्रह्मपुत्र-गंगा नहर बनाई जाएगी जो न केवल बाढ़ को नियंत्रण में रखेगी बल्कि उससे विद्युत उत्पादन भी करेगी। परंतु कुछ नहीं किया गया। उस समय एक सर्वेक्षण भी किया गया था। उस समय अनुमानित व्यय 900 करोड़ रुपए था, मैं नहीं जानता कि अब यह कितना होगा। मैं आशा करता हूं कि इसे योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 50 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अत: अन्य दस साल और बीत जाने दीजिए।

25 जुलाई 1997 को प्रश्न संख्या 313 के जवाब मे माननीय मंत्री जी ने बताया था कि आंध्र प्रदेश ने 2,819.37 लाख रुपए की सहायता की मांग की थी तथा उन्हें 235 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी; असम ने 415.91 लाख रुपये की मांग की थी और उसे 37.58 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई; केरल ने 342 करोड़ रुपये की मांग की थी तथा उसे 41 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई; राजस्थान ने 321 करोड़ रुपये की मांग की थी तथा उसे 130 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई थी। राजस्थान के संदर्भ में, यह आंकड़े, अधिक अच्छे थे। मैं नही जानता कि कारण क्या हैं। अन्य राज्यों की तुलना में, यह आंकड़े अधिक अच्छे हैं। प० बंगाल ने 309 करोड़ रुपये की मांग की थी तथा उसे 39 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि राज्य सरकारों को ये निधियां सरकार किस नीति के आधार पर या किन मानदण्डों के आधार पर प्रदान करती है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि यह धन कहां से आएगा? यह राहत प्रदान करने का सवाल है। इसके लिए धन कौन देगा? पीड़ितों को राहत प्रदान करने के संदर्भ में, चाहे वह बाढ़ पीड़ित हों, सूखा पीड़ित हों अथवा भूकम्प पीड़ित हों, सरकार की नीति क्या है? यह पैसा कैसे आएगा? इस अंतर को कौन समाप्त करेगा? माननीय मंत्री जी कृपया इन सब प्रश्नों के उत्तर दें।

श्री सी० नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महान सभा में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें हमारे देश में कभी-कभार आने वाले भूकम्प भी शामिल है, की समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इनमें से कुछेक समस्याएं हमारे देश के कई भागों में लगातार बार-बार उत्पन्न होती रहीं हैं। असम, गुजरात जैसे राज्यों और कई अन्य भागों में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और कतिपय अन्य भागों में सूखा पड़ता है तथा विशेष रूप से उड़ीसा राज्य का कालाहांडी, हमारे देश में सूखे के लिए विख्यात है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए *तदर्थ* उपायों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन हमारे देश में ये विपत्तियां, जो हमारे लोगों के जीवन को अत्याधिक प्रभावित कर रहीं हैं और इस देश में हजारों-करोड़ों रुपयों की हानि कर रहीं हैं, की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सापेक्ष रूप से बहुत कम आयोजना की गई हैं हम इस देश में ऐसी-ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर तो पानी बहुतायत में है और दूसरी कई जगहों पर पीने तक के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है।

मैं कर्नाटक में ऐसी जगह से हूं जहां उस क्षेत्र को पूर्णत: अल्पज्ञात क्षेत्र माना गया है और जहां किसी भी प्रकार की सिंचाई सुविधा के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हैं श्री अमर राय प्रधान ने एक हवाला दिया था कि जब श्री मोरार जी देसाई हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, तब उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण की नदियों के साथ जोड़ने, विशेष रूप से गंगा-कावेरी को जोड़ने की योजना थी और मेरा विश्वास है कि तब इसकी योजना बनाई गई थी और यह पता लगाने के लिए अनुमान भी तैयार कर लिए गए थे कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। हमारे देश में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद भी हैं। आये दिन बाढ़ आती रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है और वह जल किसी क्षेत्र की सिंचाई किये बिना ही समुद्र में मिल जाता है। इससे मिट्टी को जो नुकसान पहुंचता है, भूमि की ऊपरी उर्वरक परत को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी सिर्फ पैसे से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।

[श्री सी० नारायण स्वामी]

उस मृदा को बाद में पहले वाले स्वरक स्तर तक लाने में कई सौ वर्ष लग जायेंगे। मुझे विश्वास है कि हमें दीर्घावधि आयोजना पर विचार करना होगा। हमारे देश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। नदियों को जोड़ने संबंधी इस कार्य में, इनकी लागत चाहे जो कुछ भी आये, हमारे देश के कई भागों में सूखे की समस्या का समाधान हो जायेगा और देश में ही अन्तर्देशीय जल परिवहन के सस्ते साधन उपलब्ध हो सकेंगे तथा इसके परिणामस्वरूप देश के कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सरकार इस समस्या से निपटाने के लिए क्या राहत देती है?

स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें इस स्थिति का वित्तीय रूप से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय सरकार अब तक राज्यों को सहायता दे रही थी। चाहे राज्यों को इसके लिए थोड़ी धनराशि ही मिल रही थी, लेकिन उन्हें यह राशि अग्रिम योजना सहायता के रूप में मिल रही थी जिसे बाद में उनके योजना आवंटन में से काट लिया जाता था। इस वर्ष, मैं सरकार को विशेष रूप से कृषि मंत्रालय अथवा खासतौर पर माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा कि सरकार ने राज्य की आवश्यकताओं के प्रति काफी सहानुभूति दिखाई है। निधियों को समय पर जारी करने के लिए काफी प्रशंसनीय प्रयास किये गये हैं हालांकि देश के कुछेक भागों से और अधिक धनराशि जारी करने की मांग की गई है। यहां तक देखा गया है कि कई अन्य सरकारी विभाग भी पुनर्वास के मामले में लगे हुये हैं। मैं तो यहां पर यह भी कहूंगा कि जब बाढ़ आने के बाद पुनर्वास कार्य किया जाता है, जब घरों का निर्माण किया जाता है तो किसी भी विभाग में उस श्रेणी के अंतर्गत सामान्य वार्षिक आवंटन का उपयोग उस स्थिति का सामना करने के लिए उल्लिखित कार्यों हेतु कर लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उसी राज्य के अन्य क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। जहां तक प्रौद्योगिकी की बात है हमने काफी उन्नति कर ली है अब तूफान के आने से पूर्व ही चेतावनी मिलने की संभावना बन गई है। यहां तक कि हमारे पास उपग्रह भी उपलब्ध हो गये हैं जिससे हम भूमि के नीचे बनने वाली चट्टानों का, चट्टानों आदि के हिलने आदि का भी पता लगा सकते हैं। इससे हम भूकम्प आने की भविष्यवाणी भी कर सकेंगे।

हमें राष्ट्रीय जल नीति भी तैयार करनी होगी जिससे अतिरिक्त जल का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जा सके जहां इसकी अत्याधिक आवश्यकता हो। अब बेकार जाने वाले जल का भी सदुपयोग करना होगा। राज्य सरकारें अपनी सीमित वित्तीय क्षमता के भीतर बांधों के निर्माण और अन्य तरीकों के माध्यम से इसका सदुपयोग करने की स्थिति में नहीं होंगीं। इसलिए केंद्र सरकार को यह कार्य स्वयं करना चाहिए। सरकार की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जो देश में सिंचाई की आवश्यकताओं का वित्तपोषण कर सके। यह चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने पर सेवा संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय संगठनों द्वारा शीघ्र तत्काल सहायता उपलब्ध की जाती है। हमें उन्हें समय पर सहायता देने के लिए धन्यवाद देना होगा। औद्योगिक घरानों द्वारा उन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का पुनर्वास करने का कार्य और अधिक संगठित रूप में किया जाना चाहिए। मेरे विचार से, सरकार को राहत कार्य के लिए उनकी सहायता प्राप्त करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए —
(व्यवधान)

अंततः चूंकि हमारे देश में बाढ़ और सूखे की समस्या एक आम बात है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि ऐसी संकटकालीन स्थितियों में राज्यों को धन उपलब्ध कराने के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का हम शिकार ही रहे हैं। मैं परसों ही अपने क्षेत्र से आया हूं सचमुच में यदि मैं कहूं कि लोग भगवान के भरोसे जिंदा हैं, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। लोग क्या खा रहे है, कैसे जिंदा है, यह कहना मुश्किल है। इस बार बिहार में हमारे क्षेत्र लखी सराय, शेखपुरा, नाबादा, नालंदा में 20 वर्षों के बाद इस तरह की बाढ़ आई है लोग घरों से नहीं निकलते। जो निकलते हैं, वह अलग बात है। लोग पेड़ों पर चौकी बनाकर, मचान बनाकर रह रहे हैं। दवा का कोई साधन नहीं है। बीमारी बढ़ गई तो घर में ही राम भरोसे, सांप काट गया तो राम भरोसे। पीने का पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं। इस तरह की हालत वहां पर है। जब मैंने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने सूचना दी कि राज्य सरकार से उन्हें कोई निर्देश या आर्थिक सहायता नहीं मिली है, जिसे वे बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित कर सकें। यह भयावह स्थिति है।

इसी तरह से कटाव की स्थिति है। हर साल कटाव से लोग पलायन करते हैं। वहां कहां बसेगें, इसकी कोई योजना नहीं है। लोग सड़कों पर बसे हुए हैं, दूसरों की जमीन पर बसे हुए है और मारे-मारे फिर रहे हैं। मंत्री जी जानते है, मैं भी सदन को कहना चाहता हूं कि चार महीने लोग अपने घर से आ-जा नहीं सकते। मीलो-मील पानी है। कैसे लोग घर जाएंगे और घर से बाहर जाकर कैसे आएंगे, इसका कोई इंतजाम नहीं है। यह स्थिति हमारे टाल और दियारा में विशेषरूप से है। वहां आजादी के बाद से आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ। भाषण जितने चाहे हुए हों, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन बिहार में टाल और दियारा में कहीं कुछ काम देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए।

मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ से बचने का कार्य किया जा सकता है। हम कर सकते हैं; यदि सचमुच में वैज्ञानिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई जाए। परंतु इस तरह की अभी तक कोई बात वहां नहीं हुई है। न हमने स्थाई काम किया है और न ही अस्थाई काम किया है। स्थाई का परिणाम यह हुआ है कि बांध बना दिए हैं तो अचानक वह टूट गए और सैंकड़ों परिवार बेघरबार हो गए। इस बार भी हजारों घर बरसात के चलते टूट गए, अनेकों लोग मर गए। उन्हें किसी तरफ की राहत नहीं मिली हैं बिहार में इस बार कम से कम 100 से अधिक आदमी बाढ़ के चलते नौका दुर्घटना में मारे गए। पहले हमारे यहां नाव डूबती थी, अब बस भी डूबने लगी है, लेकिन कोई राहत नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप हमें ज्यादा समय नहीं देंगे। जबकि आखिर में बोलने वालों को ज्यादा समय मिलना चाहिए। बिहार में कहा भी जाता है- आगे वाला आगे भागे, पीछे वाला पीछे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीछे वाले थोड़े ही हैं, आपके बाद भी बोलने वाले हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : प्राकृतिक आपदाओं में जो क्षति होती है, उस क्षति का सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करे। यदि हम यह कहें मंत्री जी से कि बिहार में पैसा आप राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार से वह पैसा जिलों मे जाता है और फिर जिलों से सम्बन्धित व्यक्तियों तक जाना चाहिए, वह राहत का पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा या नहीं, इस बात में शक है। मंत्री जी और सरकार कहेगी कि राज्य का मामला

है। हमको मरने के लिए छोड़ देगी। यह राज्य का मामला तो है ही लेकिन केन्द्र की मुख्य रूप से जवाबदेही है। राज्य का मामला है, यह कहकर काम नहीं चलेगा। केन्द्र सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी।

दूसरे, हमारे यहां फसल नष्ट हो गई। धान पानी में बह गया और दूसरी फसलें भी नष्ट हो गई। इस सदन में फसल बीमा देने की जो घोषणा की गई थी, क्या बिहार के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा? उसके बारे में क्या हुआ? मुझे जानकारी मिली है कि किसी सांसद ने कहा कि फसल बीमा और वित्त मंत्री जी ने कहा कि "नो बीमा"। सरकार के पास पैसे नहीं हैं। मेरी सरकार से मांग है कि फसल बीमा को ठीक ढंग से लागू किया जाए। मैं एक बात की चर्चा और यहां पर करना चाहूंगा कि राहत मद में जो पैसे विभिन्न राज्यों में दिए गए हैं, उसको देखने से यह पता लगता है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। राहत मद देने का आधार जनसंख्या है या क्षति है या क्षेत्रफल है, क्या है? कुछ अतापता ही नहीं है। किस आधार पर भारत सरकार ने रुपया दिया है? आसाम और बिहार को करीब-करीब बराबर रुपया दिया गया है बिहार और आसाम की क्या कोई तुलना है? आन्ध्र प्रदेश को ज्यादा रुपया दिया जाता है और बिहार को कम रुपया दिया जाता है। मैं आंकड़ों से बता सकता हूं कि बिहार को कम रुपया दिया गया है जबकि वहां ज्यादा क्षति हुई है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि रुपयों के बंटवारे की तरफ भी सरकार को ध्यान दें। टाल और दियारा का जो क्षेत्र है, उसके विकास की तरफ भी ध्यान दें क्योंकि हर साल यहां बर्बादी होती है, हर साल लोग मारे जाते हैं। हर साल लोग नदी में डूबते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि लोगों को मरने से बचाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सांप के काटने से लोग मर जाएंगे, डायरिया से लोग मर जाएंगे क्योंकि वहां पर दवाएं नहीं हैं। बड़े-बड़े शहरों में तो अस्पताल खुले हुए हैं। देहात में लोगों को डायरिया से मरने से नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वहां पर दवाएं नहीं हैं। मैंने अपने फंड से 5000 रु० कलैक्टर को दिए कि आप दवाएं खरीदिए, सांप काट लेता है तो उसके उपचार हेतु दवाएं खरीदिए। डी०डी०टी० पाउडर खरीदिए और कुएं में डालिए। तो वहां पर यह स्थिति है, इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह वहां के लोगों को मरने से बचाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्राय: होता है, केरल में इस वर्ष भी बाढ़ का प्रकोप रहा जिसने पिछले 25 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ गई जिससे केरल राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ।

महोदय, इस बार बाढ़ में 100 से अधिक लोग मारे गये। 14 जिलों में से 8 जिले बुरी तरह प्रभावित हुये हैं वे जिले हैं - त्रिसु, पालाकाड, मल्लापुरम, कीडीकुनील, व्यान्ड, कसरागोड और इदुक्की।

इदुक्की में भू-स्खलन हुआ। उसमें ही लगभग 17 बहुमूल्य जानें गई। यहां तक कि वहां मार्ग अवरूद्ध हो गये और लोगों को आने-जाने में काफी मुश्किल हुई।

हमारे राज्य में ऐसा बार बार होता है। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार ने केरल जैसे राज्य, जहां लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, की सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

हमारा तटीय क्षेत्र काफी लंबा है जहां प्राय: समुद्री कटाव होता रहता है। भारत सरकार ने केरल राज्य की समुद्री सीमा को बचाने के लिए कोई परियोजना नहीं बनाई है हम अपने सीमा क्षेत्रों को अन्य देशों से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने तटीय क्षेत्र को समुद्र से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है और समुद्र इसका काफी कटाव कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप हमारे पास थोड़ी-बहुत जो भी बहुमूल्य भूमि है, हम वो भी खो देंगे।

इस बार जिला मल्लापुरम, जिसका मैं इस सभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, में जो कुछ भी घटित हुआ है, मैंने स्वयं जाकर वहां की स्थितियां देखी हैं मैंने स्वयं उन कई घरों का दौरा किया है जहां लोगों ने अपनी बहुमूल्य जानें गवाई है। केवल मल्लापुरम जिले में ही 17 लोग मारे गये हैं मुझे मालूम है कि वहां 10 करोड़ रुपये की फसल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन भारत सरकार ने कुल केवल 10 करोड़ रुपये दिये हैं। खैर मैं माननीय मंत्री जी का काफी आभारी हूं। लेकिन उन्हें और अधिक धनराशि देनी चाहिए क्योंकि यह एक छोटा सा राज्य है।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। मेरे मल्लापुरम जिले में जिसका कि इस सभा में मैं प्रतिनिध हूं, वहां 8271 हेक्टेयर भूमि को क्षति हुई है। यह बर्बाद हो गयी है। नौ हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। मैंने स्वयं देखा है कि दर्जनों मकान पूरी तरह से ढह गए और नष्ट हो गए हैं। एक सौ मकान पूरी तरह से ढह गए है, 1143 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है तथा 12404 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है यह केवल एक जिले की स्थिति है।

जहां तक मल्लापुरम जिले का संबंध है, यह पहला मौका है कि बाढ़ों से इतनी भारी क्षति पहुंची है। राज्य के उत्तर में स्थित त्रिचूर, पालक्काड, कोजीकोड, व्यानाद, कन्नौर, केसरगोड और इदुक्की भी प्रभावित हुए हैं। इदुक्की पहाड़ी क्षेत्र है वहां हमेशा भू-स्खलन होता रहता है।

मैं माननीय कृषि मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय केरल जैसे छोटे राज्य में भू-स्खलन, बाढ़ आदि की बार-बार होने वाली इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना तैयार करने की स्थिति में नहीं है? हमें प्रत्येक वर्ष इसके बारे में चर्चा करनी होगी तथा सरकार से कुछ करने का अनुरोध करना होगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि यदि सूखा पड़ता है तो हमें सूखा राहत के लिए यहां आना होगा; इसी बीच वहां वर्षा हो जायेगी और हमें बाढ़ राहत के लिए फिर यहां आना होगा। जहां तक हमारे छोटे से राज्य का संबंध है यही स्थिति है। अत: जहां तक केरल राज्य का संबंध है मैं माननीय कृषि मंत्री से इस अवसर पर यह अनुरोध करता हूं कि वे सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनायें।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों अभी भी मेरे पास छ: व्यक्तियों के नाम है, लेकिन यह अभी कन्कल्युड करना है। इन नामों में कुछ सदस्यों ने अपने अभी-अभी नाम भेजे है, उनको बुलाना पॉसिबल नहीं है, मैं आनरेबिल मिनिस्टर से रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि वे जवाब दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दलों के रिप्रजेंटेटिव्स बोल चुके हैं। अब हाउस की मर्जी है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : अगर आपको नाम नहीं दिए हैं, तो बोलने का हमारा राइट है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हर पार्टी के रिप्रजेंटेटिव को बोलने के लिए समय मिल चुका है। वे बोलें हैं।

(व्यवधान)

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : आप अपनी ओर से खत्म कर रहे हैं, *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदन विचार कन्कल्युड करना चाहता है, तो ठीक है। वैसे हर दल का रिप्रजेंटेशन हो चुका है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा फैसला करती है तो हम इसे कल जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : हम सुबह से यहां पर बैठे हुए है *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, इनको भी बोलने का समय दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ इन्हीं के यहां आई है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, सभी पोलिटीकल पार्टियों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं लेकिन अभी एजीपी का कोई भी नहीं बोला है, क्योंकि उनका नाम आज ही आया है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : आप उनको भी बुला लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हाउस डिसाइड करें।

[अनुवाद]

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस सबजैक्ट पर डिस्कशन में पांच घंटे हो चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें। माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस फैसला करे।

[अनुवाद]

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

मंत्री जी कब जवाब देंगे, उनको कम से कम 12-13 मिनट तो चाहिए। साढ़े छह बजे दूसरा सबजैक्ट है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : आप हमको भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तभी समय मिल सकता है अगर इसको कल के लिए पोस्टपोन करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है। इसे आज ही समाप्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : हम प्रोटेस्ट करते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाएं। कृपया सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : आपको हमें बोलने का समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, एक ही तरीका है कि हाउस डिसाइड करे, फिर कल तक यह चलेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, एक बार तय हो चुका है कि यह आज ही खत्म होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आज खत्म होना चाहिए लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता। अगर आप दो मिनट में जवाब दे सकते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय सदस्य जवाब भी तो सुनना चाहेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : अगर माननीय सदस्य जवाब ने सुनें तो हमको क्या ऐतराज होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप शुरू कीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिन तमाम माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके उनकी भावनाओं का भी ध्यान रख लीजिए।

(व्यवधान)

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : यह हमारे साथ अन्याय है, आप हमें बोलने का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपको बोलने का समय देंगे तो सब को समय देना पड़ेगा और फिर यह कल तक जाएगा। अब हाउस डिसाइड करे कि क्या करना है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : हम तो कह रहे है कि हमें बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय कई सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इस पर पांच घंटे हो चुके हैं।

[अनुवाद]

कोई सीमा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस की क्या कंसेंसस है, बताइए?

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : बहुत जोरदार मांग है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, साढ़े छह बजे दूसरा सबजैक्ट लेना है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभा के विभिन्न वर्गों से बहुत जोरदार मांग है। चर्चा आज पूरी हो जाए और माननीय मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, आधे घंटे के डिस्कशन को तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यह आज के एजेंडा में है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, मेरा एक सुझाव है कि इसको साढ़े छह बजे तक चालू रखें, उसके बाद आधा घंटा हम और बैठ लें।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है साढ़े छह बजे आधे घंटे का डिसकशन शुरू होगा, उसके बाद अगर आप साते बजे के बाद बैठना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : इसे आज खत्म कर लीजिए,

[अनुवाद]

मंत्री महोदय कल उत्तर दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा भी कुछ प्रोग्राम है, मुझे खुद राष्ट्रपति जी के यहां जाना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जैसे कि इन्होंने कहा कि इसे आज खत्म कर लीजिए,

[अनुवाद]

माननीय मंत्री कल मध्याह्न भोजन से पूर्व उत्तर दे सकते हैं और इसके बाद अन्य कार्य लिये जा सकते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह : माननीय मंत्री जी रिप्लाई कल दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कल के लिए और भी सबजैक्ट है।

(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : हमें आपके हुक्म के मुताबिक चलना है। आप कहते हैं तो हम जाते है। हमारे स्टेट-मिनिस्टर यहां रहेंगे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

चर्चा आज समाप्त की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : सब प्रदेशों में प्राकृतिक विपदाओं से लोग परेशान हैं। सभी को बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी एम०पीज० नहीं बोल पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदय, यह अति गम्भीर मामला है। इसलिए सभा माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहती है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, किन्तु इसका फैसला सभा को करना है। मैं केवल दस मिनट लूंगा *(व्यवधान)* यदि आप मुझे दस मिनट भी दे तो मैं उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (कन्नौज) : ठीक है, जवाब दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर जवाब सुन लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है और बहुत ही कारगर सुझाव भी दिए हैं। जिन्होंने आलोचना की है, उन्होंने भी बहुत ही सकारात्मक आलोचना की है। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूं। हमने कहां पर कितना पैसा दिया और कहां कितनी क्षति हुई, इस सबके बारे में हमने आंकड़े पहले ही दिये हैं, सर्कूलेट किए हैं, इसलिए मैं उसमें दुबारा समय नहीं लगाना चाहता हूं। बारिश कितनी हुई, वह भी मैप के साथ दी है, उसमें भी मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। आप लोगों ने अपने-अपने इलाके के बारे में जो सवाल उठाया है, उसका हम लिखित जवाब आपको भेज देंगे, जांच करके तुरंत भिजवा देंगे। मैं केवल अभी जो प्रश्न उठाए गये हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री की बात सुने।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : पहली बात जो ज्यादातार माननीय सदस्यों ने कही है कि इन आपदाओं का स्थाई इंतजाम होना चाहिए। हम आपकी बातों को महत्व देते हैं और मैं भी उसी विषय में सोच रहा हूं। हम लोग अपनी आजादी की स्वर्ण-जयंती मानने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों के स्थाई समाधान हेतु हमें अभी से प्रयत्न शुरू कर देने चाहिएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास योग्य इंजीनियर हैं, आपके पास टैक्नोलोजी है। आपके पास साधनों की कमी हो सकती है लेकिन दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, इसकी स्टडी सब कर ली गयी है और उत्तर

[श्री चतुरानन मिश्र]

भारत में भी हम लोगों ने जो नदियां आती हैं वह स्टडी भी इस शताब्दी के अंत तक हो जाएगी। जो सबसे बड़ी बात समझने की है वह यह है कि यह सूखा और बाढ़ एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। पहले बाढ़ आती है और फिर सूखा आता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ टैकल करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बाधा इसमें है वह राजनीतिज्ञों की तरफ से है। मैं भी राजनीतिज्ञ हूं लेकिन आपसे साफ-साफ कहना चाहता हूं कि अगर हम इन नदियों को जोड़ना चाहते हैं तो इलाके-इलाके से, क्षेत्र-क्षेत्र से बाधा उपस्थित होती है कि हम अपने इलाके से अपना पानी नहीं जाने देंगे। अभी असम के मेरे मित्र ने चर्चा की। असम में ब्रह्मपुत्र की जो योजना बनी है उसमें तो एक लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। अगर हम उसे अभी से शुरू करेंगे तो भी 20-25 वर्ष में जाकर पूरी होगी। लेकिन शुरू करने के लिए योजना बन चुकी है, टैक्नोलोजिकल और फायनेंशियल काम हो चुका है। अगर सहायक नदी में बांध बांधना चाहेंगे तभी मैन नदी में कुछ कर सकेंगे। इस काम में एक दिक्कत आ रही है जैसे कि बराक नदी का जो हिस्सा है वहां डैम बनाने से मणिपुर में कुछ खेत डूब जायेंगे। मणिपुर असेम्बली में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। जब हम यहां मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाते हैं तो मुख्य मंत्री आते नहीं हैं। वे कहते हैं कि हमारा इलाका डूब रहा है, हम क्यों आयें? सब जगह का यही हाल है। आप इस देश के मालिक हैं। यहां इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास करें और सभी इसमें योगदान दें। एक नेशनल ग्रिड बनायें क्योंकि पानी राष्ट्र की सम्पत्ति है। एक कोने से दूसरे कोने में पानी देंगे तो हम सुखाड़ का मुकाबला कर सकेंगे।

असम के मित्रों ने कुछ सवाल उठाए। 500 करोड़ नौंवे प्लान में सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि पहले नदी में काम शुरू किया जा सके। वह बोडो क्षेत्र में आती है। हमारी जो समस्या है, वह आपके सामने हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। टास्क फोर्स बनायी गयी है। पांच रीजन्स में देश को बांटा गया है। इन पांचों का अध्ययन हो रहा है। नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : ऐसी स्थितियों में केन्द्र अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। यह बहुत अधिक है। आपको इसके लिए स्वैच्छिक संगठन रखने चाहिए। मैं इसे सेना आदि की सहायता से नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रह्लाद सिंह : भूकम्प के बारे में आप कुछ बताइये क्योंकि इसी पर चर्चा की शुरूआत हुई है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं जो कहना चाहता हूं, उसको आप सुन लीजिए। मैं आंकड़ों में अधिक नहीं जाना चाहता। स्टडी पूरी हो गयी है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार है और इंजीनियर तैयार हैं। पचास वर्षों में आपने ये सब पैदा किया। स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ में सब को काम करने की इजाजत दीजिए और पोलिटिकल सिचुएशन क्लीयर कीजिए।

[अनुवाद]

राजनैतिक एकता न होना ही बाधा है।

[हिन्दी]

अगर इसकी गारंटी देंगे तो हम सब मिलकर इक्कीसवीं सदी में अच्छे ढंग से पहुंच जायेंगे।

अब मैं क्राप इंश्योरेंस पर आता हूं। हमने पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। फाइनेन्स डिपार्टमैंट को इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन्स हैं इसलिए वह रूका हुआ है। इसमें एक समस्या यह है कि राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेजती है तो हमारी एक टीम यहां से उसके बाद वहां जाती है, दोनों के आकलन में बहुत फर्क होता है। माननीय सदस्य पाठक जी ने कहा कि हमने 3500 करोड़ मांगा तो आपने 85 करोड़ दिया औद दूसरे राज्य ने 30 करोड़ मांगा था, उसको 60 करोड़ दे दिया। सैंट्रल टीम पहले वहां जाकर असैस करती है। उसके बाद सैक्रेट्री कमेटी बैठती है। इसके बाद हम धनराशि एप्रूव करते हैं। हमने गुजरात को आज 86 करोड़ रुपया दिया है। वहां सेंट्रल टीम गई थी। हमने सिक्किम को सात करोड दिया है। हम केरल को इसलिए नहीं दे सके कि वहां से रिपोर्ट अभी हमारे पास आई हैं सैक्रेट्री की कमेटी ने उसे अभी असैस नहीं किया है जैसे ही वह उसे असैस कर लेंगे, मैं आश्वासन देता हूं कि हम उन्हें भी पैस दे देंगे। जहां जहां भी बाढ़ आई है, उन राज्यों की हम पूरी सहायता करेंगे। हमारे पास साधन कम हैं। पिछले पांच सालों में क्या कुछ दिया गया, वह आपके सामने है। सैक्रेट्रीज को हमने यह आदेश दिया है कि वे यह देखें कि सैंट्रल टीम और राज्य की टीम मिलकर इस मामले को देखे ताकि इस बारे में एक ही रिपोर्ट आए कि वहां कितना डैमेज हुआ और क्या मदद दी जाए? अलग अलग रिपोर्ट आने से मिनिस्टर को बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि संविधान की एक धारा के मुताबिक हम मंत्री है तो संविधान को दूसरी धारा के मुताबिक वह राज्य में मंत्री है। हम उनकी रिपोर्ट को असत्य नहीं कह सकते। इसलिए हम इसके लिए रास्ता निकालें जिससे एक ही रिपोर्ट आपके सामने आए।

भूकम्प के बारे में यह कहा गया है कि उसके लिए भविष्य में कोई इंतजाम कीजिए। भूकम्प को रोका नहीं जा सकता है और न ही इसकी पूर्व सूचना दी जा सकती है। विज्ञान की इस दुनिया में कोई इसकी खोज नहीं कर सका है। *(व्यवधान)* आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने इस सम्बन्ध में नेशनल सेमिनार 18 फरवरी को बुलाया है। हमने जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों को बुलाया है। दुनिया के दूसरे देशों से भी वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। हम उसमें आप को भी बुलाएंगे। अभी हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपको सौल्यूशन दे रहे हैं। आपको इनवाईट कर रहे हैं कि 18 फरवरी को आईये क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड आयेगा, आपके पास समाधान है तो आप दीजिये तो हम एडाप्ट कर लेंगे।

[अनुवाद]

क्या आप मेरी बात समझ गए? जापानी लोग इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। वे यहां आ रहे हैं। आप भी आयें।

[हिन्दी]

दूसरी बात हम यह कहेंगे कि जो हमारे और दूसरे विभागों ने भूकम्प के बारे में तैयार किया है। इस बारे में जापान ने कम्युनिटी अवेयरनैस किया है, उसे देखकर हमारा विभाग भी जल्द से जल्द तैयार कर लेगा और एक पुस्तिका पब्लिक में चली जायेगी। हमने आदेश दिया है कि जिन जोन्स में भूकम्प आता है, वहां इस पुस्तिका का ट्रांस्लेशन करके दिया जाये। पहले रेन्स के बारे में मैप दिये गये हैं, वैसे ही भूकम्प के लिये दिये जायेंगे। आप लोग अपने इलाके में चैक अप कर लें। हमारे पास आज यह सूचना है कि इस साल 730 आदमी मरे हैं।

[अनुवाद]

मैं समग्र देश के आंकड़े आपको दे रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन हम क्या करें? इसके लिये हमने आदेश दे दिये हैं। हमारे पास सैटेलाईट इनफरमेशन है और मौसम विभाग है तथा सी०डब्ल्यू०सी भी

हैं। इन दोनों से कहा है कि हम लोगों को पूरी सूचना उपग्रह के माध्यम से दिलवायें। कम्प्यूटर्स चारों तरफ से सैट अप किये हुये हैं ताकि तमाम चीफ सैक्रेटरीज, रिलीफ कमिश्नर्स सूचना भेज दिया करें।

[अनुवाद]

यदि कोई दोष रह जाता है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

दूसरी बात भूकम्प के बारे में कहूंगा कि जितने भी मकान बने, वे भूकम्प प्रूफ हों, जहां भूकम्प आने का खतरा है। मान लीजिये दिल्ली में भूकम्प का खतरा है और पुरानी दिल्ली में आता है, वहां पर मकान ऐसे बने हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच पायेगा। इन जैसे मकानों की रिपेयर के लिये जापानी सहयोग लेकर दे रहे हैं। जिस विभाग से संबंधित है, वह इस काम को करेगा। अब सबसे बड़ी समस्या तूफान के बारे में है। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि एम०ए०ओ० से 0.31 डालर मिले हैं। जो लोग नावों में मछली मारने का काम करते हैं, उनको वाकी-टाकी प्रदान कर दिये हैं ताकि दूर समुद्र में उनको सूचना मिलते ही वे दूर भाग सकें। इस काम को हमने पहले ही कर दिया है।

इसके अलावा जहां वर्षा का खतरा है, वहां पर चैक डैम बनाने के लिये राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं ताकि कैचमेंट ऐरिया में कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी जगह पानी नहीं जा सकें। इस संबंध में आप लोगों की कोई योजना हो तो हमें दे दें, हम करेंगे।

जहां तक लैंड स्लाईड का सवाल है, हमारे केरल, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के मित्रों ने इस बात को कहा है। उसके लिये रक्षा मंत्रालय का डी०आर०डी०ओ० आर्गनाईजेशन है जिसने आदेश दिया है कि आगे से इसका रिव्यू करेंगे कि कहां-कहां लैंडस्लाईड हो सकता है। हमने अपने मंत्रालय से भी कहा है कि वर्षा आने से पहले चैक अप कर लें और कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वे हर साल इसे देखें। हालांकि जब ऐसी स्थिति आती है तो वे खानापूर्ति करते हैं और कभी कहते हैं कि गल्ला नहीं है और बाढ़ आने पर नाव खोजने लग जाते है। हमने कहा कि आप इसको चैक अप कर लें कि जितने डैम बने हुये हैं, उनकी टूट-फूट ठीक कर लें और जो रिजवोयर्स हैं, उनको देख लें ताकि उनको वार्न किया जा सके।

एक सवाल ग्लेशियर्स के बारे में उठाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने नेपाल सरकार से बातचीत की है और नेपाल सरकार से मिली सूचना के आधार पर यह कहना चाहता हूं :

[अनुवाद]

महोदय, मैं रिपोर्ट से इसको उद्धृत करना चाहता हूं कि :

"उपरोक्त प्रस्तुत संक्षिप्त प्राचलिक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वाधिक बाढ़ लगभग 4000 क्यूसेक तक आ सकती है तथा दरार के बाद बाढ़ लगभग 12 घंटे के बाद आती है।"

[हिन्दी]

12 घंटे के अंदर तो सब मर जाएंगे। इसलिए इसको फर्दर स्टडी के लिए लिया है कि क्या इंतजाम हम कर सकें। हमारे बिहार के मित्रों ने और नीतीश कुमार जी ने हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने की बात उठाई थी। अगर आप चाहें तो इस बारे में हम रिपोर्ट सर्कुलेट कर सकते है ताकि आप उसको पढ़ लें। इस बारे में हम राज्य सरकार को क्या कह सकते हैं? जैसे पब्लिक ने हमको वोट दिया है, वैसे ही उनको भी वोट दिया है। आप कहते हैं कि गड़बड़ करते है। आप इस बारे में पब्लिक को कहिये क्योंकि आपकी उनसे मुलाकात होती है। हम उनको सजा नहीं दे सकते हैं। *(व्यवधान)* हमने आपको चार्ट दे दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : उसमें सिर्फ कैलामिटी रिलीफ फंड के बारे में है *(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्र : हमने आपके भूकंप पीड़ित इलाके को भी अपनी तरफ से 45 करोड़ रुपया दे दिया है। जबलपुर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए आई०सी०ए०आर० को कह दिया है। (व्यवधान) आप सुनें तो सही।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को पूरी बात कहने दें। अभी आधे घंटे की चर्चा भी लेनी है।

श्री चतुरानन मिश्र : हुडको इसके लिए अलग से 30 करोड़ रुपया दे रहा है। जितनी भी इंदिरा आवास योजना वगैरह हैं, उनमें कहा गया है कि जिनके मकान गिर गए हैं पहले वे बनाए जाएं, यह आदेश दे दिये हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स को गियर अप करके कहा जा रहा है कि वह इस काम को करें। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि रिलीफ कोड अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि वह सौ साल पुराना नहीं हैं पांच साल पहले इसकी गाइडलाइन्स तैयार की गईं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से हरेक मरने वाले को 50 हजार रुपया दिया जा रहा है। इसके अलावा गाइडलाइन्स में सब दिया हुआ है। कोई स्टेट 20 हजार रुपया देता है, कोई 25 हजार रुपया देता है और कोई 50 हजार रुपया देता है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से पैसा जाने में देर लगती है।

श्री चतुरानन मिश्र : हमको डी०एम० के यहां से रिपोर्ट मिलेगी कि वह मर गया है तभी पैसा जाएगा। *(व्यवधान)* बाढ़ के समय में अगर सांप ने भी काट लिया है तो भी हम मुआवजा देते हैं।अगर देर हो गई है तो बातचीत के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। समय कम है इसलिए हम जल्दी में अपनी बात पूरी कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रभूषण सिंह : आप हमारी बात को सुनेंगे नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र : कल से सुन रहा हूं। आपका समय खत्म हो गया है। अब हमारा समय है। *(व्यवधान)*

एक प्रश्न आया था कि डैम्स बनाने से पर्यावरण को हानि होती है। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमने जमा कराई हैं यदि उचित सावधानियां की जाएं तो डैम्स बनाने से पर्यावरण को कोई विशेष खतरा नहीं होता है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात पूरी करूंगा। हमें अपने बात को खत्म करने दीजिए। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों की बातों का जवाब मैं नहीं दे पाया। *(व्यवधान)* बाकी सदस्य लिखकर हमें भेज दें तो हम सबको जवाब दे देंगे।

श्री सुरेश प्रभु : महाराष्ट्र में कोंकण रीजन में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। उसे भी कुछ राहत मिलने की जरूरत है।

श्री चतुरानन मिश्र : स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। आप रिपोर्ट दीजिए, हम जरूर काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कह दिया है कि लिखकर भेज दीजिए, वह जवाब देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा शुरू करेगी। श्री जगमोहन।

अपराह्न 06.39 बजे

आधे घंटे की चर्चा

दिल्ली में उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री ने जहां छोड़ा है वहीं से मैं शुरू करता हूं। आपको याद होगा कि मैंने यह पूछा था कि क्या पिछले 14 वर्षों से इस मामले कोई स्थगन आदेश लिया गया है अथवा नहीं।

मैंने यह भी बताया था कि 1983 में जब मैं दिल्ली का उपराज्यपाल था तब राजेन्द्र प्लेस स्थित एक बहु-मंजली इमारत गोपाल टावर, में आग की एक दुर्घटना हुई थी। नि:सन्देह हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों का प्रयोग किया गया था तथा लोगों को बचाया गया था। उस भयानक आग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। उसके बाद, मैंने एक अभियान चलाया था और सिनेमा घर, ऊंचे-ऊंचे भवनों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों सहित सभी सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण किया था। उस अभियान के परिणामस्वरूप उपहार सिनेमा सहित 12 सिनेमा घरों के लाइसेन्स रद्द कर दिए गऐ थे।

अब मैं उपहार सिनेमा के विशेष मामले का उल्लेख करूंगा। पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था। मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से वहां जायें और निरीक्षण करें तथा अपने स्टाफ पर निर्भर न रहें। उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से वहां गए थे और किये गये उल्लघनों की सूची बनायी। वर्तमान उपायुक्त (दक्षिण), जिसे उपहार सिनेमा की वर्तमान घटना की जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्य पाल द्वारा नियुक्त किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है तथा उस नोटिस की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें दस कमियां थीं, जिनके बारे में 1983 में बताया गया था। उस आधार पर, उपायुक्त ने सिनेमाघर को नोटिस दिया, चार दिन के लिए लाइसेन्स निरस्त कर दिया तथा यह कहा कि यदि उन्होंने चार दिन के अन्दर गलतियों में सुधार नहीं किया तो उनका लाइसेन्स वापस ले लिया जायेगा।

इसके बाद उपहार सिनेमा का मालिक उच्च न्यायालय में गया और उसने अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा उसके बाद इसे स्थायी कराया। मैं नहीं जानता कि यह स्थगन आदेश किस प्रकार प्राप्त किया गया क्योंकि उसमें गम्भीर अनियमिततायें जैसे सिनेमा घर के स्थान को अनेक अन्य लोगों को किराये पर दिया जाना आदि, बतायी गयी थी। अब मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद मैं वर्तमान गृह राज्य मंत्री के मूल राज्य में चला गया और मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। किन्तु अब उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से मुझे पता चला कि 14 वर्ष बीत जाने के बाद वहीं स्थिति बनी हुई है, यह रिपोर्ट में बताये गए कारणों की वजह से हुआ है। उनकी रिपोर्ट के पृष्ठ 25 पर उपायुक्त ने बताया है कि यह चकित करने वाली बात थी कि व्यवहारिक रूप से वे सभी गलतियां अभी भी विद्यमान थी और इसी प्रणाली के तहत इस देश का शासन चल रहा है। हमारे पास कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका आदि सरकार के सभी प्रमुख घटक मौजूद हैं फिर भी अंतिम परिणाम यह है।

मैं उस समय किए गए उल्लंघनों में से एक उल्लंघन के बारे में बताना चाहता हूं, जो वर्तमान रिपोर्ट में बताये गए अनुसार अग्नि दुर्घटना के समय किया जा रहा था। जो उस दिन अग्नि दुर्घटना के समय हुआ वह नियमों का सुस्पष्ट उल्लंघन था। इसे वर्ष 1983 में पहली बार नोटिस किया गया था और यह इस अग्निकांड के होने तक किया जाता रहा है। यह सिनेमा घर के तहखाने में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडारण करना है। तहखाने में अत्याधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडारण करने के बारे में 1983 के नोटिस में भी उल्लेख किया गया था। चलचित्र विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत उन्हें इसके विरूद्ध उप न्यायालय से अपील करना था। उन्होंने अपील की किन्तु इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद यह स्थगन आदेश आया।

मैं न्यायपालिका की बहुत इज्जत करता हूं। वास्तव में सरकार के सभी तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में से न्यायपालिका ने इन वर्षों में आश्चर्यजनक तथा असाधारण रूप से अपना कर्त्तव्य निभाया है। विशेष रूप से जब सरकार भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को छिपाना चाहती थी, हमारी न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में कि कोई मामला छिप न सके, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। न्यायपालिका जितना कर सकती थी, उसने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक भ्रष्टाचार के सभी मामले लोगों की जानकारी में लाये जायें। किन्तु यह आधारभूत मामला है। परन्तु यह एक मूलभूत महत्व का मामला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में विचार करें। हमारी कानूनी व्यवस्था किस प्रकार की है ? जब आप कोई स्थगन आदेश देते हैं तो उसके लिए पर्याप्त कारण भी होने चाहिए। इस पर विचार विमर्श किए बिना यदि आप कहते हैं कि, ''ठीक है, यदि आग लग गई है, तो आप नोटिस फिर से दे सकते हैं।'', तो यह उचित नहीं होगा। इससे भी अधिक चौकाने की बात यह है कि इस बीच की अवधि के दौरान भी एक आगजनी की घटना घट चुकी है।

बीच की इस अवधि के दौरान भी आगजनी की उस घटना घटने के पश्चात् भी कोई कदम नहीं उठाया गया था और एक तरह से यह अव्यवस्थित ढंग से ही किया गया था। स्थगन आदेश के विपरीत उन्होंने दो महीने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिया था और 14 वर्षों तक दो महीने के उसी अस्थायी लाइसेंस का नवीकरण होता रहा। मैं नहीं जानता कि एक अस्थायी लाइसेंस 14 वर्षों के लिए वस्तुत: किस तर्क के आधार पर जारी रह सकता है। सिनेमटोग्राफी अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी लाइसेंस सिर्फ उन्हीं सिनेमा घरों को दिया जाता है जो केवल दो महीनों के लिए फिल्में दिखाते हैं। उसका उद्देश्य यह तो नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि इसे बर्दाश्त कैसे किया था; मुझे यह नहीं पता कि किसी का ध्यान इस ओर कैसे नहीं गया। यह पूर्णत: असंगत व अयुक्तिक है। जब वे किसी व्यक्ति या समूह की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे वह एक दिन के लिए हो, या दो दिनों के लिए हो, वे एक दिन के लिए भी खतरा मोल कैसे ले सकते हैं ? मुझे सच में समझ नहीं आता कि यह सुनिश्चित किए बिना कि कमियों को दूर कर दिया गया है, यह कैसे कर दिया गया। मैं इसी बात का निवेदन करता हूं। मेरा नजरिया हमेशा से रचनात्मक रहा है। अत:, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो संसद उसे ठीक कर सकती है। यदि संसद गलती करती है और कोई गलत असंवैधानिक कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे ठीक कर सकती है; परंतु यदि न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो उसे कौन ठीक करेगा ?

अब यही वह मुद्दा है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मेरा सुझाव वही है जो मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया था जिसे मैंने इस सभा में केवल इस रचनात्मक सुझाव को प्रस्तुत करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से, संविधान में ऐसा संशोधन लाया जाना चाहिए कि हमारे यहां एक महालेखापरीक्षक (आडिटर-जनरल) (न्यायिक) होना चाहिए जो नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की तरह कार्य करेगा। यह महालेखापरीक्षक (न्यायिक) न्यायालयों के कार्यरण का निरीक्षण कर सकेगा, जैसा कि महालेखापरीक्षक (लेखा) करता है तथा हिसाब निर्धारित करता है, और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली के बारे में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। क्या कानून उसी भाव से लागू किए जा रहे हैं जिससे उन्हें लागू किया जाना चाहिए था ? क्या न्याय किया जा रहा है ? मेरे विचार से पूरी प्रणाली के लिए यह एक महान कानूनी सुधार होगा। यह न्यायपालिका के लिए तो एक महान वरदान ही सिद्ध होगा क्योंकि जैसाकि हम देखते हैं, जिला न्यायालयों में अथवा छोटे न्यायालयों में यदि न्यायपालिका बहुत ही हानिकर स्थितियों में कार्य कर रही है, तो महालेखापरीक्षक इस विषय में हमें और पूरे राष्ट्र को जानकारी दे सकता हूं।

संसद में हमें, मूलभूत सच्चाई का पता होना चाहिए तथा इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी क्योंकि महालेखापरीक्षक सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करेगा, कि वहाँ कौन सा स्कंध होगा तथा वे यह निरीक्षण करेंगे कि वहां कौन से उपायों की आवश्यकता थी, वहां गलती किसने की थी, जहां चूक हो रही थी, क्या कर्मचारियों ने कुछ गलती की थी, प्रणाली में कमी कहां रह गई थी। इत्यादि। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक क्रिया होगी, ठीक वैसे ही जैसे महालेखापरीक्षक या यू०पी० एस०सी० के अध्यक्ष की है। एक बार नियुक्त होने के पश्चात् उन्हें बरखास्त नहीं किया जा सकता और वे राज्य अथवा यूनियन के तहत कोई अन्य रोजगार भी नहीं पा सकते। अतः, इस प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि, यह त्रासदी तो हो गई, परंतु यदि सरकार इस प्रणाली में कुछ सुधार करना चाहती है तो इस तरह का संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है।

तीसरा भाग जिसके विषय में मैं कहना चाहता हूं और जो मेरे सुधारों से संबंधित मेरे प्रस्ताव के संदर्भ में है वह यह है कि हम शहरों में देखते हैं कि सभी शहरों में लोगों में सुरक्षा के प्रति कोई चेतना नहीं है। हम लोगों को सरकारी विभागों, को देखते हैं या जब हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भी जाते हैं दिल्ली में सरकार की जमीन देखते हैं तो पाते हैं कि लोगों ने बड़े-बड़े कोयला छिपो, लकड़ियों की दुकानें आदि लगा रखी हैं जहां पर सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे लोग हैं कुछ ने स्थगन आदेश ले लिया है और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ किया हुआ है। कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में यह होता ही रहता है।

मेरा सुझाव यह है कि यदि, न्यायिक प्रणाली हो, यदि कोई यह शिकायत दर्ज करे कि भटिन्डा के न्यायालय में कोई ऐसा कर रहा है, तो महालेखापरीक्षक (न्यायिक) को इस मामले की जांच करने दी जाए तथा यह निरीक्षण करने दिया जाए कि सबकुछ उचित रूप से किया जा रहा है या नहीं।

अब हम देखते हैं कि दिल्ली में भीड़-भाड़ बहुत अधिक हो जाती है। मुझे अपने एक अधिकारी मित्र से यह सुनकर बहुत धक्का लगा कि जब उपहार सिनेमा में आगजनी की घटना घटी तो कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने जो कि सियेला कार में सफर कर रहे थे, उन्होंने दमकल-वाहनों तक को राह नहीं दी थी। हर तरफ होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आ रही थी। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें राष्ट्र को सतर्क करना होगा कि यह कुछ हो रहा है। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। हर समय मास्टर-प्लान का घोर उल्लंघन हो रहा है मास्टर प्लान के अनुसार चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना मना है। राजधानी में, जहां आप गृह-मंत्री की हैसियत से बैठे हैं, यहां आप चौराहों पर या फुटपाथ पर भी आप होर्डिंग देख सकते हैं। इसलिए अब मैं सड़क पर चलूंगा और किसी दुर्घटना में मारा जाऊं ? इसी प्रकार बहुत से साईकल चालक और बहुत से पैदल यात्री हर रोज मारे जाते हैं परंतु किसी को कोई चिन्ता नहीं होती। अनेकों अवैध निर्माण कार्य जो चल रहे हैं जिनमें मैं केवल 2½ मंजिल इमारत रख सकता हूं तथा मैं उनमें 14 फ्लैटों को रखता हूं। बसंत विहार, आनन्द निकेतन, पंचशील, ग्रेटर कैलाश जैसी उच्च स्तरीय कालोनियों में पढ़े-लिखे लोगों ने ही ऐसा किया है। उन्होंने 14 फ्लैटों का निर्माण किया है। जांच की गई तो मुझे ऐसे आंकड़े मिले जो वास्तव में चौंका देने वाले थे। इस प्रदूषण तथा भीड़ भाड़ के अतिरेक के कारण कितने लोग रोज मर रहे हैं. ? यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े हैं। लगभग 40,000 अकाल मृत्यु हुई तथा 17 मिलियन श्वसन-दमा के मामले इस भारत देश में प्रकाश में आए हैं; स्वास्थ्य व सुरक्षा कानून लागू करने में आपकी असमर्थता के कारण ही इतने अधिक लोगों की अकाल मृत्यु होती है। कुछ लोग उपहार सिनेमा की आगजनी में मारे गए। परंतु आप हर रोज लोगों को धीमा-धीमा जहर देकर मार रहे हो; रिमोट कन्ट्रोल के द्वारा आप हजारों लोगों को मार जिसके कारण हजारों लोगों को दमा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कोई राजनैतिक इच्छा या प्रशासनिक प्रणाली नहीं है जिसके तहत आप अपने ही कानून लागू कर सकें। आप दिल्ली जाइए, हर ओर देखिए। आपको घरों के ऊपर भी होर्डिंग नजर आएगी। स्वाभाविक तौर पर कुछ मृत्यु होती है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब आप जांच शुरू करते हैं परंतु हम अधिकतर नशे में मानसिक रूप से अंधे हो गए हैं। वास्तव में यह मेरे विचार से नागरिक संबंधी मुद्दा नहीं है बल्कि सभ्यता संबंधी मुद्दा है। हम अनाचरण के द्वारा बहुत सारे अपराध करते हैं। यह एक चूक है क्या दिल्ली की तरह कोई अन्य शहर है जहां नियमों तथा विनियमों की परवाह किए बिना अव्यवस्था फैली है ? इससे यह पता चलता है हमारी सभ्यता अमानवीय है, हमारी सभ्यता ऐसी है जिसकी सोच बहुत छोटी है। सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है जब आप स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए हमने यह बात महसूस किए बिना कितने अपराध किए हैं कि यह एक अपराध है ? जब व्यक्ति दिमागी तौर पर पूर्णतया विवेकशून्य हो जाता है तो वह लगभग मृतप्राय होता है। हमारे मस्तिष्क तथा आखें मर चुकी हैं, एक अंधा व्यक्ति वह है जिसके पास आंखे तो है मगर देख नहीं सकता है। मेरा मानना है कि हम विवेकशून्य हो चुके है, हमारे पास आंखे तो है परंतु हम देख नहीं सकते है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब घटनाएं घट रही है। प्रतिदिन, जब आप टी०वी० चलाते हैं, तो आप देखगें कि 14 लोग डूबने के कारण मर गए; 10 लोग इस घटना में मर गए हैं, ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी सुरक्षा संबंधी नियमों की परवाह नहीं करता है। किसी व्यक्ति द्वारा अधिक तेजी से वाहन चलाने अपनी बस अथवा कार को आगे निकालने के कारण कितने लोग मारे जाते हैं ? तथा जब कोई कार्यवाही करना चाहता है, वे कहते है कि वह प्राधिकारवादी है; आप उन्हें कार्य से हटाएं।'' यह सब क्या है ?

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया तीन चीजों पर विचार करें। जब स्थगन आदेश चौदह वर्षों तक जारी रहा तो क्या आप इसे सक्षम प्राधिकारी तक ले जाते हैं ? माननीय विधि मंत्री ऐसा कर सकते हैं। दूसरे महालेखापरीक्षक (न्यायिक) के प्रस्ताव पर दूसरे, क्या आप सरकार के रूप में इस पर विचार करेंगे ? तीसरे, क्या आप हमारे समाज को नागरिक बोध सुरक्षा बोध पैदा करने के लिए कुछ करेंगे; क्या आप सुरक्षा संबंधी जांच के लिए भी कुछ करेंगे ?

वे आकस्मिक जांच करना क्यों शुरू नहीं करते है ? वे जांच करने के लिए वर्ष में एक बार ही क्यों जाते है जब कोई लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है ?

उदाहरण के तौर पर जब मैं उपराज्यपाल था तो मैंने उड़नदस्तों का गठन किया था तथा मैं किसी को भी कहीं भी जांच करने के लिए भेज सकता था स्वाभाविक रूप से लोग सतर्क होंगे वे अनियमितताएं नहीं बरतेंगे परंतु यदि कोई यह कहता है कि एक वर्ष के पश्चात कोई व्यक्ति लाइसेंस की जांच करने आएगा तब उस दिन मैं उस फट्टे को उतार दूंगा तथा फिर लगा लूंगा और फिर वही गलती करने लगूंगा।

इसलिए, मेरा कहना यह है कि इसमें कोई भी सर्तकता नहीं है, हमें इस घटना से कुछ सीखना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है तथा ऐसा होता रहेगा। यह दुर्भाग्यवश यह हमारा राष्ट्रीय लोकाचार है इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है वह इन सभी मुद्दों पर विचार करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : पहले भूमिका बनानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : भूमिका दो मिनट में बना लीजिए, वैसे तो एक मिनट में हो जाता है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरा सबसे पहला सवाल यह है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल है, सबसे पहले सवाल का कोई मतलब नहीं है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरे पास 10-15 मिनट का समय है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा क्योंकि इसमें और तो कोई बोलने वाला नहीं है। जितना समय बचा है, उतने समय का उपयोग करने का मैं अधिकारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ प्रश्न ही पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 19 जून, 1997 का दिन दिल्ली के इतिहास में वह उपहार सिनेमा हाल, बार्डर फिल्म और इतना सम्पन्न और सबसे बड़ा सिनेमा हाल और वहां पर इस प्रकार की घटना हो जाना कि 59 लोगों की मृत्यु हो जाना, 200 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना और फिर वहां पता लगाना कि सिनेमा हाल के अंदर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मर जहां पर लगाना चाहिए, विद्युत नियमों का जहां पर पालन होना चाहिए, कुर्सियां इस ढंग से व्यवस्थित होनी चाहिए कि ऐसे समय में लोग निकल सकें, आ जा सके इत्यादि व्यवस्थाओं का न होना, ये सारी बातें बताती हैं कि दिए तले कितना अंधेरा हो रहा है। यह घटना बड़ी शर्मनाक है, दर्दनाक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से सबसे पहला सवाल यह करना चाहता हूं कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद और इतना दोषपूर्ण प्रबंधन और प्रबंधन में शिथिलन पाए जाने के बाद भी अब तक उपहार सिनेमा हाल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया ? रद्द करके जब तक समुचित कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक उसे बंद करने का नोटिस क्यों नही दिया गया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

जैसा अभी माननीय संसद महोदय ने बताया कि 1983-84 में इस सिनेमा हाल सहित दिल्ली के 13-14 सिनेमा घरों के लाईसेंस, एक प्रकार से जो लाईसैसिंग विभाग है, जब उप राज्यपाल महोदय के पास मामला गया, रद्द कर दिए गए और उसके आधार पर वे स्टे ले आए। स्टे लेने के बाद भी 2-2 महीने की आज्ञा देने वाला लाईसैंसिग विभाग कौन था ? क्या यह न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं थी ? न्यायालय ने जिन आधारों पर वहां रोक लगाई थी, क्या उन आधारों की पूर्ति कर दी गई थी जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस का लाईसैंसिंग विभाग उनको 2-2 महीने का अस्थायी आदेश जारी करता रहा, अस्थायी अनुमति देता रहा।

माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस घटना के बाद उस स्थान का दौरा करने गए तो उन्होंने वायदा किया कि दिल्ली में ट्रौमा सेंटर जल्दी खोला जाएगा। क्या वह ट्रौमा सेंटर जल्दी खोला जाएगा क्या वह ट्रौमा सेंटर खोलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ? जब आग लगती है उसके बाद हम कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। दिल्ली प्रशासन ने जो नरेश चन्द कमेटी बिठाई, उस नरेश चन्द्र कमेटी ने 86 पेज की जो रिपोर्ट दी, उसमें लगभग सभी एजेंसियों को दोषी बता दिया है। दिल्ली पुलिस का लाइसैंस विभाग भी दोषी, डेसू ऑफिस जो भारत सरकार के तत्वाधान में था, दिल्ली विद्युत मंडल, उसे भी दोषी ठहरा दिया गया, सिनेमा के मालिको को भी दोषी ठहरा दिया गया और दिल्ली नगर निगम, जो इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है, ऐसी बिल्डिगों को बनाने की आज्ञा देता है, उनको भी दोषी ठहरा दिया गया। उसके आधार पर सरकार ने एक ओर समिति बिठा दी। उसकी जांच की कमेटी के ऊपर क्यों नही कार्यवाही की गई। क्या सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और उसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ? उपहार सिनेमा हाल के मालिकों को पकड़ने में इतना ज्यादा समय किस कारण लगा, कौन से तत्वों का संरक्षण प्राप्त था जिसके आधार पर उसके प्रबंधक या मालिक इतने दिनों तक इधर-उधर छिपते रहे। उसके बाद भी पुलिस ने, जिस दिन यह घटना हुई, उनके घरों पर तो सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी।

अपराह्न 07.00 बजे

लेकिन जहां पर वास्तव में इन सिनेमाघरों के पास लोगों को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी और जहां फायर बिग्रेड वगैरह आसानी से आ सकते थे, वहां पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, वह पुलिस की मुस्तैदी दिखाई नहीं दी। तो आखिर इस सब के पीछे राज क्या है ?

अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर कैपीटल फाउंडेशन सोसायटी की एक संगोष्ठी हुई और उस संगोष्ठी के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। जैसा माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, सवाल के माध्यम से मैं उनको पूछूंगा। क्या सरकार दिल्ली के उन सभी सिनेमाघरों को, जिनमें सुरक्षा संबंधी नियमों की पालना नहीं की जा रही है अथवा दिल्ली नगर निगम के निर्देशों के बावजूद भी जिनकी निर्माण प्रक्रिया, जिनकी विद्युत व्यवस्था और जिनके प्रबन्धन आदि के अन्दर दोष हैं, क्या उन सारे सिनेमाघरों को तत्काल बन्द करने का आदेश देगी, क्योंकि वे सुरक्षा के निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं ? इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार अग्नि जलने की ओर लोगों के मरने की ह्रदयविदारक घटनाएं नहीं हो, इनसे निपटने और इनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है, दूसरा सवाल मेरा यह है ?

तीसरा सवाल यह है कि मानव निर्मित दुर्घटनाओं के लिए राज्य जिम्मेदार होता है तो राज्य की जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए सरकार इतनी लापरवाही बार-बार क्यों बरतती है ? चाहे झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगे या आकाश को छूने वाली बिल्डिंगों में आग लगे अथवा सिनेमाघरों में आग लगे, दिल्ली में ही इतनी आग लगने की घटनाएं क्यों होती हैं ? क्या यहां का फायर ब्रिगेड, क्या यहां की सैंकड़ों दमकलें, फायर ब्रिगेड पूरा विभाग पूरी तरह सक्षम नहीं है ?

मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन पूछ लीजिए। आपके दो क्वश्चन हो गये।

प्रो० रासा सिंह रावत : यहां दोहरी व्यवस्था है। पुलिस और लाइसेंसिंग विभाग, ये तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन हैं और बाकी कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के अधीन हैं और उसमें भी नई दिल्ली नगरपालिका अलग, दिल्ली नगर निगम अलग, तो यह जो बंटी हुई सारी जिम्मेदारी है, इसके परिणामस्वरूप कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं होती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, क्या संविधान की धारा 141 और 142, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार है कि वह मानव निर्मित हादसों में पूर्व कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यह कानून बनाने की, कोई विधेयक तैयार करने की कार्रवाई तभी सम्भव हो सकती है, जब विधेयक तैयार करने की मुस्तैदी सरकार दिखाये। क्या सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ऐसी विधायी कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य के अन्दर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके और उनको कानून का रूप दे सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, सवाल पूछिये। आप तो जगमोहन जी से भी आगे बढ़ गये हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : यह सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन तो पढ़ लूं। संविधान के अंदर 141 जो दे रखा है :

[अनुवाद]

इसमें लिखा है, "कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन पूछिये न। मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है, अब बात खत्म करिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : और उसके बाद 142 में बताया गया है।

मेरा यह सवाल है कि क्या सरकार इस प्रकार का कानून बनाने के लिए विधेयक संसद के अन्दर ला रही है ताकि ऐसी अग्नि की घटनाओं को रोकने तथा साथ में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता न करने और इनका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के ये सारे प्रावधान उसके अन्दर हो सकें।

नम्बर दो-दिल्ली की पुलिस, लाइसेंसिंग, विभाग, जो इसके लिए दोषी थे और जिन्होंने अब तक दो दो महीने की यह व्यवस्था कर रखी थी, इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जायेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसको रिपीट कर रहे है। आप पूछ चुके हैं, उसका रिपीट कर रहे हैं। आप सीनियर मैम्बर पार्लियामेंट हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : एक अन्तिम बात है। गृह मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली के अन्दर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार का सहरी आवास मंत्रालय दिल्ली के अन्दर जो जिम्मेदार है, वह इस बारे में भी पूरी सावधानी बरतेगा? नियमों का पालन करने के विरुद्ध जिन-जिन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, उन निर्माणकर्ताओं के, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : डिप्टी स्पीकर साहब, 19 जून को जो कुछ भी उपहार सिनेमा में हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। मुझे जाती तौर पर उस बात का दुख है, जहां 59 लोगों की मौके वाके हुई। 103 लोग गम्भीर रूप से जख्मी हुए। मैं ऑनरेबल मेम्बर्स के जज्बात की कद्र करता हूं, क्योंकि यह सिर्फ इनका दुःख नहीं है, मुझे दुःख नहीं है, बल्कि अपने देश के सभी लोगों का दुःख है। ये हमारे ही बच्चे थे। मैं अपनी जाती मिसाल कहूं, मेरा बच्चा भी उस दिन यह खास पिक्चर देखने के लिए गया था। मैंने यह जाती परेशानी और दुःख का खुद उस दिन तजुर्बा किया, जब सुना कि इस तरह का वाक्या हुआ है तो मेरे घरवाले बेहोशी की हालत में पड़ गए। बहरहाल शुक्र है खुदा का कि वह वही पिक्चर देखने उसी दिन किसी दूसरे पिक्चर हाल गया था। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन मैंने यह मिसाल इसलिए दी कि हमारा बच्चा तो जिंदा वापस आया, लेकिन जिन लोगों के बच्चे वापस नहीं आए, उनकी क्या हालत हुई होगी। जो कुछ कुन्बे बड़े शौक से, बड़े जौक से रिक्रिएशन हासिल करने के लिए, तफरीह करने के लिए वहां गए थे, उसका बरअक्स क्या हुआ! मैं ऑनरेबल सदस्यों के साथ इस नाकाबिले बर्दाश्त दुःख और गम में पूरा-पूरा शरीक हूं।

बहरहाल यहां मैं जगमोहन जी के साथ सहमत हूं। इनका हमेशा रिएलिस्टिक व्यू रहा है। यह कोई खुशामद नहीं है। ये हमारी स्टेट के गवर्नर रहे हैं। इनके काम करने का सलीका और तरीका हमने देखा है। उस वक्त भी यह बात करते थे तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करते थे उसमें कहीं कोई लीपापोती नहीं होती थी। आज भी इनकी बातों में जो लहजा था, जो जज्बात का इजहार था, यह भी एक रिएलिस्टिक व्यू है मैं हरफ-ब-हरफ इनके साथ इनकी बातों को इंडोर्स करता हूं।

कोताहियां हुई है, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने उनका बखूबी इजहार किया। वहां 1000 के०वी० या 500 के०वी० का ट्रांसफॉरमर था और वह बाहर रखना चाहिए था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर रखा गया था। सुबह के 7 बजे उसको चेक किया गया था। क्योंकि उसमें उस समय भी डिफेक्ट था। वह कोई क्वालिटी का नहीं था इसलिए शाम के 5 बजे फिर खराब हुआ था। उसके अंदर लीकेज हुई थी, शायद तेल वगैरह लीक हुआ था। मैं 100 प्रतिशत उनके साथ इत्तेफाक करता हूं कि ये कोताहियां हुई और ये सारी एजेंसियों से हुई। सिनेमा के मैनेजमेंट की तरफ से हुई, जो एन०ओ०सी० देने वाले हैं, फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे वह एम०सी०डी० हो या फाइनली लाइसेंस इश्यू करने वाली एजेंसी हो, उनसे कोताहियां हुई। क्यों हुई, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, जहां हम कानून बनाते है, जहां हम लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं, आज पचास साल आजादी हासिल करने के बाद भी हम लोगों में सिविक सेंस और लीगल सेंस देने में कामयाब नहीं हुए हैं। मैं ऑनरेबल मेम्बरान से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा जहां मैं यह यकीन दिलाता हूं कि आपके सुझाव सरकार कंसिडर करेगी। लेकिन इसके साथ-साथ हम्बली रिक्वैस्ट करूंगा कि इन मामलात में और हर मामले में, जहां ऐसी गम्भीरता के मसले है, वहां हमने लोगों को बहैसियत नुमाइन्दे इस सिलसिले में एजुकेट करना है और एक सिविक सैन्स और लीगल सैन्स लोगों में पैदा करनी है। मेरा जाती-तजुर्बा है, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं पर नौजवान लोग सरकारी पाइप का मिसयूज कर रहे थे। जब हमने ऐतराज किया और कहा कि आपके घर का है, तो उन्होंने कहा कि नहीं यह तो सरकारी है। इसलिए मैं दोहराऊंगा कि सिविक सैन्स, लीगल सैन्स पैदा करनी है, क्योंकि एक रिप्रजैंटेटिव होने के नाते उनको हमारे साथ एक्सपैक्टेशन है। वे हमें मान्यता देते हैं और इस मान्यता को युटिलाइज करने की खातिर हमें लोगों को समझाना है कि यह सरकारी प्रापर्टी है और सरकारी प्रापर्टी अपना प्रापर्टी है। सरकार का कोई भी काम है, उसमें चाहे आफिसर हो, कोई अन्य हो या कोई आम आदमी हो, उसको लाइसेंस इजरा करने के साथ-साथ जोड़ते हैं। आनरेबिल मैम्बर्स की बात सही है, अगर दो-दो महीने का स्टे था, तो अंतरिम आर्डर सिनेमा चलाने के लिए क्यों दिया गया? मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात को दोहराऊंगा कि बहुत बड़े बलन्डर्स हुए है, बहुत कोताहियां हुई है। सरकार की तरफ से या इन्क्वायरी आफिसर कहिए या कमेटी कहिए, अपने किसी साथी श्री नरेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर (साउथ) की सरबराही में मुकर्रिर हुई है। उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने हमारी बातों से, आनरेबिल जगमोहन साहब की बातों से, आनरेबिल दूसरे साथियों की बातों से बिल्कुल, इत्तफाक किया है कि कोताहियां हुई है। जो सुझाव दिए गए हैं, मैं ज्यादा सदन का वक्त नहीं लूंगा, उनको आपको दूंगा और जो सुझाव आपके हैं, उनको कम्बाइन करके कंसीडर किया जाएगा। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं। यह बहुत कम नुकसान नही हुआ है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त है। जो गए हैं, वे अब नहीं आयेंगे। 59 लोग मरे हैं, इनमें बच्चे गए, बुजुर्ग गए, जो अब नहीं आयेंगे, हम सब कुछ करते हैं, बहुत बातें करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उनकी बहबूदी के लिए करते हैं, वैलफेयर के लिए करते है। लेकिन जब बच्चे ही नहीं रहे, लोग ही नहीं रहे, तो हम किसके लिए बातें करेंगे। लिहाजा मैं पूरे जज्बात के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, आपके दुःख के साथ मुकम्मल शरीकेकार हूं।

आप स्टे की बात कह रहे है, यह सही है कि स्टे आया है। लेकिन इसके बारे में मौतबाना, बेअदबी को आप माफ करेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे एक साथी थे, एक लीडर थे, किसी की बात से तजुर्बा हासिल होता है, उसने तकरीर करते हुए कहा कि मैं इस सरकार से नहीं डरता हूं, मैं इस सिपाही से नहीं डरता हूं, मैं एस०पी० से नहीं डरता हूं। लेकिन उस वक्त तक वहां न कोई सिपाही था और न वहां कोई एसपी था। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर उसको एक नमूदार, जिसकी लाल पगड़ी थी, नजर आया। फिर उसने कहा, मैं एसपी से नहीं डरता हूं, मैं डीजी से नहीं डरता हूं और अब रहा वह सिपाही, तो उसके लिए उसने कहा कि मैं इसका

[श्री मोहम्मद मकबूल डार]

नौकर हूं, मैं ताबेदार हूं। यहां कोर्ट की बात आई और कहा गया कि कोर्ट का एहतराम होना चाहिए। उल्टा-सीधा नहीं होना चाहिए। कन्टैम्प्ट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए, इस एवान के लिए कि स्टे को देने में काफी देर लग गई है। इसमें हो सकता है कि आपको तशवीश हो कि कुछ जानबूझ कर भी होगा, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें 50 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स हुई हैं, सिर्फ सिम्पल एफिडेविट जमा कराने पर बहुत सारी एडजर्नमेंट्स हुई है।

[अनुवाद]

इस विलंब के बारे में न तो आप, न मैं तथा ना ही कोई अन्य प्रश्न नहीं कर सकता है।

[हिन्दी]

आपने जो सुझाव दिया उसके साथ मैं भी सहमत हूं। उस पर विचार किया जाना चाहिए।

बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय रावत साहब ने सुझाव दिया, चाहे वे किसी भी आर्गनाइजेशन के हैं, चाहे वे वहां सिनेमा के मैनेजमेंट के हैं, चाहे वे किसी और शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जो मोरिदे इल्जाम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से उनको मौत मिली और मौत किस वास्ते मिली, उनकी कोताही की वजह से मिली तो उनको कोताहियों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। पहले इस मामले को क्राइम ब्रांच को दिया गया था, लेकिन अब यह सी०बी०आई० के हवाले किया गया है। सी०बी०आई० की रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें जो भी मोरिदे-इल्जाम होंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया गया है या नहीं? *(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : मैं तो हुकूमत का भागीदार हूं। मैं तो कहूंगा कि जो मर गया उसको दो लाख दें, दस लाख दें, वह मुआवजा उसकी जिन्दगी की कीमत नहीं है। बहरहाल जजबात में आकर मैं क्या कहूंगा। मैं यही अर्ज करूंगा, *[अनुवाद]* सहानुभूति के प्रतीक के रूप में *[हिन्दी]* वह जो पहले प्रपोजल लेफ्टीनेंट गवर्नर की तरफ से था, जो कम गए हैं उनको 50 हजार रुपए दिए जाएंगे, जो सिरियसली इंजर्ड हैं या जिनको मेजर इंजरीस आई हैं उनको करीब 20 हजार रुपए दिए जाएंगे और जिनको माइनर इंजरीस आई हैं उनको दस हजार रुपए दिए जाएंगे, शायद आपके सुझाव की वजह से या यहां खुद सोचने की वजह से उसमें चेंज हुआ है। यहां माननीय होम मिनिस्टर, श्री इन्द्रजीत साहब ने भी उसको कंसीडर किया है प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के लिए, सैंक्शन के लिए अब वह दुगने होने की तजवीज़ की गई है। *(व्यवधान)*

मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह प्रपोजल प्रोसेस करके प्राइम मिनिस्टर को चला गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ही यह मिलना है। जो मरे हैं उनको एक लाख रुपए मिलेंगे, इनके अलावा जिनको मेजर इंजरीज़ आई हैं उनको 50 हजार रुपए मिलेंगे और जिनको माइनर इंजरीज़ आई है। उनको 25 हजार रुपए मिलेंगे। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरा जो सबसे अहम् सवाल था कि सरकार इस पर कोई विधेयक लाएगा या नहीं लाएगी, यह आपने नहीं बताया? *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद मकबूल डार : मैं यह कह सकता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए मैंने इतनी सारी वज़ाहत की। इसको मैं भी सीरियसली लेता हूं, आप ही नहीं लेते हैं। मैं छोटा आदमी हूं, आप बड़े आदमी हैं तो आप इसको बड़े पन से सीरियसली लेते हैं लेकिन मैं छोटा होकर भी इसको आपसे ज्यादा सीरियसली लेता हूं और जो भी जरूरत हो, चाहे यहां कानून बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए कुछ भी करना हो, किसी हद तक जाना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उस हद तक जाऊंगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 7 अगस्त, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 7 अगस्त, 1997/16 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/16/11/97 (एन०)

220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।